राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्ठम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या 11

वृहस्पतिवार,

दिनांक 9 नवम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 296

श्री मथुरादासजी माथुर

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

पंचायत राज्य मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) आथोरिटी आपके पास है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : आथोरिटी नहीं है लेकिन यह प्रश्न बड़ा इम्पार्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज पंवार।

चूरू तहसील के गांवों का सैटिलमेंट

297. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू तहसील के गांवों का जो सैटलमेंट सं. 2025 से 2027 तक विभाग द्वारा कराया जाकर गांवों की नई मिसल बन्दोबस्तें तैयार की गई हैं, उनमें से कितने गांवों का खसरा मिलान क्षेत्रफल से नहीं होता हैं ? ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्षेत्रफल से खसरा मिलान नहीं होने का क्या कारण है तथा यह पैमाइश किस पद्धति से की गई है? क्या पुराने बन्दोबस्त के मुताबिक चोहद्दा पैमाइश प्रणाली थी अथवा अन्य कोई ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे गांवों, जिनका खसरा मिलान नहीं होता है, की नियमानुसार मिसल बन्दोबस्तें पूर्ण नहीं हो सकती हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या और कब तक कार्यवाही कर लेने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : (1) तहसील चूरू की मिसल बन्दोबस्तें तैयार कर जून, 1974 में राजस्व विभाग को दे दी गई थी। तब से अब तक राजस्व विभाग ने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि यह बात सही नहीं है।

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

(2) प्रश्न के भाग (1) में वर्णित बात जब तक सामने न आवे, कारण बताना सम्भव नहीं है। जहां तक पैमाइश का प्रश्न है, जागीर के ग्रामों में केवल तरमीम कराई गई थी तथा खालसा के 7 ग्रामों में जो पहले 127½ फीट की जरीब से मापे गये थे को 165 फीट की जरीब से माप कर पूर्व की भांति चैन सर्वे करवाया गया है।

(3) जब तक किसी भूल का पता नहीं चलता उसके लिए कोई कार्यवाही कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मेघराज पंवार : क्या यह सही है कि गत बन्दोबस्त के दौरान विस्तृत क्षेत्रफल 5, 50, 440 बीघा था और बाद में पैमाइश कराने पर क्षेत्रफल 5, 72, 234 कर दिया गया है ? इन तहसीलों के क्षेत्रफल में 22, 794 बीघा का फर्क आता है। गांवों की जो नई मिसल बन्दोबस्त तैयार की गई उनका खसरा मिलान क्षेत्रफल से नहीं होता है इसलिए वे सही डाक्यूमेंट नहीं कहे जा सकते।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि पैमाइश 127½ फीट की जरीब के के बजाय 165 की जरीब से कराई गई है। जहां तक खसरा नम्बर नहीं मिलने का प्रश्न है तो सैटलमेंट जब खतम हो जाता है तो कानून में प्रावधान है कि एस. डी. ओ. के यहां जाकर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। माननीय सदस्य का कोई विशेष मामला हो और वे नोटिस में लायेंगे तो उसके लिए अलहदा से कार्यवाही की जा सकती है।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

सैटिलमेंट का मामला बहुत ही गहन मामला है ......(व्यवधान) भीलवाड़ा जिले के अन्दर मेरा निवेदन है, जहां जहां भी सैटलमेंट हुआ है......

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : भीलवाड़ा कहां से ले आये ? चूरू जिले की विशेष समस्या है।

श्री कौशलकिशोर जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां जहां भी सैटलमेंट हुआ है .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता!

श्री मेघराज पंवार : गत पैमाइश में बन्दोबस्त का जो तरीका था वह तरीका अब जो पैमाइश की गई, उसमें बदल दिया गया। इससे लगान भी बढ़ गया। इसके लिये एजीटेशन हुआ 1970 में जब 25 मार्च को घोषणा की गई कि रकबा नहीं बढाया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मामले को इसलिये रखा है कि दस साल से आये साल वहां अकाल पड़ता आया है। विधान सभा में भी उसके सम्बन्ध में प्रश्न रखे गये हैं। यहां से डिप्टी सैक्रेटरी के दस्तखतों से एक हुकम जाता है कि पुराने बन्दोबस्त के अनुसार वसूली नहीं की जाय। इस प्रकार से, मैं यह कहना चाहता हूं, जान बूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा दी जानी चाहिये नहीं तो इस तरह के काण्ड होते ही रहेंगे।

Page No.3

श्री बहादुरसिंह (नौहर) : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में संवत् 2002 में सैटलमेंट हुआ था और एक-एक चप्पा भूमि नापी गई गई थी। जब 2027 में सैटिलमेंट हुआ है तो 22 हजार बीघा रकबा बढ़ गया है, यह नहीं हो सकता। रकबा की गलती हुई है इसलिए इस की जांच कराई जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है कि चूरू जिले के अन्दर जो लैण्ड रेवेन्यू 161 पर्सेन्ट बढ़ाया गया है जब कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर 25 % से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सैटिलमेंट से सारे राजस्थान के काश्तकार अनसैटल हो गये हैं, एक की भी मिसल ऐसी नहीं है जिसका सही ढंग से निपटारा किया जा सके। नक्शा फैल जाता है तो जमीन का टुकडा बढ़ जाता है है और ओरिजिनल फार्म में रहता है तो छोटा हो जाता है। इसलिए खेती की माप सही नहीं है। चूरू जिले का लैण्ड रेवेन्यू कम कराया जाय, रिकार्ड ठीक कराया जाय और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाय। पूरे गंगानगर जिले और मेरे क्षेत्र नौहर की भी यही समस्या है।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्ट्री का का जवाब तो आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि पुराने पैमाने के अनुसार रकबा 5, 50, 440 बीघा था और उसके बाद 5, 72 234 बीघा हो गया और इस प्रकार से यह डिफरेन्स 22794 बीघा का है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वह अंतर क्यों आया ? रकबा घटना चाहिये था। यह रकबा 22,294 बीघा बढ़ा है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : तहसील चूरू में जो सैटलमेंट हुआ था यह सन् 1967 की बात है। उसके बाद 1972 में रेंट रेटस् स्वीकार की गई और 1974 में सारे के सारे कागजात सैटलमेंट विभाग से राजस्व विभाग को दे दिये। यह पौने पांच वर्ष का समय हो गया। इस बीच में एक भी शिकायत चूरू के किसी किसान की जमीन के बारे में, नक्शे के बारे में नहीं आई।

श्री बहादुर सिंह : बार बार शिकायतें की गई हैं जिलाधीश को। यह कहना गलत है कि शिकायत नहीं की गई। कलेक्टर को लिख कर दिया है कि चूरू के काश्तकारों पर इतना टैक्स लगा है, वह कम करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : दो सौ काश्तकार इस एजीटेशन.......

मेजर फतहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह केवल चूरू तहसील के सैटलमेंट के बारे में ही प्रश्न नहीं है। मेघराज जी ने जो प्रश्न उठाया है वह महत्वपूर्ण है। सैटलमेंट राज्य सरकार ने चाहे कहीं भी करवाये, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूं कि सैटलमेंट न होकर किसानों का अनसैटलमेंट हो गया। भीम तहसील के बारें में मंत्री महोदय को मालूम है कि वहां भी सैटलमेंट हुआ था। उस बात को लेकर गत वर्ष 15 अगस्त को मैं भूख हड़ताल पर जाने वाला था। तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री कैलाश मेघवाल ने आश्वासन दिया था कि

Page No.4

(मेजर श्री फतहसिंह)

निर्णय नहीं किया गया । सवा साल बीत गया है लेकिन भीम के मामले में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया । क्या आपको मालुम है कि भीम का 1971-72 में सैटलमेंट हुआ उसमें हजारों व्यक्तियों को उनकी काबिले काश्त भूमि पर खातेदार अधिकार नहीं दिए गए हैं ? हजारों व्यक्तियों का शामलात की भूमि पर जब अधिनियम लागू हुआ तब कब्जा हुआ । वहां पर भी खातेदारी अधिकार नहीं मिले ? क्या आपको मालूम है कि कई गांवों में चरागाह की भूमि उपलब्ध होते हुए भी चरागाह दर्ज नहीं की गई ? क्या आपको मालूम है कि कई जगह चरागाह भूमि को बिना नाम दर्ज किया किया गया और उसका आंवटन किया जा रहा है जिससे लोगों में असंतोष फैलने लगा है ? क्या आपको यह भी मालूम है कि किसानों को काबिले काश्त भूमि के बदले चरागाह भूमि दी गई है ? क्या आपको यह भी मालूम है कि काश्तकारों को पीढ़ियों से बीड़ बिना नाम दर्ज किये आवंटित की जा रही है जिससे हजारों की संख्या में मुकदमेबाजी बढ़ रही है ? क्या आप इस समस्या की ओर ध्यान देंगे ? अन्यथा भूख हडताल करनी पड़ेगी और फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही आप लोग करेंगे ?

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : भूतपूर्व जैसलमेर रियासत एवं फलौदी तहसील तथा कोलायत तहसील में मिलाये गये इसके भाग में गलत सैटलमेंट दर्ज हुआ है और कई बार उसे ठीक करवाने के लिये आवेदन पत्र दिए जा चुके हैं । इसकी वजह से वहां के कई किसानो के खेत बिक गये हैं । क्या इस बारे में भी राज्य सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी ?

श्री मेघराज पंवार : सैटलमेंट कमिश्नर राजस्थान और उस समय के राजस्व मंत्री ने हमारी मांगें जायज ठहराई हैं लेकिन विशेष पालना नहीं हो रही है।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : जब रेवेन्यू अभियान राजस्थान में जनता सरकार ने चलाया और दावा किया कि हमने समस्त किसानों के झगड़े निपटा दिए हैं तो विधायक महोदय कोई शिकायत नहीं करें।

श्री खंगारसिंह (खारची) : सोजत के अन्दर सैटलमेंट हो गया । तहसीलदार द्वारा पट्टे भी दिए गए लेकिन सैटलमेंट विभाग ने काश्तकारों के नाम जमीन दर्ज नहीं की । उसके बाद सैटलमेंट दुवारा हुआ वह जमीन सवाई चक की आज भी रिकार्ड में बोलती है । जो काश्तकार थे उनको वहां से हटाया जाकर वह जमीन दुबारा अलाट की जा रही है । क्या राज्य सरकार इस इस बारे में निर्णय लेगी ?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : गलत नीतियां और गलतफहमियों के कारण चूरू में जो इस तरह की हेराफेरी की गई है, क्या राजस्व मंत्री आश्वासन देंगे कि इस मामले में कोई हाई लेवल कमेटी नियुक्त की जाएगी जो सारे मामले की जांच करके इस बात का पता लगाए कि २२ हजार का जो यह अंतर आया है, इसके क्या कारण हैं ? क्या अधिकारियों की गलतफहमी और अधिकारियों की मनमानी के कारण जो यह स्थिति पैदा हुई है, मंत्री महोदय इस संबंध में कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, क्या माननीय सदस्य किसानों की समस्याओं पर सरकारी उत्तर की अपेक्षा नहीं रखते ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : जो मूल प्रश्न है उससे अलग स्थानों के सैटलमेंट के विषय में कुछ प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं, उन सबका उत्तर मैं एक साथ निवेदन करता हूं । जो अलग अलग प्रश्न हुए हैं उनका उत्तर देने की स्थिति में तब होऊंगा·······

श्री अध्यक्ष : चारों तरफ से जो सप्लीमेंन्ट्रीज आए हैं इनसे आपको अनुमान नहीं होता है कि प्राइमा फैसी कोई न कोई इश्यूज ऐसे हैं जो काबिले जांच हैं ?

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर): क्या, मंत्री महोदय, सारे राजस्थान के मसलों पर एक घंटे की चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । This is sufficient

श्री सुरेश कुमार।

मरुस्थल विकास की योजना

298 **श्री सुरेश कुमार** (भरतपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या जापान ने मरुस्थल विकास की एक विशेष पद्धति और योजना बनाई है ? यदि, हां, तो वह योजना क्या है ? क्या उसका उपयोग राज्य में भी किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस योजना की जानकारी करने का प्रयास करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : राज्य सरकार को कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । राज्य सरकार भारत सरकार के माध्यम से कथित योजना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगी ।

श्री सुरेश कुमार : क्या कृषि मंत्री मेरी इस बात से सहमत हैं कि उनके मंत्रालय और निदेशालय के अधिकारी इतने अनभिज्ञ और लापरवाह हैं कि इतनी उच्चकोटि की योजना जो हमारे राज्य के हित के लिए है, उसकी जानकारी उनके पास नहीं है ? प्रश्न दिये हुए एक महीना हो गया, एक महीने के अन्दर जानकारी नहीं कर पाए । क्या आप सहमत हैं कि आपके मंत्रालय में लापरवाही व अनभिज्ञता है ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : सुरेश जी के सपोर्ट में मेरा सप्लीमेंन्ट्री सवाल है । मैंने भी लास्ट ईयर सवाल रखा था कि लालबहादुर शास्त्री को राजस्थान का मरुस्थल मिटाने के लिए इजराइल ने जो योजना दी उसकी जानकारी या उसका पता लगाने की आप कोशिश करेंगे ? उसका आज तक जवाब नहीं आया।

श्री सुरेश कुमार : क्या कृषि मंत्री मेरी इस बात से सहमत है कि वह खुद प्रश्नकर्ता विधायक को लेकर जापान जायं और वहां की पद्धति का अच्छी तरह से अध्ययन करें ।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ रहा है और बराबर बढ़ रहा है । आपको कोई सूचना ही नहीं है । इजराइल में क्या पद्धति अपनाई गई है, उसकी जानकारी भी आपको नहीं है । रेगिस्तान के नाम पर लाखों रुपया बरबाद किया जा जा रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी कि प्रश्न आने के बाद आपके विभाग ने केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस योजना की जानकारी करने की क्या कार्यवाही की कृपया उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। यह भी बतायें कि उसके बाद क्या कार्यवाही की ? और की तो कब की और केन्द्र सरकार का उत्तर क्या आया ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मरु-विकास योजना की बात उठाई गई है और मंत्री महोदय को उस की जानकारी है फिर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी करने की चिन्ता नहीं की है। यह मरु प्रदेश की अवहेलना की जा रही है।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : मैं, कृषि मंत्रीजी, यह कहना चाहती हूं कि क्या उनका मंत्रालय राजस्थान के मरुस्थल का विकास करना चाहता है ? यदि करना चाहता है तो विश्व के दूसरे देश, जहां मरुस्थल के विकास की योजनाओं को लागू किया गया है., की कौन कौन सी मरुस्थल विकास योजनाओं को अब तक हमारे प्रान्त ने अपनाया? क्या अब उन्हें राज्य में लागू किया जा रहा है ? क्या उनका कोई अध्ययन सरकार ने किया है ?

श्री बहादुरसिंह : राजस्थान में रेगिस्तान बराबर बढ़ता जा रहा है। 10 पर्सेन्ट से 20 पर्सेन्ट काबिल काश्त भूमि पर रेगिस्तान बढ़ रहा है। हमारी सरकार रेगिस्तान को रोकने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? यह भी बताने की कृपा करें।

श्री कल्याणसिंह कालवी : बात यह है, अध्यक्ष महोदय, जहां तक जापान की योजना का सवाल है हमारे पास अभी विस्तृत जानकारी नहीं है। जहां तक इस्त्राइल की योजना का सवाल है, मैं अभी कोई विस्तार-पूर्वक तो जवाब नहीं दे सकता हूं। मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको जवाब दे सकता हूं कि उसका राज्य सरकार अध्ययन कर रही है। यदि उस योजना को अपनाया गया तो हमारे यहां क्या क्या समस्यायें आ सकती हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, योजना को अपनाने का आधार क्या होगा आदि बातों पर विचार चल रहा है....

(व्यवधान

मरु विकास के लिये उस योजना के आधार पर अभी 11 जिले लिये गये हैं और अलग अलग क्षेत्र बांटे गये हैं। केन्द्र सरकार से उसके लिये धनराशि भी दी गई है। मेरा विश्वास है आगामी कुछ वर्षों में मरु प्रदेश में आपको कुछ विकास नजर आयेगा।

अब जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा है अपने प्रदेश में रेगिस्तान की बढोतरी हो रही है। जहां तक मेरी मान्यता है कुछ क्षेत्रों को छोड कर, जहां तक समस्त क्षेत्र का सवाल है, रेगिस्तान रुक रहा है, रेगिस्तान बढ़ नहीं रहा है।

श्री बहादुरसिंह : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर रेगिस्तान के आंकड़े देखेंगे तो पता लगेगा कि निरन्तर रेगिस्तान बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिये कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। यह सूचना, जो आपने दी है, गलत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार रेगिस्तान बढ़ रहा है और आपका महकमा कुछ भी नहीं कर रहा है। आपने

(श्री बहादुरसिंह)

यह कहा कि रोकने के लिये प्रयास कर रहे हैं तो क्या क्या प्रयास किये, यह बतायें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रेगिस्तान बढ़ नहीं रहा है, इसका आधार क्या है ?

(व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर : मैं यह जानना चाहती हूं

(व्यवधान)

मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि राजस्थान के 11 जिलों में मरु विकास के कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं लेकिन क्या राज्य सरकार ने इन वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों का कभी मूल्यांकन किया है ? मरु प्रदेश पर क्या असर पड़ा है, इसका अध्ययन किया है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी।

(व्यवधान)

मंत्री पंचायत राज (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं तो जानकारी ही दे रहा हूं आपको.

(व्यवधान)

आपको तो उत्तर ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर के प्रश्न के उत्तर में शायद मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : इससे पहले....

(व्यवधान)

आप तो भूतपूर्व मंत्री.....

(व्यवधान)

वर्तमान कृषि मंत्री ने एक्सटैम्पोर कह दिया कि रेगिस्तान बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने किस आधार पर कहा है ? मैं जैसलमेर के लिये तो कह सकता हूं कि रेगिस्तान को दक्षिण से उत्तर वाली विन्ड्स लाती हैं और उधर दक्षिण वाली सारी झोंपड़ियां बढ़ती हुई रेत से ढक जाती है। हम फिजीकली देख कर कह सकते हैं कि रेगिस्तान बढ रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : रेगिस्तान का खतरा हरियाणा को हो रहा है।

श्री किशनसिंह भाटी : कृपया माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि क्या यह उन्होंने अपने व्हिम पर ही कहा है एवं कह रहे हैं....

(व्यवधान)

किस आधार पर कहा है माननीय मंत्री जी ने ?

एक माननीय सदस्य : अपनी जो मरु भूमि है उसको तो छोड़ गये और भीलवाड़ा चले गये वहां तो मरु है ही नहीं ....

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष का विचार है कि रेगिस्तान घट रहा है।

श्री किशनसिंह भाटी : किस आधार पर घट रहा है ? रेगिस्तान घट रहा है, यह कहने का आपका आधार क्या है ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : रेगिस्तान बढ़ रहा है। यह घटने की सूचना आपके पास कहां से आ गई ?

श्री किशनसिंह भाटी : अगर रेगिस्तान घट रहा है, वह स्टेटमेंट सही है तो हम सदन की सदस्यता छोड़ने को तैयार हैं वरना मंत्री सदस्यता त्यागें......

(व्यवधान)

This is wrong statement.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक करके पूछें तो कुछ समझ में आये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य !

माननीय मंत्री महोदय, दोनों में से कोई मंत्री महोदय जवाब दे दें।

श्री मूलचन्द डागा : हम यह नहीं चाहते हैं........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो सुनिये, माननीय सदस्य ! कृपया उत्तर तो सुनिये ! आप उत्तर सुनिये, फिर कुछ प्रश्न पूछिये।

श्री कल्याणसिंह कालवी : जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि रेगिस्तान कुछ क्षेत्रों में बढ़ सकता है किन्तु जहां बढ़ने की बात कही गई है उसके लिये मैंने कहा था कि वहां बढ़ा नहीं है बल्कि घट रहा है। मैं समझता हूं कि जितने हिन्दुस्तान के एक्सपर्ट हैं, मरु अनुसंधान की जो संस्था है उसकी रिपोर्ट पढ़ दीजिए, उसमें कहा है...

श्री मूलचन्द डागा : किताब का नाम बताइये...

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : किसी किताब का नाम बताओ जिसमें यह लिखा हो।

श्री मूलचन्द डागा : आंकड़ों में दिखाइये We are not supposed to hear your lectures.

श्री किशनसिंह भाटी : एक भी आथर का नाम, एक भी राइटर का नाम बता दो।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हम जवाब चाहते हैं आंकड़ों में कि कितना मरुस्थल घट रहा है।

(व्यवधान)

श्री गुल मौहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर): मंत्री महोदय जबाब देना चाहते हैं, सुन तो लिजिये।

(व्यवधान)

श्री अचलाराम (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अचलाराम।

श्री अचलाराम : मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 1952 में रेगिस्तान का क्षेत्र कितना था और सन् 1977 में रेगिस्तान का क्षेत्र कितना रहा ? सन् 1977 के बाद राजस्थान में रेगिस्तान को रोकने के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रयत्न किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पिछले तीन वर्षों से रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा हो रही है और पश्चिमी जिलों में भी काफी वर्षा हुई है........

(व्यवधान)

इसलिए रेगिस्तान घटा है, बढ़ा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, वैसे तो आप सवाल को पढ़ें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या जापान ने मरुस्थल विकास की एक नई पद्धति और योजना बनाई है। इसका उत्तर दिया गया है कि हमारे पास में जानकारी नहीं है। जैसा कि सुझाव दिया गया है कि जापान जाकर के मालूम करें, वह अलग प्रश्न है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों ने जैसा फर्माया कि राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ रहा है या घट रहा है, इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत पांच छः वर्षों से यह कार्यक्रम डी. पी. ए. पी. और डी. डी. ए. के कार्यक्रम में लिया गया है। उसके अन्दर यह कार्यक्रम लिया गया कि जो रेगिस्तान बढ़ रहा है उसको रोका जाय। इसके पश्चात् इसका इवेल्यूएशन कराने के लिये राज्य सरकार ने इवेल्यूएशन कमेटी नियुक्त की है, वह जांच करेगी। वह यह भी जांच करेगी कि कहां तक यह प्रोग्राम सफल हो पाएगा। यह भी वह देखेगी कि रेगिस्तान घटा है या बढ़ा है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : इसका तात्पर्य यह हुआ कि.........

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : माननीय कृषि मंत्री जी ने एक बात और भूतपूर्व कृषि मंत्री जी ने दूसरी बात बताई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक एक माननीय सदस्य। श्रीमती मदनकौर।

श्रीमती मदन कौर : भूतपूर्व माननीय कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा है। उसके लिये समिति नियुक्त कर दी है। इतना और बता दें कि वह कमेटी कब नियुक्त की गई है ? क्या उसने अपना काम शुरू कर दिया है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त तो मेरे पास उसकी तारीख वगैरह नहीं है। बाकी यह निश्चित आश्वासन दे सकता हूं कि निश्चित तौर से कमेटी नियुक्त कर दी गई है और उसकी रिपोर्ट भी जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 299

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री रंगजी

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रतन लाल वर्मा।

पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की योजना

300. **श्री रतनलाल वर्मा** (भिनाय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) हर पंचायत हैडक्वार्टर को राज्य में कब तक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

(2) राज्य में किन सड़कों की हालत खराब है ? उनको कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि ब्यावर में केकड़ी रोड, विजयनगर से नागौला रोड, बादनवाड़ा से सिराना रोड, किशनगढ़ से सरवाड रोड, जो वर्षों पूर्व डामर की बनी हुई है, में छः इंच के गहरे गड्ढ़े पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो, इन रोड्स को कब तक डामर से ठीक करवा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि विजयनगर से गोपका वाया भिनाय, टाटोटी वर्षों से कच्ची बनी हुई है और उस पर पत्थर, मिट्टी पहाड़ों में पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो उसको कुटवा कर कब तक राज्य सरकार द्वारा डामर रोड बना दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि देवालिया कला से कालेड़ा वाया नानमी जैतपुरा रोड 10 साल से कच्ची बनी हुई है ? यदि हां, तो उसे कब तक पक्का बनाने का राज्य सरकार का विचार है ?

(6) क्या सराना से बारोडा तक कच्ची रोड बनी हुई है ? यदि हां, तो उसको भी राज्य सरकार द्वारा पक्का कब तक बना दिया जायेगा ?

(7) क्या यह सही है कि नसीराबाद से बारोड़ा रोड की हालत बहुत खराब है और बनने के बाद दुबारा डामर नहीं हुआ ? यदि हां, तो उसको डामर रोड राज्य सरकार द्वारा कब तक बनवा दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) ऐसे पंचायत हैडक्वार्टर, जिनकी आबादी 5000 से अधिक है, इस वर्ष के अन्त तक सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है। 2500 व 1500 की आबादी वाले हैडक्वार्टर को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया है।

(2) इन सड़कों पर मरम्मत का कार्य हर वर्ष किया जाता है और विशेष सुधार के कार्य जो इस वर्ष के लिए, विभिन्न मदों से स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(3) इन सड़कों में पंच वर्क शुरू करवा दिया गया है।

(4) जी हां। यह सड़क 32 किलोमीटर लम्बी है। अधिकांश भाग में फेयर वेदर रोड है। पिछले वर्षों में फेमिन कार्य के अन्तर्गत इस सड़क पर कार्य हुआ था। इसको 5 कि. मी. विजयनगर से सिकरानी पक्की बनाने का कार्य स्वीकृत कर दिया गया व कार्य चालू है।

Page No.11

(श्री जयनारायण पूनिया)

(5) जी हां। यह सड़क 27 किलोमीटर लम्बी है। जनसंख्या के आधार पर सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से इसके कुछ भाग के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है।

(6) जी हां, यह कच्ची सड़क फेमिन कार्य के अन्तर्गत बनाई गई थी। डमरेला से बोराड़ा डामर सड़क बनाने के कार्य का छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है।

(7) जी हां। इस सड़क पर सुधार का कार्य चालू है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हर पंचायत हैड क्वार्टर को कब तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना में है, यह कह कर आपने सब बातों को टाल दिया। आपने पांच हजार की जनसंख्या वाले हैड क्वार्टर को सड़क से जोड़ने की बात बताई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुश्किल से सौ में से पांच पंचायतें ऐसी होंगी जिनमें पांच हजार की जनसंख्या हो। बाकी 95 पंचायतों में नहीं होगी। जब पांच हजार को छोड़ कर ढाई हजार की तो वोटर लिस्ट होती है फिर यह किस तरह की योजना मंत्री महोदय बना रहे हैं?

दूसरा यह स्पष्ट करें कि.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : भाषण नहीं, सप्लीमेन्ट्री पूछो।

श्री रतनलाल वर्मा : आप सुन लीजिए।

दूसरा मेरा प्रश्न यह था कि राजस्थान की कौन कौन सी सड़कों की हालत खराब है? उन खराब सड़कों की सूची दी जावे। और उनको ठीक कराने का राज्य सरकार का क्या विचार है, कब तक ठीक कर दी जाएगी? यह जो लिस्ट दी है यह सिर्फ 13 जिलों की दी गई है और उनमें भी जो फ्लड में सड़कें खराब हो गई उनकी लिस्ट दी गई है। उनको ठीक करवाया जाएगा। जब कि मेरा क्वेश्चन सम्पूर्ण राजस्थान के लिए था कि कौन कौन सी सड़कें खराब हो रही हैं और उनको ठीक करने की क्या योजना है? इसका स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि विजयनगर से नागोला सड़क पर मेटीरियल पड़ा है, वर्षों से पड़ा हुआ है और लोग उठा कर ले जा रहे हैं। उसके लिए आपने स्पष्ट नहीं बताया कि क्या योजना है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा प्रश्न यह है है कि वादनवाड़ा से सिराना रोड को संक्शन हुए आठ महीने हो गए, पांच लाख रुपया कृषि उपज मंडी और सरकार की तरफ से पी. डब्ल्यू. डी,. को दे दिया गया लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। मंत्री महोदय ने कह दिया कि काम शुरू हो गया। यह कहां तक सच है, आप इसकी छानबीन करके जवाब देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि देवली से कोटा तक की सड़क, टौंक का मार्ग टूटा हुआ है, उस पर हजारों ट्रक एक दिन

Page No.12

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में गुजरते हैं। तैंतीस सौ ट्रक उस मार्ग मे रोजाना गुजरते हैं। क्या मंत्री महोदय, उसकी ओर

(व्यवधान)

ध्यान देंगे? वहां पर एवरेज 23 टायर रोज फूटते हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम के फिगर्स हैं कि एवरेज 23 बसों के टायर फूटते हैं। क्या मंत्री महोदय टौंक का मार्ग शीघ्र ही ठीक कराने की कृपा करेंगे?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय तत्काल प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय जैसा कि प्रश्नकर्ता ने पूछा कि सड़कों को, पंचायत हैड क्वार्टर से जोडने के लिए राज्य सरकार की क्या नीति है? ऐसा नहीं है कि पंचायत हैड क्वार्टर को सड़कों से जोड़ने की कोई नीति राज्य सरकार ने नहीं बनाई है। 5 हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा, हमने ऐसा कहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में 1 हजार से $2\frac{1}{2}$ हजार आबादी के जो गांव हैं उनमें से 50 पर्सेन्ट को सड़कों से जोड़ा जायेगा। इसके अलावा 1500 से ज्यादा की आबादी वाले क्षेत्रों को सेन्ट पर्सेन्ट जोड़े जाने का प्रावधान रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : आप मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हनवंत सिंह।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो पूरा उत्तर आने दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका संबंध सारे राजस्थान से है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर से असन्तुष्ट हैं तो मैं क्या करूं और आप भी क्या करें। उत्तर आ गया।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जायेगा जब तक कि मंत्री महोदय का उत्तर सदन को प्राप्त न हो।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (2) में पूछा गया था, राज्य में किन सड़कों की हालत खराब है? उनको कब तक ठीक करवा दिया जायेगा? क्या इस संबंध में राज्य सरकार की कोई योजना है? तो इसके बारे में भी जो उत्तर दिया है वह मुकम्मिल है। सड़कों की मरम्मत का जो कार्य होता है वह हर साल होता है और इस साल भी मरम्मत कार्य सड़कों का चल रहा है। कुछ विशेष सड़कों के विशेष सुधार के कार्य की जो योजना बनाई है उसकी मैंने माननीय सदस्य को सूची दे दी है। इसी प्रकार जो बाकी सड़कें हैं वह कुछ फेमिन रोड्स हैं और कुछ

Page No.13

(श्री जयनारायण पूनिया)

सड़कें हैं जिनकी स्वीकृति दी हैं उन पर पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से कार्य करवायेंगे। बाकी नई सड़कें हम नहीं बनवा सकते हैं। नयी सड़कें उसी आधार पर बनाई जा सकती हैं जो आबादी के आधार पर नार्म्स में जिलेवार सड़कें आयेंगी। वह बनाई जाएंगी। इसलिए सड़कों के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है वह पूरे डिटेल मैंने अच्छी तरह से बताये हैं। पंचायतों के हैड क्वार्टर को जोड़ने वाली आपकी सड़क है वह निर्धारित आबादी के आधार पर आती है तो वह उसी प्रकार की जायेगी। इसमें कोई छूट नहीं दी जायेगी। अब माननीय सदस्य को कोई शिकायत रह गयी है तो माननीय सदस्य बता दें कि उनको बताने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। एक सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन मंत्री महोदय के उत्तर पर प्रश्नकर्त्ता पूछ सकते हैं। श्री रतनलाल वर्मा।

(व्यवधान)

इस तरह प्रासीडिंग्स चलेंगी तो निरर्थक है। इसे सार्थक बनाइये।

श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्पूर्ण राजस्थान की बात की और माननीय मंत्री महोदय ने जो मुझे उत्तर दिया है और जो लिस्ट दी है वह केवल 13 जिलों की ही है। अजमेर जिले का तो उसमें नाम ही नहीं है। 13 जिले नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने सम्पूर्ण लिस्ट दे दी। तो 13 जिले कहां उड़ गये? कहां हवाई जहाज में उड़ कर चले गए?

श्री जयनारायण पूनिया: अध्यक्ष महोदय, सड़कों की मरम्मत का जो काम है उसके लिए 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। श्री हनवंतसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है और विशेषाधिकार से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले मेम्बर का नाम पुकार दिया इसलिए उनको प्रायोरटी दी जायेगी।

श्री हनवंत सिंह (बाली) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि फूड फोर वर्क स्कीम है उसके तहत अगर सभी पंचायत हैड क्वार्टर को सड़कों से जोड़ दिया जाता है तो क्या सरकार को कोई आपत्ति है? नहीं है, तो फिर क्यों नहीं जोड़ दिया जाये?

श्री जयनारायण पूनिया : इसमें राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। राज्य सरकार इस मामले में सहयोग देने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए जो मैटीरियल पोर्शन है वह ग्राम पंचायतें जुटा सकती हैं तो हम तैयार हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा नीति का प्रश्न है। खण्ड (2) में मंत्री महोदय ने कहा है कि जो राजस्थान की सड़कें अकाल राहत के अन्दर बनाई उन सड़कों पर सुधार का कोई काम गत वर्ष में नहीं हुआ है.....

Page No.14

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिसका नाम पुकारा जायेगा वही बोलेगा।

श्री कौशल किशोर जैन : क्या अकाल राहत के अन्दर जितनी सड़कें बनाई हैं उनकी मरम्मत का कार्य राज्य सरकार करेगी ? मंत्री महोदय उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और सरकारी उत्तर भी पर्याप्त है। सरकार भरसक तैयारी कर रही है कि अपूर्ति को पूरा किया जाये।

श्री रतनलाल वर्मा : पर्याप्त उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। उत्तर नहीं आया और आप असन्तुष्ट हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री रतनलाल वर्मा : 13 जिलों का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की घोषित नीति है क्षेत्रीय असन्तुलन को घटाने की। अगर पापुलेशन के बेसिस पर सड़कें बनाई गईं तो रीजनल इम्बेलेन्स बढ़ेगा। रीजनल इम्बेलेन्स को घटाने के लिए माननीय मंत्री महोदय क्या आश्वासन देते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : This is going to lead the hon. Members no where.

पांच चार सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन का कोई मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकता है, कोई मनुष्य भी उत्तर नहीं दे सकता है।

श्री किशनसिंह भाटी : But we want to leave it to the Speaker.

श्री अध्यक्ष : No supplementary.

श्री गुप्ता स्थान ग्रहण करें।

स्थगित प्रश्न। श्री करतारसिंह.

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-10-78)

समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र

26. **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया को भूमिहीन किसान विकास अधिकरण, अजमेर द्वारा पिछले कुछ वर्षों में धनराशि दी गई है ?

(2) यदि हां, तो यह धनराशि कब कब कितनी कितनी, किस किस कार्य हेतु दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा इस धनराशि की उपयोगिता

(श्री करतारसिंह)

संबंधी सभी जांचें नहीं की गईं और न ही संबंधित संस्था के इस धनराशि संबंधी खर्चे की जांच की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार अधिकरण द्वारा दी गई धनराशि की उपयोगिता संबंधी जांच करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

राज मंत्री पंचायत (श्री दिग्विजयसिंह) -: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसका उत्तर देना चाह रहा हूं क्योंकि पहले भी मैंने ही उत्तर दिया था।

(1) जी हां।

(2) यह धनराशि दो किश्तों में दिनांक 13-4-76 एवं 22-3-78 को प्रत्येक किश्त रुपये 20,000 दे दी गई जो पंचायत समिति क्षेत्र जवाजा में सेमी डिटेल्ड हाइड्रोलोजिकल सर्वे हेतु थी । स्वीकृतियों की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) यह सही नहीं है क्योंकि स्वीकृति की शर्तों में विभाग द्वारा कोई जांच करवाना अपेक्षित नहीं था । शर्तों के अनुसार संस्था ने स्वयं ही राशि का आडिट करवाकर आडिट रिपोर्ट 20-9-77 को पेश कर दी थी।

(4) अनुदान स्वीकृति की शर्तें संख्या 6 के अनुसार संस्था ने चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से आडिट करवा लिया है । इसी स्वीकृति की शर्त संख्या 9 के अनुसार कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल, गवर्नमेंट आफ इन्डिया के प्रतिनिधि व राज्य सरकार द्वारा भी यह हिसाब जांच के लिए उपलब्ध रहेगा । राज्य सरकार द्वारा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल को जांच के लिये निर्देश किया जा रहा है।

(स्वीकृतियों की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री करतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) का जो इन्होंने जवाब दिया उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं बताना चाहता हूं कि फरवरी 74 को राजस्थान के कमिश्नर और सैक्रेटरी (स्पेशल स्कीम) ने ए. जी. को लैटर लिखा था उसके खण्ड २ में बताया है

"The proposed accounts in respect of expenditure shall be maintained by the Director of Social Welfare Centre and Chairman...'

मैं यह पूछना चाहता हूं कि अनुसंधान केन्द्र के अकाउन्ट्स मेन्टेन्ड हैं ?

दूसरी चीज मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्पेशल सैक्रेटरी ने यह निर्देश दिया था कि चेयरमैन डाइरेक्टर सोशल वेलफेयर के साथ एक एग्रीमेन्ट डीड करेंगे और उसके बाद उनको रिलीफ दी जाएगी । तो क्या यह एग्रीमेन्ट डीड तैयार की गई है ? यदि की गई है तो क्या उसके अनुसार ही खर्च किया गया है ? जो भुगतान सेमी डेजर्ट सर्वे का का जवाजा पंचायत समिति ने पेश किया है उसके अन्दर साफ लिखा गया है कि वहां लगे हुए स्टाफ के लिए सर्वे इक्विपमेंन्ट नहीं दिये गये हैं । क्या कभी सरकार के अधिकारियों ने यह जांच की है । मैं यह मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत जांच की जाए ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनके साथ शर्त की गई थी , उसके अनुसार शर्त 6 में यह स्पष्ट है कि

Page No.16

(श्री दिग्विजयसिंह)

"The agency shall furnish to the State Government the audited statement of account and the utilisation certificate to the effect that the grant has been utilised fully for the purpose for which it was sanctioned and that the conditions attached to the grant have been fulfilled."

यह उसके खुद के उपर छोड़ दिया गया है कि वह इस प्रकार का ग्राडिटेड ग्रकाउन्ट राज्य सरकार को पेश करेगी । वह उसने पेश कर दिया है । इसके ग्रन्दर प्रापर यूटिलाइजेशन हुग्रा है या नहीं, इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रादेश भेजा गया है कि इसका फिजिकल वेरीफिकेशन किया जाए कि जवाजा के ग्रन्दर इसका यूटिलाइजेशन हुग्रा है या नहीं ? जांच के बाद उसकी रिपोर्ट सरकार को पेश करे । यह सरकार ने ग्रादेश 15 सितम्बर को दे दिया था चीफ इन्जीनियर ग्रन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को कि एक महीने में इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री करतारसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ ही यह शर्त थी कि राजस्थान ग्रन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही इस संस्था को ग्रान्ट रिलीज की जाए । तो क्या उन्होंने यह सर्टिफिकेट दे दिया था ?

श्री नवरंगसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा , यह जो ग्रापने ग्रादेश दिया है कि रिपोर्ट पेश की जाएगी जांच के बाद, ग्राडिट के लिए लिखा है । माननीय सदस्य ने यह ग्रारोप लगाया है कि इस संस्था ने ग्रान्ट के पैसे का मिसयूज किया है । इसकी जांच के लिए किसी ग्रधिकारी को नियुक्त किया जायगा, क्या यह ग्राश्वासन मंत्री महोदय देंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने तो उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट कहा है । मैंने यह कहा है कि इस संस्था को जो ग्रान्ट दी गई है उसका प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं हुग्रा है इसलिए चीफ इन्जीनियर को यह ग्रादेश दिए गए हैं कि वे इनकी जांच करें कि ग्रान्ट जो राज्य सरकार ने दी थी उसका प्रापर यूटिलाइजेशन किया गया है या नहीं ? 15 सितम्बर को यह ग्रादेश दिया गया था । उसके संदर्भ में कमेटी गठित कर दी है जो एक महीने में जांच करके रिपोर्ट देगी । जल्दी से जल्दी कार्यवाही कराने के प्रयास किए जाएंगे ।

श्री करतारसिंह : क्या यह टीम जिस स्टाफ ने काम किया है उसके पास जाएगी ग्रौर उससे यह पूछेगी कि सर्वे का काम किया गया है या नहीं ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप स्वयं दरयाफ्त कर लें ।

श्री करतारसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, हमें विधिवत रूप से सूचना मिलनी चाहिए ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय सदस्य चिन्तित हैं तो मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि इसकी एक महीने में रिपोर्ट पेश होनी थी । मैं यहां यह ग्राश्वासन दे दूं कि एक माह में रिपोर्ट दे देगी पर हो सकता है कि कमेटी जांच कर ग्राई हो।

Page No.17

श्री रतनलाल वर्मा : १५ सितम्बर का यह आदेश है। एक महीने से अधिक हो गया है। मंत्री महोदय एक महीने में रिपोर्ट पेश करने की बात कह रहे हैं। अब तक तो वह रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। पौने दो महीने हो गये हैं। तो क्या वह रिपोर्ट आ गई है ? मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि जांच भी हुई या है नहीं ?

श्री करतारसिंह : इस संस्था पर इस सदन में कई बार आरोप लगे हैं। पंचायत राज मंत्री के पास इसकी रिपोर्ट है। गबन घोटाला हुआ है। फिर भी यह संस्था अनड्यू एडवान्टेज ले रही है। क्या हमें इन्फार्म किया जाएगा जब इसकी जांच होगी ?

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा सदन में यह आरोप है कि लाखों रुपयों का घोटाला संस्था ने किया है। फिर भी इस की मुलम्मेबाजी की जा रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऐसी पार्टी को छोड़ दो।

श्री अध्यक्ष: कृपया उत्तर सुनिए।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्था पर कई प्रकार के आरोप हैं, घोटाले के भी हैं। परन्तु उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वह किस एजेन्सी से मिला हुआ है ? संस्था को हमने, राज्य सरकार ने 40,000 रुपया दिया था। उसका सही उपयोग हुआ है, या नहीं, इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन कर दिया है कि इसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। एक कमेटी गठित कर दी गई है। वह एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। बाकी दूसरे जो प्रश्न हैं वह इससे सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : यह जांच कब तक हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रतीक्षा करें। मंत्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है।

मेजर श्री फतहसिंह : क्या मंत्री महोदय इसकी जांच के लिए अलग से कोई अधिकारी की नियुक्ति करेंगे ? जो मंत्री महोदय ने आदेश दिया है उसके अनुसार जांच रिपोर्ट एक महीने में प्रस्तुत की जानी थी। क्या उस जांच कमेटी की अवधि बढ़ाने की कोई दरख्वास्त आपके पास भेजी गई है? यदि नहीं, तो आपके आदेश की अवहेलना जिस अधिकारी ने की है उस अधिकारी के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री नूरा : इसकी जांच के लिए एक महीने का टाइम दिया गया था। वह पूरा हो गया है। उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। क्या इस की जांच हो गई है ? इसके मायने यही है कि मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय सदस्य फतहसिंह जी ने जो फर्माया, उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गई है, उस सम्बन्ध में चीफ इन्जीनियर को लिखा गया है। उन्होंने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी से कहा है कि एक महीने में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दें। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह आश्वासन करना चाहता हूं कि हम पुनः चीफ इन्जीनियर को लिख देंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट एक महीने के अन्दर ही मंगा कर सरकार को प्रस्तुत कर दें।

श्री एच. एन. शर्मा : यह दुर्भाग्य है कि दुनिया भर के आरोप लग गये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

Page No.18

श्री नूरा : यह रिपोर्ट महीने भर में नहीं आई है। जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट नहीं दी है, आपके आदेश की जिसने अवहेलना की है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

मेजर श्री फतहसिंह : उनके साथ सख्ती करिये। आपका आदेश हो तो वे पालना करें। एक महीने का टाइम दिया। रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। आपका कर्तव्य है कि आप आदेशों की पालना करायें। एक महीने में रिपोर्ट नहीं दी।

श्री एच.एन. शर्मा : रिपोर्ट नहीं दी तो--

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। श्री बंशीलाल।

श्री बंशीलाल सारस्वत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं--

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

श्री बंशीलाल सारस्वत : क्या यह सही है कि विदेशों में कुछ लोगों के कार्यकलाप ऐसे हो रहे हैं? क्या यह भी सही है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी सरकारी मेहमान होते हुए भी बिना सरकार को इत्तिला किये वहां ठहरे थे? क्या इस में कुछ भ्रम है?

श्री दिग्विजयसिंह : वैसे तो माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह इस विभाग से संबंधित नहीं है, गृह विभाग से उसका ताल्लुक है।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री शर्मा ने फर्माया, मेरा निवेदन है कि चीफ इंजीनियर के द्वारा जांच करवाई जा रही है! उनके ध्यान में नहीं है कि दास ही चीफ इंजीनियर हैं! उन्होंने समिति का गठन किया है उसके द्वारा जांच होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मथुरादास माथुर (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या २९६।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो गलत परंपरा हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय, अगर पुराने प्रश्नों को लिया गया तो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह गलत परंपरा नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : प्रश्न काल समाप्त हो गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अगर गलत है तो भी यह मेरी व्यवस्था है।

राज्य को विदेशी सहायता के रूप में मिली राशि।

296. **श्री मथुरा दास माथुर** (डीडवाना) : क्या वित्त **मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे**:--

(1) वर्तमान राजस्थान सरकार को माह सितम्बर, 1978 तक कितनी विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई? विभाग एवं कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मथुरादास माथुर)

(2) उक्त आर्थिक सहायता में कितनी राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त हुई ?

(3) उक्त आर्थिक सहायता कितनी रोकड़ में है अथवा कितनी किस्म में है ?

(4) उक्त राशि जिन देशों से एवं जिन वित्तीय अथवा अन्य संस्थाओं से प्राप्त हुई या हो रही है उनके नाम तथा सहायता की मात्रा, व्याज की दर एवं अन्य शर्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या राज्य सरकार को ईरान सरकार से कोई ऋण राजस्थान नहर के लिए मिल पाया है ? अगर हां, तो कितना और किन किन शर्तों पर ? और नहीं, तो भविष्य में कब तक आशा है और किन किन शर्तों पर ?

(6) क्या विश्व बैंक से राज्य सरकार ने अन्त्योदय योजना हेतु कोई ऋण मांगा है ? यदि हां, तो कितना और क्या विश्व बैंक ने उस पर स्वीकृति दे दी ? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर ?

आयोजना मंत्री (माणकचन्द सुराणा) : (1) राजस्थान सरकार को कोई विदेशी आर्थिक सहायता सीधे डाइरेक्ट प्राप्त नहीं हुई है, न होती है। विश्व बैंक से भारत सरकार को राजस्थान राज्य के कुछ कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त होती है और तत्पश्चात् भारत सरकार से राजस्थान सरकार को प्राप्त होती है। विभाग एवं कार्यवार सूचना संलग्न है। राजस्थान नहर परियोजना में कार्यरत श्रमिकों में वितरण हेतु खाद्यान्न (गेहूं व वनस्पति तेल) विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन से निःशुल्क सहायता के रूप में प्राप्त होती है। इस योजना के तहत जो सहायता प्राप्त हुई उसकी सूचना संलग्न है।

(2) क्योंकि विदेशी सहायता राज्य सरकार को सीधे प्राप्त नहीं होती अतः इस प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं है।

राजस्थान नहर परियोजना पर कार्यरत श्रमिकों में वितरण हेतु खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य विदेशी सहायता भारत सरकार द्वारा रोकड़ में ही प्राप्त होती है।

(4) यह सूचना भारत सरकार के पास ही उपलब्ध है।

(5) अभी नहीं।

(6) नहीं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री श्योपतसिंह मकासर : खाद्य पदार्थ भी अनुदान के रूप में मिल रहा है ? विदेशी सरकार से या विश्व संस्थाओं से खाद्यान्न मुफ्त में मिल रहा है ? रामनारायण जी कह रहे थे कि हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। यह फैसला किस सरकार ने किया।

श्री माणकचन्द सुराणा : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी में यह अवश्य होगा कि यह फैसला पिछली सरकार ने किया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उस सरकार में रामनारायणजी थे क्या ?

श्री दिग्विजयसिंह : थे।

श्री मूलचन्द डागा : अब बदल देंगे ।

श्री मदनसिंह दांता : मुफ्त रोटी के बाद में मुफ्त पानी की भी जरूरत नहीं है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : ईरान वाला मामला जो भारत सरकार के विचाराधीन है उसके सम्बन्ध में क्या वित्त मंत्री महोदय या योजना मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार से इस मामले में कहां तक कंसल्टेशन किया गया है ? रुपये चाहे वर्ल्ड बैंक के मार्फत भारत सरकार से आते हैं हम जानते हैं कि योजना भारत सरकार के मार्फत जाती है । मैंने राजस्थान नहर के द्वितीय चरण के बारे में प्रश्न के भाग (5) में पूछा है । उसके बारे में भारत सरकार में मामला विचाराधीन है तो वह किस स्टेज पर विचाराधीन है और उसमें आपका कितना दखल है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : यह भारत सरकार के विचाराधीन है । इसमें राज्य सरकार का दखल नहीं है । राज्य सरकार से कंसलटेशन किया जा रहा है । राज्य सरकार चाहती है कि ईरान से भारत सरकार रुपये ले ले और हमें भारत सरकार रुपये दे दे ।

श्री मूलचन्द डागा : What are the conditions ?

श्री माणकचन्द सुराणा : जहां तक शर्तों का प्रश्न है शर्तों को भी भारत सरकार तय करेगी । इस संबंध में राजस्थान सरकार ने अपने सुझाव भारत सरकार के समक्ष पेश किये हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : अगर भारत सरकार की शर्तें राजस्थान सरकार को मंजूर न हों तो क्या भारत सरकार की शर्तें राज्य सरकार को मानना लाजिमी है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : उस स्थिति में राज्य सरकार अपने विवेक से काम लेगी जैसी परिस्थिति होगी वैसा उस समय निर्णय लिया जायगा ।

श्री मथुरादास माथुर : क्या राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने जो शर्तें ईरान को भेजीं उनका ज्ञान है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : अब तक यह मामला भारत सरकार की स्टेज पर है । भारत सरकार और ईरान के बीच में चल रहा है । उन्होंने कोई कांक्रीट प्रपोजल राज्य सरकार को.....

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार ने ईरान से रुपये लेने के लिये भारत सरकार को कहा कि रुपये दे तो वे शर्तें बताने की कृपा करें ?

श्री माणकचन्द सुराणा : अभी तक वे हमको कम्युनिकेट नहीं हुई । माननीय मथुरादास जी स्वयं वित्त मंत्री रह चुके हैं । यह जो नेगोशियेशन हैं इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके फाइनेलाइज होने पर सदन को निश्चितरूप से सूचित किया जाएगा । राज्य सरकार जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें राजस्थान के हितों की निश्चितरूप से रक्षा करेगी । राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जो राजस्थान सरकार को रुपये चाहिये उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 215.46 करोड़ की है । जो सी.ए.डी. के लिए रुपये चाहिये उसकी 332

Page No.21

(श्री माणकचन्द सुराणा)

करोड़ की है। इन 547 करोड़ रुपयों के लिये भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच में वार्तालाप जारी है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने यह कहा कि जब वह फाइनेलाइज हो जाएगा तब राज्य सरकार को कम्युनिकेट किया जायगा। क्या राज्य सरकार सदन को बतायेगी कि फाइनेलाइज होने के बाद में यह एग्रीमेंट हो गया है ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि फाइनेलाइज करने से पहले ईरान ने एग्रीमेंट की क्या शर्तें ऑफर की हैं और राज्य सरकार ने क्या ऑफर किया है ताकि नेगोसियेशन होकर फाइनेलाइज हो सके ?

श्री माणकचन्द सुराणा : फाइनल होने के बाद में तो निश्चित रूप से इस सदन को सूचित किया जायगा। फाइनेलाइजेशन से पहले राज्य सरकार का जो विचार है वह हमने प्रस्तुत किया है।

श्री मदनसिंह दांता : वह क्या है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : वह अभी ले डाउन नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार और ईरान के बीच में नेगोसियेशन्स हो रहे हैं। उचित अवसर पर राज्य सरकार निश्चित रूप से सूचित करेगी।

श्री मथुरादास माथुर : क्या एग्रीमेंट फाइनल होने से पहले राजस्थान सरकार इस सदन को कान्फीडेन्स में लेगी ?

श्री माणकचन्द सुराणा : राज्य सरकार उस एग्रीमेंट के फाइनल होने से पूर्व राजस्थान के हित में निर्णय लेगी। जो कुछ भी राजस्थान सरकार का विचार है वह भारत सरकार को कम्युनिकेट किये हैं। वह फाइनल होने के ......

श्री मथुरादास माथुर : क्या कम्युनिकेट किया है ? वह बताने की कृपा करें।

श्री माणकचन्द सुराणा : वह अभी बताया नहीं जा सकता है इस स्टेज पर। एग्रीमेंट फाइनल होने से पूर्व निश्चितरूप से भारत सरकार राज्य सरकार से सलाह मशवरा करेगी और हमारी स्वीकृति के पश्चात् एग्रीमेंट करेगी।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार के जो टर्म्स आफ रेफरेन्स दिया है that is not secret. उसको सदन को जानने का हक है।

मंत्री संसदीय कार्य (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : आवाज नहीं आ रही है। आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह स्पष्ट है The matter is under negotiation. The further information is premature and cannot be given.

श्री रामनारायण चौधरी : This is very important question.

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ ध्यान दें। माननीय सदस्य, इतना व्यवधान करेंगे और परेशान करेंगे तो यह मेरे ख्याल में आपकी व्यक्तिगत परम्परा के भी अनुकूल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब कोई नेगोसियेशन नहीं हुए हैं, कोई बातचीत नहीं हुई शाह आफ ईरान से तो हमें यह बताया जाय कि शाह आफ ईरान का हमारे देश के प्रधान मंत्री द्वारा हमारे प्रदेश की राजस्थान कैनाल का किस आधार पर सर्वेक्षण करवाया गया था? जब कोई आधार ही नहीं था और जब कोई बातचीत ही नहीं हुई तो किस आधार पर उनको ले जाया गया था? जब उनको ले जाया गया तो मैं मानूंगा कि निश्चितरूप से कुछ न कुछ बातचीत आपकी हुई है। राजस्थान सरकार को कान्फीडेन्स में लिया गया है। क्या यह आज तक तय नहीं हुआ है? किस स्टेज पर बातचीत चल रही है? भारत सरकार हैड आफ वन स्टेट को यहां पर लाई है और 700 करोड़ का लोन.......

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह प्रश्न की परिभाषा में नहीं आता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप कौन हैं बोलने वाले?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब भारत सरकार राज्य सरकार को विश्वास में लेकर करना चाहती है तो माननीय सदस्यों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर विकास के लिए....

श्री नूरा : वह शर्तें पता तो चलें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मथुरादासजी प्रश्न एकाध पूछना चाहते हैं तो पूछ लेने दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा निवेदन यह है कि पहले भी फैसला हो चुका है। विश्व बैंक ने सी. ए. डी. का जिस तरह से फैसला किया है वह हम भुगत रहे हैं। उसमें परेशानियां आ रही हैं। उस तरह का यह फैसला न करें। उससे गंगानगर और बीकानेर जिले का किसान बिल्कुल तबाह हो गया है। वह फैसला भूतपूर्व सरकार ने सी. ए. डी. के बारे में किया है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से, आज आप जो फैसला (एग्रीमेंट) कर रहे हैं वह सी. ए. डी. कमाण्ड एरिया डवलपमेंट के बारे में जो विश्व बैंक से फैसला हुआ है उसके अनुसार न करें और किसान के खिलाफ फैसला न करें जैसा कि कांग्रेस सरकार ने किया है, किसान उजड़ जायगा।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर माननीय मंत्री जी ने यह ऐलान किया है कि तय करने से पूर्व...

श्री रामनारायण चौधरी : भारत सरकार चीन के सामने घुटने टेकने वाली है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह इन्दिराजी ने शुरू किया था......

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : आप ईरान की बात कर रहे हैं या चीन की बात कर रहे हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : रामनारायणजी ने बार बार गरीबों के मुंह का निवाला लेकर अमीरों को दिया है.........

(व्यवधान)

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री केदारनाथ) : राजस्थान कैनाल के सैकण्ड स्टेज की रिपोर्ट 533 पेज के करीब की भेज दी है। भारत सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेंट की इकोनोमिक अफेयर्स कमेटी उसको कन्सीडर कर रही है और सारा तय कर रही है। फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची है। हमारे पास जब भी आयेगी आप यह विश्वास करके चलिये कि कोई टर्म्स नेशनल इन्ट्रेस्ट में नहीं होगी वह डेरोगेटरी टर्म्स हम मानने वाले नहीं हैं। और पिछली सरकार ने विश्व बैंक से जो सी. ए. डी. का एग्रीमेंट किया था उसमें अमेंडमेंट मूव कर दिया है। उसमें ऐसी शर्तें हैं जो कि काश्तकार के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के खिलाफ है। जब वह एग्रीमेंट तैयार होता है अगर हाउस सैशन में होगा तो हम पार्टी व ग्रुप्स के नेताओं को विश्वास में लेंगे। वह इन्ट्रेस्टेड हैं इसलिए अपने आप फैसला नहीं करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सवाल है।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : आपने रुपया सरेण्डर क्यों किया ? गये साल 14 करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल के लिए था उसमें से ढाई करोड़ का भी काम नहीं हुआ और रुपया सरेण्डर कर दिया। अरब से रुपया ला रहे हैं और रुपया सरेण्डर कर दिया। और जो पैसा दिया हुआ है वह काम में नहीं आ रहा है। अभी 2 फरवरी 1978 की बात है कि ढाई करोड़ रुपया आपने सरेण्डर कर दिया है और काम बन्द है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है वह प्रश्न के भाग (6) के उत्तर के बारे में है। मैंने इसमें यह पूछा कि अन्त्योदय योजना के लिए विश्व बैंक से कितना रुपया मांगा इसका मैं जवाब सुन नहीं सका।

श्री माणकचन्द सुराणा : अभी तक नहीं मांगा है।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, तो क्या राज्य सरकार वर्ल्ड बैंक से अन्त्योदय योजना के लिए रुपया मांगने का विचार रखती है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : यह अलग प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं मांगा है तो विचार है क्या ? निर्णय हो गया हो तो बता दें और नहीं हुआ हो तो मत बताइये।

श्री माणकचन्द सुराणा : वर्ल्ड बैंक से रुपया नहीं मांगा है।

श्री अब्दुल अजीज : 2 1/2 करोड़ रुपया सरेण्डर कर दिया है ? वहां काम बन्द है और लाखों रुपयों का घपला है, यह आपको मालूम है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

299. श्री रंगजी सपोटरा : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नारोली के सरपंच श्री दुर्गा प्रसाद ठेकेदार ने खनिज विभाग

(श्री रंगजी)

के अधिकारियों से मिलकर सपोटरा तथा करौली की अधिकतर खानों के ठेके अपने परिवार वालों के नाम से ले रखे हैं ? यदि हां, तो किस-किस नाम से कहां -कहां ठेका ले रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उनमें से अधिकतर खानें बन्द पड़ी हैं ?

(3) क्या एक आदमी को ही अलग अलग नाम से ठेका देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो ऐसे ठेकों को राज्य सरकार निरस्त करने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार अन्त्योदय योजना के तहत छोटे छोटे खानों के ठेके परिवार वालों को देने पर विचार कर रही है?

उत्तर

(1) खनिज विभाग द्वारा सपोटरा व करौली में जो खनन पट्टे नियमानुसार स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(2) 8 खानों पर खनन कार्य बन्द है जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । 10 खानों पर कार्य चालू है ।

(3) नियमानुसार ठेके अलग अलग व्यक्तियों को स्वीकृत किये गए हैं।

(4) जी हां, बजरी, कंकर, लाइम स्टोन, सुर्खी, झाझरा व धांधला पट्टे न व्यक्तियों को प्राथमिकता से दिए जाएंगे ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मरुस्थल विकास एवं डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के लिए सुरक्षित भूमि

241. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाडमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार ने बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों की विभिन्न तहसीलों में मरुस्थल विकास एवं डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के लिए कितनी जमीन सुरक्षित रखने का निर्णय लिया ? यदि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, तो कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

उत्तर

जैसलमेर व बाड़मेर जिले में सूखा सम्भावित क्षेत्रों के विकास की योजना तथा मरु विकास योजनाओं के अन्तर्गत **निम्न** प्रकार भू–भाग सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है:—

जैसलमेर:–1—**मरु विकास योजना के अन्तर्गत**

(अ) डेजरट नेशनल पार्क–3000 वर्ग कि. मी. भूमि जंगली जानवरों आदि के फेलाव के लिए सुरक्षित रखी जावेगी।

(ब) वृक्षारोपण 350 है.

(2) **सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत**

(अ) लाठी सीरीज योजना 1707 है.

(ब) शुष्क क्षेत्रों से घास की कटाई 1875 है.

बाड़मेर:–1—मरु विकास योजना के अन्तर्गत

वृक्षारोपण कार्यक्रम 650 है.

(कृषि मंत्री)

(2) सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत

वन क्षेत्रों में चरागाहों का संधारण यह कार्य पूर्वतः चालू हैं। 2505 है.

पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में समिति शुल्क की वसूली

242. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर मंडी में मण्डी समिति शुल्क वसूल किया जा रहा है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि सांचौर में अभी तक विधिवत मण्डी समिति नहीं बनाई गई एवं मण्डी समिति द्वारा काश्तकारों को अभी तक कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है ? अगर हां, तो उक्त क्षेत्र से कोई बिना सुविधा प्रदान किये मण्डी शुल्क फालतू क्यों वसूल किया जा रहा है ? क्या राज्य सरकार जब तक विधिवत मण्डी नहीं बने तब तक मंडी शुल्क वसूली बन्द करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सांचौर मण्डी समिति क्षेत्र का शुल्क वसूल कर भीनमाल मंडी समिति के खाते में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में जमा कराया जा रहा है ? अगर हां, तो कब से ? सांचौर मंडी क्षेत्र का मंडी शुल्क कितना कब तक उक्त खाते में जमा हो चुका है ? क्या उक्त सांचौर मंडी क्षेत्र की रकम भीनमाल मंडी के विकास हेतु खर्च की जा रही है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो उक्त क्षेत्र की वसूल शुदा रकम स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सांचौर ब्रांच के खाते में अलग क्यों नहीं जमा कराई जाती है ? अब सांचौर मंडी क्षेत्र की वसूल-शुदा रकम सांचौर बैंक में अलग खाता खोल कर कब तक जमा कराना शुरू करवा दिया जाएगा ? क्या सांचौर मंडी क्षेत्र के शुल्क की वसूलशुदा रकम जो अब तक भीनमाल मंडी समिति शुल्क के खाते में भीनमाल बैंक में जमा कराई गई है, वह भी सांचौर बैंक में सांचौर मंडी समिति शुल्क के खाते में शीघ्र जमा कराना राज्य सरकार उचित समझेगी? यदि हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र के लिए सांचौर मंडी समिति कब तक विधिवत कायम करा दी जावेगी ?

(5) सांचौर में मंडी समिति एवं मंडी यार्ड बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, । सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र की कृषि उपज मंडी समिति भीनमाल के क्षेत्र में दिनांक १५-१-७५ से सम्मिलित किया गया तब से ही वहां मंडी शुल्क वसूल किया जा रहा है।

(2) यह सही है कि सांचौर में अभी मंडी समिति स्थापित नहीं हुई है । इसके गठन की घोषणा हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बिना कोई शुल्क सुविधा प्रदान किये मंडी शुल्क की वसूली फालतू नहीं कही जाती

(कृषि मंत्री)

क्योंकि उपयुक्त सुविधा जुटाने हेतु मंडी समिति को अपना स्वयं का मंडी यार्ड बनाना आवश्यक है । इसके लिए धन राशि एकत्रित की जाती है जब भू-खण्ड का क्रय करना या आंवटित करना सम्भव हो पाता है । जब तक विधिवत मंडी नहीं बने तब तक मंडी शुल्क न लेना अनुचित नहीं है । यदि ऐसा किया गया तो मंडी समिति की आर्थिक सुदृढ़ता वन ही नहीं पायेगी और मंडी विकास के कार्य हाथ में लेना सम्भव नहीं होगा । मंडी समितियों को भू-खण्ड क्रय करने तथा निर्माण आदि के विकास कार्य करने के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होती है अतः मंडी शुल्क के एक मात्र साधन से यह सम्भव है तथा इसके औचित्य को न्यायलयों द्वारा भी माना गया है।

(3) जी हां। सांचौर से प्राप्त मंडी शुल्क की राशि वहां के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, पोस्ट ऑफिस सांचौर तथा सहकारी केन्द्रीय बैंक की सांचौर शाखा प्रारम्भ से ही जब से शुल्क प्राप्त करना प्रारम्भ हुआ, जमा कराया जा रहा है।

जमा कराई गई राशि का विवरण संलग्न है।

सांचौर क्षेत्र की राशि भीनमाल मंडी के विकास पर खर्च करने में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है । व्यय करने के लिये कोई क्षेत्रीय आधार नहीं है अपितु समस्त मंडी क्षेत्र के विकास का उद्देश्य रहता है और परिस्थिति एवं साधनों के अनुसार ऐसा ही किया जाता है । परन्तु चूंकि राज्य सरकार ने सांचौर पंचायत समिति को कृषि उपज मंडी समिति भीनमाल के मंडी क्षेत्र से अलग कर दिया है अतः दिनांक २६-२-७६ के बाद की राशि को सांचौर मंडी के विकास में ही खर्च किया जाएगा।

(4) सांचौर में प्रथक से मंडी समिति के गठन करने की कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही इसकी घोषणा राजपत्र में की जायगी ।

(5) सांचौर में मंडी समिति बनाने के लिए नवनिर्वाचित पंच सरपंच में से सदस्यों के नाम जिलाधीश जालौर से मांगे गये थे । यह अब प्राप्त हो गये हैं और मंडी समिति के गठन की घोषणा राजपत्र में कर दी जायेगी।

मंडी समिति की स्थापना हो जाने के उपरान्त उसके द्वारा प्रस्तावित मंडी यार्ड की सीमा की घोषणा की जा सकेगी ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति बेगूं द्वारा सड़कों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि

243. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : **क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—**

(1) बेगूं तहसील की कृषि उपज मंडी के प्रशासक द्वारा कौन कौन सी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि उपज मण्डी के द्वारा उपलब्ध कराई गई ?

(2) इस वर्ष उक्त सिफारिशशुदा सड़कों पर कृषि उपज मण्डी समिति बेगूं द्वारा कितनी धन राशि उपलब्ध कराई गई है अथवा कराई जानी है ?

(श्री एच. एन. शर्मा)

(3) इस वर्ष किस सड़क का कार्य राज्य सरकार करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बेगूं तहसील की कृषि उपज मंडी समिति द्वारा निम्न सड़कों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निम्न प्रकार से मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है:—

1—सम्पर्क सड़क बेगूं से चेची।

2—सम्पर्क सड़क आवलखेड़ा से ठुकराई

(2) विपणन बोर्ड द्वारा मंडी समितियों से उनके सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। अभी तक मंडी समिति बेगूं से प्रस्ताव उपलब्ध नहीं हुआ है। अतः प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही वांछित स्वीकृति प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) प्राथमिकता के आधार पर मास्टर प्लान में सम्मिलित की गई सड़कों के लिए राशि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा तदुपरान्त कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा।

जिला कृषि अधिकारी, अजमेर

244. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कृषि अधिकारी, अजमेर ने माह जनवरी, 78 से कब तक कहां कहां पर भ्रमण किया है ? उनकी टूर डायरी सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ? साथ ही भ्रमण कार्यक्रम की कितनी राशि प्राप्त की है, वह ब्यौरा भी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) जिला कृषि अधिकारी कार्यालय अजमेर को प्रदत्त वाहनों की लाग बुक की प्रति माह जनवरी, 78 से अब तक की सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(1) जिला कृषि अधिकारी अजमेर द्वारा माह जनवरी, 1978 से सितम्बर, 1978 तक किए गए भ्रमण कार्यक्रम की टूर डायरी सदन की मेज पर रख दी गई है तथा उक्त भ्रमण हेतु आहरण की गयी राशि के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला कृषि अधिकारी, अजमेर, के कार्यालय में जनवरी, 78 से सितम्बर78 तक काम में लिए गए निम्न वाहनों से संबंधित लाग बुक की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

1—आर. जे. जैड. 3059

2—आर. जे. क्यू. 1083

3—आर. एस. एम. 687—आर. आर. जी. 2337

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गई)

पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार

245. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांवों से किन किन पांच परिवारों का चयन अन्त्योदय योजना में किया गया तथा इन्हें अब तक क्या क्या सहायता किस किस रूप में दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No.28

उत्तर

पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र में 1042 परिवारों का चयन अन्त्योदय के अन्तर्गत किया गया तथा अब तक 989 परिवारों को निम्न प्रकार से लाभान्वित किया गया :

पेंशन 106 परिवार

भू आवंटन 430 परिवार

ऋण 453 परिवार

चयनित परिवारों की सूची चूंकि बहुत लम्बी है अतः इस अल्प अवधि में इसका संकलन करना सम्भव नहीं है ।

फ्लोराइट माइन्स माण्डव की पाल

246. **श्री लाल शंकर डेंडोर** (सागवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला डूंगरपुर में माण्डव की पाल में फ्लोराइट माइन्स का कार्य कब से आरम्भ हुआ, उसमें कितने अधिकारी व कितने छोटे कर्मचारी तथा मजदूर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि "फ्लोराइट माइन्स माण्डव की पाल" में श्रमिक अधिकतर "गरीब भील" जन जाति के हैं ? यदि हां, तो कितने श्रमिक हैं ?

(3) क्या यह सही है कि "फ्लोराइट माइन्स माण्डव की पाल" में चल रही राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की फ्लोस्पार परियोजना पर कार्यरत श्रमिकों की राज्य सरकार छंटनी करना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वरिष्ठ खनिज अभियन्ता श्री वी. पी. जौहरी द्वारा तानाशाही व अभद्र व्यवहार श्रमिकों के साथ किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वे कितने वर्ष से कार्यरत हैं ? क्या राज्य सरकार जांच कर उचित कार्यवाही करेगी ?

(5) क्या यह सही है कि श्री वी. पी. जौहरी अभियन्ता द्वारा निगम के अनियमित खर्चे द्वारा निगम के बजट में घाटे की स्थिति उत्पन्न कर घाटे की जिम्मेदारी श्रमिकों पर डालने की साजिश में है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? दोषी अधिकारियों की जांच राज्य सरकार सी. बी. आई. द्वारा कराना चाहती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सत्य है कि सन् 1970-71 से 1978 तक क्रमशः 1. माल उत्पादन लक्ष्य, 2. माल उत्पादन हुआ एम. टी., 3. यूनिट का कुल खर्चा 4. लेबर वेजेज पर खर्चा, 5. अन्य खर्चा, 6. हानि, 7. लाभ आदि पर काफी व्यय हुआ है ? यदि हां, तो सन् 1970-71 से सन् 1978 तक की सूची मय व्यय के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही है कि "फ्लोराइट माइन्स" मांडव की पाल में व उत्तरी दक्षिण माईनिंग क्षेत्र बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है ?

Page No.29

(श्री लालशंकर डेंडोर)

(8) क्या इसकी प्रबन्ध संचालक आर. आई. एम. डी. सी. जयपुर द्वारा जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि "फ्लोराइट माइन्स मजदूर संघ" मांडव की पाल, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) का गठन हुआ है ? यदि हां, तो कब ?

(10) क्या यह सही है कि फ्लोराइट माइन्स मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन पत्र व सुझाव पत्र दिनांक 7-9-78 को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(11) क्या "फ्लोराइट माइन्स" मजदूरों की हिफाजत राज्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब ?

(12) क्या यह सत्य है कि फ्लोराइट माइन्स, मांडव की पाल में कनाडियन एक्सपर्ट कभी आये थे और उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार माइन्स का विकास कार्य किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(2) फ्लोराइट माइन्स माण्डव की पाल जिला डूंगरपुर का कार्य निगम द्वारा 2-12-69 से प्रारंभ किया गया था। इस पर जितने अधिकारी, छोटे कर्मचारी तथा मजदूर कार्यरत है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि फ्लोराइट माइन्स माण्डव की पाल में श्रमिक अधिकतर गरीब भील, जन-जाति के हैं। कुल नियोजित श्रमिक 1064 हैं।

(3) जी हां। श्रमिकों की छंटनी फ्लोरस्पार की बिक्री करने में कठिनाइयों को देखते हुए किये जाने का निर्णय लिया है। किन्तु इस निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

(4) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(6) जी नहीं।

(6) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) जी हां।

(8) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(9) फ्लोराइट माइन्स मजदूर संघ का गठन वर्ष 1974 में हुआ।

(10) संघ का पत्र दिनांक 7-9-78 अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ।

(11) जी हां। निगम की माइनिंग तथा मिनरल कमेटी में पूर्व में छंटनी करने के निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

(12) जी हां। इनके द्वारा माइन्स के विकास के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। इनके द्वारा केवल धातु सुधार करने हेतु कारखाना लगाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी गई थी जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कई कमियां पाई गई थीं और इस कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

चुनावों के बाद निलम्बित सरपंच

247. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायतों के चुनावों के बाद राज्य सरकार ने कितने सरपंचों को निलम्बित किया ? सूची पंचायतवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन सरपंचों को निलम्बित किया गया उनके खिलाफ किस प्रकार के आरोप थे ?

(3) क्या यह सही है कि जिन सरपंचों को निलम्बत किया गया उनके खिलाफ उनके वर्तमान कार्यकाल की कोई शिकायतें नहीं थीं ?

उत्तर

(1) आठ सरपंचों को निलम्बित किया गया जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आरोप का विवरण सूची के कालम न. 6 में अंकित कर दिया गया है।

(3) सूची के कालम न. 7 में अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सांसियों की ढाणी में कुए के निर्माण हेतु दी गई राशि

248. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांभर ने ग्राम लूनियावास (जिला जयपुर) के सांसियों की ढाणी में कुए के निर्माण वास्ते अनुदान की रकम 3900 रुपये मंजूर की थी ? यदि हां, तो रकम कौन से वर्ष में व कितनी किश्तों में दी गई ?

(2) क्या खुदाई व बंधाई का कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि हां, तो कुआ कितना गहरा है तथा कौनसे खसरा नम्बर में खुदा हुआ है ? यदि नहीं खुदा है तो इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति सांभर के ग्राम लूनियावास (जिला जयपुर) के सांसियों की ढाणी में कुए के निर्माण 2500) रुपये अनुदान की रकम दिनांक 19-10-72 स्थायी समिति जल प्रदाय द्वारा स्वीकृत की गई थी जिसकी प्रथम किश्त रु. 1250) 3-11-72 को एवं दूसरी किश्त रु. 1000) 27-3-73 को दी गई थी। तथा दिनांक 8-6-76 को रु. 1500) और कुए को पूर्ण करने हेतु पुनः स्वीकृत किये गये।

(2) खुदाई व बंधाई का कार्य अभी तक अधूरा है। कुआ अनुमानतः 22 से 25 फीट तक गहरा है। यह खसरा नं. 106 में खुदा हुआ है। इस कार्य का नाप कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जाकर माप पुस्तिका मे इन्द्राज किया गया है जो प्रति हस्ताक्षर हेतु सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास विभाग को भेजी हुई है जिसकी सूचना आने पर ही आगामी कार्यवाही संभव है।

Page No.31

शिक्षा कर की राशि

251. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने शिक्षा कर की राशि केवल पंचायत समिति के तत्वाधान में आने वाली प्राथमिक शालाओं में ही व्यय करने के निर्देश दिये हैं ? अगर हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(2) झालावाड़ जिले की पिड़ावा पंचायत समिति, मुख्यालय सुनेल व झालरापाटन पंचायत समिति में सन् 77-78 में व 30-9-78 तक कितना शिक्षा कर वसूल किया गया है ?

(3) उक्त अवधि में पिड़ावा पंचायत समिति, मुख्यालय सुनेल द्वारा किन-किन गांवों के स्कूल भवनों पर कितना-कितना रुपया व्यय किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि पंचायत समितियों पर केवल प्राथमिक शिक्षा का ही उत्तरदायित्व के लिए ही व्यय है । साथ ही जिन ग्रामों में माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला सम्मिलित रूप से चलाई जा रही है और वहां से शिक्षा कर वसूल किया जाता है तो ऐसे स्कूल के भवनों की मरम्मत के लिए भी शिक्षा कर की राशि व्यय की जा सकती है।

(2) पंचायत समिति सुनेल में वर्ष 1977-78 में 26,940.20 पैसे एवं 1-4-78 से 30-9-78 तक 7,337.77 पैसे शिक्षा उप कर के रूप में प्राप्त हुए है। पंचायत समिति झालरापाटन में वर्ष 1977-78 में 58,722) व 1-4-78 से 30-6-78 तक 4,334) शिक्षा उप कर के रूप में प्राप्त हुए है।

(3) पंचायत समिति सुनेल द्वारा 45,044)69 स्कूल भवनों पर व्यय किये गये है । सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

रानीवाड़ा ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोपों की जांच

252. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री मूलसिंह एवं श्री लालचन्द के विरुद्ध अनियमितताओं के गम्भीर आरोप थे ? अगर हां, तो उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, सांचोर के विरुद्ध भी अनियमितताओं के गम्भीर आरोप थे ? अगर हां ,तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में उनके विरुद्ध कब तक, क्या कार्यवाही की जावेगी ? कार्यवाही पूरी होने में इतनी देरी लगने के क्या कारण थे ?

(3) उपरोक्त भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध क्या कोई पुलिस केस भी दर्ज करवाए गए हैं ? अगर हां, तो कब एवं उनमें अब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तक क्या कार्यवाही की गई है एवं उनका चालान अदालत में कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) (क) श्री मूलसिंह एवं लालचन्द भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रानीवाड़ा के विरुद्ध भूमि विक्रय में अनियमितताएं करने के आरोप थे जो प्रमाणित नहीं होने के कारण दिनांक 28-7-78 द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही समाप्त की गई।

(ख) श्री मूलसिंह पूर्व सरपंच के विरुद्ध अनियमित कृत्य करने एवं पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग करने के मामले राज्य सरकार के पास विचाराधीन है जिनमें उप जिला विकास अधिकारी जालौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार किया जाना संभव होगा।

(ग) श्री लालचन्द पूर्व सरपंच के विरुद्ध हैन्ड पम्प की खरीद में फर्जी कार्यवाही कर रकम का दुरुपयोग करने के आरोपों में जांच उप जिला विकास अधिकारी जालौर से करवाई जा रही है तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(2) श्री धर्माराम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सांचोर के विरुद्ध भूमि विक्रय में की गई अनियमितताओं की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुइ थीं जिनकी जांच कार्यवाही जारी है। जांच में विलम्ब होने का कारण पंचायत के पुराने अभिलेख का उपलब्ध नहीं होना तथा पंचायत को नगर पालिका में परिवर्तित किया जाना है। जांच शीघ्र ही पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिए हुए हैं तथा जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जावेगी उसके आधार पर उचित कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(3) जी हां। श्री मूलसिंह के विरुद्ध दिनांक 3-10-70 को पुलिस थाना रानीवाड़ा में एफ. आई. आर. दर्ज हुई। श्री मूलसिंह पूर्व सरपंच पंचायत रानीवाड़ा के विरुद्ध जांच से धारा 409, 467, 468 भा. द. स. का केस पाये जाने पर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5-11-74 को दे दी गई है तथा मामला मुन्सिफ मजिस्ट्रेट भीनमाल के न्यायालय में चल रहा है। अन्य पूर्व सरपंचों के विरुद्ध पुलिस में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है

पंचायत समिति इटावा की बकाया राशि

253. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति इटावा में किन 2 व्यक्तियों पर कितनी २ राशि किन २ गांव वालों की विभिन्न कार्यों हेतु पंचायत समिति की ली गई राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस राशि को वसूल करने हेतु राज्य सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, इटावा में जिन जिन व्यक्तियों पर जितनी २ राशि जिन २ गांव वालों में विभिन्न कार्यों हेतु पंचायत

(पंचायत मंत्री)

समिति से ली गई राशि बकाया है उन 1266 व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस राशि की वसूली हेतु जिलाधीश ,कोटा द्वारा विकास अधिकारी, इटावा तथा संबंधित तहसीलदार का सामूहिक प्रोग्राम निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये जा चुके हैं। वसूली में गति लाने हेतु अधिकारियों को लगाते हुये उनको अलग अलग क्षेत्र बांट दिये गये हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम भुतेल की गोचर भूमि

254. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भूतेल, तहसील सांचोर, जिला जालौर की 175 बीघा गोचर जमीन सिवाय चक में परिवर्तन की जाकर उसमें से 150|- रु. बीघा भूमि तीन पाक शरणार्थियों को कलेक्टर जालौर द्वारा काश्त हेतु आवंटित कर दी गई ? अगर हां, तो कब एवं किन किन को कितने बीघा आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील आवन्टन सलाहकार समिति को बिना बैठक किए नियमों के विरुद्ध उक्त गोचर जमीन आवंटित कर दी गई ? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या विशेष कारण थे ? अगर नहीं, तो किन नियमों के अन्तर्गत उक्त भूमि आवंटित की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव की गोचर जमीन गांव की मवेशियों की संख्या के अनुसार कम होते हुए भी पाक शरणार्थियों को आवन्टित कर दी गई ? अगर हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन जिम्मेवार है एवं उसके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत देवड़ा,जिसमें ग्राम भूतेल भी शामिल हैं,ने उक्त ग्राम की गोचर जमीन का आवन्टन शीघ्र रद्द कर वापस उक्त गोचर जमीन पंचायत के कब्जे में रखने का प्रस्ताव कलेक्टर जालौर एवं राज्य सरकार को भेजे थे ? अगर हां, तो कब ? इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत देवड़ा एवं आसपास के करीबन बीस गांवों की ग्रामीण जनता ने एकत्रित होकर उक्त गांव की गोचर जमीन का आवन्टन पाक शरणार्थियों का शीघ्र रद्द करने के प्रस्ताव कलेक्टर जालौर एवं राज्य सरकार को भेजे थे ? अगर हां, तो इस बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? उक्त गोचर जमीन का आवन्टन अब तक रद्द क्यों नहीं किया गया है ? अब उक्त गोचर जमीन का आवन्टन कब तक रद्द किया जाकर ग्राम वासियों की वाजिब मांग मन्जूर कर ली जावेगी ?

(6) राज्य सरकार उक्त गांव की गोचर जमीन में से 175 बीघा जमीन सिवाय चक में परिवर्तित कलेक्टर जालौर द्वारा की गई है, उसको वापस गोचर में तब्दील कब तक करवा देगी ? क्या पाक शरणार्थियों ने उक्त गोचर जमीन में स्थित सैकड़ों वर्षों के हरे दरख्त काटने की कोशिश की ? अगर हां,

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

तो हरे दरख्त काटने से उनको कब तक रोक दिया जावेगा? हरे दरख्त काटने के आरोप में पाक शरणार्थियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम भूतेल तहसील सांचोर जिला जालौर की गोचर भूमि सिवाय चक में राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन की गई उसमें से 150 बीघा भूमि पाक शरणार्थियों को आवंटन की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:——

1—श्री भारसिंह पुत्र बीजराजसिंह केम्प जेरण (भूतेल) राजपूत ख. नं. 262 रकबा 50 बी.।

2—श्री बीजराजसिंह पुत्र मोहबतसिंह राजपूत केम्प जेरण (भूतेल) ख. नं. 262 रकबा 50 बी. दिनांक 28-7-78.

3—श्री मैनसिंह पुत्र अनाड सिंह राजपूत केम्प जेरण (भूतेल) ख. नं. 262 रकबा 50 बी. दिनांक 28-7-78.

(2) यह भूमि सिर्फ पाक शरणार्थियों को ही आवंटन की गई है जिसके लिए राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ 6 (31) राज/ग्रुप-4/78 दिनांक 17-6-78 द्वारा संबंधित जिलाधीशों को ही आवंटन अधिकार दिये थे। उन आदेशों के अन्तर्गत यह भूमि आवंटन की गई है। तहसील सलाहकार समिति को इस आवंटन के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं थी।

(3) मवेशियों की संख्या के अनुसार ग्राम में गोचर भूमि कम नहीं है कुल गोचर भूमि 390 बीघा 9 बिस्वा एवं मवेशियों की संख्या केवल 254 है इस प्रकार मवेशियों की तुलना में निर्धारित मात्रा के अनुसार गोचर भूमि पर्याप्त है।

(4) ग्राम पंचायत देवडा द्वारा ग्राम भूतेल की गोचर जमीन को वापस पंचायत के कब्जे में रखने का प्रस्ताव जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुआ अपितु राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था। अभी मामला विचाराधीन है।

(5) मामला विचाराधीन है।

(6) यह भूमि सिवाय चक में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा की गई है। इस जमीन में से पाक शरणार्थियों द्वारा हरे दरख्त काटने के सम्बन्ध में जिलाधीश को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

तहसील सांचोर में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि का कब्जा

255. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक काफी मामलों में वास्तविक कब्जा नहीं दिलवाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? कितने मामलों में कब्जा दिलाना शेष है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामलों में अब तक कब्जा नहीं दिलाने के क्या क्या कारण थे ? अब उक्त मामलों में कब तक ऐसे लोगों को वास्तविक कब्जा दिला दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

Page No.35

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) उक्त मामलों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कितने भूमिहीन काश्तकार हैं, जिनको आवंटित भूमि का कब्जा दिलाना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अब उनको कब्जा कब तक दिला दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर के गांव पावटा के भूमिहीन काश्तकारों की आवंटित भूमि का दुबारा आवंटन तहसीलदार सांचोर द्वारा गुजरात राज्य के एक भूतपूर्व जागीरदार को खुदकाश्त की भूमि के रूप में गलत कर दिया था ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार ने ऐसे काश्तकारों का कब्जा नहीं हटाने के आदेश दिये थे ? अगर हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों की पालना अभी तक नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? इसमें किन किन राजस्व अधिकारियों का दोष है एवं उनके खिलाफ अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ? क्या यह भी सही है कि ऐसे काश्तकारों का आवंटित भूमि का म्यूटेशन तहसीलदार द्वारा खारिज गलत तरीके से कर दिया गया था ? अगर हां, तो उस बारे में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पावटा तहसील सांचोर के भूमिहीन काश्तकारों को उक्त भूमि का जो आवंटन किया गया था उन पर अभी तक उनका कब्जा मौजूद है ? अगर हां, तो उनका अब तक म्यूटेशन क्यों नहीं दुबारा भरा गया है ? अब उनका म्यूटेशन कब तक भरवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) तहसील सांचोर में भूमिहीन काश्तकारों को आवटित भूमि का कब्जा 328 मामलों में वास्तविक रूप से नहीं दिलवाया गया। कब्जा नहीं दिलवाने का कारण भूमि का आवंटन रकबे से बेशी होना है। नामवार सूची संलग्न है।

(2) वास्तव में आवंटन अधिकारी द्वारा गलत गणना के कारण ज्यादा भूमि का आवंटन कर दिया गया। अतः अब अतिरिक्त आवंटन को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) उक्त मामलों में अनुसूचित जाति के 43 एवं जनजाति के 7 भूमिहीन काश्तकार हैं। इनको भूमि का कब्जा आवंटन रकबे से बेशी होने से नहीं दिया जा सकता। इनके नाम भी सूची में शामिल हैं।

(4) गुजरात राज्य के जागीरदार को खुदकाश्त में उपजिलाधीश (जागीर) जालौर द्वारा ग्राम पावटा में खसरा नम्बर 91 व 143 की कुल 663 1 बीघा भूमि का आवंटन संवत् 2016 (दिनांक 29-2-60) के निर्णय से किया गया था जिसका अमल दरामद तहसील के राजस्व अभिलेखों में नहीं होने से भूमि राजस्व अभिलेखों में पड़त सिवाय चक दर्ज रही संवत् 2022 व 2023 (1965-66) में भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कुल 38 काश्तकारान को उक्त भूमि का पुनः आवंटन कर दिया गया। उसके बाद दिनांक 4-11-67 को खुदकाश्त भूतपूर्व जागीरदार द्वारा तहसीलदार सांचोर के यहां आवेदन पत्र उपरोक्त अमल दरामद व आवंटन खारिज करने हेतु किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सांचोर

(राजस्व मंत्री)

ने दिनांक 19-2-68 को आवंटन खारिज करने का फैसला किया। तत्पश्चात राज्य सरकार ने उनके पत्रांक प 1(43)राज/ग्रुप-3/73 दिनांक 5-6-73 के अनुसार इसी भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि यदि भूमि भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन की गई है उसे उनके कब्जे में रखा जावे एवं भूतपूर्व जागीरदार को अन्यत्र नियमों के अन्तर्गत सिवाय चक पड़त भूमि का आवंटन किया जावे। इस राज्य सरकार के आदेश की पालना हेतु तहसीलदार, सांचोर को जिलाधीश के पत्रांक एफ 12/2/20 राज/3505 दिनांक 28-12-73 के अनुसार लिखा गया था जिस पर परगना अधिकारी, भीनमाल के पत्रांक राजस्व/1263 दिनांक 9-7-74 के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त हुये थे परन्तु इसकी पालना उपरोक्त परिस्थिति में नहीं हो पाई क्यों कि ऐसे 18 आवंटित काश्तकारों की आवंटित भूमि के म्यूटेशन तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वर्ष 1968 में ही खारिज कर दिये गये थे और भूतपूर्व जागीरदार के नाम नामान्तर करण तहसीलदार द्वारा तस्दीक कर दिया गया था इसके बारे में रेफरेंस की कार्यवाही जिलाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है जिसके निर्णय के उपरान्त ही अन्य कार्यवाही की जाना संभव है। इसमें जिन जिन राजस्व अधिकारियों का दोष है, उसके सम्बन्ध में परगना अधिकारी भीनमाल से जांच करवाई जा रही है।

(5) यह सत्य है कि तहसीलदार, सांचोर ने म्यूटेशन खारिज कर दिये थे। मामले में उपखण्ड स्तर पर जांच की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

ग्राम लुनियावास के सरपंच को आवंटित भूमि

257. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लुनियावास, तहसील सांभर, जिला जयपुर के सरपंच श्री किशनलाल द्वारा ख. नं. 222, 223 (श्मशान) में अपने स्वयं के नाम 5 बीघा भूमि अलाट कराई थी? यदि हा, तो अलाटमेंट कौन सी तारीख को हुआ, तथा उस दिन उक्त सरपंच के नाम कितनी जमीन थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच ने अपने नाबालिग लड़के गोपाल के नाम खसरा नं. 92 में 6 बीघा भूमि अलाट कराई है?

(3) क्या इस तरह का अलाटमेंट वैध है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम लुनियावास तहसील सांभर जिला जयपुर के सरपंच श्री किशनलाल को ख. नं. 222,223 की भूमि आंवंटन नहीं की गई क्योंकि यह खातेदारी भूमि है।

(2) जी नहीं। गोपाल पुत्र भूरा जाट को दिनांक 11-6-68 को हुआ था।

(3) प्रश्न में संदर्भित भूमि का आवंटन संदर्भित व्यक्तियों को हुआ ही नहीं है। अत: वैध अवैध का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाली जिले में सीलिंग के विचाराधीन मामले

258. **श्री शंकरलाल** (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में कितने सीलिंग के मुकद्दमात पेंडिंग हैं जिनके लिये कि राज्य

(श्री शंकरलाल)

सरकार ने वापस खोलने का निर्णय ले रखा है ? ऐसे मुकद्दमात की आसामीवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) पाली जिले में सीलिंग संबंधित ऐसे कितने मामले राज्य सरकार के पास पेंडिंग हैं जिनमें वापस खोलने अथवा न खोलने का निर्णय लेना शेष है ? ऐसे मामलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन तमाम मामलों का आखिरी निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) पाली जिले से प्राप्त सीलिंग प्रकरणों में से माह सितम्बर, 1978 तक 218 प्रकरण राज्य सरकार द्वारा निपटाये गये है जिनमें से 213 में पुन: खोलने के आदेश दिए गए हैं तथा 5 में पुन: खोलने के आधार न पाये जाने पर कार्यवाही समाप्त की गई है। इन प्रकरणों की सूचना परिशिष्ट (क) में है। जिला स्तर पर पुन: खोले गये प्रकरणों में 8 प्रकरण निपटाये गये हैं और शेष प्रकरण विचाराधीन है । जिला स्तर पर निपटाये गये प्रकरणों की सूचना परिशिष्ट (ख) में है।

(2) पाली जिले में ऐसे 173 केसेज पेंडिंग है जिसमें खोलने अथवा नहीं खोलने के आदेश दिए जाने हैं । इन मामलों की की सूची परिशिष्ट (ग) में संलग्न है।

(3) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है । निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है क्योंकि सभी में जांच की जानी है और जांच में कम समय भी लग सकता है और ज्यादा समय भी लग सकता है इसके अलावा अन्य जिलों के भी सैकड़ों प्रकरण हैं जिनका भी निपटारा किया जाना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रख दी गई)

दांता रामगढ़ तहसील का डीड राइटर

259. **श्री उमरावसिंह गूजर** (महुआ): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ तहसील में मोहनलाल शर्मा नामक व्यक्ति डीड राइटर का कार्य करते थे ? अगर हां तो कब से कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री शर्मा ने राज्य सरकार की सेवा भी की है, अगर हां, तो कब से तथा सेवा में रहते समय क्या उन्होंने डीड राइटर के पद से त्याग -पत्र दिया है ? अगर हां, तो कब किस तारीख को ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री शर्मा ने वापस आकर तहसील में डीड राइटर का कार्य शुरू कर दिया ? यदि हां, तो कब से त्याग पत्र स्वीकृत कराया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने श्री शर्मा के खिलाफ पंचायत अतिरिक्त जिलाधीश सीकर को पत्र लिखा है, ? अगर हां, तो कब? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने अपने पक्ष में इस मामले को राज्य सरकार को धोखा देना माना है ? अगर हां, तो ऐसे व्यक्ति को फिर से डीड राइटर का लाइसेंस क्यों दिया गया है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि श्री मोहनलाल शर्मा तहसील, दांतारामगढ में डीड राइटर का कार्य दिनांक 16-9-69 से कर रहे है व उनका लाईसेंस दिनांक 16-9-78 तक रिन्यू था।

(2) जी हां, श्री शर्मा ग्राम सचिव पंचायत के पद पर थे।श्री शर्मा ने डीड राइटर के पद से इस कार्यालय में कोई त्याग पत्र नहीं दिया।

(3) हां, यह सही है कि श्री शर्मा अब डीड राइटर का कार्य दिनांक 16-6-78 से कर रहे हैं। त्याग पत्र इस कार्यालय में स्वीकृत नहीं करवाया गया था। बिना सूचना के अनुपस्थित व राज्य सेवा में होते हुए डीड राइटर का कार्य करने के कारण अनुज्ञा-पत्र कैंसिल करने की कार्यवाही चल रही हैं।

(4) हां, यह सही है। अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही चालू हैं।

(5) यह सही है कि तहसीलदार दांतारामगढ ने श्री शर्मा के विरुद्ध रिपोर्ट की है। उसके अनुसार पूर्व में जारी किए गए लाईसेंस जो दिनांक 16-9-78 तक रिन्यू था को निरस्त करने का कारण बताओ नोटिस दिया जाकर कार्यवाही जारी हैं।

ग्राम सुरायता में अवाप्त की गई भूमि

2690 श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सोजत के ग्राम सुरायता में अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून के तहत भूमि अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो कितनी कितनी भूमि व किन किन से अवाप्त की गई?

(2) उक्त भूमि किन किन को कब आवन्टित की गई? ये व्यक्ति कहां के रहने वालें हैं तथा आवन्टन की मीटिंग कब कब रखी गई तथा कितनी बार स्थगित की गई?

(3) क्या यह सही है कि सीलींग कानून के तहत प्राप्त की गई भूमि गांव के भूमिहीनों को ही दी जा सकती है, जिनकी सूची बनाना कानूनी लाजमी है व सीलिंग से प्राप्त भूमि उन व्यक्तियों को ही आवन्टित की जा सकती है?

(4) क्या प्रश्न के भाग (2) में बताये गये व्यक्ति उक्त भूमि सूची में से है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ऐसे आवन्टन को रद्द कराकर गांव के भूमिहीनों को देने की क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम सुरायता तहसील सोजत में पुराने सीलिंग कानून के तहत श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री उदयसिंह राजपूत नि. सुरायता से 241 साधारण एकड़ एवं श्री करणसिंह राजपूत निवासी सुरायता से 93 साधारण एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी।

(2) श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री उदयसिंह राजपूत निवासी सुरायता से अधिग्रहण की गई २41 साधारण एकड़ भूमि का आवंटन भूमिहीन व्यक्तियों को दिनांक 22-6-77 व 19-2-77 को किया गया। जिन जिन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है उसकी सूची 'अ' संलग्न है। आवंटन हेतु मीटिंग दिनांक 22-6-76 एवं

(राजस्व मन्त्री)

19-2-77 को रखी गई थी एवं भूमि का आवंटन किया गया रेकार्ड के अनुसार स्थगित नहीं की गई । श्री करणसिंह को अवाप्त 93 स्टेन्डर्ड एकड़ का आवंटन दिनांक 31-8-78 को अन्त्योदय परिवारों को अब किया गया है। सूची 'ब संलग्न है ।

(3) यह सही है । सीलिंग कानून के तहत प्राप्त की गई भूमि भूमिहीनों को ही दी जाती है जिसमें प्राथमिकता का क्रम रूल 46 राजस्थान टिनेन्सी (फिक्सेशन आफ सीलिंग लैण्ड) गवर्नमेंट रूल 1963 द्वारा निश्चित किया गया है तदनुसार ही सूची बनाई गई थी।

(4) जी हां । भू आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार ही आवंटन किया है जिसको कि निरस्त करवाने की आवश्यकता राज्य सरकार नहीं समझती।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 में देखें)

भू-राजस्व अधिकार अधिनियम के तहत वसूली

261 श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में तहसीलवार 1976 से 1977 तक किन-किन व्यक्तियों से कितना-कितना भू-राजस्व अधिभार, भू-राजस्व अधिभार अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार कितना कितना रुपया देय माना जाकर मतालबा बनाया गया ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये गये मामलों में किन किन से कितना कितना रुपया कब कब वसूल किया गया ?

(3) प्रश्न के भाग (1) में बताये गये मामलों में कितने मामले ऐसे हैं जिनमें राजस्थान भू-राजस्व अधिभार अधिनियम की धारा 3 (2) में जोत की परिभाषा के अनुसार भू-राजस्व अधिभार कायम किया है व जिन मामलों में धारा 3 (2) की अवहेलना की गई है वह क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जिन मामलों में भू-राजस्व अधिभार अधिनियम की धारा ३ (2) के विपरीत अधिभार कायम किया गया है व वसूल किया गया है वह गैर कानूनी है, क्या राज्य सरकार उक्त राशि को शीघ्र ही एक माह की अवधि में खातेदारों को लौटाने की व्यवस्था करेगी ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिभार अधिनियम में अपील का प्रावधान न होने से सैकड़ों मामलों में गैरकानूनी वसूली की गई हैं व मतालबे भी गलत बनाए गए हैं ? क्या राज्य सरकार उक्त अधिनियम में संशोधन कर अपील का प्रावधान करेगी ?

(6) क्या राज्य सरकार भू-राजस्व अधिभार अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार स्पष्टीकरण जारी करेगी जिसमें यह हिदायत की जावे कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 5 (17) में जोत की परिभाषा की उसे भू-राजस्व अधिभार अधिनियम की धारा 3 (2) में सब डिवाइड करने का प्रावधान दिया गया है लेकिन दो जोत (होल्डिंग) को उनके क्षेत्र व लगान जोड़ने का प्रावधान नहीं है अतः ऐसा करना गैर कानूनी है ?

उत्तर

(1) तहसील सोजत में निम्न व्यक्तियों को उनके सामने दर्शाये गये रकम देय माना जाकर मतालबा बनाया गया।

(राजस्व मंत्री)

1–श्री मालमसिंह बासनी, जमाबन्दी को ढालवांछ को नकल प्राप्त नहीं हुई।

2–श्री बाला पुत्र नवला सुरायता 1268-31

3–श्री जुमा वगैरह सुरायता जमाबन्दी व ढालवांछ को नकल प्राप्त नहीं हुई।

4– श्री हेमराज पुत्र अनोपचन्द सुरायता 145-61 ।

5–श्री मेघा किशना नवला खोवरा 681-88।

उक्त सभी मामले सीलिंग भूमि सम्बन्धी थे अतः वसूली नहीं की गई थी ।

(2) सीलिंग अभिग्रहण मामले होने से धारा 3 (2) की अवहेलना का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जब वसूली ही नहीं हुई तो लौटाने का सवाल ही नहीं है।

(4) इस जिले में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

बेगूं तहसील में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का मामला

262. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि बेगूं तहसील में श्री चोसरसिंह बाबेल एवं उनके परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक जमीन है तथा उन पर सीलिंग का कानून नहीं लगाया गया है ? परिवार के सदस्यों मय उनके खाते की जमीन की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त जमीन चोसरसिंह बाबेल ने अपने विधायक काल में अलाट करवाई थी या जबरन काश्तकारों से कब्जे में ली थी ?

उत्तर

(1) श्री चौसरसिंह बाबेल तहसील बेगूं एवं उनके परिवार के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक भूमि नहीं है । इस कारण उन पर सीलिंग कानून लागू नहीं होता । श्री चौसरसिंह व उनके परिवार के सदस्यों-के खाते में अंकित भूमि की सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । विधायक काल में कोई भूमि इन्हें आवंटित नहीं हुई और न काश्तकारों से जबरन ली है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र में राजस्व की बकाया राशि

263. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पीपल्दा क्षेत्र के किन किन गांव के किन किन व्यक्तियों में राजस्व की कितनी कितनी राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार राजस्व की इस बकाया राशि को वसूल करने हेतु क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र के ग्रामों की राजस्व की बकाया राशि की ग्रामवार सूची संलग्न है। राजस्व की बकाया वाले बाकीदारों की संख्या हजारों में है। अत: सूचना संकलित करने में कठिनाई है।

(2) इस बकाया राशि की वसूली हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती जाती है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षति

264. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाढ़ एवं अतिवृष्टि से इस वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में कितनी जान एवं माल को क्षति हुई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए केन्द्र सरकार का कोई अध्ययन दल राज्य में आकर गया है ? यदि हां, तो कितना असेसमेंट अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया है?

(3) क्या उसकी रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या इस बाढ़ की सहायतार्थ धनराशि इकट्ठा करने के लिए मंत्री स्तर या उच्च अधिकारी स्तर का शिष्ट मण्डल बंगाल या अन्य प्रदेशों में गया था ? यदि हां, तो इस शिष्ट मण्डल ने कितनी कितनी धनराशि किन किन सज्जनों, फर्मों, संस्थानों से इकट्ठी की थी ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिलेवार बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। इस वर्ष बाढ़ से हुई क्षति का अध्ययन करने हेतु केन्द्रीय सरकार के अध्ययन दल ने दिनांक 24 से 28 अगस्त तक राज्य का दौरा किया था। केन्द्रीय अध्ययन दल ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसकी प्रति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। अत: टोली द्वारा हानि का कितना अनुमान लगाया गया है इसकी जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 10-9-78 से 12-9-78 तक बाढ़ सहायता हेतु प्रवासी राजस्थानियों को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता का दौरा किया था। इस दौरे के समय मुख्य मंत्री महोदय को दो लाख बियालीस हजार नो सौ निनानवे रुपये छियासी पैसे की धनराशि भेंट की गई थी। जिसकी सूची संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

अकाल का स्थाई हल

२६५ श्री बहादुरसिंह (नोहर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनतमा सरकार ने राज्य में अकाल के स्थायी हल के लिए क्या क्या उपाय किये हैं तथा इसमें कहां तक कामयाब हुई है ?

(2) अकाल राहत पर पिछले तीस सालों में कितनी धनराशि खर्च हुई है, तथा इसमें कहां तक अकाल से राहत मिली है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार अकाल के स्थायी हल के लिए क्या क्या उपाय करने जा रही है ?

उत्तर

(1) अकाल एवं अभाव की स्थिति प्राकृतिक आपका है जिसकी हर समस्या का का स्थाई हल संभव नहीं है। लेकिन सरकार का बराबर यह प्रयास रहा है कि अकाल एवं अकाल से प्रभावित जनता के कष्टों को जहां तक सम्भव हो कम किया जाय। इस हेतु सरकार ने सूखा सम्भावित कार्यक्रम, पशु पालन एवं डेयरी विकास, सिंचाई के साधनों में वृद्धि व अन्य कार्यक्रम चलाये हैं।

इसके अलावा राहत कार्यों, पेयजल, चारा निःशुल्क सहायता इत्यादि की व्यवस्था कर सरकार ने अकाल पीड़ितों के कष्ट को कम करने का प्रयास किया है।

(2) सहायता विभाग के मद से पिछले वर्षों में जो व्यय किया गया है वह निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि (लाखों में)
1949–50	41.00
1950–51	36 06
1951–52	37 08
1952–53	131.78
1953–54	112 86
1954–55	120 47
1955–56	38.36
1956–57	6.77
1957–58	24.01
1958–59	32.94
1959–60	5.84
1960–61	16.22
1961–62	67.54
1962–63	12.15
1963–64	155.85
1964–65	463.29
1965–66	131.78
1966–67	1212.77
1967–68	796.52
1968–69	1694.25
1969–70	6592.47
1970–71	4983.26
1971–72	234.24
1972–73	1279.05
1973–74	5219.13
1974–75	704.16
1975–76	1025.85
1976–77	207.39
1977–78	265.68

(3) भाग 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जोधपुर शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य

266. **श्री नरपतराम बरबड़** (सूरसागर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की बोम्बे मोटर चौराहा से सूरसागर चोपट काली देरी तक सड़क जगह जगह से बुरी तरह टूटी हुई है जिससे ट्रक मालिकों को भारी नुकसान होता है ? अगर हां, तो इस क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कब तक कर ली जायेगी? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी हां। वर्षा और हैवी ट्रेफिक के कारण इस सड़क में जो टूट फूट हो गई थी उसकी मरम्मत वर्षा समाप्त होने के पश्चात प्रारम्भ करदी गई थी और मरम्मत का कार्य चालू है करीब पूरा हो गया है।

ग्राम कटांलिया-सोजत रोड़ सड़क का कार्य

267. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष 5000 से अधिक की आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाने का राज्य सरकार ने तय किया था और उसी के अन्तर्गत ग्राम कटांलिया जिला पाली को सोजत रोड़ से जोड़ने की सड़क मन्जूर हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि कटांलिया के पास से एक नाला सड़क के पास बहता है, जो सड़क को बहुत नुकसान पहुंचाता है ?

(3) उक्त नाला सड़क को नुकसान नहीं पहुंचाये उसके लिए राज्य सरकार क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस सम्बन्ध में रिटेनिंग वाल बनाने की योजना विचाराधीन है।

प्रेम केबल कोटा को उद्योग लगाने का लाइसेन्स

268. **श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रेम केबल को कोटा में उद्योग लगाने का लाइसेन्स कब दिया गया था ? ये फर्म कोटा में कितने समय तक कार्यरत रही ? कार्यरत समय में कितना कितना कब कच्चा माल फर्म को दिया गया ? फर्म के मालिकों ने कब कब कितना माल कहां पर ब्लेक में बेचा ? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रेम केबल कोटा से पीपलिया कलां, जिला पाली में कब स्थापित हुई ? उसके क्या कारण थे ? इस फर्म के कोटा में कौन कौन संचालक थे और अब पीपलिया कलां में कौन कौन संचालक हैं ? क्या उक्त फर्म के पीपलिया स्थापित करने हेतु कोई अलग से फाइनेन्स दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म को राज्य सरकार ने दिनांक 16-12-64 को ब्लेक लिस्ट घोषित कर दिया था ? अगर हां, तो ब्लेक लिस्ट करने के कारण क्या थे ? किन किन अधिकारियों की शिकायत व जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त फर्म को ब्लेकलिस्ट किया गया ? रिपोर्ट की प्रतिलिपि व ब्लेक लिस्ट के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No.44

(मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

(4) उक्त फर्म के ब्लेक लिस्ट के आदेश को कब निरस्त किया गया ? किस किस अधिकारी ने आदेश निरस्त करने की जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी ? निरस्त आदेश की प्रतिलिपि एवं जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) उक्त मामले में भारी रिश्वत देकर उक्त फर्म के मालिकों ने भारी भ्रष्टाचार किया गया है और मामला दबाया गया है क्या राज्य सरकार उक्त सारे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

मैसर्स प्रेम केबल्स प्रा. लि. को एम यू. कण्डक्टर्स व ए. सी. एस. आर. कन्डक्टर्स निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेन्स 27-9-1963 को मिला था । परन्तु उक्त इकाई कोटा में अस्तित्व में नहीं आई । मैसर्स प्रेम केबल्स कोटा को उद्योग विभाग द्वारा कोई कच्चा माल नहीं दिलवाया गया । मैसर्स प्रेम केबल्स कोटा द्वारा प्रेम इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन नाम से एक लघु उधोग स्थापित किया गया था तथा इकाई को औद्योगिक वस्ती में प्लाट न. बी-7 व बी8 आवंटित किया गया था । इन शेड़ों पर इकाई का कब्जा दिनांक 17-5-61 से 27-10-63 तक रहा । मसर्स प्रेम इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को आवंटित किया गया माल का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है। इस के मालिकों द्वारा कोई ब्लेक नहीं किया गया है।

(2) पीपलिया कलां में उद्योग सितम्बर, 1964 में स्थापित हुआ । औद्योगिक बस्ती के शेड आवंटन प्रार्थना पत्र में प्रेम इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के एकल स्वामी प्रेमराज पुत्र मेघराज पीपलिया कलां ही दर्शाया गया है । वर्तमान में इस उद्योग के भागीदार निम्नलिखित हैं:—

1—श्री पारसदानजीशाह, प्रबन्धसंचालक
2—श्री पुखराज जी योधा, संचालक
3—श्री पंकज जी शाह, संचालक
4—श्री अशोक जी शाह, संचालक

राजस्थान वित्त निगम ने मैसर्स प्रेम केबल्स लि. पीपलिया कलां को 21-12-1964 को 5 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया था जिसमें से प्रतिष्ठान ने 4.92 लाख रुपये का ऋण उठा लिया जो 1977 में पूरा वापस भुगतान कर दिया और उसका खाता भी बन्द हो चुका है।

(3) जी.हां । मामला 14 वर्ष पुराना है इस प्रकार की पत्रावलियां प्राय: मीट आउट कर दी जाती है । पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण इस संबंध में पूर्ण सूचना नहीं दी जा सकती है । इस सबंध में विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट को निरस्त करने के भी आदेश प्रसारित किये गये थे उसके अनुसार मैसर्स प्रेम इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को आवंटित कच्चा माल का कोटा उनके कोटा स्थित फैक्ट्री में न लाने के कारण दिनांक 16-12-1964 को ब्लेक लिस्ट किया गया था।

(4) उद्योग निदेशालय के आदेश संख्या 3(24) एस एस आई/61 दिनांक 16-12-1964 द्वारा मैसर्स प्रेम इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन कोटा द्वारा आयातित कच्चा माल पीपलियां कलां की फैक्ट्री में लाया गया था अत: ब्लेक लिस्टिंग के आदेश दिनांक 16-12-1965 को निरस्त किये गये । निरस्तीकरण के आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है। अन्य जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

(5) मैसर्स प्रेम केबल्स प्रा. लि. पीपलिया कलां (जिला पाली) मध्यम श्रेणी का प्राइवेट उद्योग है अतः मालिकों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। पुख्ता सबूत तथ्यों के बिना सी. बी. आई. से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सहायक लोक अभियोजक ग्रेड द्वितीय पर नियुक्तियां

269. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गृह अभियोजन विभाग में वर्ष 1976 में सहायक लोक अभियोजक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब किन किन की, किन नियमों के अन्तर्गत ? नियमों की प्रति सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्तियों के समय गठित चयन समिति राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियमानुसार थी ? यदि हां, तो उक्त समिति में कौन कौन सदस्य थे ?

(3) क्या यह सही है कि अभियोजन शाखा में सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को आरक्षण अनुपात में रखकर नियुक्तियां की गई ? यदि नहीं, तो क्या उक्त आरक्षण पद अभी भी रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ? आरक्षित व्यक्तियों की सूची, जिनकी नियुक्ति उक्त समय में की गई, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि अभियोजन शाखा में गत एक वर्ष से 10 पद रिक्त चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो उन पर पदोन्नतियां किन कारणों से नहीं की गई ? क्या राज्य सरकार अब उक्त पद पर पदोन्नतियां करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता में 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है ? यदि हां, तो श्रीमती गुप्ता का चयन बगैर अनुभव रखे किन कारणों से किया गया ? अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त चयन सूची के अधिकतर व्यक्तियों का चयन एक जिले विशेष के व्यक्तियों का ही किया गया है यदि हां, तो ऐसा क्यों ? उक्त अवधि में चयनित व्यक्तियों की सूची गृह जिले के प्रमाण-पत्र की प्रति सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही है कि अभियोजन विभाग के निदेशक ने अपने रिश्तेदार का स्थानान्तरण विभाग में उक्त योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए वरिष्ठ लिपिक के पद पर कर यू. डी. सी. कम स्टेनो के पद पर नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह नियुक्तियां 21-5-67, 8-10-76, 28-12-76

(विधि मन्त्री)

को की गई थीं। नियमों की प्रति नियुक्तियां आदेशों की प्रति संलग्न हैं।

(2) नियुक्तियों के लिए गठित चयन समिति राजस्थान अभियोजन राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (प्रारम्भिक गठन एवं आपात कालीन भर्ती) नियम, 1975 के अनुसार थी। इसके अध्यक्ष गृह आयुक्त व सदस्य उप सचिव कार्मिक विभाग एवं उपसचिव विधि विभाग थे।

(3) अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये आरक्षित पदों को भरे जाने के लिये जितने पद आरक्षित थे, उतने उम्मीदवारों के प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए। कुल सात अनुसूचित जाति व दो अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे एवं इन सभी का चयन कर लिया गया है जिनकी सूची संलग्न है। जो आरक्षित पद अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण खाली रहे वे मुख्य मंत्री महोदय के आदेश लिये जाकर सामान्य उम्मीदवारों से भर लिये गये।

(4) अभियोजन विभाग में सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी के 6 ही पद रिक्त हैं, जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं। ये पद अब तक इसलिये नहीं भरे गये कि राजस्थान अभियोजक सेवा नियम 31-3-78 को ही निर्मित हुए हैं। और नियमों के के अनुसार पदोन्नति समिति की बैठक के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखा जा चुका है। सम्भावना है कि यह रिक्त पद अगले दो महीनों में भरे जा सकेंगे।

(5) जी हां। यह सही है कि सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी की नियुक्ति के लिए 3 वर्ष की वकालत का अनुभव आवश्यक था। श्रीमती गुप्ता का चयन पूरा अनुभव हुए बिना भूल से हुआ है। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(6) जिन जिलों से सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पद के लिए अधिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उन जिलों के उम्मीदवार स्वभावतः अधिक संख्या में चयन में आये हैं। सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन, चयन समिति द्वारा किया गया। इसलिए किसी जिले विशेष के व्यक्तियों का चयन किया गया हो सही नहीं है। चयनित प्रत्याशियों की सूची मय गृह जिले के प्रस्तुत है

(7) यह सही नहीं है कि निदेशक अभियोजन अपने रिश्तेदार का स्थानान्तरण विभाग में योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए किया। श्री सतीश चन्द्र गुप्ता अभियोजक विभाग में आने से पूर्व यू. डी. सी. कम स्टेनो के पद पर नियोजन निदेशालय में कार्य कर रहे थे एवं अभियोजन विभाग में भी इसी पद पर कार्य कर रहे हैं। अभियोजन विभाग के वरिष्ठ लिपिक के नये पद सृजित हुए थे जिन पर विभिन्न विभागों में से स्थानान्तरण कर वरिष्ठ लिपिक लिये जाकर नियुक्त किये गये थे क्योंकि अभियोजन विभाग में अपने ही कोई कनिष्ठ लिपिक भी उपलब्ध नहीं थे। बहुत से कनिष्ठ लिपिक भी अन्य विभागों मे स्थानान्तरण पर लिये जाकर अभियोजन विभाग में नियुक्त किये गये है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बिलाड़ा में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की योजना

270. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत):

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बिलाड़ा के आस-पास सीमेन्ट, ग्रेड लाइन स्टोन का प्रचुर भण्डार है? यदि हां, तो क्या आर. आई.-एम. डी. सी. खुद या किसी प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर बिलाडा में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या किसी पार्टी ने अर्जी दी है? और उसने क्या क्या मांग की है, तथा राज्य सरकार मिनी सीमेन्ट प्लान्ट को बढ़ावा देने के लिये क्या रियायतें देने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। निगम से राज्य में 100 टन प्रतिदिन क्षमता के 5 मिनी सीमेन्ट कारखाने लगाने हेतु आशय पत्र प्राप्त किये हैं। इनमें से एक आशय पत्र बिलाड़ा (जोधपुर) के लिए भी है। निगम की रुचि इन 5 मिनी सीमेन्ट कारखानों को संयुक्त क्षेत्र में लगाने की है। समाचार पत्रों के माध्यम से संयुक्त क्षेत्र के समझौते हेतु प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे। 53 व्यक्तियों ने रुचि दिखाई थी, परन्तु केवल 16 प्रार्थियों ने संयुक्त क्षेत्र के लिए प्रश्नावली के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं। इन प्रार्थना पत्रों में से एक में जोधपुर रीजन में कारखाना लगाने का उल्लेख किया है। क्योंकि प्रार्थना पत्र निगम के संयुक्त क्षेत्रीय प्रश्नावली के आधार पर हैं अतः इनके अलावा किसी मांग का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक मिनी सीमेन्ट को बढ़ावा देने का प्रश्न है, जो रियायतें अन्य उद्योगों को उपलब्ध हैं, वे सभी मिनी सीमेन्ट कारखाने को भी उपलब्ध होंगी। मिनी सीमेन्ट कारखानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ विशेष रियायतें देने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

नई उद्योग नीति और जोधपुर संभाग में उद्योगों की स्थापना

271. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की नई उद्योग नीति क्या है? उसका ब्लू प्रिन्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नई नीति के अनुसार जोधपुर संभाग में कितने नये पद स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक के लिये क्या क्या कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं?

(3) क्या उपरोक्त सम्पूर्ण पद स्थापित होकर कार्य चालू हो गया है? अगर नहीं, तो कब और किन केन्द्रों पर भविष्य में किस मास में प्रारम्भ होगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की उद्योग नीति छप चुकी है वह सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जोधपुर संभाग के जोधपुर एवं नागौर जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिसमें प्रत्येक केन्द्र में

(उद्योग मन्त्री)

सृजित पदों की सूचना सूची 'क' में संलग्न है। संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशकों के निर्धारित कर्तव्यों की सूची 'ख' संलग्न है।

(3) रिक्त पदों की सूचना सूची 'क' में दर्शाई गई है। दोनों केन्द्रों में जून, 1978 के अन्तिम सप्ताह से कार्य चालू हो गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

राज्य में मोम का वितरण

272. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदार पुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोम की मांग के लिए राज्य में कितने नये लघु उद्यमियों के आवेदन पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन हैं? सूची निम्न तालिका में प्रस्तुत करने की कृपा करें:—

नाम	पता	प्राप्ति आवेदन	दिनांक	मोम की मांग

(2) मोम का वितरण किन किन इकाइयों को वर्तमान में हो रहा है? उसकी तालिका मय नाम पता तादाद सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मोम की मांग के लिए प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं होते। यह उद्योग निदेशालय में विभिन्न जिला अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होते है। उद्योग निदेशालय में मोम की मांग के लिए कोई भी आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है। क्योंकि नई इकाइयों को वर्तमान में स्वदेशी मोम का कोई कोटा देने की नीति नहीं है और यह सूचना सभी नई इकाइयों को प्रेषित कर दी जाती है। मोम काम में लाने वाली नई इकाईयों को यह सूचित किया जाता है कि वे विदेश से प्राप्त मोम के लिए मैसर्स बामर लारी एण्ड कम्पनी कलकत्ता से सम्पर्क स्थापित करें।

(2) मोम प्राप्त करने वाली इकाइयों का नाम, पता व प्रति तिमाही में आवंटित मोम की मात्रा की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अवाप्त भूमि

273. **श्री रामनारायण चौधरी** : (मण्डावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में राजस्थान अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कितनी आबादी भूमि किस किस शहर में किस किस व्यक्ति से अवाप्त की गई है? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में अरबन सीलिंग एक्ट के तहत कितने व्यक्तियों को राज्य सरकार ने अवाप्त की जाने वाली भूमि की छूट दी है? सूची प्रमाणों सहित सदन के पटल पर रखी जाय।

उत्तर

(1) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा कोटा नगर संकुलनों में कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

अजमेर नगर संकुलन में :

(वित्त मन्त्री)

(1) श्री मदन मोहन गोयल पुत्र श्री माधव प्रसाद गोयल की 939 वर्ग मीटर एवं

(2) श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश 130 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त की गई है ।

(3) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के तहत राज्य सरकार ने जिन व्यक्तियों को छूट दी है, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

इसके अतिरिक्त कई औद्योगिक इकाइयों को भी छूट दी गई है :

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें) ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 अक्टूबर, 1978)

पाली जिले के मामले

145. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में 1 मार्च, 1967 से 31 जुलाई, 1978 तक किस किस पंचायत से कब-कब कितनी-कितनी भूमि की फाइलें जिलाधीश को हस्ब नियम 265 राजस्थान पंचायत सामान्य नियमों के तहत स्वीकृति हेतु भेजी गईं ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताई गई फाइलों में जिलाधीश ने किन-किन को स्वीकृत किया व किन किन को अस्वीकृत किया ? जिन मामलों में जिलाधीश ने स्वीकृति प्रदान नहीं की उनकी कीमत प्रति वर्ग गज क्या थी व जिन मामलों में स्वीकृति प्रदान की उन मामलों में प्रति वर्ग गज भूमि की कीमत क्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश को हस्ब नियम 265 (4) केवल जमीन की वाजिब कीमत न आने की हालत में नीलाम अस्वीकृत करने के ही अधिकार हैं ? यदि हां, तो जिलाधीश ने किन किन मामलों में उक्त नियम की अवहेलना कर पंचायतों को गैर कानूनी निर्देश दिये हैं व क्या निर्देश दिये है ?

(4) राज्य सरकार प्रश्न के भाग (3) में बताये गये मामलों में किये गये पद के दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) क्या राज्य सरकार यह मानती है कि प्रश्न के भाग (3) में लिए गये कई मामले नेक नीयति से नहीं लिये गये और न जनहित में हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस मामलों में क्या करने का निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) संलग्न सूची में सूचना उपलब्ध है । जिसके अनुसार 137 पत्रावलियां जिलाधीश को स्वीकृति हेतु पंचायतों द्वारा भेजी गई थीं।

(2) सूची की अन्तिम पत्रावली क्रम सं. 137 को छोड़कर शेष की स्वीकृति जिलाधीश द्वारा दे दी गई है । स्वीकृति नहीं देने वाली पत्रावली सूची की सं. 137 पर है । स्वीकृति नहीं दी जाने वाली भूमि

(पंचायत मन्त्री)

की प्रति वर्ग गज कीमत 16·62 पैसे थी तथा स्वीकृति दी जाने वाली भूमि की प्रति वर्ग गज जमीन की दरें सूची के कालम नं. 7 में अंकित है।

(3) जिलाधीश ने कोई नियमों के विपरीत निर्देश नहीं दिये हैं। जिलाधीश ने केवल सूची में क्र. सं. 137 पर वर्णित पत्रावली में भूमि की स्वीकृति नहीं देकर रास्ते की कठिनाई एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार करने हेतु पंचायत को निर्देश दिये थे।

(4) पद का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 अक्टूबर, 1978)

ग्राम इन्दोकली तहसील नागौर में नाजायज कब्जे

161. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि खसरा नम्बर 47, 44, 49 ग्राम इन्दोकली तहसील नागौर जिला नागौर के ही सार्वजनिक कार्य में आते हैं? यदि हां, तो किस कार्य से कब तक?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त खसरा नम्बर में से किन्हीं में किसी व्यक्ति ने नाजायज कब्जा किया है? यदि हां, तो कब-कब से किस किस व्यक्ति ने और उनके खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्यवाही सरकार के द्वारा की गई?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त खसरा नम्बरान में कोई फसल नाजायज काश्त की गई खड़ी है? यदि हां, तो वह कुर्क व जब्त क्यों नहीं की गई जब कि इस प्रकार के अन्य मामलों में की जाती है?

(4) इस सम्बन्ध में गांव वालों की शिकायत होने के बाद में किस पुलिस अधिकारी ने कब कब मौका देखा और मौका रिपोर्ट दी? मय तारीखों के मौका रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) इस सम्बन्ध में गांव वालों ने कब कब किस किस अधिकारी को रिपोर्ट की और उन पर क्या क्या कार्यवाही कब कब की गई?

(6) अब इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही कब कब की जावेगी?

(7) फसल कब तक कुर्क करके नीलाम कर दी जावेगी या नष्ट कर दी जावेगी?

(8) गिरदावरी में फर्जी इन्द्राज की कोई शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो कब और उन पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) यह सही है कि खसरा नम्बर 47, 44, 49 ग्राम इन्दोकली तहसील नागौर

(राजस्व मन्त्री)

जिला नागौर सार्वजनिक कार्य में आते हैं। सम्वत 2034 से पूर्व नाडी, अंगौर मगरा के रूप में है।

(2) हां, यह सही है कि खसरा नम्बर 47, 44, 49 ग्राम इन्दोकली के कुछ व्यक्तियों ने इस वर्ष 2035 में नाजायज कब्जा किया हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) मौका पर फसल जो खड़ी है, उसका विवरण प्रश्न संख्या (2) में दिया हुआ है। उसकी नीलामी के आदेश तहसीलदार द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक संखवास के नाम जारी किये हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र चाही गई है।

(4) गांव वालों की ओर से कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई। श्री विजय प्रकाश पुत्र देवकरण चारण साकिन इन्दोकली के द्वारा इस्तगासा एम. जे. एम. कोर्ट नागौर में दिनांक 2-9-78 को करने पर न्यायालय द्वारा थाना मण्डवा में वास्ते जांच भेजा जहां अपराध संख्या 68 दिनांक 23-9-78 जो दफा 147, 447, 427 आई. पी. सी. दर्ज हुई जिसमें 24-9-78 को मौका हैड कान्सटेबल द्वारा देखा गया जो फर्द मौका सूचियां साथ संलग्न है।

(5) ग्रामवासियों ने अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार नागौर के समक्ष रिपोर्ट दी जिस पर जांच कर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई। उसका उल्लेख प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में किया गया है।

(6) पुलिस में दर्ज मामला 68/78 जेर तफतीश है। तहसीलदार द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है।

(7) तहसीलदार द्वारा कुछ भाग की फसल नष्ट करवाई जा चुकी है। शेष हेतु तहसीलदार द्वारा नीलामी अथवा नष्टीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

(8) गिरदावरी में फर्जी इन्द्राज के बाबत शिकायत तहसीलदार के यहां चन्द ग्रामवासी इन्दोकली ने की जिसके सम्बन्ध में उनके यहां जांच चल रही है। रेकार्ड थाना अधिकारी नागौर की तहसील में होने से जांच पूर्ण नहीं हुई है। इसके अलावा श्री स्वरूपराम जाट साकिन इन्दोकली की रिपोर्ट स. ज. एम. कोर्ट नागौर के यहां से जांच हेतु थाना अधिकारी नागौर को भेजने से अपराध संख्या 158 दिनांक 8-9-78 धारा 120 बी, 466, 467 दर्ज हुआ जो जेर तफतीश है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(1) श्री हंसराम व श्री शिवचरण, सदस्य विधान सभा की ओर से करौली में हाथ कर्घा योजना के अन्तर्गत जिन बुनकरों को ऋण दिया गया था, उनको कपड़ा बुनाई हेतु सूत न मिलने के विषय में,

(2) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से राज. नहर के निर्माण कार्य में पाइप सीमेन्ट आदि की खरीद में रिश्वतखोरी व बेकार सामान खरीद लेने से काम रुका हुआ है, इस विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री दुलाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में कुछ छोटे भूमिहीन भूतपूर्व जागीरदारों को जमीन काश्त हेतु दी गई थी, उसे अन्य प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से खरीदने के विषय में,

(4) श्री सूरजपालसिंह व श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण के हजारों मामले विचाराधीन हैं, इस विषय में,

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस में नाम था।

श्री अध्यक्ष : होगा तो मैं जोड़ लूंगा आपका नाम।

(5) श्री मूलचन्द डागा व श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला पाली तहसील गांव कोरटा में जैन समाज के मेले के अवसर पर अनोप मण्डल नामक संस्था द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विषय में।

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिडावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी को मुझे एक सूचना देनी है। बम्बई नगर निगम में कांग्रेस का सफाया हो गया है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा डेयरी के सम्बन्ध में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। तीन चार दिन हो गये हैं, वहां पर तालाबन्दी है—

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सूची में नाम हैं उसी तरह से बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पहले मेरी आई केच कर ली है, इसलिए इनको बोलने दीजिये। आपको भी समय दूंगा।

श्री रघुनन्दन व्यास: मुझे दुःख होता है कि जालौर और सिरोही जिलों में दुग्ध उत्पादन का जो काम है, दुग्ध उत्पादन की जो योजना है उसको रानीवाड़ा डेयरी ने रोक रखा है। डेयरी बनने से पूर्व किसानों से लाखों रुपये की हिस्सा-पूंजी इकट्ठी कर ली गई। बहुत बड़ी डेयरी का निर्माण हुआ और यह कहा गया कि एक लाख लीटर दूध रोज खरीदा जायगा, इसकी योजना बनाई जायेगी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस डेयरी में 10 हजार लीटर दूध भी नहीं खरीदा गया है। साथ ही जिन किसानों से दूध खरीदा गया उनको तीन-तीन साल हो गये भुगतान नहीं हो रहा है। डेयरी बन्द पड़ी हुई है। डेयरी में जिन किसानों ने दूध बेचा वे किसान अपने पैसों के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं। उनकी बुरी दुर्गति हो रही है। डेयरी में जितने भी नौकर और मजदूर हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। वे एक महीने से रानीवाड़ा में भूखे नंगे बैठे हैं। इस प्रकार की दुर्गति का कारण यह है कि रानीवाड़ा की डेयरी है, जिसके लिये तीन करोड़ रुपया

(श्री रघुनन्दन व्यास)

रोटेशन के लिए रखा गया है, उसकी सारी व्यवस्था पिछली सरकार ने एक पूंजीपति के हाथ में दी। कृषि विभाग उसको टेक ओवर नहीं कर रहा है उसके कारण जालौर और सिरोही जिले के 8 लाख किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, उनका दूध नहीं बिक रहा है, उनकी दुर्गति हो रही है। हजारों लोग भूखे मर रहे हैं अधिकारी लोग पांच लाख रुपया किसानों का दबाकर बैठे हैं और मजदूरों को वहां से निकाल दिया गया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं उस डेयरी को राजस्थान सरकार अपने हाथ में ले और किसानों और दुग्ध उत्पादकों को उनका हक दिलवावे, यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय,

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य-सूची मुझे नहीं मिली है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन स्वीकार करें।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाई अब्दुल अजीज के बाद दो मिनट का समय मुझे दिया जाय।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले स्थगन प्रस्तावों पर बोलने दीजिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गहन मसले पर, राजस्थान नहर के निर्माण के सम्बन्ध में आपके माध्यम से और आपकी इजाजत से सदन को एक बहुत ही अहम बात बताना चाहूंगा। हमारे राजस्थान की गरीब जनता एक अर्से से इस बात के इन्तजार में हैं, कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हों और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हों। लेकिन पिछले दो सालों से, जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के मंत्री महोदय तशरीफ नहीं रखते हैं, लाखों के मामलात हैं, उनका कौन नोटिस लेगा और कौन सुनेगा···

श्री मदनसिंह दांता : हम करेंगे, सदन के सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज : राजस्थान नहर के सैकिन्ड स्टेज के लिए 14 करोड़ रुपये की राशि रखी गई उस 14 करोड़ में से मार्च, 78 के अन्त तक किस प्रकार से वहां पर काम काज हुआ उसका आप मुलाहिजा फर्माइये। पांच करोड़ की खरीद 15 दिन में कर ली वह किस आधार पर की? पाइप एक करोड़ के, सीमेन्ट ढाई करोड़ का, कोयले एक करोड़ के और मशीनरी स्पेअर पार्टस् 40 लाख के खरीदे और एक लाख बिजली बोर्ड को एडवान्स दिये। पाइप खरीदे ग्रोस इमर्जेन्सी बता कर। आप उस एडवर्टाइजमेंट का मुलाहिजा फर्माइये जो सारे कानून को ओवर रूल करके दिया। 14 फरवरी, 78 की को एडवर्टाइजमेंट दिया। जो एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने आर. एस. ई. बी. को लिखा और संकेत किया कि अजन्ता ट्यूब्स दिल्ली, हिन्दुस्तान ट्यूब्स दिल्ली

(श्री अब्दुल अजीज)

और जोइन्ट ट्यूस दिल्ली से एक करोड़ के पाइप खरीदे गये। आप मुलाहिजा करें कि वे पाइप आज भी राजस्थान नहर के पास यों के यों पड़े हुए हैं जैसे कि कब्रिस्तान हो पाइप का। क्या कारण है, बगैर एडवर्टाइजमेंट के इन कम्पनियों से एक करोड़ का पाइप खरीदा गया ? वे सारे आज बेकार पड़े हैं। इसके अलावा जो 33 किलोमीटर नहर बन रही है उसका भी अजीव तरीके से ठेका दिया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या पाइप आपने देखें हैं ?

श्री अब्दुल अजीज :जी, मैं पांच दिन बीकानेर में रहा हूं। मेरे पास वायरलेस मैसेज की कापी है। जिन कम्पनियों से ये खरीद किये गये हैं उससे जाहिर होता है कि घोटाला किया गया है। एक करोड़ 60 लाख का पेमेन्ट कर दिया गया। जब इतनी इमर्जेन्सी थी तो पाइप आज तक क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया ? 24 फरवरी 1978 का पत्र है एडीशनल चीफ इंजीनियर ने चेयरमेन साहब को लिखा कि यह काम बंद है इसलिए $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये सरेन्डर कर रहा हूं। यह पत्र संख्या 215, 24 फरवरी, 1978 का है। पूरा राजस्थान इस इंतजार में है कि राजस्थान कैनाल से जनता को कब राहत मिलेगी, हम अपनी योजनाओं में कब सफल होंगे। भारत सरकार से भी कहा कि हमें राजस्थान कैनाल के लिए पैसे की जरूरत है। अगर वाकई जरूरत ही है और हम चाहते हैं कि खाद्यान्न के मामले में सफल हों तो फिर काम क्यों बंद है ? वहां के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री कालरा, जो कानूनी तौर पर चीफ इंजीनियर पद के हकदार नहीं थे, को चीफ इंजीनियर के पद पर थोंपा गया अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार जनता सरकार, जिसने कहा कि हम भ्रष्टाचार को खतम करेंगे.....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आप कितनी ही घंटी बजायें मैं अपनी बात करूंगा।

यह कबाड़ा लाखों रुपये का है। एक एक करोड़ के पाइप में लाखों रुपये के सौदे हो गये। 14 दिन में एक करोड़ के पाइप के सौदे हुए। पहले पेमेंट रोके और फिर कर दिए। पहले की गलती को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दिया। जब आस इमर्जेन्सी थी तो आज तक पाइप्स क्यों पड़े हैं ? इन्होंने जो ठेका दिया है वह कैनाल के पास में छोटे से चैनल का ही दिया है जो 33 किलो मीटर था। पहले योजना थी पाइप की। तो करोड़ों रुपये राज्य सरकार के इस प्रकार बर्बाद हुए और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सौदे करे यह जनता के साथ धोखा है। अधिकांश माननीय सदस्य जानकारी नहीं रखते इसलिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अगर सच्चाई का पता लगाना हो तो जांच करायें और देखें कि लगाना है। एक करोड़ का कोयला खरीदा, $2\frac{1}{2}$ करोड़ की सीमेंट। क्या जरूरत थी? मंत्री महोदय उत्तर दें कि कितने किलोमीटर नहर अब तक एक साल में बनाई ? जो पाइप कुछ पुराना था वह पी. एच. डी. को दिया और नए पाइप्स का आस इमर्जेन्सी बता कर बगैर एडवर्टाइजमेंट के सौदा किया। राजस्थान नहर के नाम पर विदेशों से पैसा कर्ज में लिया तो राजस्थान की जनता ने समझा कि हमारा भविष्य अच्छा है। यह बेईमानी है कि

(श्री अब्दुल अजीज)

अब काम रोका जाए। इंजीनियर्स का आपस में झगड़ा हो तो राजस्थान कैसे आगे बढ सकता है?

राजस्थान नहर राजस्थान के सभी गरीब व अमीर लोगों को जीवित रखने का साधन बनेगी, खाद्यान्न समस्या को हल करने का एक मात्र साधन बनेगी जिस पर अभी माथुर साहब के प्रश्न पर बहस थी।तो ये सब बातें हैं। पूरे 14 करोड़ रुपये का इस्तेमाल नहीं कर सकें और सरेंडर कर दिया। मेरी जानकारी है कि मंत्री महोदय तो हमारे श्री केदारनाथ शर्मा हैं और चेयर मेन भीमसिंह हैं। कालरा चीफ इंजीनियर हैं जो पहले एस.ई. थे और श्री मदान को चीफ अकाउन्टेंट बना दिया। इस प्रकार मिलीभगत से राजस्थान की जनता के लाखों रुपयों को लूटा है। यह ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कई मंत्रियों को मालूम नहीं कि किस तरह से राजस्थान का पैसा कहां कहां जा रहा है? कौन खाता है, किस तरह से सौदेबाजी होती है? इसलिए मैं उत्तर चाहता हूं। इस प्रकार की अनियमितता, गबन व घपला खरीद फरोख्त में होने का क्या कारण है? आप उत्तर देंगे तो मैं समझूंगा कि आपकी नीयत ठीक है।

श्री केदार नाथ (मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना): आपको जानकारी होगी कि राजस्थान कैनाल पर मस्टर रोल में गड़बड़ी, सीमेंट आदि केसेज में हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य का सिंगल मैन कमीशन नियुक्त कर दिया है। दो महीने पहले सारे पेपर्स सीज कर दिए गए हैं। वह बीकानेर में बैठ कर जांच करेंगे। उनको एक्सपर्ट्स की जरूरत महसूस हुई तो वह भी ले सकते हैं।

आपने पाइप लाइन की बात कही कि पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। इस साल 16 करोड़ रखे हैं सैकिन्ड फेज में लाइनिंग और कन्सट्रक्शन के लिए। इसका यूटीलाइजेशन मार्च तक हो जाएगा। लास्ट ईयर 30 करोड़ रखे, 14 करोड़ फर्स्ट फेज में और 16 करोड़ दूसरे फेज में। पूरा पैसा यूटीलाइज कर लिया है। कन्सट्रक्शन के लिए पाइप लाइन बहुत जरूरी है। आपने पूछा ज्यादा क्यों खरीदा गया? यह जांच का विषय है, जांच हो रही है, नए चीफ इंजीनियर श्री कपूर भी जांच कर रहे हैं। आप निश्चित रहे कि सारा पैसा यूटीलाइज होगा। जो शिकायतें आई गड़बड़ी के बारे में वह जांच के लिए हमने कमीशन को सुपुर्द कर दीं। वह बीकानेर में बैठ कर जांच कर रहा है।

श्री अब्दुल अजीज: पाइप्स के बारे में जांच करायेंगे?

श्री केदारनाथ: करवायेंगे।

श्री दुलाराम: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की अन्त्योदय योजना तो बहुत अच्छी है मगर कुछ गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उस तरफ मंत्री महोदय ध्यान देंगे......

एक माननीय सदस्य: 30 साल गरीबों के लिए क्या किया?

श्री दुलाराम: 30 साल हमने आपको पढ़ाया लिखाया और स्कूल भी खोले। इसलिए ही आज जीत कर आये।

(श्री दुलाराम)

मान्यवर, रायसिंहनगर में ग्राम 78 व 76 एम. पी. में 1953-54 में झोपड़े व शिविर में रहने वाले लोग थे। गरीब होने के नाते उनके गुजारे के लिए एक एक या दो दो मुरब्बे याने 25-25,50-50 बीघा जमीन आवंटित की गई। उस पर कन्डीशन यह थी कि वे उस पर गुजारा करेंगे। वह सिंचित भूमि थी। ये गरीब थे, राजा महाराजा नहीं थे। उस पर उन्हें कब्जे मिले। जमीन पर वे काश्त करते रहे। उसके बाद एम. पी. नहर 77 एम. पी. से आगे जाना बंद हो गई। वह जमींदार अपना संतुलन खो बैठा। एक बनारसीदास अनिल कुमार रायसिंहनगर के नाम से बड़ी दुकान है, कपड़े की भी दुकान है, लाखों रुपये की कम्पनी है। वह जमीदार जब काश्त करता था तो कपास गेहूं उसकी दुकान पर बेचता था। उस बनिए ने इतना पैसा दे दिया कि जमींदार दब गया। उसने मुख्तयारनामा आम जमींदार से लिखवा लिया। उसमें जो गरीब थे उनसे भी मुख्तयारनामा आम लिखवा दिया। दुकान पर मुनीम काम करता था उसके नाम से लिखवाया कि वह क्रय कर सकता है, रहन कर सकता है। उसने 1969 में, 24-5-69, 19-4-69, 28-5-69 को मुख्तयारनामे आम लिखवा दिए। वह जमींदार अपना सब कुछ छोड़कर चूरू और झुंझुनूं में आ गया। पीछे से बनिए के मुनीम, जिनका नाम सोहन सिंह पुत्र आत्मा सिंह और दयाराम है, से बय करने के इकरारनामे तहरीर करा लिये गये। उन्होंने यह सोचा कि 77-78 तक तो हमने जमीन काश्त को दे रखी है। हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिये। मगर बनिया बहुत चालाक था। उसने सन् 76 में ही सनदें हासिल कर लीं 2·-5-76 को।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, एक घोटाला है। एक बनिये ने 13-14 गरीबों को उजाड़ा है और लाखों रुपये की प्रापर्टी की हेरफेर कर ली। वह दो नम्बर का धंधा करता है और बनिया है।

इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा समय दिया जाये।

सनदें लेने के बाद जब वह रजिस्ट्री करवाने लगा तो किसी भी तरीके से उन जमीदारों को इसकी इनफार्मेशन हो गई कि तुम्हारा रकबा बय हो रहा है और अब तुम्हारा नाम नहीं रहेगा इसलिये तुम जाओ और कब्जा ले लो। उसने बहुत होशियारी की। जब तक वह पहुंचे उससे पहले ही रजिस्ट्री हो गयी। वह सनद लेता है 21-5-76 को और रजिस्ट्री होती है 2-6-76 को। कालोनाइजेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के मुताबिक खातेदारी राइट्स मिलने के बाद भी रकबे को बय करने की स्वीकृति अवश्य है लेकिन उस बनिये ने सब-रजिस्ट्रार से साजिश करके अपने मुनीम की मार्फत और अपने रिसोर्सेस के मार्फत रजिस्ट्री अपने लड़के अनिल कुमार के नाम, अपनी लड़की विजय कुमारी बेवा के नाम, खुद के नाम और अपने एक रिश्तेदार विजय कुमार के नाम से करवा ली। रजिस्ट्री करवाने के बाद वह गरीब जमींदार जिलाधीश के पास गये, तहसीलदार के पास गये और एस. डी. ओ. रेवेन्यू के पास भी गये। हो सकता है कि मंत्री महोदय के पास भी गए हों। लेकिन उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नायब तहसीलदार ने हिम्मत

(श्री दुलाराम)

करके धारा 13/14 की कार्यवाही करने के लिए एडीशनल कलेक्टर रेवेन्यू गंगानगर को रिपोर्ट भेजी कि वह भूमि 13/14 धारा के तहत राजस्थान सरकार के हक में नजूल कर दी जाये। हो सकता है वह पैसे वाली फर्म है, हो सकता है दो नम्बर का धंधा करने वाली फर्म है इसलिए उसके दबाव के कारण किसी भी अधिकारी ने आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। जरा रेवेन्यू मंत्री जी गौर करें मैं उनके नाम के साथ रकबा भी बता देता हूं। वह इस तरह से है:

1. श्री बहादुरसिंह वल्द सूरतसिंह चक नं. 78 एन.पी.।

2. श्री बागसिंह वल्द दर्जनसिंह चक नं. 78 एन.पी.।

3. श्री नारायणसिंह वल्द दीपसिंह चक नं. 78 एन.पी.।

4. श्री जुगनसिंह वल्द गणपतसिंह चक नं. 78 एन.पी.।

5. श्री गोरूसिंह वल्द केशुसिंह चक नं. 78 एन.पी.।

6. श्री कपाससिंह वल्द हरीसिंह चक नं. 78 एन.पी.।

7. श्री सवाईसिंह वल्द हनुमानसिंह चक नं. 78 एन.पी.।

8. श्री सम्पतमल वल्द कानमल भंडारी चक नं. 78 एन.पी.।

9. श्री शिवबक्स वल्द देव बक्स ब्राह्मण चक नं. 76 एन.पी.।

10 श्री मूलसिंह वल्द कालूसिंह चक नं. 76 एन.पी.।

11. श्री सवाईसिंह वल्द सोनमल भंडारी चक नं. 76 एन.पी.।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सदस्य यह सूची मुझे दे दें।

श्री दुलाराम : मैं पढ़कर ही सुना देता हूं।

12. श्री हनुमानसिंह लक्ष्मणसिंह, मूलसिंह प्रहलादसिंह, देवीसिंह चक नं. 76 एन.पी.।

13. श्री महताब कंवर बेवा घसीदयासिंह चक नं. 76 एन. पी. यह हैं जागीरदार जिनकी भूमि बनिये ने आज भी अपने कब्जे में कर रखी है और वह काश्त करवा रहा है। मान्यवर, मैं निवेदन करूं कि इसके खिलाफ भी उस जागीरदार ने हिम्मत की और उसने गृह मंत्री जी के दरवाजे खड़खड़ाये। उसके बाद 420 और 419 का मुकदमा उस बनिये खिलाफ दर्ज हुआ, उसमें गृह मंत्री जी शामिल थे। यह केस आज तक दबा हुआ है। सुना है कि उसमें अब यह एफ. आर. भी दे दी गयी है कि यह जागीरदार झूठे हैं और और यह बनिया काश्तकार है। इसका रकबा सही है और सही लिया है। कहा है कि 13/14 की कार्यवाही झूठी है। आपको जो पैसा दिया गया है वह सही दिया गया है। इकरारनामे में क्या लिखा हुआ है वह भी मैं आपको सुनाता हूं पढ़ कर:

"मनके बाघसिंह वल्द दुरजनसाल सिंह कौम राजपूत साकिन झेरली तहसील चौठावा जिला झुंझुनूं हाल आबाद चक 75 एन. पी. तहसील रायसिंह नगर बजरीये

(श्री दुलाराम)

सोहनसिंह वल्द आत्मासिंह कौम कम्बोसिख साकिन 73 आर. बी. तहसील रायसिंहनगर मुख्तयार नामा आम तारीख 19-4-69 दफ्तर जनाब सब रजिस्ट्रार साहब रायसिंह नगर के रजिस्ट्री शुदा है का हूं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय दुलाराम जी जो डिटेल दे रहे हैं वह लिखित में पास आन कर दें। इससे समय भी बचेगा और दूसरे मैम्बर्स भी बोल सकेंगे।

श्री दुलाराम : धन्यवाद। मुझे समय मिलना चाहिये। मैं आपके सुझाव को सिर माथे रखता हूं और माननीय अध्यक्ष के आदेश को भी सिर माथे रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का सुझाव अच्छा लगे तो ऐसा कीजिये।

श्री दुलाराम : मैं सदन में पूरी बात बताऊंगा, हो सकता है गृह मंत्री जी भी उसमें शामिल हों। मेरा निवेदन है कि मैं तो मेरी बात पूरी बताऊंगा।

एक बनिये ने 14 गरीब जागीरदारों की जमीन, जो करीब 350 बीघा है, दबा रखी है और काश्त कर रहा है। आज भी काश्त करता है। उसकी काश्त करवाने के लिए केसरी लाल वल्द मथुरादास हैं, यह सब फर्जी हैं। उनको धोखा देकर जो उनके पेट की रोटी थी और जिससे उनका गुजारा होता था वह छीन ली गई। राजनैतिक दवाव से आज तक उनको जमीन नहीं मिली। उनका दावा किया हुआ है एस. डी. ओ. रेवेन्यू रायसिंहनगर के अन्दर। 187 का दावा चल रहा है कि हमारी भूमि पर इस बनिये ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। उसकी रजिस्ट्री मंसूख की जावे। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, विशेष व्यक्ति का मामला नहीं है। एक गरीब का मामला है। मैं निवेदन करूंगा कि मैं आपको रजिस्ट्री दे दूंगा। इसनामा फर्जी है। उस पर मुनीम जो उसका नौकर है और उसकी दुकान पर फसल बेचते है.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिस भूमि पर उनका कब्जा-अवैध तरीके से है, उसको हटाया जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

श्री शिवचरण-सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस फर्म ने धोखा देकर लोगों से पैसा ले लिया है। यह एक पालिसी मैंटर है। पैसे वालों ने किस प्रकार एक्सप्लाइट किया हुआ है और सरकार किस प्रकार संरक्षण दे रही है, इस पर मंत्री जी से स्पष्ट नीति का स्टेटमेंट दिलवायें।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद दो मिनट बोलना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : उसके बाद आप क्या बोलेंगे?

श्री टीकमचन्द कान्त : एस. एम. एस. हास्पिटल में एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, उसके सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : कक्ष में मैंने कहा, मैं समय दूंगा।

मंत्री महोदय।

Page No.59

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अनिल कुमार की फर्म के बारे में कुछ तथ्य रखे हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कानूनी रूप से जो भी सरकार कर सकती है, अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए और कानून की दृष्टि से जो सहायता दी जा सकती है, वह दी जायगी। रहा सवाल यह कि दब जायेंगे तो जिन्दगी में........

श्री दुलाराम : आपको दबा देंगे, यह कहा है। आप तो क्या दब जायेंगे, यह तो हमें मालूम है। आप क्या दबेंगे, लोग दबायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में....

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव अध्यापकों के बारे में दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको जानकारी दी है......

श्री माधोसिंह : उसके लिए नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है।

श्री माधोसिंह : अस्वीकार किया है लेकिन दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : मैं विवश हूं, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया है कि दो बजे तक जीरो आवर चलायेंगे।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर चल रहा है और मार्च में परीक्षायें होंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट दें, ग्रामीण समाज का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नहीं। आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ?

श्री शिवचरणसिंह : किस विषय में ?

श्री अध्यक्ष : यह जो हंसराम शिवचरण सिंह........

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, करौली में हाथ कर्घा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने, हाथ कर्घा बोर्ड ने कुछ पैसे बुनकरों को दिये हैं। एक साल हो गया पैसा दिये उनका उस दिन से ब्याज लग रहा है लेकिन हुआ क्या है राज्य सरकार का कोई विभाग इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सका है कि सूत उनको मिल जाय। उसके बारे में राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हजारों बुनकरों को लोन दे दिया गया और मशीने दे दी गई हैं लेकिन उनको सूत आज तक भी नहीं मिल रहा है। उनका ब्याज उसी दिन से लग रहा है। अगर इस प्रकार से रोजगार देने की बात है तो इससे तो गरीबी और बढ़ रही है। टूल्स दे देंगे और साधन नहीं देंगे तो वे बुनकर क्या करेंगे ? माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो ब्याज नहीं लगे या फिर उनको तत्काल सूत मिल जाय। राजस्थान की सरकार सब्सिडाइज करके बुनकरों को सूत उपलब्ध करायें। जो मशीनें दिलवाई हैं, उनका ब्याज लग रहा है, उसको माफ करवाने की व्यवस्था करें। अगर माफ करने की बात कह देंगे तो मैं इसे वापस ले लूंगा और नहीं किया गया तो यह एक मानवीय प्रश्न है, इसके लिए मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : जो प्रश्न उठाया है। उसका मैं जवाब दे दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो अवश्य दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिवचरण सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। यह समस्या हमारे सामने आई है। राज्य सरकार व उद्योग विभाग इसके लिये बहुत चिन्तित है। जिन लोगों को कर्ज दिये गये हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, वह मेरे ध्यान में है। हमने हाथ कर्घा बोर्ड में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। मैं आशा करके चलता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र जो कष्ट आपने बताये हैं, उसका निराकरण किया जायगा।

श्री शिवचरणसिंह : ब्याज के बारे में भी कह दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: मैं ब्याज के मामले में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं।

श्री शिवचरणसिंह : उनको मशीने दे दी हैं और रा-मैटीरियल नहीं दिया है। मेरा तो निवेदन है कि आप इसकी वकालत कर देना, मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा। आप यह कहिये कि वकालत करूंगा। सारे राजस्थान के बुनकरों का मामला है।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, भीनमाल में नगर पालिका क्षेत्र में हजारों केसेज रेगुलेराइजेशन के पड़े हैं, उनके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भीनमाल में हजारों रेगुलेराइजेशन के मामले पड़े हैं जिनमें अभी तक नियमन की कार्यवाही नहीं हुई है। जिलाधीश, जालौर ने कई फाइलों पर रेगुलेराइजेशन के आदेश दे दिये हैं और पार्टी ने स्टाम्प्स वगैरह भी सबमिट कर दिये हैं। अब स्टाम्प्स की मियाद भी खतम होने को आ रही है उसके बाद भी अभी उनका नियमन नहीं हो रहा है। दूसरे रेगुलेराइजेशन की 1971 की डेट फिक्स की थी मगर वहां 95 प्रतिशत एनक्रोचमेंट है वे 1971 से पहले के हैं। आज जो मौजूदा पजेशन में हैं अतिक्रमण उस भूमि पर, 1460, 1461, 1462, 1463, व 1964 के हैं। परन्तु नगर पालिका जिस दिन से नोटिस देती है तब से अतिक्रमण मानती है। ऐसा करने से नियमन करने में बड़ी लीगल डिफिकल्टी आती है। इस विषय में राज्य सरकार की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट करें, अगर एनक्रोचमेंट लेट हुए हैं तो उनको आपने रेगुलेराइजेशन करने को कहा है क्या? 1971 तक के लिए निमयन करने का तय किया है। उसके बाद अतिक्रमण करने वालों ने अतिक्रमण की भूमि को बेच दिया है तो क्या उसका रेगुलेराइजेशन किया जायगा या नहीं किया जायगा? और नहीं किया जाता है तो जितने केसेज है भीनमाल में उनमें से 95 पर्सेन्ट पक्के मकान डिमोलिस करने पड़ेंगे। भीनमाल नगर पालिका ने मकान गिराने के आदेश भी दिये है इसलिए भय का वातावरण बना हुआ है। एक तरफ राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश निर्देश हैं कि पक्के बने हुए मकानों को नहीं गिराया जायगा दूसरी तरफ भीनमाल नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी इस प्रकार के आदेश दे रहे हैं! मैं माननीय

(श्री सूरजपालसिंह)

मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि भीनमाल नगरपालिका को स्पष्ट निर्देश दिये जाय कि जो पक्के मकान बने हुए हैं, उनको नहीं गिराया जाय। रेगुलेराइजेशन की हजारों फाइलें पेंडिग पड़ी हुई हैं, अधिशासी अधिकारी द्वारा एक भी फाइल को नहीं निपटाया गया है। इन केसेज को फाइनल करके जिलाधीश जालोर ने भीनमाल ई. ओ. के पास भेजे हैं मगर आज तक पट्टा नहीं दिया गया है। उनको स्टाम्प दिए हुए हैं, उन स्टाम्प्स की डेट खतम हो रही है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दें भीनमाल नगरपालिका को कि पक्के मकानों को गिराने की जो प्रक्रिया ई. ओ. भीनमाल ने चला रखी है उसको तुरन्त रोका जाय। अन्यथा लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, रानीवाड़ा डेयरी के सम्बन्ध में मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भी दिया है। एक बार यह प्रश्न यहां पर उठने के बाद उस पर दुबारा चर्चा नहीं होगी इसलिए मैं उस डेयरी के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, रानीवाड़ा डेयरी एक आइडियल डेयरी है। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को सौ मील. का एरिया मोर्टगेज कर दिया गया है जिसमें बाड़मेर जिला आता है, जालोर जिला आता है, सिरोही जिला आता है।····

(व्यवधान)

पाली का भी कुछ भाग आता है, सुमेरपुर तक आता है। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को सौ मील का क्षेत्र मोर्टगेज किया गया है लेकिन राज्य सरकार से जब हम पूछते हैं कि आपकी पशुपालन के लिए, उनके ब्रीडिंग के लिए क्या योजना है तो कोई जवाब नहीं है। पशुपालकों के लिए राज्य सरकार की सभी योजनाएं ठप्प हो गई हैं। यह आयडियल डेयरी रानीवाड़ा की है जिसमें दूध की स्कीम है। सरकार के द्वारा डी. पी. ए. पी. में यह जिला चुनने के बावजूद यहां पर सारे प्रोग्राम ठप्प हैं। पशुओं की कोई बीमारी के इलाज का इन्तजाम नहीं है, ब्रीडिंग का इन्तजाम नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तीन जिलों को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को मोर्टगेज रख दिया है तो उसके बाद में उस डेयरी की प्रोग्रेस भी सरकार को देखनी चाहिए। यहां से डेयरी कमिश्नर गए थे और जानकारी करके आए हैं। इनके जो डायरेक्टर हैं, वह कोई कहां बैठा है। कोई कहां बैठा है पांच लाख के पब्लिक शेयर फ्लोट किए गए हैं दुग्ध उत्पादकों से। पांच लाख रुपयों के शेयर सर्टीफिकेट उनको दे दिए गए हैं लेकिन आज उस डेयरी का क्या हाल है? उसमें करीब 23 लाख का घाटा हो चुका है। वह 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यह मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगाया है। डेयरी डवलपमेंट के श्री एल. सी. सिक्का अधिकारी थे। गवर्नमेंट आफ इंडिया से सेवा निवृत्ति होने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश अच्छा किया है, यह सराहनीय है। प्रोजेक्ट तो एस्टेब्लिश कर दिया लेकिन दूध नहीं लेते हैं और जो दूध लेते हैं तो उसके अन्दर पशुपालकों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है। उस डेयरी के अन्दर लेटेस्ट

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मॉडल की मशीनें लगी हुई है, ग्रौर ग्रार्यदुग्ध प्रोजेक्ट की सब तरह की मशीनें लगी हुई हैं परन्तु उसके बावजूद काश्तकारों को कोई फायदा नही हो रहा है। करीब दो साल हो गए है डेयरी शुरु किए हुए लेकिन ग्रभी तक दस हजार लीटर ग्रौर ज्यादा से ज्यादा पन्द्रह हजार लीटर दूध लेते हैं जबकि दो लाख लीटर का प्रोजेक्ट है। २३ लाख का घाटा हो गया है फिर भी न तो सरकार ग्रपनी डेयरी लगा रही है, न कोई कार्यक्रम है उसके ग्रन्दर। वहां के एम. पी. हुकमारामजी को सेटिस्फाई करने के लिए डेयरी की गाड़ियां जाती हैं, इस इलाके में डेयरी को तो एस्टेब्लिश कर दिया, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बना दी जिसमें पांच लाख के शेयर पशुपालकों के हैं लेकिन ग्रभी तक डेयरी ग्रच्छी तरह चालू नहीं हो रही है। यहां पर सूरजपालसिंह जी बैठे हैं, माधोसिंहजी रेवददर बैठे हैं। इनकी मांग थी कि रेवदर के ग्रन्दर इसको एस्टेब्लिश करें। उसके सम्बन्ध में क्या हो रहा है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 13 चीलिंग प्लांट लगाने की योजना थी, सांचोर में प्लाण्ट लगाने की योजना थी लेकिन ग्राज तक सांचौर का प्लाण्ट शुरू नहीं हुग्रा है। वहाँ पर कर्मचारियों द्वारा स्ट्राइक का नोटिस दिया गया है, वह मेरे पास भी पहुंचा है ग्रौर सिरोही के माननीय सदस्य के पास भी पहुंचा है लेकिन न तो कोई ग्राश्वासन देते हैं ग्रौर न ट्रक वालों को पैसा देते हैं। दूध वालों को पैसा नहीं देते, कर्मचारियों को पैसा नहीं देते ग्रौर जो ग्रच्छे ग्रच्छे ग्रादमी थे उनको भी निकाला जा रहा है। पहले मिस्टर गर्ग थे, वह ग्रब जोधपुर डेयरी के मैनेजर हो गए हैं वह भी छोड़ कर ग्रा गए हैं। एक वहां पर सरदार था जो बहुत ग्रच्छा काम करता था उसको भी निकाल दिया है। कोई थोड़ा सा काम सीखे, उसको निकाल दें। किसी को रखें नहीं। यहां पर डेयरी वाले नए मंत्री जी मौजूद नहीं हैं तो हम किस के सामने भागवत बांचें। इतना महत्वपूर्ण मैटर है, तीन चार जिलों का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रगर यहां पर होते तो उनको बात कहते। यहां पर कोई मंत्री नहीं है जो इन बातों का उत्तर दे सकें। इतना महत्वपूर्ण एडजोर्नमेंट मोशन डिस्कस हो रहा है फिर भी माननीय मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं। उनको बुलाया जावे ताकि इसके बारे में वे कुछ कहें। सारे काश्तकारों का फंट सील कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा की डेयरी कोर्पोरेशन से बातें करें ग्रौर इसकी जल्दी से जल्दी टेक ग्रोवर करने की व्यवस्था करें। इसमें जितनी ज्यादा डिले होगी उतने ही ज्यादा काश्तकार वर्बाद होंगे ग्रौर जो हमारी ग्राशाएं थीं वह सब खतम हो जायेंगी। एक हजार एकड़ जमीन, भीनमाल की सरकारी भूमि, सबसे ग्रायडियल जमीन इस डेयरी को सरकार ने दी है क्योंकि यहां पर बहुत फेमिन पड़ते रहते हैं। डेयरी एस्टेब्लिश होने के बाद जो ग्रच्छी ग्रच्छी किस्म की गायें हैं, थारपारकर ग्रौर राठी किस्म की गायें हैं, उनका ग्रच्छी तरह से ब्रीडिंग हो सके, उनका विकास हो सके ग्रौर उनका दूध कलेक्ट करके पूरे देश के ग्रन्दर भेज सकें, पशुपालकों का दूध बराबर लेते रहें इसलिये यह प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसलिए इसको एक हजार एकड़ जमीन सरकार ने दी थी लेकिन इस समय उनका दूध लेने की कोई योजना नहीं है। दूध वालों को पांच हजार शेयर दिये हैं, लोगों ने शेयर लिए

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माननीय राजस्व मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं...........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नए मंत्री जी अभी तो नए आए हैं, उनको नया पोर्टफोलियो मिला है, उनको यहां पर रह कर सुनना चाहिये और सीखना चाहिए।

(व्यवधान)

नए मंत्री जी आ गये हैं, इसलिए मैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि चार जिलों के लिए पब्लिक लिमिटेड कम्पनी रानीवाड़ा का एक आयडियल प्रोजेक्ट बना है आप उसको जाकर देखें और एम. पी., एम. एल. एज. और जनता के प्रतिनिधि हैं, दुग्ध उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं, उन सब की मीटिंग बुला कर शीघ्र निर्णय करें कि इस डेयरी को अच्छी तरह चलाया जावे। अभी तक इसमें 23 लाख का घाटा हो चुका है। सारा पैसा पब्लिक का है। वैसे तो यह पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है लेकिन सारा पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। पांच प्राईवेट लोगों का, पब्लिक का रुपया है और 95 पर्सेंट गवर्नमेंट का रुपया है-इसलिए इसको गवर्नमेंट द्वारा टेक ओवर करके शीघ्र से शीघ्र डेयरी को अच्छी तरह चलाया जावे। डेयरी अच्छी है और अगर यह चलती है तो इससे एरिया का डवलपमेंट हो जायगा। इसलिये मैं आप से आग्रह करता हूं कि इस बारे में आप कुछ कहें। कम से कम इतना ही कह दें कि इस मामले में शीघ्र ही विचार करूंगा जिससे कम से कम लोगों को जाकर हम यह कह सकें कि माननीय मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। यह मामला बड़ा गम्भीर है और दुग्ध उत्पादकों का मामला है। सरकार इसको जल्दी से जल्दी टेक ओवर करने की व्यवस्था करें।

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रानीवाड़ा डेयरी की योजना का सवाल है मूल रूप से यह किसानों के हित के लिए और पशुपालकों के हित के लिए बनाई गई थी। इसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं शीघ्र ही जानकारी करूंगा और जो भी उचित कदम उठाना आवश्यक समझा जाएगा वह कदम इसके विषय में उठा लिया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने देश और संविधान पर गर्व है। हिन्दुस्तान के अन्दर विविध प्रकार के धर्म हैं। एक धर्म दूसरे धर्म का आदर करता है। दूसरी बात यहां विभिन्नता में एकता है। लेकिन पाली जिले के गांव कोरटा तहसील बाली में एक जैन मन्दिर एक जैन तीर्थ है वहां पर प्रति वर्ष 13-14 नवम्बर को एक मेला लगता है। हजारों जैन लोग आते हैं। वहां पर परम्परा से मेला लगता आया है। जैन लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं परन्तु इस बार कुछ असामाजिक तत्वों ने, मैं कहना चाहता हूं कुछ भाइयों ने एक धर्म के प्रति द्वेष भावना फैलाने की योजना बनाई है। वह कार्यक्रम उन्होंने चालू कर दिया है। सरकार ने तारीख 25-5-1967 को यह आज्ञा जारी कर दी थी कि सारी किताबें और सारा साहित्य जब्त किया जाता है। जगत हितकारिणी, आत्मपूर्ण, अनोप स्वामी की आरती, ये चारों किताबें राजस्थान सरकार ने जब्त कर ली थीं। इसकी प्रतिलिपि मैंने सदन की मेज पर रखी

(श्री मूलचन्द डागा)

है। उस दिन के बाद इस क्षेत्र में जैन और सनातन धर्मी सभी एक-सा व्यवहार करते हैं। एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। हमारे मन में भी दूसरे धर्म के प्रति आदर की भावना है। वहां एक अनोप मंडल नाम की संस्था खड़ी करके सवर्ण जाति के कोई बड़े महात्मा होंगें, उन्होंने एक आन्दोलन शुरू कर रखा है। मैंने और जैन समाज ने हमारे पुलिस अधिकारियों को और कलेक्टर महोदय को इत्तला दी है लेकिन लगातार चार दिन से उसी स्थान पर, जिस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा को जैन लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर मेला लगता है और लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी इस प्रकार की जो कार्यवाही हो रही है, उस कार्यवाही से जैन समाज चिन्तित है। वे साम्प्रदायिक द्वेष की भावना फैला रहे हैं

श्री मदनसिंह दांता : वे क्या प्रचार करते हैं, यह बताइये।

श्री मूलचन्द डागा : उनकी किताबें सारी जब्त करली गई हैं। उनका प्रचार इतना विद्वेषपूर्ण है, आप चाहें तो उदाहरण दे दूं। वे कहते हैं कि ये जो जैन साधु है ये बरसात को बन्द कर देते हैं। बरसात को नहीं आने देते हैं। यह उनका प्रचार है। ये जैन बाहर के रहने वाले हैं। ये हिन्दुस्तान के रहने वाले नहीं हैं। ये यहूदी हैं। ये लंका के रहने वाले हैं। उनका इस प्रकार का प्रचार है।

श्री शंकरलाल : वे यह कहते हैं जैन हिन्दू भाई भाई जैन धर्म कहां से आया ?

श्री मूलचन्द डागा : हमारे भाई शंकरलाल जी ने इस बात को स्पष्ट कह दिया। अनोप मण्डल के अच्छे विचार हैं तो अपने विचारों का प्रचार करें परन्तु यह नहीं कि वे दूसरे के धर्म के प्रति घृणा पैदा करें। धर्म निरपेक्षता में हम विश्वास करते हैं। हमारा संविधान इस पर विश्वास करता है। हम एक दूसरे के प्रति आदर की भावना रखते हैं। हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 25, 26 साफ है। राजस्थान की संस्कृति जहां ऐसी है कि हम आपस में मिल करके रहे वहां इस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि यह वहां पर उग्र रूप धारण करने वाला है। इसलिए आपके द्वारा हमारे गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे आज नहीं है, जो मंत्री बैठे हैं, वे इसको समझते हैं, मुझे आशा है कि वे हमारी बात को उन तक पहुंचा देंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो ऐसा काम करने वाले हैं, उनको रोकें। कानून की धाराएं साफ हैं। इससे ज्यादा अच्छा वक्तव्य हमारे साथी वृद्धिचन्द जी जैन देंगे आप मेहरबानी करके इस पर कदम जल्दी उठाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी समय दूंगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, कोरटा पुलिस स्टेशन सुमेरपुर जिला पाली में जो जैन मन्दिर है, उस जैन मन्दिर में कार्तिक पूर्णिमा को हर वर्ष मेला भरता है। इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा को 13-14 नवम्बर को मेला भरेगा। इस अवसर पर जो अनोप मण्डल है उसने विरोध के रूप में उसी स्थान के पास ही मेला लगाने की योजना बनाई है। इससे अशांति की

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

स्थिति पैदा हो सकती है। वहां मेला लगातार हमेशा से भरा जाता है। अनोप मण्डल भी वहां पर मेला लगाएगा तो वहां पर ब्रीच ऑफ पीस का अन्देशा है। इस लिए मेरा यह निवेदन है कि गृह विभाग ऐसे लोगों, जो इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं या साम्प्रदायिक द्वेष की भावना का प्रचार कर रहें हैं, के खिलाफ 107 के माफिक जो ब्रीच आफ पीस का है जिससे हिंसा भड़कती हो, 151 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत कार्यवाही करके एक्शन लिया जाए ताकि जो लोग मेले में आवें वे शान्ति से अपने धर्म का पालन कर सकें और वहां पर कोई डिस्टर्बेंस न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह (रेवदर)।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज नवम्बर का महीना चल रहा है, नया सत्र प्रारंभ होने के बाद, जितने प्राइमरी स्कूल खोले गये थे, उनके अलावा जो प्राइमरी स्कूल पंचायत समिति लेवल पर हैं, उनके अन्दर एक तिहाई स्थान अध्यापकों के आज खाली पड़े हैं। वहां पर अध्यापकों की कमी है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि यह समस्या आज से नहीं है, यह समस्या मेरे यहां पांच साल पहले भी थी। परन्तु अब यह समस्या इसलिए पैदा हुई है की डी. ई. सी. अध्यापकों की नियुक्ति करती है। जो एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापक होते हैं, उनकी नियुक्ति की समस्या है। पहले विकास अधिकारी, पंचायत समिति को यह अधिकार था कि स्थान खाली है तो वह टेम्प्रेरी अध्यापक की नियुक्ति कर लेती थी। बाद में उसको एस. टी. सी. की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। पंचायत समिति का यह अधिकार छीन लिया गया है। अब डी.ई. सी. अध्यापक का चयन करती है। डी. ई. सी. की मीटिंग चार-छः महीने में होती है। इसमें समय लग जाता है। साक्षात्कार नहीं हो पाता है इस वजह से अध्यापकों की कमी महसूस हो रही है। हम गांवों के विकास की बात कहते हैं। गांवों के विकास की जो रूट है वह लोगों को शिक्षा देना है जो अध्यापक आजकल नये नये आते हैं उनके द्वारा लोगों को शिक्षा देने का आपका दृढ संकल्प है तो उनके लिए आप ध्यान दें। अध्यापकों की समस्या हमेशा से चली आ रही है। जो विकास अधिकारी हैं पंचायत समिति के लेवल के ऊपर, उनको, मेरा अगर आप सुझाव मानें, टेम्प्रेरी तौर पर ही अधिकार दे दें कि हायर सैकेण्डरी पास अध्यापकों को नियुक्ति दे दें--

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बाद में चाहें तो आप उनको उस पद से हटा दें। आज पांच महीने हो गये। जुलाई से सत्र चालू हुआ था अब दिसम्बर आने वाला है, स्कूल खाली पड़े हैं। हम सोचते हैं कि हम गांवों का विकास करते हैं तो एक तरफ तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाते हैं और दूसरी तरफ छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है।

(श्री माधोसिंह)

दूसरा डेयरी इन्टरप्राइजेज पर दो शब्द कहना चाहूंगा। इसमें भी मेरा नाम था पर मैं बोल नहीं सका। सिरोही जिले में मेरा क्षेत्र आता है। मैं सारी स्थिति निवेदन करूंगा। यह काफी एरिया कवर-अप करने वाली डेयरी है। इसे आनन्द डेयरी के मुकाबले की बनाना चाहते थे। यह कहते थे कि मिल्क पाउडर, बटर, चीज वगैरह आइटम बनेंगे। लेकिन अब ? कुल बैंकों का पैसा लगा हुआ है। मैं तो कहूंगा, वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सिक्का हैं, उनको धन्यवाद दूंगा वे रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने अपने प्रयत्नों से यह कार्य हाथ में लिया था। लेकिन उनका जो रवैया है उससे वहां के कर्मचारी और वहां के अधिकारी सभी में असंतोष है। मेरे जिले से एक नहीं हजारों व्यक्ति होंगे डेयरी में लेकिन आज चिलिंग प्लान्ट की स्थिति यह है कि अस्तव्यस्त हाल में पड़ा है। जब कि इस तरह का आश्वासन था कि एक लाख लीटर दूध पहुंचना चाहिये वहां दस-हजार लीटर पहुंचता है। जिस डेयरी के लिए 3 करोड़ खर्च हों वहां 10 हजार लीटर दूध पहुंचे यह क्या मजाक है। इसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर सही तरह की व्यवस्था नहीं होती तो माननीय रघुनाथ जी ने तो कहा 23 लाख का नुकसान तो हो गया, मैं निश्चित रूप से कहता हूं 23 लाख का नुकसान तो हो ही चुका है इसी तरह से अगर मैनेजिंग डायरेक्टर सिक्का वहां रहे तो मैं सोचता हूं यह नुकशान 50 लाख तक का हो जाएगा। फिर आनन्द डेयरी के मुकाबले राजस्थान में इस डेयरी को लिया जाना चाहिए था लेकिन इसका कोई प्रचार नहीं है। राजस्थान की जनता तक को पता नहीं तो हिन्दुस्तान में तो क्या प्रचार होगा। इसको रन करते हुए 3 साल तो हो गए। माननीय कृषि मंत्री जी यहां नहीं हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं अनुरोध करूंगा कि वे खुद इसे अपने हाथ में लें, इसका हिसाब चैक करायें ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हिसाब में कोई गलती नजर आ रही हो, अगर कोई घपला हो तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे और पैसे की हिफाजत की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार जी !

श्री सुरेश कुमार : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपको भी।

श्री सुरेश कुमार : मैंने 6 तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था कि उत्तर प्रदेश से भरतपुर की, राजस्थान की सीमा मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में काला ज्वर, जिसको अंग्रेजी भाषा में एन्सीफ्लाइटिस कहते हैं, पिछली 12 तारीख से बढ़ता चला आ रहा है। श्रीमान, आज भी राजस्थान के मुख्य पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है। बहुत से विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका प्रकट की है कि दिसम्बर तक संभावना है, यह ज्वर राजस्थान की सीमाओं में फैल जाएगा। श्रीमान मुझे सूचना मिली है कि करीब 18 व्यक्तियों के ऐसे मामलें हैं जो इससे पीड़ित होकर भरतपुर के इलाके के अस्पतालों में इलाज के लिए आए हैं। यह मैं नहीं कहता कि

(श्री सुरेश कुमार)

राजस्थान के लोग हैं । यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के हों लेकिन, श्रीमान, मैं राजस्थान की सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि, यह एक ऐसी बीमारी है जिसके फैलते देर नहीं लगेगी । इसलिए अगर पहले से प्रबन्ध रखें तो अच्छा है, मैं चिकित्सा मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे आबकारी विभाग में पुलिस के उड़न दस्ते रखे जाते हैं, श्रीमान, जो इस बीमारी के जानकार हों उनका एक उड़न दस्ता भ्रमणशील इकाई भरतपुर की सीमा पर तैनात कर दिया जाय। श्रीमान, इसके लिये चाहे कितना पैसा लगे। मैं समझता हूं कि जो आने वाली संभावना है उससे बचाव के लिए हम तैयारी कर लें तो यह बहुत अच्छा होगा । मैं समझता हूं कि चिकित्सा मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और इसकी रोकथाम के लिए एक भ्रमणशील इकाई, एक टीम भरतपुर क्षेत्र में लागू करेंगे--

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने एनफलाइट्स बीमारी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह एक मस्तिष्क शोथ की बीमारी है । जिसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने समुचित कदम उठा लिये हैं। यह बीमारी इस तरह की है कि जिसका उपचार एक वैक्सीन द्वारा होता है जो भारत सरकार द्वारा प्राप्त होती है । इसलिए भारत सरकार से भी सम्पर्क साधे हुए हैं तथा यह व्यवस्था भी करली गई है कि ज्यों ही जिस स्थान से भी सूचना मिलेगी, तुरन्त वहां पर वैक्सीन पहुंचा दी जायेगी । राज्य सरकार रोग के उपचार में सतर्क है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी ।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर रखा है । परिवार नियोजन बड़ी अच्छी चीज है, मानता हूं और इसके लिये जो तरीका निकाला गया है कि संसार में पैदा होने के पहले ही बच्चे का आगमन रोक दिया जाय यह तरीका ठीक है । लेकिन सवाई मानसिंह हास्पिटल , जहां बालकों का वार्ड है, में एक नया तरीका ईजाद हुआ है । वहां पैदा होने के बाद नवजात शिशु को खत्म कर दिया जाता है । डा. शंकुन्तला सक्सेना सबसे अधिक लापरवाह, सबसे अधिक हठ-धर्मी नारी डाक्टर है । वह बालकों के रोगों की विशेषज्ञ है, इस वार्ड की हैड हैं । उनके कारण एक नया तरीका परिवार नियोजन का चालू हो गया है । मैं कहता हूं कि जितने लोगों ने वहां बच्चों का इलाज करवाया है उनसे यदि बारी बारी से पूछा जाय तो मालूम होगा कि इसी डाक्टर के कारण अनेकों बालक स्वर्ग सिधार गये यह डाक्टर वहां वर्षों से बैठी हुई है । यह बात तब आई सामने अध्यक्ष महोदय, जब बेबी प्रसा नाम की प्रभात शर्मा की बच्ची की मृत्यु हो गई । मैं यह जानकारी पहले दे देना चाहूंगा कि प्रभात शर्मा की पत्नी का जो ब्लड है वह आर. एच. नेगेटिव है तथा उनके यहां जो बच्ची जन्म ले चुकी है उसके बाद अब कोई बच्चाजन्म नहीं ले सकता। 15 दिन की बच्ची का यह दुर्भाग्य था, प्रभात शर्मा और उनकी पत्नी का भी यह दुर्भाग्य था कि वे इलाज हेतु शकुन्तला सक्सेना

Page No.68

(श्री टीकमचन्द कान्त)

के वार्ड में आये। अगर उनकी बच्ची को और कहीं भर्ती करवा दिया गया होता तो मैं समझता हूं यह दुर्भाग्य पूर्ण घटना नहीं होती। अगर उस बच्ची को किसी दूसरी जगह भर्ती करवा दिया होता तो मेरा विश्वास है कि वह जरूर जी गयी होती। उसको भर्ती करने के बाद उसे असिस्टेन्ट डाक्टर ने देखा और कहा कि मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि इसे सैप्टी सिमिया है या हार्ट की बीमारी है। डाक्टर शकुन्तला निवास दिया गया है हास्पिटल के अन्दर ही। जब हास्पिटल में निवास दिया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि उस डाक्टर को किसी भी समय किसी भी गम्भीर मरीज को देखना चाहिएँ। इसीलिए ही तो उनको अस्पताल में निवास दिया जाता है। उनको अस्पताल में अलग बंगला दिया गया। 30 तारीख को, अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि डाक्टर शकुन्तला छुट्टी पर थी। छुट्टी पर भी हो सकती है, लेकिन वह तो जा रही थी घूमने के लिए बाहर सैर सपाटे के लिए उस समय उस बच्ची के माता-पिता उनके पास जाकर गिड़गिड़ाये, हाथ जोड़े और कहा कि मुश्किल यह है कि आप जब तक नहीं देखेंगी तब तक दूसरा डाक्टर भी नहीं देखेगा। उसके हार्ट की बीमारी है तो हार्ट की बीमारी वाला डाक्टर लायेंगे, लेकिन आप अगर नहीं कहेंगी तो कोई नहीं आयेगा। आप चल कर एक बार उसको देख लें। परन्तु उन्होंने ब्लन्टली मना कर दिया और कह दिया कि आज मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हास्पिटल में कोई मरे या जिये, मैं यह कहती हूं कि मैं नहीं आ सकती। अध्यक्ष महोदय मुझे ऐसा हुआ है इनकी आदत का कि जब वार्ड में जाती है तो एक एक बच्चे के लिए पूछती हैं कि क्या वह या यह बच्चा अभी तक मरा नहीं। ऐसी वह क्रूर है। इससे वे डर गये और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के पास पहुंचे। हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी वड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने तुरन्त टेलीफोन किया डाक्टर शकुन्तला सक्सेना को। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे की ऐसी गम्भीर हालत है तो उसको तुरन्त देख लिया जाय। वह सैर सपाटे पर जा रही थी बाहर इसलिए उसने मंत्री महोदय को तुरन्त कह दिया कि मेरी तो तबियत खराब है..........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन्होंने अस्पताल में टेलीफोन किया कि बच्चे को दिखाने के लिए घर पर ही ले जाया जाय। उस समय बच्चे को ड्रिप चढ़ रही थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था। वहां के डाक्टर ने उनसे कहा कि बच्ची को वे अपनी स्वंय की जिम्मेदारी पर ही लेजा सकते हैं अतः वे नहीं गये डाक्टर शकुन्तला के घर उन्होंने, अध्यक्ष महोदय, वहां के ड्यूटी पर के डाक्टर से कहा कि हार्ट स्पेशलिस्ट जो डाक्टर हैं उन्हें बुला लिया जाय तो उन्होंने मना कर दिया कि बिना डाक्टर शकुन्तला की अनुमति के वह वार्ड में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अगर आप हैल्थ मिनिस्टर साहब को कह दे तो ही डाक्टर बलदेव साहब आ सकते हैं। उन्होंने हैल्थ मिनिस्टर साहब को कहा तो उन्होंने डाक्टर बलदेव साहब को कहा कि वे उस बच्चे को देखलें। डा० बलदेवा जब तक पहुंचे तब तक उस बच्ची का बहुत थोड़ा सा समय जिन्दगी का बाकी रह गया था। उसके पश्चात् जब डाक्टर बलदेवा वार्ड में पहुंचे। तो उनके साथ में वहां के डाक्टर द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। उनको कहा गया कि आपने प्रवेश कैसे ले लिया वार्ड के अन्दर।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

यह वहां के असिस्टेंट डाक्टर ने कहा। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद डा० शकुन्तला ने भी उनको फटकारा कि उन्होंने कैसे वार्ड में प्रवेश ले लिया। मंत्री महोदय., कैसे वार्ड में प्रवेश करवा सकते हैं। वार्ड में मेरी मर्जी होगी वैसा होगा। इसका यह कैसा एटीट्यूट है? अध्यक्ष महोदय, जब वह वार्ड में जाती हैं तो पूछती हैं कि वह बच्चा अभी तक मरा या नहीं। यह बच्चा अभी तक क्यों जी रहा है? इस प्रकार की एक डाक्टर इतने वर्षों से यहां कैसे बैठी हुई है। इस डाक्टर को भी अभी तक क्यों नहीं हटाया जा रहा है? मैं चाहता हूं कि ऐसे डाक्टर को भले ही आप बैठे बैठे तनख्वाह दे दें, राजस्थान की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई में से यदि आपमें उनको निकालने की शक्ति नहीं है, लेकिन उनके हाथ में ऐसा काम मत दें।

श्री मूलचन्द डागा : उसके बच्चे हैं कि नहीं?

श्री टीकमचन्द कान्त : मुझे मालुम नहीं है।

श्री माधोसिंह रेवदर : वह डाक्टर है या डाइन?

श्री टीकमचन्द कान्त : आप मालूम कर लें।

मैं निवेदन करूंगा कि आज ही इस बात का निर्णय ले लें। आज ही इस बात पर, अध्यक्ष महोदय, विचार करें और डाक्टर शकुन्तला को युनिट हैड से हटा दें।

श्री मूलचन्द डागा : No enquiry she should be punished.

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर हास्पिटल का ही सवाल नहीं है यह जिन्दगी और मौत के बीच का सवाल है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह गम्भीर मसला है। यह बिल्कुल सही है तो कार्यवाही की जाए।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, एक मुख्य चीज रह गई है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, विचार करेंगे।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कह दूं। सक्शन हेतु अस्पताल में सक्शन पम्प होता है। जब उस बच्चे के मुंह से पानी व झाग आने लगे तो सक्शन के लिए कहा गया तब कह दिया कि सक्शन पम्प खराब पड़ा है। दूसरे वार्ड से भी नहीं मंगवाया गया। सक्शन पम्प नहीं मंगवाया गया। आक्सीजन तब दिया गया जब कि बच्ची काली पड़ने लगी। और वह भी तब जब कहा गया कि बच्ची को अब तो आक्सीजन दो। एक्स-रे भी 4 घन्टे के पश्चात् लिया गया। एक्स-रे की मशीन की ट्राली भी उस बच्ची का बाप घसीट कर लाया। यह कैसी व्यवस्था है इस हास्पिटल की जहां कि जीवन और मरण का संघर्ष होता है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक प्रज्ञा नाम की बच्ची 30 तारीख को एस. एम. एस. हास्पिटल के बच्चा विभाग में लाई गई थी। वह बहुत गम्भीर स्थिति में लाई गई। उस दिन डा० शकुन्तला, जिनके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है, अवकाश पर थी।

(श्री स्वास्थ्य मन्त्री)

इसलिए डा० मीनाक्षी शर्मा, जो कि युनिट इंचार्ज है ,और डा० उषा शर्मा, जो कि रीडर हैं, के इलाज में बच्ची रही । वह गम्भीर स्थिति में लाई गई थी । इलाज चालू था । बच्ची के जो गार्जियन थे वे चाहते थे कि डा० सक्सेना, जो इस विभाग की इंचार्ज है, बीमार को देख लें ताकि बच्ची के माता-पिता को आत्म- संतोष हो जाय । ये डा० सक्सेना के पास घर पर गये किन्तु अवकाश पर होने के कारण बीमार को देखने में असमर्थता प्रकट की । उन्होंने घर पर दिखाने के लिए कहा किन्तु बीमार को घर पर नहीं ले जाया जा सकता था । उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि बीमार को डा० सक्सेना । देख लें । उसी वक्त मैंने डा० सक्सेना को टेलीफोन किया तो उन्होंने बताया कि वे बीमार हैं, पैर में सूजन है और सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती । इसीलिए अवकाश पर हैं । उन्होंने डा० उषा को फोन किया और सारी स्थिति की जानकारी की और उनको इलाज के संबंध में हिदायत दी । सब संभव इलाज चल रहा था लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ती गई । उन्होंने फिर मेरे पास टेलीफोन किया कि बच्ची के हार्ट में तकलीफ है तो उसकी जांच के लिए डा० देवाल को दिखला दिया जाय । चूंकि अन्य डाक्टर का युनिट है इसीलिए मैंने फोन से तुरन्त डाक्टर बलदेवा को टेलीफोन करके कहा कि आप तुरन्त जाय और उस बच्ची को देखें ताकि बच्ची के माता-पिता को संतोष हो सके । मेरी सूचना पर वे गये और उन्होंने उसको देखा । डा० देवाल का वहां जाना वहां के डाक्टरों को पसन्द नहीं आया । उन्होंने देख कर जो इलाज सुझाया वह मान्य नहीं किया गया । इस संबंध में मैंने एस. एम. एस. मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल के प्रिंसिपल और कंट्रोलर श्री जी. सी. शर्मा को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है । उनकी जांच रिपोर्ट आते ही जो भी उचित एक्शन होगा, लिया जायगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव है.....

श्री अध्यक्ष : मुझे प्रस्ताव मालुम है माननीय श्योपतसिहजी, लेकिन आप स्वंय तो बैठ गये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं और गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं ।

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलना हो तो बोलिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है वह इस संबंध में दिया है कि दौसा में जयपुर मिनरल सिन्डिकेट प्राइवेट लिमिटेड की सोप स्टोन की एक यूनिट चल रही है । उसमें करीब 261 मजदूर कार्यरत थे । कम्पनी की इस यूनिट में वर्कर्स को पैसा समय पर नहीं दिया जाता है । जब हड़ताल होती है तो वहां के लोग बड़े अधिकारियों से मिल कर उनका शोषण करवाते हैं । जो अधिकारी मजदूरों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए नियुक्त हैं उन्हीं अधिकारियों का रवैया ऐसा लगता है कि पूंजीपतियों के दलाल होकर मजदूरों का शोषण करवा रहे हैं । इसी का नतीजा यह है कि एक दिन भी समय पर उनको मजदूरी नहीं दी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है। सरकार के तय करने के बाद भी उन्होंने अपने मनमाने तरीके से 4 पर्सेन्ट का बोनस देने के लिए कहा। उन मजदूरों ने समय समय पर मैनेजमेंट का ध्यान और लेबर डिपार्टमेंट का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर खींचा लेकिन वे लोग इतने प्रभावशाली हैं कि मजदूरों के हक में कोई कदम नहीं उठाया गया। अन्त में लोगों ने मिल कर 9 सितम्बर, 78 से इस कन्सर्न के क्लोजर के लिए, इसकी तालाबन्दी के लिए नोटिस दिया। क्लोजर के लिए यह नियम है कि कोई भी कारखाना बन्द करे तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 के तहत कम से कम इस तरह का नोटिस दिया जाना चाहिये, ऐसे कारण देने चाहिए जो रीजनेवल हों। उसकी सरकार द्वारा जांच की जायगी। जांच करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंचे या लेबर की डिपार्टमेंट इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कन्सर्न को चालू रखना इन कारणों की वजह से संभव नहीं है तो तालाबन्दी होगी। लेकिन यह कुछ नहीं किया गया। नोटिस के बाद मजदूरों ने आर्बिट्रेशन के लिए पेश किया। उन लोगों ने लेबर मिनिस्टर साहब से भी अप्रोच की। उनसे बात करने के बाद कन्सर्न के अधिकारी आये और यह कहा कि हम इसको चालू नहीं रख सकते। मजदूरों के प्रतिनिधि लेबर मिनिस्टर साहब से मिला। मैं भी लेबर मिनिस्टर साहब से मिले। बार-बार प्रयास किया गया लेकिन लेबर मिनिस्टर साहब के बुलाने के बावजूद वे लोग नहीं पधारे और ड्यू टाइम पूरा होते ही आर्बिट्रेशन फेल हो गया। 9 महीने तक लेबर डिपार्टमेंट में यह केस रखा गया और कोर्ट में नहीं भेजा गया। आज वह केस कोर्ट में चल रहा है। इन्होंने 8.33% बोनस दिया है और जो पेमेन्ट करना चाहिए वह किया है। जो इस मिल के अन्दर स्वीपर और अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का पानी बन्द कर दिया। इन्होंने तालाबन्दी के लिए जो रीजन लिखा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा वह किसी भी कानून में तालाबन्दी के लिए काफी नहीं है, "आर्थिक स्थिति साउन्ड नहीं होने की वजह से इसको चालू रखना सम्भव नहीं है" "in view of the deteriorating financial condition and difficulties, it is not possible for the company to run this unit."

जब कि वास्तविक स्थिति यह है कि बैलेंस शीट के मुताबिक इनको 1976 में 1 लाख 44 हजार का मुनाफा हुआ और 1977 के कागजात पेश नहीं किये....

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

मैं अभी दो मिनट में समाप्त कर रहा रहा हूं।

इन्होंने मैनेजमेंट का खर्च ज्यादा से ज्यादा दिखा कर नुकसान दिखाने की कोशिश की। जो बैलेंस शीट है उसमें 3 लाख 54 हजार का मुनाफा है और यह कह रहे हैं कि फाइनेन्सियल कण्डीशन साउण्ड नहीं है। कुछ मशीनें इन्होंने दूसरी जगह ले जाकर रख दी हैं। इस प्रकार मजदूरों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस फर्म के नाम 1976 में 14,86,786 रुपये इन्होंने डेबिट कर रखें हैं और एक पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। सन् 1973, 1974 और 1975 हर साल 14 लाख से 18-19 लाख रुपया इन्होंने काम में लिया है। आज

(श्री मूलचन्द सामरिया)

भी यह कन्सर्न मुनाफे में चल रही है। यह मजदूरों का शोषण है। मिनिस्टर साहब की बात पर कन्सर्न के लोग कोई तवज्जह नहीं देते। प्रोफेसर साहब शायद हैल्पलैस हैं। इनसे भी बड़े लोगों के हुक्म पर वे लोग मिल को बन्द करना चाहते हैं क्योंकि ये मजदूर उनकी चमचागिरी में नहीं रहते और किसी भी तरह से राजनैतिक आधार पर संबंधित नहीं हैं, एटक और सीटू के हैं। बड़े लोग इनमें इण्टरफीयर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 266 मजदूरों की रोटी-रोजी का सवाल है। सरकार के बार-बार बुलाने पर भी वे लोग नहीं आये इसलिए, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि सरकार उन सेठों को बाध्य करें। सरकार इस कन्सर्न को टेक ओवर करे और सरकार नहीं करती है तो उसकी माइनिंग लीज को कैंसिल किया जाय। तालाबन्दी करके वही सेठ उसको दूसरों को देकर उनके नाम से चलाना चाहते हैं मजदूरों को बेकार करना चाहते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप अपने पद का उपयोग कर 266 मजदूरों की व्यवस्था करें। इतना ही निवेदन है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव रखा है, कामरेड रामकृष्णदास गुप्ता और मैंने दोनों ने·······

श्री रतनलाल वर्मा : कामरेड कब से हो गये ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : I can call you also as comrades.

श्री अध्यक्ष : अस्पष्ट है, माननीय सदस्य, गांवों और शहरों में·········

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं पढ़ दूं, अध्यक्ष महोदय। जनता सरकार के 18 माह के शासन के बाद गांव तथा शहरों के लोगों की आवास समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। गांव और शहरों के गरीब लोगों की आवास समस्या का फौरन इन्तजाम किया जाय अन्यथा हजारों लोगों के सामने आन्दोलन करने और जलूस निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है। जयपुर में कल से गिरफ्तारियां शुरु हो गई हैं।

यह पहली दफा महसूस किया जा रहा है कि हमारे यहां मन्त्रियों की फौज 21 हो गई इसके बाद भी मुख्य मंत्री जी दो दिन से लगातार गैर हाजिर हैं। अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी रही है कि जब सैशन चलता है तो हर मंत्री इस बात को महसूस करता है कि वह सदन में बैठे और जो सुझाव आयें, जो सवाल उठाये जाएं उनका समाधान करें, यही पर्पज है। मैं पहली दफा यह महसूस कर रहा हूं कि किसी को परवाह नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि सदन की बैठक की किसी को परवाह नहीं है। उनकी दृष्टि में इसकी कोई इम्पोर्टेन्स नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये घबराये हुए हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शुक्र है कि चिकमंगलूर का तूफान शांत हो गया। बम्बई में जो हवा चली उससे विरोधी पक्ष भी शांत है। तो फिर कल तूफान लाने की जरूरत क्या थी ? आज ठंडे क्यों हो गये ? जनता झटके दे रही है, यह शुभ लक्षण है। हम इस इंतजार में है कि पहले तिरंगा झंडा देखा, फिर दुरंगा, फिर हमारी बारी आएगी।

श्री खेतसिंह राठोड़ : वह दिन नहीं आएगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : त्रिपुरा में आपका जीरो आया है । खैर कोई बात नहीं । पूरब से सूरज उग रहा है, धीरे धीरे रोशनी आएगी ।

जयपुर में आवासीय समस्या हर रोज भयंकर रूप धारण कर रही है। इसका कोई समाधान निकालने वाला न तो कांग्रेस में था न जनता पार्टी में। जब बेकारी हो, सूखे से पीड़ित हो बाढ़ से पीड़ित हों तो स्वाभाविक बात है कि गांव का वह व्यक्ति मजबूर होकर शहर की तरफ रोजगार की तलाश में आता है। सरकार की तरफ से बाहर से आने वालों के लिए रवीन्द्र रंगमंच पर व्यवस्था है, विदेशों से जो हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए फाइव स्टार होटल्स हैं, सेठों की धर्मशालायें सेठों और दूसरे लोगों के लिए मौजूद हैं। मगर किसी ने कभी सोचा है कि गांव का भूखा खेतीहर मजदूर जब रोजगार की तलाश में शहर में आता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या ? कोई नहीं है। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लावारिस की तरह आता है और यहां झोपड़ी बना लेता है। सरकार की पुलिस तलाश में रहती है कि कौन झोपड़ा बनाता है। वह उसको उजाड़ देती है। इसी तरह से दिनों दिन गांवों में बेरोजगारी फैल रही है और शहरों के अंदर आबादी बढ़ रही है। मेरा खयाल था कि जनता पार्टी के जो नेता लगातार इस सदन में विरोधी दल के नेता रहे, जिनका जनता से सम्पर्क रहा, मैं सोच रहा था कि वे बैठकर सोचेंगे। जब इस सदन का पहला सत्र शुरु हुआ उस समय भी मैंने कहा था मुख्य मंत्री से कि शहरों में अगर कोई सबसे बड़ी विकट समस्या है तो आवास की है। आप सारे वायदे पूरे नहीं कर सकते, मेहरबानी करके 2-4 सवालों को ही लीजिए। मुख्य सवाल है शहरों की 50 प्रतिशत आबादी, राजस्थान में तमाम गांवों की आबादी का कहीं 25, कहीं 30, कहीं 40 प्रतिशत गंदगी के ढ़ेर में रहता है। न वहां पर कोई सड़क है, न बिजली है और न स्कूल है।। वे जानवरों की तरह रहते हैं, सूअर के बच्चों की तरह रहते हैं, शहरों की गंदी बस्तियों में आबाद हैं। तो फिर क्यों नहीं इस समस्या को हल किया जा रहा है ? बार बार प्रदर्शन हुए। कोई सैशन बगैर झुग्गी झोंपड़ी वालों के सवाल के नहीं हुआ। वे लोग कोई सीटू, जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। वे आम जनता के हैं जिन्होंने कांग्रेस को गद्दी पर बिठाया, आपको भी बिठाया मगर फिर भी उनकी समस्या की तरफ कोई अब तक ध्यान नहीं दे रहा है। आज उनको फिर मजबूर होकर अपना आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है। पिछले सत्र में जो भी वायदे किए गए, उन्होंने 18 महीने तक उन वायदों की पूर्ति का इंतजार किया। उन्हें बसाया जायगा, चौपड़ पर भैरोंसिहजी की भाषण के दौरान कभी न कभी उन पर नजर जाएगी, यह उनको इंतजार था लेकिन आज विवश होकर उन्होंने गिरफ्तारियां देना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में औरतें गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं। कल भी लोग सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारी देने के लिए आए। जनता को जेल जाने का शौक नहीं है, अगर शौक होता तो सारे राजनेता जेल में होते। झुग्गी झोपड़ी वालों ने फैसला किया है वह मैं आपके मार्फत सदन में रखना चाहता हूं। उन्होंने फैसला किया है कि सरकार

(श्री श्योपत सिंहमकासर)

व्यवस्था करे कि उनको कहां बसाना है, कहां नहीं । जयपुर के महलों के चारों तरफ खाली जगह है वहां यदि उनको नहीं रखना चाहते तो वे शहर के बाहर जायेंगे । खाली जगह शहर में बहुत है वहां उनको नहीं बसाते तो बाहर जाने के लिए वे तैयार हैं मगर कोई न कोई रास्ता बताइए । या तो जहां वे बैठे हैं वहां उनको बैठने दीजिए नहीं तो दूसरा आल्टरनेटिव दें । अगर आप नहीं करेंगे तो उनमें कब्जा करने की हिम्मत आएगी । अभी गरीब संगठित नहीं हैं लेकिन वह समय जल्दी आएगा, वे इंतजार नहीं करेंगे । फिलहाल उन्होंने एक फैसला किया है कि अगर सरकार उनको वहां पर नहीं बसने देना चाहती , हमारी सरकार फैसला नहीं करती है तो वे जेल में जाकर रहेंगे । चाहे औरतों पर लाठी चार्ज करें उन्होंने तय किया है कि अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो वे जेलों में जाएंगी ।

तो मैं आपके मार्फत जो भी मंत्री महोदय बैठे हैं, आपकी सामूहिक जिम्मेवारी है, चाहे वे महसूस नहीं करें, चाहे आवासन मंत्री महसूस न करें, मैं सलाह देना चाहता हूं जनता पार्टी के नेताओं को कि मेहरबानी करके समय रहते इस समस्या का समाधान करें वरना आंदोलन होगा । आपको यह लोग आराम से रहने नहीं देंगे, शहरों के बीच खाली जगह नहीं पड़ी रहने देंगे. आपकी पुलिस उनको नहीं रोक सकेगी.....

श्री गुल मोहम्मद : आपने ही यह समस्या खड़ी किया है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरी बात सुनिए ।

श्री गुल मोहम्मद : इसकी जिम्मेदारी आप पर है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर: हम अपना हक मांगते हैं । गद्दी पर बैठे हो कुछ ध्यान रखो । कोई दान नहीं दे रहे हो.....

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : आप क्या कहते हैं ? लोगों ने यह बिजनेस बना रखा है । आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनको वाकई जमीन की जरूरत है । बाकी लोगों ने तो बिजनेस बना रखा है ...

(व्यवधान)

10 दिन के लिए कोई शहर में आ जाता है तो वह कोई उस शहर का बाशिंदा नहीं हो जाता । कई लोग हैं जिनके 4-4, 5-5 मकान हैं वे भी झुग्गी झोपड़ी में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमको बसाया जाए । आखिर कोई आधार होना चाहिए कि कितने सालों का बाशिंदा होना चाहिए .....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, सदन में कुछ शालीनता तो होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : जो मंडी विकास समितियां हैं......

(व्यवधान)

जो प्लानिंग थी वह कागजों में है और गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं !....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय मंत्री महोदय, अपनी फौज को समझाइये ।

(व्यवधान)

फिर आप यह कहेंगे कि हमारे मैम्बरों को बोलने नहीं दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : दो चार कोस पर गांवों में सब के घर हैं। शहर में जाने का मतलब क्या है ? इसलिए कि गांवों में इन्डस्ट्रीज नहीं हैं.........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो गूंज रहे हैं यह सदस्य जायें अपने क्षेत्र में और मीटिंग करें तो पता लगेगा कि अनाज किस भाव विकता है.......

श्री गुल मोहम्मद : हमने तो बहुत कीं। आपने कितनी की ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सिवाय असेम्वली के और कहीं भाषण नहीं दे सकेंगे। मुझे इन पर तरस आता है। यह यहां पर बोलते हैं। यहां पर कूदते हैं। जनता में जायें, जवाव तो दें। सब लोगों को बेईमान समझ कर यह ईमानदार कहां से आ गये......

(व्यवधान)

मेरे पड़ोस में रहते हैं। तुम इस असेम्बली में दुबारा आ जाओ तो मुझे बता देना। हिम्मत नहीं है दुबारा आने की।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : यह निराधार बात है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्योपतसिंहजी, यह भविष्यवाणी कब से करने लगे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे मालूम है आपकी मौत कहां है ? कांग्रेस का भी मालूम था। आज जनता को बेईमान कहते हो। जो गरीबों को बेईमान बताता है, उसका एक ही हस्र होता है। उसका एक ही इलाज होता है। लोग उसे फेंक देते हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : तहसीलदार को और प्रशासन को लिख कर दें कि उसके कोई घर नहीं है फिर मानेंगे कि हां उसका दुनिया में कोई घर नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको यही पता नहीं है कि कहां की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं जयपुर की बात कर रहा हूं।

श्री गुल मोहम्मद : हम भी जयपुर के बारे में बोल रहे हैं। आप इस तरह के गलत तथ्य सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर मेरी समस्या, जो मैंने आपके सामने रखी, माननीय सदस्य गलत समझते हैं तो मुझे एतराज नहीं है। आप फैसला कीजिए। हुकूमत आप की है। मैंने उनकी समस्या आपके सामने रखी है। मैं अमीरों की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं गरीबों की पैरवी कर रहा हूं, बदमाशों की नहीं कर रहा हूं।

श्री नूरा : मुझे दो मिनट चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे भी दो मिनट चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं, माननीय सदस्य, यह जटिल समस्या है। गरीबों की आवासीय व्यवस्था दिन व दिन भयंकर स्वरूप धारण कर रही है। अब आप और क्या चाहते हैं ?

श्री नूरा : मैं कहना चाहता हूं कि पैसे वालों ने कब्जा कर रखा है, जागीरदारों ने जमीनें दबा रखी हैं वह गरीबों को क्यों नहीं दी जाती है ? अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजधानी है वहां लोगों की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती तो राजस्थान के कोने कोने में क्या कर पायेगी ? अगर किसी के पास चार प्लाट हैं तो ले लीजिये उससे। आपकी सरकार है, आपके पास आफिसर्स हैं। आप इन्क्वायरी करने से क्यों रोकते हैं ?.........

श्री डूंगरराम पंवार : मैंने अध्ययन किया है इस बात का। शहरों के बड़े बड़े पैसे वाले लोग......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चलो इलाके में चलो वहां बोलना।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है, यह जो समस्या है कच्ची बस्तियों को जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यह चुनिन्दा सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया है, जनता सरकार बनने के बाद घोषणा की है कि कांग्रेस सरकार ने 21-8-71 के कब्जे नियमन करने की बात कही है और राजस्थान सरकार ने 25 जून, 1975 या 14 मार्च, 1977 तक के कब्जों का नियमन करने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। उसको बने हुए 9 महीने हो गए। आज तक के कब्जे नियमन करने की घोषणा बड़े बड़े शहरों में आपके मुख्य मंत्री ने की है, कच्ची बस्ती में की है। वहां माला पहनते हैं और वोट लिए हैं। सरकार अपनी नीति बना ले कि हम 25 जून, 1975 तक के कब्जों का नियमन कर देंगे। दूसरी बात अभी जैसा कहा गया, अर्बन लेण्ड सीलिंग एक्ट के तहत जिनके पास जमीने शहरों में अधिक हैं, जो कि पूंजीपति हैं उनकी भूमि में से एक इंच भूमि आज तक एक्वायर नहीं की गयी है। 18 महीनों के अन्दर एक इंच भूमि एक्वायर नहीं की है......

श्री मदनसिंह दांता : वह वापस विथड्रा कर लिया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : दूसरे जनता सरकार शहरों की एग्रीकल्चरल भूमि को सस्ती दर पर रिहायशी पर्पज के लिए यूज करने की छूट देकर पूंजीपतियों को रियायत दे रही है। सस्ती दरों पर गरीब किसानों की जमीन जिन्होंने मोल ले ली तो एक गरीब मजदूर क्या जयपुर शहर में 100रु. गज पर जमीन मोल ले सकता है ? क्या बीकानेर शहर में एक गरीब मजदूर 70रु. गज पर जमीन मोल ले सकता है ? वह मोल नहीं ले सकता तो उसे जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे झोंपड़ी बना कर रहे। हम उनकी पैरवी नहीं कर रहे हैं जो कि

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

सरकार की कमजोरी के कारण, सरकारी अधिकारियों से मिल कर जमीन का नाजायज व्यापार करते हैं। उनको आप फांसी पर चढ़ाइये, हम आपका साथ देंगे। बीकानेर के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां के चैयरमेन को आदेश दिया कि कच्ची बस्तियों के नाजायज़ कब्जों को तोड़ा जाये लेकिन इस जनता सरकार के एक घटक ने, मंत्री ने एक लाख रुपये की जमीन पर नाजायज कब्जा दो महीने पहले किया है और वह कब्जा आज तक नहीं हटाया गया....

(व्यवधान)

जब बीकानेर की यू. आई. टी. ने नाजायज कब्जों को तुड़वाने के लिये नोटिस दिया तो मंत्री महोदय के निजी सचिव ने तार देकर फाइल मंगवा ली। अगर यह गलत हो तो मैं असेम्बली से त्याग पत्र देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दाता: प्रधान मंत्रीजी जब आये तो कहा था कि कच्ची बस्तियों की समस्या हल नहीं होगी तो मैं जयपुर नहीं आऊंगा दो दफा पधारे।

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय हो गया है और मैंने यह जिम्मेदारी ली है कि जीरो आवर दो बजे तक चलाऊंगा।

श्री श्योपतसिह मकासर : We are following the decision but they are not following it.

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर है तो एक्सटेन्ड हो सकता है।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्ती के बारे में जो श्योपत सिंह जी ने कहा है.....

श्री श्योपतसिंह मकासर : न तो आपका कोई स्थगन प्रस्ताव है न कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, गाली देने को तैयार हैं।

श्री गुल मोहम्मद: जयपुर से सम्बन्धित समस्या है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल रखना चाहिये था। बिलकुल नहीं बोलने देंगे। अध्यक्ष महोदय, न तो इनका कोई स्थगन प्रस्ताव है न इनका कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। जो झोपड़ी वालों के दुश्मन है, उनको बिलकुल नहीं बोलने देंगे, बिलकुल नहीं बोलने देंगे।

श्री गुल मोहम्मद : यह बात बिना बोले मालूम नहीं हो सकती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। ये मंत्री नहीं हैं। ये मंत्री जी के × × × हैं.....

(व्यवधान)

मंत्रियों के×××को नहीं बोलने देंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : माननीय श्योपतसिंह जी ने और माननीय रामकृष्णदास गुप्ता जी ने जो प्रश्न उठाये हैं उनके सम्बन्ध में हमारे जो सम्बन्धित मंत्री हैं वे अभी प्रतिनिधियों से मिलने गये हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में आवासीय समस्या बहुत विकट

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

है । आप लोगों के अनुसार ढाई करोड़ ऐसे है जो बेघरबार हैं......

श्री मूलचन्द डागा : ढाई करोड़ नहीं 7 करोड़ ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : देश के आंकड़ों के अनुसार.........

श्री मूलचन्द डागा : गलत आंकड़े हैं । कहां से लाये हैं, ढाई करोड़ हैं ?

(व्यवधान)

सात करोड़ हैं । गलत बता रहे हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह कोई तरीका नहीं है.........

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं उनके अनुसार 10 करोड़ के करीब हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ढाई करोड़ परिवार कह रहा हूं, 10 करोड़ हो गये ।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने गलती सही करवा ली है......

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए बहुत आतुर और कटिबद्ध है कि जो बेघरबार लोग हैं उनकी समस्या को सुलझाये । विगत वर्षों में प्लांनिग के डिफेक्ट के कारण 25 लाख से ढाई करोड़ बेघरबार हो गये । माननीय श्योपतसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह निश्चित रूप से मानवीय प्रश्न है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय श्योपतसिंह जी को और सदन के अन्य महानुभावों को कि अगर समाज का एक हिस्सा गरीब लोगों की तकलीफ से फायदा उठा कर अपना व्यापार प्रारम्भ कर दें.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप हल कर दें । क्या बात करते हैं? आप इस व्यापार को बन्द कर दें । हम कहां जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप तो सरकार के मंत्री हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस समस्या का समाधान कीजिये ।

(व्यवधान)

जवाब तो आपको ठीक देना चाहिये ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप पर आरोप नहीं है । आप क्यों चौंक रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरे दल को फख्र है इस बात का कि इस सवाल को मेरी पार्टी ने उठाया है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप मेरी बात को सुनिये......

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए तो इतनी उत्तेजना नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : कल व्यवस्था हुई थी सदन में कोई नहीं बोलेगा जब मंत्री जवाब देंगे। आप बार बार खड़े हो जाते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप मंत्रियों के××× हैं क्या ? ××× हैं तो उनकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं कहता हूं आप मेरी सुन लीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप बैठ जाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : क्यों बैठ जाऊं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जब तक चमचे रहेंगे तब तक यही दुर्दशा रहेगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से समस्या का हल नहीं हो सकता है।

श्री रतनलाल वर्मा : समस्या है, इसका हल होना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सरकारी उत्तर तो सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : जयपुर की समस्या को जितना मैं कह सकूंगा उतना कोई नहीं कह सकेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं बोलना चाहिये। माननीय गुल मोहम्मद जी भी नहीं बोलें। माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री गुल मोहम्मद : आपने क्या ठेका ले रखा है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने क्या पूरे सदन का ठेका ले रखा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आप शांत हो जाइये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई इरादा माननीय सदस्य श्री श्योपतसिहजी पर किसी प्रकार का आरोप लगाने का नहीं है न कोई इरादा उनकी पार्टी पर आरोप लगाने का है। मैं स्वयं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर इस प्रकार का मामला उनकी निगाह में आवे तो निश्चित रूप से उनका भी फर्ज हो जाता है कि वह उसकी रोकथाम करें....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसमें प्रश्न यह है.....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बैठ जाइये। आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से बोला जावे, किस तरह से हाउस में बैठा जावे।

तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यह मानवीय समस्या है। इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। किन्तु अन्दर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुस गए हैं जिनसे आपको और हमको मजबूती के

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

साथ निपटना पड़ेगा .ग्रौर निश्चित रूप से उन ग्रसामाजिक तत्वों से ग्रापको ग्रौर हमको सावधान रहना चाहिए ।

जहां तक कच्ची बस्तियों का प्रश्न है राज्य सरकार की उनके प्रति सहानुभूति है । उनके प्रति राज्य सरकार सहानुभूति का रुख ग्रपनाए हुए है । निश्चित रूप से इस समस्या का हल निकाला जाएगा । जो जनता पार्टी की सरकार ने वायदा किया उसको पूरा किया जाएगा । जो माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी ने ग्राशंकायें व्यक्त की हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे निर्मूल हैं, उनको व्यक्त करने की ग्रावश्यकता नहीं है । ग्राप समय दीजिए, हम यथावत् हल करेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई कब तक करेंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ग्रापने तो पच्चीस लाख से ढाई करोड़ लोगों को बेघर कर दिया है। उनको फिर से बसाने में समय चाहिए. ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : समय तो ग्रापको जनता देगी ।

श्री नूरा : एक ग्रादेश से समस्या हल हो सकती है । यह तो कांग्रेस पार्टी ने किया है लेकिन ग्राप तो हल करने के लिए पहल कीजिए ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रब चर्चा समाप्त करें ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, समस्या का पता नहीं, उसके वाल्यूम का पता नहीं, मिनिस्टर इन्चार्ज मौजूद नहीं । हाउसिंग कोग्रापरेटिव सोसायटी के पास कितना लैंड है ग्रौर दूसरा लैंड कितना किसके पास है, उसके एक्वीजिशन की कार्यवाही करने का पता नहीं । इस प्राब्लम के इवेल्यूएशन का पता नहीं, पालिसी डिसीजन नहीं, स्कीम सामने नहीं । कोई भी एडजोर्नमेन्ट मोशन ग्राता है तो उसके मिनिस्टर इंचार्ज यहां पर मौजूद नहीं । इस सदन के ग्रन्दर पच्चीस साल का नाम लेकर हर मंत्री खड़े हो जायें, हाउस के ग्रन्दर इस तरह से क्रिमिनल स्कैंडल करें , कोई भी मिनिस्टर कुछ भी कहने को खड़ा हो जाए । It will be a wrong practice. The minister-in charge should be present in the House .

ग्रापने दो करोड़ लोग कह दिये, फिर ढाई करोड़ परिवार कह दिये, कोई बात का पता नहीं । मिनिस्टर इंचार्ज रहते नहीं यहां पर । कोई बात कहें तो समझते नहीं । मैं देखता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही ग्रनपार्लियामेंट्री ट्रेडीशन्स कायम हो रहे हैं, गलत परम्परायें सदन में डाल रहें हैं कि किसी भी विषय पर मिनिस्टर इंचार्ज मौजूद नहीं रहें ग्रौर कोई भी बात कही जाए तो सदन में कोई भी मिनिस्टर खड़ा हो जाय जिसको जानकारी नहीं । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप तो हाउस ग्राफ कामन्स में पधारे हैं ग्रौर उसके बारे में जानते हैं । It is better to be a fool rather than open your mouth and look like a fool .

श्री ग्रध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । पुरःस्थापित किए जाने वाला विधेयक ।

Page No.81

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक, 1978

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की आज्ञा है कि बिल पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: महोदय, मैं राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक।

श्री मूलचन्द डागा : यह बिल कब पास होगा, साहब, भूदान का ?

विधेयक पर विचार

राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक 1978

श्री सूर्यनारायण चौधरी (संसदीय मामलात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा : यह विनोबाजी का नाम क्यों हटाना चाहते हैं। यह विनोबा भावे का नाम क्यों हटाना चाहते हैं, जिन्होंने इतनी सेवा की है......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बातें क्यों कर रहे हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इनको शिष्टाचार सिखाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय शंकरलाल।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को सौंपने के लिए मैं प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं :

"राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में प्रस्तुत करे।"

जो भी अपराधी अदालत में अपराधी सिद्ध हो जाते हैं और जिनको सजा हो जाती है उसके बाद में उनके माप, मैजरमेंट और उनके अगूंठे या हस्ताक्षर वगैरह लेने के लिए जो भी पहले अधिकारी था वह सब इंसपेक्टर के रेंक का आदमी होता था और असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर होता था। इस संशोधन विधेयक के जरिये उस अधिकारी को हटा करके हैड कान्सटेबल की नई पोस्ट क्रियेट करके देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव इसलिए रखा है कि इससे सरकार के खजाने

(श्री शंकरलाल)

एडीशनल एक्सपेंडीचर होगा। इसका जो स्टेटमेंट ग्राफ ग्राब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उसमें बताया गया है :

The State Government have decided that police officers trained in the science of taking finger prints etc. of the rank of Head Constable shall be posted with the Asstt. Public Prosecutors for taking measurements etc. of the convicted persons."

इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रसिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर का काम करता है उसके साथ में हैड कान्सटेबल ग्रौर लगाया जाएगा ग्रौर उसको यह ग्रधिकार दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं ग्राता कि ऐसा कौन सा बड़ा काम है। जब कि ग्रादमियों को सजा होती है, सजा होने के बाद में ग्रसिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर जो काम करते थे वही यह काम करें। ग्रब केवल यह कहने के लिए कि चूंकि ग्रसिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर को पुलिस डिपार्टमेंट से ग्रलग कर दिया गया है यह काम पुलिस के जिम्मे रखने के लिए हैड कान्सटेबल लगायेंगे। पुलिस के जिम्मे ही क्यों रहे जब कि ग्रदालत में चला जाता है तो पुलिस के हाथ में क्यों रहे ? जब सजा हो जाती है तो उसके बाद में ग्रसिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर होता है वही यह काम करता है। उसके पास में क्लर्क होता है। वही उनके ग्रंगूठे वगैरह के निशान लेता है, मैजरमेंट वगैरह करता है। वैसे ही पुलिस के ऊपर खर्चा बहुत हो रहा है। ग्रपराध बहुत हो रहे हैं उनके लिए नये कान्सटेबल नहीं लगाते। कई जगह ग्रावश्यकता है कि चौकियां बढ़ाई जावें, पुलिस का स्टाफ बढ़ाया जावे लेकिन उस पर खर्चा करना नहीं चाहते। इस काम के लिए केवल दफ्तर में बिठाने के लिए एक हैड कान्सटेबल की पोस्ट क्रियेट करना चाहते हैं। ग्रापके दफ्तर में एक ग्रादमी ग्रौर बैठ जाएगा। जब सजा हो जाएगी तो उसका, माप मैजरमेंट ग्रौर ग्रंगूठा निशानी लेने के लिए रहेगा। वैसे ही सजा होती नहीं ग्रौर जब सजा होगी तब उस ग्रादमी के लिए काम होगा। इसलिए फालतू खर्चा राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा। ग्रसिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर को जो पहले से यह काम सौंपा हुग्रा था वह बिल्कुल ठीक है। केवल इसलिए कि पुलिस के पास यह काम नहीं रहा ग्रौर उन्हीं के पास रहे इसलिए यह पोस्ट क्रियेट करना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। ग्रगर ग्राप इसको रखना ही चाहते हैं तो प्रवर समिति में इस पर ग्रौर विचार कर लें, ग्रौर तथ्यों के बारे में जानकारी हो जाय, वहां पर ग्रौर विचार दे सकते हैं इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बंशीलाल सारस्वत, ग्राप ग्रपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री बन्शीलाल सारस्वत : नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष : जाने दीजिये। ग्रौर कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : दो ही नाम हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन कर दूं कि योजना लागू की गई थी पुलिस प्रोसीक्यूशन एजेंसी को पुलिस से सेपरेट करने की। इसके अतिरिक्त जो प्रोसीक्यूटर अपोइन्ट किए गए है वह पुलिस आफिसर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। आपकी जो आपत्ति है वह इस बात पर है कि हम कोई हैड कान्सटेबल की नई पोस्ट क्रियेट करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है नहीं। कोर्ट के अन्दर पुलिस की तरफ से लायजन स्थापित करने के लिए पब्लिक प्रोसीक्यूटर और पुलिस के बीच में हैड कान्सटेबल प्रोवाइड करना है वह हैड कान्सटेबल आलरेडी है। हैड कांसटेबल पुलिस आफिसर की डेफिनेशन में आता है उसको यह अधिकार दिए जा रहे हैं। मौजूदा पी. एस. आई. पुलिस आफिसर की डेफिनेशन में नहीं आता है।

श्री शंकरलाल : आज ऐसा है कि हैड कांटेबल नहीं होता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पुलिस को जो इन्फार्मेशन इन्सपेक्शन रिपोर्ट आती है उसको पास करने वाला आलरेडी है। इसमें आपको जो आशंका है कि इससे खर्चा बढ़ जाएगा, इस काम के लिए पोस्ट क्रिएट की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री शंकरलाल : जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ऐसी बात है तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

वापस लेने की आज्ञा दी गई है।

श्री शंकरलाल : मैं प्रवर समिति को सुपुर्द करने के अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति पर विचार। मंत्री महोदय।

राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति पर विचार

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल व राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति पर विचार किया जाए।

(2.33)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मूलचंद डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर लिट्रेचर नहीं मिला है। जो बहस हो रही है उस के लिए कोई लिट्रेचर नही दिया गया है। किस पर हम बहस करें।

एक माननीय सदस्य : क्या डागा साहब ने जनता पार्टी जोइन कर ली है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप वहीं से कहना चाहेंगे या अपनी सीट से कहना चाहेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति पर मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अकाल राहत मंत्री जी ने भी यह स्पष्ट किया था राजस्थान के 26 जिलों में से 24 जिलों में अकाल की स्थिति है......

व्यवस्था का प्रश्न

मूल अधिनियम और संशोधन विधेयक के शीर्षक में भिन्नता

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अभी अभी सदन में जो बिल पारित किया गया है, मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई खामी रह जाए जिससे हमारे लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट पर कोई रिफ्लेक्शन हो। मैं बाहर गया हुआ था। यह जो संशोधन करने जा रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह जानकारी चाहता हूं, माननीय सदस्य। क्या बिल पारित होने के बाद भी पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं लीगल बात कह रहा हूं। गवर्नर इसको रिटर्न कर देंगे। जो हमारा प्रिन्सीपल एक्ट है, उसमें लिखा है राजस्थान बन्दी अभिज्ञान विधेयक, 1956। यह एक्ट है जब कि जो (संशोधन) विधेयक पारित किया गया है, उसमें लिखा है राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978। इसको मानना न मानना सरकार की मर्जी है। यह मजाक हो जाएगा। मेरा तो यह पाइन्ट आफ आर्डर है। इस पर आप व्यवस्था दें या न दें। लॉ मिनिस्टर साहब योग्य व्यक्ति हैं। उनकी क्षमता के बारे में कोई शंका नहीं है। आप तय कर लें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया हूं।

श्री परसराम मदेरणा : ओरिजनल एक्ट, प्रिन्सीपल एक्ट में जो वर्ड है वह हैं राजस्थान बन्दी अभिज्ञान विधेयक, यह प्रिन्सीपल एक्ट की हैड लाइन है। जो अमेन्डमेन्ट किया गया है उसमें लिखा है राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक,। यह हो सकता है कि ट्रान्सलेशन की गलती हो। जो टाइटल था उसको

(श्री परसराम मदेरणा)

न रख कर दूसरा टाइटल रखना कहां तक लीगली युक्तिसंगत है, यह मेरा निवेदन है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मूल एक्ट अंग्रेजी में है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं हिन्दी में है।

श्री परसराम मदेरणा : हम बात कर लेते हैं। आप डिबेट को चालू रखिए।

श्री मूलचन्द डागा : He has crossed the floor

श्री शंकरलाल : यह ट्रान्सलेशन की गलती है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : आप मंत्री जी से उधार ले लीजिए।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही चल रही है उस समय एक माननीय मंत्री ने फ्लोर को क्रास किया है। सदन में कोई माननीय सदस्य ऐसा करता है तो यह माना जाता है कि उसने दल बदल लिया है। इसलिए आप कम से कम इनको सदन की परम्परा का ज्ञान तो कराइये।

श्री शंकरलाल : यह दल बदल नहीं है। जनता पार्टी के मंत्री को कन्विन्स करने गये हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कोई गलत बात नहीं की है। ट्रेजरी बेन्चेज पर जब मैं था उस समय भी सदन से कोई बात मैंने नहीं छिपायी है। आज भी जो कह रहा हूं वह सदन की कार्यवाही को सही ढंग से चलाने के लिए कह रहा हूं। परन्तु जनता पार्टी के सदस्यों में तो XXX कूट कूट कर भर दी गयी है।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय सदस्य ने XXX शब्द का प्रयोग किया है। यह अनपार्लियामेन्ट्री है। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी : अभी मदेरणा साहब मंत्री महोदय को मुगालता दे रहे थे। मंत्री जी को भ्रम में डाल रहे हैं।

श्री शंकरलाल : इस सदन की गरिमा.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो इस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं करना चाहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय मदेरणाजी ने जो ध्यान आकर्षित किया उसके बारे में मैं निवेदन करता हूं कि जो मूल एक्ट है उसका नाम राजस्थान आइडेंटीफिकेशन आफ प्रिजनर्स एक्ट, 1956 है। उसके साथ हिन्दी अनुवाद है उसमें आइडेंटीफिकेशन है उसके लिये दो शब्द काम में आ सकते हैं अभिज्ञान या शनाख्त। मेरे को माननीय मदेरणा साहब से सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें कोई गलती नहीं है।

(व्यवधान)

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय मदेरणा साहब ने प्रश्न उठाया कि यह राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 है । उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं बहुत अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, शनाख्त और अभिज्ञान में कोई फर्क नहीं है लेकिन मदेरणा साहब का कहना है कि कोर्ट ने कम्पाइल किया है राजस्थान हाईकोर्ट ने । इसमें जो अभिज्ञान है वह नहीं होना चाहिये । इसमें सदन के सहयोग से, आपके माध्यम से इस दुरुस्ती को करने दिया जाय। ये दोनों सही हैं।

एक माननीय सदस्य : कोड में अभिज्ञान है ।

मेजर श्री फतहसिंह : मदेरणा साहब ने ध्यान आकर्षित किया है इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं । आइन्दा सरकारी बैन्चेज की तरफ से इस प्रकार की गलती सामने नहीं आवे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री महोदय, आप इसको मोशन के रूप में प्रस्तुत करिये । बाद में पारित करवा देंगे ।

माननीय जैन साहब, आप अपनी चर्चा जारी रखिये ।

राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति पर विचार

श्री बालकृष्ण थानवी : व्यवस्था का प्रश्न है, साहब । सबसे पहले अकाल के बारे में 1 माह 3 दिन पहले हम 13 विधायकों ने प्रस्ताव दिया था और मांग की थी कि हम लोग चर्चा के प्रस्तावक हैं इसलिए हमें पहले मौका मिलना चाहिये । इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सर्व प्रथम हमारा था पर बाद में पेश किये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का मौका पहले विपक्ष को दिया गया । इसलिए अब पहले हमें मौका देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कोई समय निश्चित नहीं किया है । सूची काफी लम्बी है इस लिए मैं चाहूंगा कि इसके लिये समय निर्धारित कर दिया जाय और प्रत्येक माननीय सदस्य कितना बोलें यह तय कर दिया जाय । अभी 2.45 हुए हैं । मैं चाहूंगा कि 4.45 तक डिबेट समाप्त हो जाय उसके बाद माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप समय किस को देंगे यह रूल्स में भी है। जिनकी मांग पर यह डिबेट रखी गई है उन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने वाले लोगों के लिये आसन का क्या निर्णय है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभी फिलहाल तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि 57 मिनट में विचार प्रगट कर दें । विशेष परिस्थिति में समय ज्यादा दिया जा सकेगा । मैंने अभी जैन साहब को चर्चा आरम्भ करने के लिये कहा। वे आरंभ करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री जी ने अकाल की स्थिति पर अपना प्रस्ताव रखा है । यों तो चाहिये यह था कि राजस्थान में जो अकाल की स्थिति है उसका स्टेटमेंट मंत्री महोदय, रखते जिससे कि इस पर सुचारु रूप से बहस हो सकती लेकिन यह नहीं किया गया।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मैं इस समय बाड़मेर जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाड़मेर जिले में 852 गांवों में से अधिकांश गांवों में अकाल की स्थिति है। यही स्थिति पश्चिम राजस्थान के जोधपुर, नागौर और पाली आदि सभी जिलों में है। इस अकाल की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले अकाल की स्थिति गत वर्ष गांवों में थी और जिस प्रकार से अकाल राहत कार्य खोलने की नीति बनाई गई उससे किसानों में और जनता में बड़ा असंतोष रहा। तो इसमें पहले तो राजस्थान सरकार को चाहिये था कि अकाल राहत कार्य खोलने के पहले जहां जहां गांवों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं वहां जल्दी से जल्दी घोषित किये जायं। प्रथम रिपोर्ट मांग ली जाय, फाइनल रिपोर्ट मांग ली जाय और जल्दी से जल्दी गांव अकालग्रस्त घोषित किये जायं। मुझे मालूम हुआ है कि प्रथम सूचना पहुंच चुकी है और फाइनल रिपोर्ट पहुंचनी है। इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि खास शिकायत होती है कि अकाल पीड़ित जो गांव घोषित किये जाते हैं वह पटवारी की इच्छा पर निर्भर करता है। पटवारी ग्राम पंचायत और सरपंच को कोई कांफीडेंस में नहीं लेते। मैं कहना चाहता हूं कि फेमिन कोड में यह नियम बनाया जाना चाहिये और उसकी सख्ती से पालना होनी चाहिये कि जब भी पटवारी गिरदावरी, खरांबा की जांच करता है तो ऐसे इंसट्रक्शन होने चाहिये कि उसमें सरपंच के भी दस्तखत होंगें। यह इन्सट्रक्शन, डाइरेक्शन्स जारी कर दिये जाने चाहिए। इसकी यह पालिसी होनी चाहिये कि एस. डी. ओ. और कलेक्टर जब खराबा की जांच करने जाय तो एम. एल. एज. को कान्फीडेन्स में लिया जाना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि एम० एल० एज० के पास जो कम्पलेन्टस हैं उनका निराकरण करने के लिए भी एम० एल० एज० को भी एस० डी० ओ० और कलेक्टर को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि सही स्थिति का पता लग सके और यह जो शिकायत है कि किन्हीं गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जा रहा है यह रोकी जा सके मेरा यह कहना है कि अब जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया जायगा उनको अकालग्रस्त घोषित करने के लिए आप इन दोनों को डाइरेक्शन्स दे दें। जिन जिलों में योजनाएं नहीं बनी हैं उनमें योजनाएं बना दें कि कौनसा वर्क इरिगेशन में कौनसा वर्क लघु सिंचाई भूसंरक्षण के अन्दर लिया जायगा, कौनसा वर्क रोड्स में लिया जायेगा। वह प्राथमिकता के आधार पर तय कर दें, इसके लिए मीटिंग इसी महीने के अन्दर बुला ली जाय। यह पूरी तरह से डाइरेक्शन दे दिये जाने चाहिये ताकि जिले की मीटिंग होकर यह तय हो सके कि कौन से वर्क लिये जायेंगे। यह भी डाइरेक्शन्स दिये जाने चाहिए कि जो वर्क्स लिए जा सकेंगे उनके लिए कितना अमाउन्ट खर्च किया जाएगा। इसके तखमीने का कार्य शुरू हो जाना चाहिये। यह योजना बनाने में कोई भी स्टाफ की कमी हो उसकी लिस्ट पहले से ही बना दें कि कितने ओवरसियर्स और इन्जीनियर्स की आवश्यकता होगी। एन टाइम पर योजना बनाने से डिफिकल्टी पड़ती है। पूरा प्लान बना कर योजना बद्ध कार्य करना चाहिए। इसके पश्चात गर्मियों के दिन आते हैं तो सिरकियों की व्यवस्था होनी चाहिए। आप इन टाइम व्यवस्था करने की कोशिश करें। सिरकियों

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

की व्यवस्था गाड़ियों की व्यवस्था जो करनी है फैमिन के सम्बन्ध में वर्क शुरू करने के लिए वह सब व्यवस्था करने के लिए डाइरेक्शन्स दे दिये जाने चाहिए।

मेरा यह कहना है कि हमारे जिले में टैस्ट वर्क इन दी मन्थ ग्राफ दिसम्बर शुरु हो जाने चाहिये और टैस्ट वर्क्स शुरू होने के बाद में ही रिलीफ वर्क्स शुरू होने चाहिए। रिलीफ वर्क्स में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अधूरे कार्य हैं उन कार्यों को पहले कम्पलीट किया जाना चाहिए।

हमारा जिला एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। उसमें रोड्स के काम किये जाने चाहिए। अकालग्रस्त क्षेत्रों में जो रोड्स बनती हैं उनके मैन्टीनैन्स की व्यवस्था नहीं होती है। पी. डब्ल्यू.डी. उसका मैन्टीनैन्स नहीं करता है। वह कहता है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। यह रोड्स हमने टेक ओवर नहीं की है। यह अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल राहत कार्यों के अन्दर बनती हैं। तो इन कार्यों को प्रिफरेन्स देना चाहिए ताकि जितनी रोड्स अकाल राहत कार्यों में बनती हैं उनके मेन्टीनेन्स का कार्य समय पर लिया जा सके। जो भी अधूरे कार्य लिए गये हैं चाहे वह रोड्स के हों, चाहे भू-संरक्षण के हों उनको हाथ में लिया जाना चाहिए। इन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पहले यह किया गया था कि जो अकालग्रस्त गांव घोषित कर दिये जाते थे उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह लाभ था कि उनसे वसूली नहीं की जाती थी, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा दूसरे लोगों से वसूली की जाती थी। यह स्थिति खतरनाक थी क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा दूसरे लोगों की भी स्थिति खराब होती है। आपने यह तय किया था कि जिन लोगों के पास में कम जमीन है उनको भी इसमें लिया जाय। पहले साल अकाल था और इस साल भी अकाल है तो अकाल की गम्भीरता को देखते हुए जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया जाय उन सारे गांवों में वसूली नहीं की जानी चाहिए। वहां पर सस्पेन्शन ग्राफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स एक्ट लागू किया जाना चाहिए।

अब जो कार्य लिए जाते हैं उनमें जो डिफिकल्टी होती है वह परिचय-पत्र बनाने की होती है। तो परिचय पत्र, आइडेन्टिटी कार्ड्स, अध्यक्ष महोदय, का अभी से कार्य शुरू कर देना चाहिए। पहले यह स्थिति थी कि आइडेन्टिटी कार्ड्स नहीं बनाने के कारण सैंक्शन्ड काम शुरू नहीं हुए।

वर्क्स के प्रपोजल्स जो एडवाइजरी कमेटी प्रस्तुत करे वह कलेक्टर एडिशनल रिलीफ कमिश्नर को भेजता है और एडिशनल रिलीफ कमिश्नर से फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास में जाता है। इस प्रोसीजर को सरल करके जो प्रपोजल्स भेजें उन पर 15 दिन के अन्दर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की स्वीकृति की सूचना भेज दें। होता क्या है कि प्रपोजल्स भेजती है एडवाइजरी कमेटी तो उन प्रपोजल्स को एक-एक महीना और डेढ़ डेढ़ महीना हो जाता है और वह प्रपोजल्स फाइनेन्स डिपार्टमेंट से स्वीकृत नहीं होते हैं और वह कार्य ही नहीं हो पाते हैं। फेमिन रिलीफ वर्क्स नहीं होने से किसानों को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो यह मैंने वर्क्स के बारे में कहा।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पानी की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। गांवों में पानी की स्थिति बड़ी खराब है। आखरी बरसात नहीं होने के कारण पानी की स्थिति बहुत से गांवों में खराब है। तो टैंकर्स की व्यवस्था करनी है और गांवों को पानी पहुंचाना चाहिए। वहां पर प्रति व्यक्ति एक गैलन पानी दिया जाता था। तो यह व्यवस्था की जानी चाहिए टैंकर्स के द्वारा पानी पहुंचे तो प्रति व्यक्ति 4 गैलन पानी मिले। पानी की व्यवस्था हो, साथ ही फैमिन रिलीफ वर्क्स में जब काम चलता है तो पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से होनी चाहिए और घड़ों का और ठंडे पानी का इन्तजाम हो जाना चाहिए। इनके बारे में निर्णय अभी से आपको लेना चाहिए।

मेरा यह भी कहना है कि भू-संरक्षण में जो खडीन का कार्य......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ उसमें 50 पर्सेंट की सब्सिडी है और 50 पर्सेन्ट लोन इन्डिविजुअल को दिया जाता है। खडीनों से जैसलमेर जिले में काफी लाभ पहुंचा है। वहां खडीनों का कार्य बहुत अच्छा होने से गेहूं की फसल बढ़ी है। तो खडीनों के कार्य को भी बाड़मेर जैसलमेर, डिस्ट्रिक्ट में प्राथमिकता देनी चाहिए और यह प्राविजन करना चाहिए कि जो इन्डिविजुअल खडीनें बनती हैं उनके अन्दर 75 पर्सेन्ट सब्सिडी हो और 25 पर्सेंट की इन्डिविजुअल को व्यवस्था करनी चाहिए। अभी 50 पर्सेंट सब्सिडी है और 50 पर्सेंट की व्यवस्था इन्डिविजुअल करने को विवश होना है। क्योंकि वहां की स्थिति बहुत ही खराब है इसलिए इन्डिविजुअल कर नहीं सकता।

वहां पर चिकित्सा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा की माकूल व्यवस्था नहीं होती है तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है।

परमानेन्ट स्थाई वर्क्स जो हैं उनको पहले लिये जाने की कोशिश करनी चाहिए।

बाड़मेर जिले में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।

यह जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है मैटीरियल कम्पोनेन्ट ५० पर्सेंट से अधिक नहीं बढ़ाने का, इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने की कोशिश करनी चाहिए।

मिनिमम वेजेज जो हों वह कम से कम 5 रु० हों। हमें यह भी देखना चाहिए कि अकाल राहत कार्यों में जो अनाज और गेहूं जो दिया जाता था वह सड़ा और गला दिया जाता था जो कि स्वास्थ्य के लिए हानि कारक होता था। वह सड़ा गला अनाज नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा अनाज दिया जाय ताकि उनका स्वास्थ्य मेनटेन रहे।

यह फेमिन कोड जो है यह पुराना, 1862 का, बना हुआ है और इससे हम गाइड होते हैं। पहले भी हमने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी ध्यान आकर्षित किया था और अब भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि फेमिन कोड में परिवर्तन करके नया कोड बनाया जाय, क्योंकि उस कोड के बेसिस पर जो जो कार्य होता है.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

उसके अन्दर यह होता है कि जो पी.डब्ल्यू.डी. की रेट्स और फेमिन के अन्दर जो काम करते हैं उनकी मजदूरी में अन्तर है। पी. डब्ल्यू.डी. में काम के जो स्टेन्डर्ड है उस हिसाब से खेती पर काम करने वाले काश्तकार नहीं कर सकते। अकाल के यसम इस प्रकार से काम लेंगे तो वह उचित नहीं है। आज उसमें 30 पर्सेन्ट रिलक्सेशन है, उनसे 70% ही वर्क लिया जाता है। उससे भी कम करके 50 पर्सेन्ट ही वर्क लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग काम करते हैं और जो लोग काम नहीं करते उनके कारण भी उन लोगों को कम मजदूरी मिलती है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग प्रभावशाली हैं या सरपंचों के प्रभाव से नाम लिखा देते हैं उनके नाम काट दिये जाने चाहिए क्योंकि गरीब आदमियों को उनसे नुकसान होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू और अन्य जिलों में वर्षा के अभाव के कारण जो भयंकर अकाल पड़ा है उसकी वजह से गांवों में बहुत बेचैनी फैली हुई है और जगह-जगह लोग प्यासे मर रहे हैं। एवं 22-22 मील से लोगों को पीने का पानी लाना पड़ता है। मेरे पास इस बारे में पत्र आये हैं उनके कुछ उद्धरण मैं देना चाहूंगा। जैसे फलोदी तहसील के रोहिणा ग्राम में कुल 260 घर हैं जिनमें से 214 घर मेघवाल हरिजनों के हैं, वहां जो हालत है वह इस पत्र से जानी जा सकती है जो कि उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को भेज दिया है, उसमें लिखा है:

"पानी ग्राम की गरीब जनता 20-22 मील दूर से लाती है। चाडी, चौतीना व नोखड़ा से या फिर बीकानेर जिले के गांव भेल, नाथूसर व पांचू से लाकर के पीती है और पशुओं को भी पिलाते हैं। कभी कभी वहां पर भी पानी चार चार रोज तक नहीं मिलता इस तरह पानी ग्राम की गरीब जनता को बड़ी मुसीबत के साथ लाना पड़ता है. पानी की बुरी मुसीबत है। कभी कभी हमारे जानवर पशुओं को भी पांच पांच, 6-6 रोज तक पानी पीने के लिये नहीं मिलता। इस तरह हम ग्राम की गरीब जनता को पानी नही मिलेगा तो हम व हमारे पशुओं को भी मृत्यु के रास्ते पर चलना पड़ेगा। पानी की प्यास के कारण हमारे ग्राम के पास कोई साधन नहीं है। सरकार राज मां-बाप है। हमारे ग्रामवासी कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं। हमारे पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। हमारे ग्राम में पानी का होद बने पांच साल हो गये, पाइप लाइन लगे दो साल हो गये, लेकिन पानी का कोई पता नहीं कि पानी कब आयेगा।

"महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब ग्रामीणों की यह हालत है कि उनको पानी लाने के लिए 22-22 मील जाना पड़ता है और 22 मील वापस आना पड़ता है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना समय केवल मात्र पानी लाने में ही जाया होता है। कांग्रेस की सरकार ने भी इस गांव के लिए पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। उसकी भी रूपरेखा इस पत्र में अंकित की गई है और वह भी उस तरफ जो विधायक महोदय बैठे हुए हैं, वे सुन लें —

(श्री बालकृष्ण थानवी)

"हमारे ग्राम रोहिणा में ट्यूब वैल लगवाने की कृपा करें। संवत 2025 के अंदर चार बच्चों की मृत्यु पानी के कारण हुई थी जिसकी रिपोर्ट पेश पहले की हुई है। संवत् 2029 के अन्दर भी एक आठ साल के बच्चे की पानी नहीं मिलने के कारण मृत्यु हुई थी जिसकी रिपोर्ट भी पेश है। संवत् 2025 के अन्दर पशुओं की जनसंख्या 20,000 थी जो आज 10,000 ही रही है। इस साल भी पहले वाली हालत रही तो हम गरीब जनता व हमारे पशुओं का क्या हाल होगा? भगवान जाने। ग्राम रोहिणा, राजस्थान के अन्दर पानी पढ़ाई, रोशनी, मोटर गाड़ी आदि से पीछे है और इस गांव में आने जाने का कोई साधन नहीं है। पानी के कारण पहले वाली हालत हुई तो ग्राम की गरीब जनता व जानवरों को जिन्दगी से जाना पड़ेगा। हम ग्रामवासियों को पानी के ट्यूब वैल की जरूरत है। पानी के लिए हमारी यही मांग है।"

"अतः हम ग्रामवासियों ने कई बार पानी की रिपोर्ट की लेकिन सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि हमारी पानी की समस्या हल करावें तथा ग्राम रोहिणा में ट्यूब वैल लगवाने की कृपा करावें तथा हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल करेंगे व आत्म हत्या कर डालेंगे व गरीबों की जिम्मेदारी सरकार पर होगी।"

कांग्रेस ने तो बिना पानी के गांव वालों को मरने दिया मगर आज जनता सरकार कांग्रेस की तरह नहीं कर सकती।

श्री रामसिंह विश्नोई : कौनसी तारीख तय की है आत्म हत्या की ?

श्री बालकृष्ण थानवी : अपने पत्र में गांव वालों ने इसके लिए कोई तारीख नहीं लिखी है। कांग्रेस के राज में लोगों ने दम तोड़ दिया, जनता सरकार ऐसा नहीं होने देगी नहीं तो हमारे मत्थे पर कलंक लग जायेगा। इसलिए मैं अकाल मंत्रीजी और आपूर्ति मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विकट समस्या को चिन्ता करके सुलझायें यह इस गांव की ही समस्या नहीं है बल्कि भोजासर घंटयाली नल कूप की जो योजना है वहां से भी पत्र आया है, वे भी लिखते हैं कि "अभी हमारे पानी की समस्या नहीं सुलझ सकी तो गर्मी की ऋतु भी आ जायगी और मवेशियान और मनुष्यों तक को बिना पानी मरना पड़ेगा। कारण कि गर्मियों में 50-60 रुपये ऊंट की टंकी घंटयाली के लेने पर भी गत साल पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ था। तो यह मामला भोजासर का ही नहीं बल्कि फलौदी तहसील के अधिकांश गांवों का है। फलौदी तहसील के गांव देदासरी में सीहड़ां ट्यूब वैल से पाइप लाइन लगी हुई है लेकिन उस गांव के लोग 35 किलोमीटर की दूरी पर बस वारू गांव से पीने का पानी लाते हैं। इसी तरह से गांव ढ़ेलाना, लोडिया, लोहावट का पश्चिमी ढ़ाणी क्षेत्र, प्रस्तावित नोख नलकूप से जोड़े जाने वाले वाय क्षेत्र के गांव प्रस्तावित भोजासर घंटयाल। नलकूप क्षेत्र के ग्राम टेपू को छोड़कर सीहड़ां नलकूप से संबंधित अन्य गांव एवं फलौदी तहसील के अधिकांश गांवों में पानी के अभाव में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर पानी की भारी किल्लत है। फलौदी तहसील का जो क्षेत्र है उसमें जैसलमेर जिले

(श्री बालकृष्ण थानवी)

के नोख ग्राम में ट्यूबवैल खोद कर पानी लाने योजना भेजी गई थी मगर भू-जल विभाग ने यह कह कर कि पानी नहीं है उसको रोक दया। नतीजा यह हो रहा है कि जहां पर खारा पानी का क्षेत्र है और बरसात न होने से जिस क्षेत्र में तालाबों में पानी इकट्ठा नहीं हुआ है वहां के लोग बहुत दूर दूर से पानी ला रहे हैं। इस साल शेखासर गांव में भी पानी नहीं है जहां से पहले दूसरे गांवों को पानी दिया जाता था। इसलिए मैं जल आपूर्ति मंत्रीजी और भू जल विभाग के मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे नये ट्यूब वैल की व्यवस्था जल्दी करावें एवं पहले वाले ट्यूब वैलों से जुड़े हुए सारे गांवों को भी नियमित रूप से पूरा पानी भिजवाने की व्यवस्था करावें। जाम्भा तथा ननेऊ गांवों को।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शैतानसिह नगर के ट्यूब वैल से पानी पहुंचाया जाना है, जहां कि पानी टंकी एवं पाइप लाइन आठ वर्ष पूर्व की बनी हुई है पर आज तक उन्हें एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचाया गया। कुछ हमारे लोग भी आपाधापी करते हैं, मैं जातीयता के आधार र कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जो हकीकत है उसको प्रकाशन में लाना भी उचित समझता हूं।

सीहड़ा नलकुपयोजना के अंतर्गत नौ गांव आते हैं। उनमें से केवल एक गांव टेपू को पानी मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है इसलिए इन गांवों के लोग दूर पानी भरने के लिए जाते है। लेकिन आपको यह जान कर ताज्जुब होगा सि सीहड़ा नलकूप पर पानी भरने जाने वालों से एस. पी. श्री नारायण जी के भाई 5) टैक्स वसूल करते हैं। मैं खुद सीहड़ा गया था और उनसे पूछा था कि आप कौन होते हैं टैक्स वसूल करने वाले? उन्होंने कहा खेली टूट जाएगी तो कौन बनवाएगा? मैंने कहा राज्य सरकार की खेली है। आपने अपने पास से तो इस पर पैसा नहीं लगाया है फिर आप क्यों 5-5 रुपये वसूल कर रहे हैं? टूटने पर सरकार स्वयं उसे ठीक करा देगी। यही हालत कोलायत क्षेत्र की है। ट्यूब वैल से जुड़े हुए गांवों से 25-25 रुपये प्रति माह रिश्वत ली जाती है, किन्ही गांवों से 50) भी लिए जाते हैं। यह परम्परा कांग्रेस सरकार के समय से चली आ रही है जिसे सख्ती के साथ बदलने की जरूरत है।

मेरा यह निवेदन है कि पिछले अकाल में जो तथाकथित सड़कें बनी थी उनको ठीक करवाना चाहिए। हम इस गुमान में नहीं रहें कि हमारा प्रबल बहुमत है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा हम पर जनता बराबर निगाह रखी हुई है। हमने जनहित के काम नहीं किए, खास तौर से पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो फिर हमारे खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होगा और जिसके नतीजे हमें भुगतने ही पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेने से पहले लिख कर दिया है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री माधोसिंह कछवाह।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से जो ग्रकाल की समस्या है उस ग्रोर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । यह सारे राजस्थान की समस्या है लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां ग्रकाल की समस्या स्थाई हो गई है । ग्रकाल का सबसे पहला कारण है वर्षा की कमी या कहीं कहीं ग्रधिक वर्षा होना या बाढ़ ग्रा जाना, इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सामने एक बात ग्राती है कि जब राजस्थान में कहत बढ़ जाता है तब सरकार का ध्यान जाता है, राहत कार्य खोले जाते हैं । गलत तरीके से कार्य खोले जाते हैं ग्रौर नतीजा यह होता है कि राहत भी नहीं मिलती ग्रौर सरकार का खजाना भी खाली हो जाता है । जिस तरह की परम्परा रही है कहत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां स्थाई तौर से ग्रकाल पड़ता है, वहां स्थाई हल निकाला जाए, उस समस्या के स्थाई हल के लिए कुछ ऐसे कदम उठाये जायं जिससे पैसा बरबाद न हो । ग्राज लाखों रुपये बरबाद हो जाते हैं । इस समय गंगानगर, बाड़मेर, चूरू पूरा कहत की चपेट में हैं, 50-50 60-60 गांव ऐसे हैं जो कहत की चपेट में हैं । चूरू जिले में फेमिन में करोड़ों रुपया खर्च किया गया लेकिन जनता पर खर्च नहीं किया गया । इससे स्थाई हल समस्या का नहीं निकलेगा । जितना पैसा उस क्षेत्र के ग्रन्दर खर्च किया गया, ग्रकाल में बर्बाद किया गया ग्रगर वही पैसा नहर के लिए खर्च किया जाता तो नहर ग्रा जाती, उतना पैसा नहीं लगता, लोगों का भला हो जाता, उनको रोजगार मिलता, पानी की समस्या का हल हो जाता, बेकारी की समस्या का हल हो जाता । लेकिन इन कार्यों के ग्रन्दर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पिछले सालों में फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसा लुटाया गया । तो कहत का स्थाई हल निकाला जाए ग्रौर ट्यूब वैल्स लगा कर पानी की सप्लाई की जाए, जहां खारा पानी है वहां नहर लाई जाए । कई स्कीम्स बनाई गई लेकिन पिछली सरकार ने सिवाय चुनावों के दिनों के कभी नहरों की तरफ ध्यान नहीं दिया । नतीजा यह हुग्रा कि कहत में मस्टर रोल्स बना कर खुशी मनाते रहे ग्रौर नतीजा यह हुग्रा कि ग्राज भी समस्या ज्यों की त्यों वहां पड़ी है ।

मेरे क्षेत्र में नोहर फीडर की एक छोटी सी स्कीम है । वह क्षेत्र कहत का शिकार रहता है । सरकार के काफी पैसे खर्च हुए लेकिन ग्राज तक कहत का कोई स्थाई हल नहीं निकल पाया तो ! जहां उपजाऊ जमीन है, जहां साधारण वर्षा में फसल नहीं कर पाते, जिसके कारण कहत रहता है, वहां छोटी स्कीम्स को पूरा किया जाए जिससे स्थाई हल निकल सके ग्रौर बेकार में सरकार को बार बार पैसा खर्च न करना पड़े ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जिस क्षेत्र में कहत पड़ जाता है सरकार पहले उसका इंतजाम नहीं कर पाती । उस क्षेत्र के ग्रन्दर स्थाई काम करवाये जायं, स्थाई सड़कें हों ताकि वे काम ग्रा सकें । पिछले कहत के ग्रन्दर मिट्टी का काम करवाया गया, पत्थर डलवाए गए । राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है । ग्राज मिट्टी का काम कराते हैं तो गर्मी निकल जाती है ग्रांधियां चलती है तो उसके कारण रास्ते खराब हो जाते हैं ग्रौर लोग वहां नहीं चल पायेंगे, पैसा सारे का सारा बरबाद हो जाएगा । इसलिए इस तरह के काम न करवा कर फैमिन कोड में चेंज करके स्थाई कार्य किए जायं ।

(श्री बहादुरसिंह)

कुछ गांवों में जहां पीने का पानी नहीं है, जहां पानी खारा है, कहत के अन्दर उन गांवों की हालत और खराब हो जाती है इसलिए खारे पानी की समस्या के लिए पक्के बड़े तालाब कटवाये जायं ताकि पीने के पानी की समस्या का हल हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके।

जो इलाके स्थाई तौर पर कहत के शिकार हैं वहां वन विभाग को विशेष ध्यान देकर रेगिस्तान को रोकने के लिए प्रबंध किया जाए ताकि एक तो वहां लोगों के पशुओं के लिए चारा मिल जाएगा, और दूसरे ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाएगी। इसलिए अकाल के स्थाई हल के लिए स्थाई काम कराये जायं ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो और वहां के लोगों को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्षजी, इस सवाल को लेकर इस सदन में करीब करीब हर साल हम चर्चा करते हैं और दुर्भाग्य की बात है यह कि इन पिछले वर्षों के अकाल के बारे में अगर हम सोचें तो राजस्थान में हर तीन साल के बाद अकाल आ जाता है और वैस्टर्न राजस्थान में हर 2½ साल के बाद में भंयकर फेमिन गिर जाता है। हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे सूबों के अन्दर फेमिन गिरने का एवरेज, जिसमें फ्लड शामिल है, 5 साल में एक बार का होता है। इसलिए हमारे फेमिन की समस्या राजस्थान की ऐसी है जिसका निराकरण करना राजस्थान सरकार की क्षमता के बाहर है। हमने भारत सरकार को भी कई दफा कहा। भारत सरकार ने भी इस पर चिन्तन किया। कई कमेटीज की रिपोर्ट आई और कई फाइनेन्स कमीशन ने भी रिपोर्ट दीं। मेरा निवेदन है कि इस फेमिन के सिलसिले में हम दो हिस्सों में विचार करें।

एक हिस्सा तो फेमिन का यह है कि अब जो फेमिन 26 में से 24 जिलों में कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा गिर चुका है इसके लिए राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष के अन्दर क्या कदम उठाने चाहिए और क्या काम करना चाहिए। मैं पहले इस साल की बात सूक्ष्म में अर्ज कर देता हूं। हमारे यहां एक फेमिन कोड है। हमने इस फेमिन कोड को बदलने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। न जाने किस समय राजाशाही के जमाने में यह फेमिन कोड बना था और उसको ऊंचा नीचा करके काम में लेते हैं। पहले तो मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि फेमिन कोड, जो कि बहुत पुराना हो चुका है, बदलने के लिए सदन की कमेटी बनाएं और इस फेमिन कोड को बदलवायें। जब काम होता है तो आफिसर्स लोग इसी को रैफर करते हैं इसलिए इसको बदला जाये।

दूसरी बात यह है कि फेमिन किन किन गांवों में डिक्लेयर किया जाये। आप पटवारी की रिपोर्ट के ऊपर फेमिन डिक्लेयर करते हैं। जो कुछ भी पैदाइश हुई है उसकी पटवारी रिपोर्ट लिख देता है। वह रिपोर्ट तहसीलदार के पास चली जाती है और तहसीलदार से एस. डी. ओ. के पास चली जाती है। उसके बाद आप फेमिन आप डिक्लेयर करते हैं। हमेशा इस सदन के अन्दर हमारे माननीय सदस्य कहते रहते हैं कि इस गांव में फेमिन है लेकिन पटवारी

Page No.95

(श्री मथुरादास माथुर)

की रिपोर्ट के आधार पर यदि वहां पर फेमिन नहीं है तो आप फेमिन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप भले ही पटवारी की रिपोर्ट मंगायें, एस. डी. ओ. रिपोर्ट मंगायें और कलेक्टर की रिपोर्ट मगाएं लेकिन आपने जमीन अलाटमेंट करने के लिए कमेटी बना दी हैं और न जाने कितनी कमेटीज बना दी गयी हैं जिनमें हमारे इन माननीय सदस्यों का सहयोग लिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि जिस एम. एल. ए. की रिपोर्ट को भी आपको उतना ही वजन, उतना ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा वजन देना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस साल फेमिन डिक्लेयर करने के पहले आप मेहरबानी करके जिन इलाकों में फेमिन है उन इलाकों के एम.एल.ए. की भी राय ले लें। उन इलाकों से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर फेमिन डिक्लेयर करने के पहले वहां के एम. एल. ए. से पूछ ले कि उनकी क्या राय है ? यह भी कर लेंगें तो आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि अब फेमिन का काम शुरू हो जाना चाहिए। नवम्बर के आखरी में और दिसम्बर के बिगनिंग में टैस्ट वर्क शुरू करवा देने चाहिए और इसमें डिले नहीं होना चाहिए।

चौथा निवेदन यह है कि फेमिन के मामले में राजनीति मत लायें। भले ही कोई आदमी कह दे, चाहे बड़ा आफिसर हो, जिसका पालिटिकल इन्फ्लुएन्स हो या कोई बड़ा लीडर हो जिसका असर हो। इससे क्या होता है कि जहां काम नहीं होने चाहिए वहा काम शुरू हो जाते हैं और फिर वहां लेबर नहीं आती है तो कह देते हैं कि टैस्ट वर्क में लेबर नहीं आई। इसलिए फेमिन है। इसलिए टैस्ट वर्क ऐसी जगह शुरू किए जाये जहां इन्टेन्सिटी मैक्सिमम—आपको नजर आती हो। वैसे टैस्ट वर्क्स आप नवम्बर में शुरू करा दिया करते हैं लेकिन अब दिसम्बर में भी उसको शुरू कराने की कृपा करें।

पांचवा मेरा निवेदन यह है कि फेमिन डिक्लेयर करने के बाद में भी काफी अर्से तक वसूलियां होती है और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता चाहे वसूली लगान की हो, चाहे कोआपरेटिव के कर्जे की हो या दूसरी सरकारी कर्जे की वसूली हो इसमें भी आप देरी मत कीजिए। वरना आप तो फेमिन की बात करते हैं और टैस्ट वर्क्स शुरू करते हैं और उधर पटवारी और तहसीलदार गांवों में फिर फिर कर लगान की वसूली करते हैं और पिछले एरियर्स की की वसूलियां करते हैं। इससे किसान को बहुत परेशानी होती है।

छठा निवेदन यह है कि जो प्रासीडिंग्स सिविल कोर्ट्स में चल रही है उनको भी सस्पेण्ड्स कराने में देरी नहीं होनी चाहिए नहीं तो कोर्ट से कुर्कियां आती हैं। फेमिन का मतलब यह है कि इसमें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप से देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अन्दर मेरा निवेदन है कि आप तुरन्त कदम उठायें जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो।

यह बातें कहने के बाद अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं ,कि मारवाड़ याने वैस्टर्न राजस्थान, जिसमें बीकानेर और जोधपुर डिवीजन भी आ गया, में फेमिन के तीन पहलू हैं। फेमिन पीने के पानी का होता है, घास और चारे का होता है,

Page No.96

(श्री मथुरादास माथुर)

और धान का होता है। धान पैदा नहीं होता है। मंत्री, महोदय, आप खुद उस इलाके के रहने वाले हैं। राजस्थान के दूसरे इलाकों में जहां भी पानी का इन्तजाम नहीं है, जहां ट्यूब वैल बन्द हो गये हैं वहां उनको फिर से खुदवा दिया जाये। दूसरे जहां कुए हैं और चलाकर लोगों को पानी दिया जाता है उसका माकूल इन्तजाम कीजिए। जहां टैंकरों से पानी दिया जाता है वहां भी आप पानी का पूरा इन्तजाम कीजिए। यह सब बातें आप को सोच कर जल्दी करनी पड़ेंगी तब जाकर इस फेमिन का मुकाबला कर सकेंगे। बरसात हुई और लोगों ने अपना बीज डाला। कुछ तो कातरे ने खतम कर दिया और फिर दुबारा बरसात नहीं हुई तो बाकी भी खतम हो गया। यानि जो कुछ भी घर का धान था वह भी खतम हो गया। इसलिए कई इलाके ऐसे हैं कि जहां तीन तीन और चार चार साल से बराबर फेमिन पड़ रहा है। मैं डीडवाना के कुछ गांवों की कह सकता हूं कि वहां पर तीन साल से फेमिन है। इसलिए आप पानी का पूरा इन्तजाम करने के लिए कदम उठायें।

अब दो तीन निवेदन और हैं। राजस्थान सरकार के दूसरे भी माननीय मंत्री हैं और मुझे खुशी है कि अब जो हमारे योजना मंत्री हुए हैं वह भी डैजर्ट एरिया के रहने वाले हैं और उनकी कान्स्टीटुएन्सी सेन्ट पर्सेन्ट अभाव ग्रस्त है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल सैकिण्ड फेज में चली जायेगी तब फेमिन का मुकाबला करने में काफी मदद मिलेगी। अब नहर सैकिण्ड फैज में आ रही है। साथ ही साथ निवेदन है कि पांच लिफ्ट इरिगेशन योजना हैं। योजना मंत्री जी ने तो यह आवाज, जो मैं अब उठा रहा हूं, पहले उठाई थी, अब आप कुर्सी पर आने से कोई कमजोरी मत लाना क्योंकि कोलायत, चुरू, फलौदी और नागौर की लिफ्ट इरिगेशन की योजनायें हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि लिफ्ट इरिगेशन की योजना को ठीक कीजिए। राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा भय है और राजस्थान सरकार के जो आफिसर्स हैं वह दलील देते हैं कि अगर लिफ्ट इरिगेशन इरिगेशन के लिए आया तो इतना खर्चा पड़ जायेगा कि लोग चुका नहीं पायेंगे। इसलिए यह इकानामिकली वायेबल नहीं है। यह बहुत तंग देखने का दायरा है। आप भी सहमत होंगे कि कास्ट बैनिफिट रेशो जो होता है उसके साथ ही साथ सोशल बैनिफिट भी निकालने की कोशिश करें क्योंकि फेमिन होने के बाद आज तक सरकार ने सिर्फ फेमिन के अन्दर ही कम से कम 250 करोड़ रुपया खर्च किया है, फ्लड का मामला अलग है। जब आप 250 करोड़ रुपया 15-20 वर्ष में खर्च कर चुके हैं। फेमिन से जो प्राब्लम्स क्रियेट होती है वह नागौर में माइग्रेशन आफ केटलकी प्राब्लम क्रियेट होती है लाखों, हजारों आदमी अपने बाल बच्चों को लेकर और मवेशियों को लेकर यहां से जाते हैं। कोटा से आगे जाकर मध्य प्रदेश में जाते है। यह हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य पूर्ण इलाका है। आप कहेंगे कि 30 साल में आपने क्या किया। बड़ी कोशिश की मगर लेकिन पानी कहां से मिले? जब तक पानी नहीं मिले तब तक समस्या हल नहीं होगी। अब नागौर से लिफ्ट उठा ली जावे.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मथुरादास माथुर)

इसको मैं पूरा करके खतम कर दूंगा।

इस लिफ्ट के बारे में आप जानते हैं कि राजस्थान कैनाल से 500 क्यूसेक पानी मिलेगा वह तो हम ले जायेंगे। नागौर की लिफ्ट 45' फीट उठाई जायेगी जो कि बीकानेर तक आयेगी और 450 फीट उठाने से 18 हजार एकड़ जमीन में आबपाशी हो सकती है, सिंचाई हो सकती है। मेरा निवेदन है उस एरिया में ग्रेजिंग का इन्तजाम कर दें तो मवेशियों को पानी भी मिल जायगा और साथ साथ चारा भी होगा।

राजस्थान का जो करोड़ों रुपया खर्च होता है एक साल में वह करीब 26 करोड़ रुपया खर्च होता है। यह लास्ट टैन ईयर्स के आंकड़े हैं। यह फैमिन और फ्लड का मुकाबला करने में जो खर्च होता है और भारत सरकार 10 करोड़ 19 लाख देता है। जब 26 करोड़ खर्च हो रहा है तो मेरा निवेदन है कि उस लिफ्ट से पानी लेकर 18 लाख एकड़ जमीन में पानी का इन्तजाम कर दें तो मवेशी बच जायेंगे।

दूसरे, आपने डेयरी की योजनायें बनाई हैं। वैस्टर्न राजस्थान से दूध आपको ज्यादा मिलता है। यदि ग्रेजिंग का इन्तजाम आपने नहीं किया तो सारी डेयरी की योजनायें खतम हो जायगी। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर जो योजनायें बनाई हैं वह खतम हो जायगी, उसमें कबूतर बोलेंगे, दूध नहीं आयेगा। माइग्रेशन आफ कैटिल प्राब्लम आफ ग्रेजिंग और ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम। हमने ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम के लिए काफी कुछ किया भी लेकिन पानी नहीं निकला। लिक्विड जिप्सम तो निकला सोडियम सल्फेट निकला, क्लोराइड निकला लेकिन पानी नहीं निकला। पानी का सोर्स नहीं है। केवल राजस्थान कैनाल है उससे लिफ्ट करके पानी का इन्तजाम कीजिये ताकि फैमिन पड़ने के बाद वहां के पशुओं को जिन्दा रख सके, यह आप कर सकते हैं। इसके बाद में यह भी निवेदन करूंगा कि जो आप काम शुरू करते हैं फैमिन में सड़कें बनाते हैं, कुछ काम होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, सड़क भी बनाते हैं मगर बनाने के बाद पी. डब्ल्यू. डी. उसको लेता नहीं है। राजस्थान में जो फैमिन वर्क्स शुरू किये हैं उनको कम्पलीट करने के लिए आज राजस्थान की सरकार को 75 करोड़ रुपया चाहिए। तो जितने काम अधूरे पड़े हैं और जो काम शुरू किये हैं उनको कम्पलीट कर सकते हैं तो 75 करोड़ लगाकर कर सकते हैं। आज यह आवाज आती है कि सड़क टूट गई, कट गई। आप उनको परमानेंट बना दीजिये ताकि विकास भी हो जाय और गरीबों को रोजी रोटी भी मिले।

अन्त में, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपने फैमिन में लोगों को जो मिनिमम वेजेज देने की घोषणा की है। इस तकलीफ में, इस हार्डशिप में वे वैसे ही परेशान हैं, फिर आप कहते हैं कि आप धान में देंगे। मेरा निवेदन है चाहे आप धान में ही दीजिये या पैसे में दीजिये लेकिन मिनिमम वेजेज जो है आप उनको अवश्य दीजिये। एक आप कहते हैं मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करते हैं तो मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है क्योंकि फेमिन में औरतें भी काम करती हैं, बच्चे भी काम करते हैं, जवान और बूढ़े भी काम करते हैं। उनका कोई नाप नहीं होता है। यदि नाप कर लिया तो उनकी तनख्वाह कट जाती है और ऐवरेज जो आता

(श्री मथुरादास माथुर)

है वह 50 पर्सेंट मिलता है। बिहार में जब फेमिन पड़ा तो मुफ्त की किचिन खुलवाते हैं परन्तु हमारे राजस्थान का किसान ग्रौर मजदूर तो मेहनत करके खाना चाहता है, मुफ्त में नहीं चाहता है इसलिए मिनिमम वेजेज मिल जाना चाहिये। इससे जो निश्चित रूप से करप्शन फैलता है, वह बन्द हो जायगा। इसको ग्राप सोच लीजिये यह फेमिन रिलीफ का भी ग्रौर डवलपमेंट का भी काम होगा।

ग्रन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन समस्याग्रों की ग्रोर ग्राप पूरा ध्यान दीजिये।

एक बात ग्रौर कहना चाहता हूं। राजस्थान कैनाल के बारे में, मैंने निवेदन किया। एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से पुरजोर मांग कीजिये। नेचरल केलेमिटी फन्ड बनाकर राजस्थान सरकार घाटे में रहती है इसलिए डवलपमेंट के काम हों, वह नामुमकिन हैं इसलिए मैंने मांग की थी कि नेचरल केलेमिटी को फेस करने के लिए सेन्ट पर्सेंट जिम्मेदारी भारत सरकार की होनी चाहिये। इस सारे प्रोसेस के लिए 30 करोड़ रुपया हमको कम से कम भारत सरकार से मिलना चाहिए। इसमें हम ग्रापके साथ हैं, सदन ग्रापके साथ है। जिन्दगी में लोगों को भुखमरी, वेरोजगारी से बचाइये ग्रौर काश्तकारों की भलाई के लिए काम करिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विज्ञान मोदी।

(ग्रनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री माधोसिंह कछवाह: माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा नाम बोला तब मैं नहीं था इसलिये निवेदन करूंगा कि मुझे समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय बचा तो ग्रापको भी ग्रवसर दे दूंगा।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मीटिंग में गया हुग्रा था। मेरा ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव भी मूव किया हुग्रा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा था तब ग्राप नहीं थे। फिर भी समय बचा तो ग्रवश्य दे दूंगा।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, फैमिन पर हमने एक काल ग्रटेन्शन मोशन दिया था, उसका क्या हुग्रा? जिन्होंने गवर्नमेंट की ग्रटेन्शन काल की ग्रौर जिस वजह से यह वहस रखी गई है, हम 15 सिगनेचरीज थे, उनका क्या हुग्रा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापका भी नाम है। ग्राप प्रतीक्षा करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : चर्चा तो ग्रारंभ करने दीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (केशोरायपाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से सरकार का ग्रौर सदन का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रब तक दो तरह के ग्रकाल घोषित किये जाते हैं। जहां ग्रधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ग्रधिक वर्षा के कारण ग्रकाल घोषित किया जाता है ग्रौर दूसरा जहां पर वर्षा नहीं होती है वहां भी ग्रकाल घोषित किया जाता है। मैं सदन का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन तहसील जिला बूंदी में तीसरा अकाल घोषित किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का और सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि केशोरायपाटन क्षेत्र नहरी सिंचाई क्षेत्र है लेकिन वहां नहरी क्षेत्र होने के बावजूद आज जो किसानों की हालत है, जो दुर्दशा है वह इसलिए है कि सरकार की शोषण की प्रवृत्ति है। मैं इस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जहां किसानों से सस्ते दामों पर केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल द्वारा गन्ना खरीदा गया है, उसका अब तक भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है। आज काश्तकार की स्थिति यह हो गई है कि न तो काश्तकार अपने खेत के लिए बीज खरीद सकता है, न अपने खेत के लिये खाद खरीद सकता है और न कोई अन्य समुचित व्यवस्था ही कर सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन है मेरे निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन में भूमि सुधार के अन्तर्गत कार्य चालू रहे है, उसमें किसानों की हालत को नहीं देखा जाता है और न उसकी कोई अधिकारियों द्वारा सुनवाई की जाती है और किसानों से मनमाने तरीके से कैचमेंट का रुपया वसूल किया जा रहा है और कैचमेंट के लिए जिस प्रकार का पक्षपात किया जाता है जिन लोगों के अधिकारियों के साथ सम्बन्ध होते हैं, जो लोग उनको पैसा देते हैं या जो राजनैतिक दवाब डाल देते हैं उन लोगों को तो अच्छी भूमि काश्त के लिए दी जाती है लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी कोई राजनैतिक अप्रोच नहीं है, जो इन अधिकारियों को पैसा नहीं देते हैं, जो लोग दवाव नहीं डलवा सकते हैं उन लोगों की हालत बहुत खराब होती है और उनको बहुत खराब जमीन दी जाती है जिस पर न फसल कर सकते हैं, न उस जमीन का कोई उपयोग हो रहा है, उसका लेवलिंग ठीक नहीं है, जिन पर सिंचाई के धारों की कोई व्यवस्था नहीं है, खेत तक जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मेरे क्षेत्र में माधोराजपुरा, हुसनापुर, मिया वगैरह क्षेत्रों में निरन्तर कैचमेंट चल रहा है। आज की स्थिति इस प्रकार की है। इस बारे में सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया, उनको लिखकर भी दिया, कई बार किसानों के शिष्ट मण्डल भी मिलने आए लेकिन किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं होता है।

इसी तरह से. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर लघु सिंचाई योजना है। इस योजना के अन्तर्गत उतराण फोलाई, मारवीश, बड़ाखेड़ा, पापड़ी, झालजी का वराण, गेंडोली, लवान, दहीखेड़ा, इन पंचायतों में अभी तक लघु सिंचाई का एक पैसे का काम नहीं किया गया है और उन लोगों से पिलाई वसूल की जाती है। जो भी सरकार का बनता है वह लिया जाता है लेकिन किसानों को लघु ग्रामीण सिंचाई योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मेरा माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप सिंचाई का पैसा वसूल करते हैं, किसानों से पिलाई भी ली जाती है लेकिन आज तक किसानों को लघु ग्रामीण सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहरों के माध्यम से पानी नहीं दिया जा रहा है। मैंने पांच तारीख को मेरे क्षेत्र का दौरा किया और किसानों ने बताया कि लवाना, दहीखेड़ा, फोलाई, बड़ा-

(श्री गोपाल पचेरवाल)

खेड़ा तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जिन किसानों ने गेहूं की फसल बोनी है उनको पानी की व्यवस्था नहीं है। उनकी धान की फसल खराब हो गई और आगे भी फसल नहीं बो सकेंगे और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन सिंचाई मंत्री जी की गैर जिम्मेदारी के कारण आज किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले भी चावल की फसल नष्ट हो गई। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जाय और वहां पर सरकार के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज इतने किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनकी फसलें नष्ट हो गई है, जिनकी चावल की फसल हो गई है उन सब क्षेत्रों को माननीय मंत्री जी अकाल राहत मंत्री जी, वहां पर अकाल घोषित किया जावे। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरह की व्यवस्था करें और किसानों को गुमराह न करें, कैचमेंट की व्यवस्था करें तो किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा।

श्रीमान्, इसी तरह से केशोरायपाटन के अन्दर कुनाडी माइनर इरिगेशन है। जब हम विरोधी पक्ष में थे, कांग्रेस सरकार से निरन्तर लड़ते रहे, निरन्तर उनके साथ झगड़ा किया, आन्दोलन किया, प्रदर्शन किया लेकिन आज तक हमारी हालत नहीं सुधरी है। हमारी सरकार का ध्यान भी इस ओर नहीं है। जो कुनाडी माइनर टैल पर जो किसान हैं, उनके खेतों तक कुनाडी माइनर का पानी नहीं पहुंचता है। वहां पर भी पानी नहीं पहुंचने से चावल की फसल नष्ट हो गई है, उनको भी अकालग्रस्त घोषित किया जावे और जिनकी फसलों को इससे नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करें। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खंगारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। उसके बाद में आपने समय निकाल कर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

सबसे बड़ी बात फैमिन कोड के बारे में है। यह अंग्रेजी का शब्द कोड है, मैं इसको कोढ़ ही कहता हूं। कोढ़ ऐसा रोग होता है कि जिसका ज्यों ज्यों इलाज करो वह बिगड़ता जाता है। अभी अभी इसके अनुवाद के सम्बन्ध में झगड़ा पैदा हुआ और कानूनी मुद्दा पैदा हुआ। तो मेरा यह निवेदन है कि फैमिन कोड को या अकाल के लिये काम करने की परिभाषा को जितना जल्दी बदला जावे और उसके लिए सदन के सदस्यों की समिति बनाई जावे तभी इसका लाभ होगा। इस अकाल के पीछे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट पैदा हुए हैं कई वर्षों से। अभी माथुर साहब ने कहा कि दो सौ करोड़ का खर्चा अकाल पर हो गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि चार सो करोड़ का खर्चा हो चुका है। सड़कों पर पत्थर डाल दिये और ठेकेदार सारे पत्थरों को चोरी करके ले गये। उन्होंने राज से दुगना तिगुना पैसा उठा लिया इसलिए वेस्टेड इंट्रेस्ट पैदा हो गए और इसलिए हुए कि अकाल तो हर

(श्री रघुनन्दन व्यास)

साल पड़ता है राजस्थान के कुछ जिलों में लेकिन उसके कारण लोगों को काम नहीं मिलता और काम नहीं मिलता तो उनको मजदूरी नहीं मिलती, इसलिए हम चाहते हैं कि अकाल पड़े। इस सरकार की मशीनरी ऐसी हो गई है। अभी अकाल के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने एक नोट प्रसारित किया है उसमें जालौर जिले का भी जिक्र है। चार तहसीलों में से तीन में अकाल है, चौथे में बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं कि उस तहसीलदार ने जिसके माध्यम से यह रिपोर्ट बनी है, राजनीति को आधार बना कर जो हमारे वहां के विधायक हैं उनको बदनाम करने के लिए एक भी गांव को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया है। मेरा यह निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्व मंत्री उस तहसीलदार के खिलाफ जिसने झूंठी गिरदावरी कराई राजनीति के आधार पर, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयत्न करें। सिरोही जिले में भी पांच छोटी छोटी तहसीलें हैं उसके अन्दर भी गांवों को नहीं लिया है। सिरोही और जालौर की विचित्र स्थिति है। सिरोही जहां पर बारिश थोड़ी कम हो गई तो कुएं सूख जाते हैं और जो लोग वहां पर रहते हैं, मीणा, गरासिया, वगैरा तो उनको रोटी का संकट होता है। जो सैटलमेंट की चर्चा सुबह हुई थी और बताया गया था कि गांव के गांव बेनामी चल रहे हैं, लोगों का सैकड़ों वर्षों का कब्जा है, लोगों को खाने की रोटी नहीं और उन पर राज्य सरकार का लाखों रुपया बकाया चल रहा है। उनको काम धन्धा नहीं मिलता। पिछली बार भी सरकार ने फेमिन के लिए आदेश दिया। आदेश 15 जून के आसपास पहुंचे, मंत्री महोदय ने प्रयत्न किया लेकिन आधा मील की सड़क पर तीस लाख का खर्चा सिरोही जिले में हुआ। और जालौर में जिन एक्स. ई एन. साहब को भेजा गया उन्होंने आते ही कह दिया कि काम नहीं कराऊंगा। इसके लिए काम नहीं होने दूंगा और काम नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि जिन अफसरों की यह राजनीति है, जिन अफसरों की नीति इस प्रकार की कि चाहे जनता भूखी रहे, मरे तो मरे लेकिन हमें कमीशन मिलना चाहिए। वे लोग अकाल में राजस्थान की गरीब जनता के दुश्मन हैं। राजस्थान सरकार को पहले से उनके बारे में निर्णय लेना चाहिए। सिरोही जिले में ही आबू पर्वत है। मैं निवेदन करता हूं कि वहां ऐसी बरसात होती है फिर भी आज आबू पर्वत पर अकाल है। उनके लिए कोई काम नहीं है। लकड़ी का काम नहीं, कोयले का काम नहीं, कोई और काम नहीं। फैमिन का काम नहीं होता क्योंकि आबू को जोड़ेगा नहीं। यह जो स्थिति है उसके मामले में हमें विचार करना चाहिए कि इन लोगों को रोटी मिले, उनको काम मिले और अगर गिरदावरी को ही आधार बनाते हैं तो लोग भूखों मर जायेंगे। उनके पास काम नहीं रहेगा। और फिर अनाज की योजना है। काम के बदले अनाज की योजना उसके अन्दर भी 2) रु. का कुल अनाज देंगे। और चीज मिलेगी नहीं। एक और सरकार कहती है कि उनको पूरी मजदूरी देंगे लेकिन आज दो रुपये में पेट नहीं भर सकता। इसलिए कम से कम सात रुपये का अनाज फैमिन के तहत देना चाहिए। सात रुपये का अनाज दें तो उनसे खुशी से पूरा काम लें। हम नहीं कहते कि पूरा काम मत लो। अगर कोई बूढ़ा आदमी

(श्री रघुनन्दन व्यास)

है तो उन बूढ़ों की अलग ब्रिगेड बना दो लेकिन जो जवान हैं, उनको पूरी मजदूरी दें और पूरा काम लें । काम भी फर्जी मत लो । पिछली सड़कों की क्या हालत है उपाध्यक्ष महोदय । आज डामर की सड़क, पत्थर की सड़क जिसको कूड़ा कहते हैं वह बनायेंगे, लेकिन जो भी काम करवायें, पक्का करवायें ताकि करोड़ों रुपया हमारा बरबाद नहीं हो। और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर आप ध्यान दें ।

पानी की समस्या भी है लेकिन जालौर जिले में तीन नदियां ऐसी हैं पानी की कमी है लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वहां तीन नदियां ऐसी हैं जिनमें सारे साल पानी बहता है । इनके पानी का उपयोग इस अकाल के राहत काम में लिया जावे , वहां पर नहरे बनाई जावें ताकि इस पानी का उपयोग हो सके और जहां पानी नहीं पहुंचता है, इन नदियों के जल से उस इलाके को सिंचित किया जावे । आज बड़े बड़े बोर्ड लगा रखें हैं, नर्मदा नहर आयेगी, राजस्थान कैनाल का पानी आएगा, ये सब तो लम्बे सपने हैं । ईरान का रुपया आएगा और माथुर साहब उसका विरोध करेंगे, श्योपतसिंह जी नाराज होंगे । वर्ल्ड बैंक का पैसा आएगा, जब तक पैसा आएगा जनता प्यासी मर जाएगी, जनता भूखों मर जाएगी। वह रुपया आए या नहीं मेरा निवेदन है कि राजस्थान में हर व्यक्ति को काम मिले, 200 नवम्बर के बाद में काम मिले, अनाज पूरा मिले, उनको सात रुपया मजदूरी मिले और जो मजदूरी मिले वह पूरी मिले । उसके काम का इवेल्यूएशन हो, सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो । इस प्रकार के विचार रख कर अकाल सहायता मंत्री महोदय, अकाल सहायता के नये नियम बनायें और सारी व्यवस्था की, सारे सिस्टम को ढंग से करना चाहिए । मेरा निवेदन है मैंने अपने जिले की जनरल बात अभी कही है । दो-तीन-चार सड़कें ऐसी हैं जिसमें करोड़ों रुपये गड़बड़ हो गये । सड़कें नहीं हैं । मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन चार, पांच सड़कों को पहले लें । यहां पर चार, पांच हजार की आबादी के गांव है । मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में यह पांच हजार की आबादी वाला ऐसा गांव है जहां किसान ही किसान हैं । एक भी बनिया नहीं है । पिछले साल एक नए पैसे का भी काम यहां पर नहीं हुआ था । इस साल लोगों ने बाजरी बोई । थोड़े भुट्टे आए और वे सड़ गये । कह दिया गया बीज खराब हो गया । मेरा यह निवेदन है कि इस गांव में पहले काम शुरू किया जाए । काम जो हो वह स्थायी काम शुरू किया जाय जब जाकर हम अकाल पर काबू पा सकेंगे ।

जंवाई नदी से जालौर जिले में सिंचाई होती है । पहले भी होती थी । नदियों के किनारे पहले भी टूटते थे । उनकी मरम्मत के लिए हर साल कुछ न कुछ व्यवस्था की जाती थी । राजस्थान का मारवाड़ इलाका, जहां मैं पैदा हुआ हूं, उसको आज पश्चिमी राजस्थान का नाम दिया गया है, वहां पर बैसाख और माघ के महीने में ग्रामीण लोग धार्मिक दृष्टि से गांव के बच्चे, बूढ़े नदियों के किनारों को ठीक करते थे । वे यह धार्मिक संस्कार के आधार पर करते थे । नदियों के किनारों को सुरक्षित करने के लिए यह धार्मिक मान्यता आज समाप्त हो गई है । तो इस जंवाई नदी ने 50 हजार

(श्री रघुनन्दन व्यास)

एकड़ जमीन सन् 1971 में खराब की, सन 1973 में और 1975 में खराब की। भरतपुर के बड़े बड़े नेता बोलने वाले हैं। रोज हम उनके भाषण यहां पर सुनते हैं। हमारा गूंगा इलाका है। कभी कभी रघुनाथ जी कह देते हैं। इस इलाके में जवांई नदी से जो जमीन खराब हुई है, 1971 में, 1973 में, 1975 में, और 1977 में, वह राज्य सरकार के बुलडोजर द्वारा इस सारी जमीन को ठीक कराने की व्यवस्था की जाए ताकि जो 50000 एकड़ भूमि सिंचित खराब पड़ी है, यह कोई मामूली बात नहीं है, वह उपयोगी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हुआ मैं अकाल राहत मंत्री से यह कहूंगा कि वे राजस्व अभियान के साथ अकाल राहत का कार्य भी प्रारंभ करें ताकि आप लोगों को रोटी दें, काम दें और रोटी रोजी और मकान देने का हमारा वचन भी है। ये तीनों गरीबों को आप दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जय भारत।

श्री ईश्वरचन्द्र : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप कृपया करके सरकार के जो राजस्व मंत्री, सहकारिता मंत्री हैं, उनसे कहिए कि वे बहस के दौरान सदन में उपस्थित रहें। सब से बड़ा क्रिमिनल आज कलेक्टर है। राजस्व द्वारा झूठी रिपोर्ट दी जा रही है। उसने अकाल की विभीषिका हम पर लाद दी है। सारी गलत रिपोर्ट आ रही है। सहकारिता मंत्री भी नहीं हैं। दमन के साथ किसान से वसूली की जा रही है। वे आज नहीं हैं अकेले अकाल राहत मंत्री जी क्या कर पायेंगे? इसको गंभीरता से लिया जाय और मंत्रियों को पूरे समय तक सदन में बैठने के लिए कहें तो उचित होगा। यह अत्यन्त आवश्यक है।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मंत्री भी होने चाहिए।

श्री शंकरलाल : माननीय भटनागर ने जो बात कही है वह उचित है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह डेढ़ घंटे पहले भी महसूस किया था। दुख की बात है कि इस सदन की गरिमा को कम किया जा रहा है। इस सदन के महत्व को कम किया जा रहा है। अकाल जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर हम बहस करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री नहीं हैं, राजस्व मंत्री नहीं हैं। और जो दूसरे महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके मंत्रीगण सदन में नहीं हैं। और यह कोई ठेकेदारी व्यवस्था नहीं चल रही है। माणकचंद जी को ठेका देकर सारे के सारे मंत्री अपने कक्ष में चले गये। ये सारी बातें सुन कर अपने पेट में डाल लेंगे और रात को घर जाकर सो जायेंगे। कौनसी ऐसी बात है, कौनसे ऐसे कारण हैं कि मंत्री महोदय सदन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं? इस विषय में आप ही हमारी इमदाद कर सकते हैं जबकि उपाध्यक्ष महोदय, कोई आसार नजर नहीं आते हैं। आप इन मंत्रियों को ताड़ना दीजिए। सरकार क्या इसको महत्वपूर्ण नहीं समझती है। अगर महत्वपूर्ण नहीं समझती है तो यहां क्यों बैठे हैं? अकेली हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सदन के नेता की जिम्मेदारी है। सरकार चलाने वालों की ज्यादा जिम्मेदारी है। वे हमारे विचारों को सुनें। जब बहस का मुद्दा रखा गया है, यह दिन उसके लिए तय कर दिया गया है तो फिर क्या यह ग़ैर

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जरूरी है। या यह फार्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। यह सारी फार्मेलिटी का काम हो रहा है। बहस हो गई। हम अपने घर चले गये। और करने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास सदन में बैठने का टाइम नहीं था तो क्यों यह बहस रखी ?

श्री उपाध्यक्ष : काफी कह चुके हैं। मुझे भी कहने का अवसर दें।

श्री टीकमचन्द कांत : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनिट चाहूंगा जालौर की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह चाहूंगा कि जो संबंधित मंत्री महोदय हैं वे कृपया सदन में उपस्थित रहें अगर वे बहुत ही व्यस्त हैं तो माननीय अकाल राहत मंत्रीजी उनके विभाग से संबंधित समस्या को केबिनेट में रखें और निश्चितरूप से उनको जानकारी दें। जो चर्चा चल रही है वह महत्वपूर्ण है और उसके बारे में वे जानकारी प्राप्त करेंगे .....

श्री श्योपतसिंह मकासर: ये तो सुनकर सो जायेंगे। हमारी जो ग्रिवेन्सेज हैं वे रह जाएगी।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय जालौर तहसील की पिछले वर्ष भी यही हालत थी....

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय ईश्वरचन्दजी भटनागर ने जो आब्जरवेशन किया, उसमें उन्होंने कहा कि कलेक्टर मुख्य क्रिमिनल है। मेरा निवेदन यह है कि...

श्री ईश्वर चन्द : I stick to it. I can say that the Collector is the biggest criminal.

श्री श्योपतसिंह : अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो कहेंगे।

(व्यवधान)

There cannot be more criminal than the collector.

श्री निर्मल कुमार : सारे गांवों में अकाल की स्थिति है।

श्री रतनलाल वर्मा : सभी मंत्रियों को सदन में रहना चाहिये। यह कोई छोटा विषय नहीं है। उन गरीब किसानों का भविष्य है जो दुनिया का पेट भरते हैं और खुद भूखे रहते हैं। आज उनकी चर्चा हो रही है। मंत्रियों को बुलाइये। जब तक मंत्री न आवे तो सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए। यह क्या तमाशा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री एस. एन. शर्मा : मंत्रियों को जिलाधीशों द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वह अधूरी दी जाती है। इसलिए उनका रहना जरूरी है।

श्री किशनसिंह भाटी : पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रिमार्क दिया है वह किसी इन्स्टीट्यूशन के प्रति है। किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। इसलिए हमारी ट्रेजरी बेन्चेज को इरीटेट नहीं होना चाहिये। पुलिस बुरी है।

(श्री किशनसिंह भाटी)

Neither we are less than the collector and the I. A. S. officers nor we have mortgaged defend them.

श्री रतनलाल वर्मा : इन्होंने गांवों को बर्बाद कर दिया है। जनता राज में ये नालायक चोटाई नहीं कर सकेंगे। गरीबों के प्रति जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह कहा है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी बिराजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीबों की बात जब सदन में की जाती है तो मंत्री क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। आप उनको बुलाइये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, वन मंत्री को यहां होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : (आयोजना मंत्री) : अकाल सहायता मंत्री जी हैं, हरिसिंह जी यादव बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : कृषि मंत्री जी कहां है ?

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है कि जो मंत्री अकाल राहत से संबंधित हैं उनको यहां होना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। मैं भी उनका समर्थन करता हूं। अकाल राहत से कृषि और सिंचाई मंत्री जी का भी बहुत नजदीक से सम्बन्ध है। कहीं तालाब बनेंगे, कहीं बांध बनेंगे। कहीं बड़ी बड़ी योजनाएं चालू की जाएगी। इसलिए उनको भी सम्मान किया जाय। उनको भी यहां बुलाया जाय।

इसके अलावा मैं यह बात कहना चाहता हूं श्रीमान, मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं हाउस में विचार चल रहा है अकाल सहायता के सम्बन्ध में। सभी कलेक्टर्स को तार दिया जा चुका है कि 20-11-78 तक फसलों के खराबा के संबंध में अपना प्रतिवेदन सरकार को भेजें। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से इस सरकार को कि यह विधान सभा का सत्र 16 तारीख तक चलेगा इसलिए कलेक्टर्स ने क्या रिपोर्ट दी है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा है तो 15-16 तारीख तक राजस्थान के समस्त जिलाधीशों को फसलों के खराबों की रिपोर्ट लेकर यहां बुला लें ताकि हम विधायक भी उनके साथ बैठ कर चर्चा कर सकें। यह मेरा सुझाव है। इससे सभी माननीय सदस्यों को संतोष होगा और मालूम हो जाएगा कि क्या खराबा हुआ, सरकार की क्या नीति है, क्या काम किया जा रहा है अकाल सहायता के अन्तर्गत और हमें भी सुझाव दे सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फैमिन कोड नियम 34 पढ़ना चाहता हूं। माननीय सुराना साहब ने डिफेन्ड किया है कलेक्टर्स को। फैमिन कोड में लिखा है-: "38 (B) The Collector or S. D. O shall check these reports locally in consultation with representatives of political and social institution and the local bodies and the respectable land holders and other persons competent to give opinion and by personal inspection. It is desirable for this purpose to call a conference of these persons at convenient places"

क्या झालावाड़ या किसी और भी जिले में जनप्रतिनिधियों को कांफीडेंश में लिया गया? इस संबंध में हमारे राजस्व मंत्री जी........

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : जब आपका अवसर आये तब आप यह कहें।

श्री टीकमचंद कांत (जालौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि जालौर तहसील का एक भी गांव अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। पिछले 3 साल से, अकाल होते हुए भी घोषित नहीं किया मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल भी जालौर तहसील में ऐसा फिर क्यों हुआ? मैं पटवारियों से मिला हूं। उन्होंने कहा है कि हमें निर्देश मिलें हैं कि खराब काम दिखाया जाय –

एक माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री टीकमचन्द कांत : इसलिए जालौर तहसील अकाल में नहीं आ सकी इसकी वजह से सड़कें खराब पड़ी हैं जिन पर खड्डे पड़ गये हैं, उन पर कोई चल नहीं सकता वे ठीक नहीं हो पाती। जब पूछते हैं कि कि सड़क कब तक बनेगी तो जवाब मिलता है अकाल पड़ने दो। और जब अकाल पड़ता है तो काम नहीं होता। मैं कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जो फसलें 100 प्रतिशत तक होनी चाहिए थीं वो 35 प्रतिशत तक पहुंच गई फिर भी अधिकारी लोग जो वहां बैठे हैं वे परवाह नहीं करते, वास्तविकता यह है कि जालौर का एक एक गांव अकाल ग्रस्त है और मैं चेलेन्ज करता हूं मंत्री महोदय, मेरे साथ चलिए तो मैं आप को बता सकता हूं कि प्रत्येक गांव अकाल ग्रस्त है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टी यहां से चलना चाहे चले, एक एक गांव बता दूंगा जालौर तहसील में कि यहां अकाल है या नहीं। पिछले साल भी जालौर तहसील अकाल ग्रस्त रही। पटवारियों से पूछा तो बोले कि हमें इंस्ट्रक्शन दिये गये हैं। हम अकाल नहीं बता सकते। जालौर तहसील का आज भी एक भी गांव राहत कार्यों में नहीं लिया गया। वहां कि एक एक सड़क टूटी हुई है खड्डे पड़े हैं, लोग चल नहीं सकते, गाड़ियां जा नहीं सकती, बैल गाड़ियों के लिये भी सड़क बेकार है और गांवों में इन्तजार हो रहा है कि कब अकाल पड़े और सड़कें बने फिर भी नोटिस आता है कि अकाल नहीं पड़ा। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें, वापस दुबारा सर्वेक्षण हो और जाकर सही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले थोड़ा कहना चाहता हूं माननीय सदस्य कि उनको पहले

(श्री टीकमचंद कांत)

प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने प्रस्ताव लाकर चर्चा मांगी है । मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा । जब तक तक सदन की कार्यवाही चलेगी आप बिराजे रहें ।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर : जो ट्रेजरी बेन्चेज के हैं उनके नाम ज्यादा हैं । तीन लोग इधर से बोले तो एक माननीय सदस्य उधर से बोले ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर सोच लिया जायगा ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

मैं पहले जैसा निवेदन कर चुका हूं बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में चर्चा लिखित में प्रस्ताव दिया था कि अकाल सहायता के बारे में चर्चा की जाय । बहुत से सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिये थे । जिन्होंने इस तरह की चर्चा चाही है, मैं पहले उनको प्राथमिकता दूंगा । प्रतीक्षा करें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दलों का ध्यान अवश्य रहे, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सब ध्यान है ।

श्री नवरंगसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी मेरी एक मीटिंग है उसमें मुझे जाना है इसलिए आप टाइम मुझे पहले दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम तो अभी आया नहीं है । नाम शायद देर से आयेगा ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) माननीय उपाध्यक्षमहोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के इस वर्ष के अकाल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा खासतौर से मैं अपनी बात जोधपुर डिवीजन और सीमा के जो जिले हैं जैसलमेर ,बाड़मेर जालौर जोधपुर और बीकानेर के हैं उन तक ही सीमित रखूंगा ।

मैने गत 2-3 अधिवेशनों में एक ही बात कही है कि जब तक हम सत्ता में नहीं थे तब तक हम लोग यह कहते आये हैं कि फेमिन का साल्युशन पहले 30वर्षों में और उससे पहले ब्रिटिश हुकूमत ने कोई नहीं किया इसका परमानेन्ट साल्युशन होना चाहिए, और इसको वार फूटिंग पर लेना चाहिए। पहले तो मेरा यह सवाल होगा कि क्या हमने इन 16मास में फेमिन के लिए मीटिंगें बुलाकर कमेटी बैठाकर कमीशन बैठाकर कन्सलटेशन करके इस वेलफेयर स्टेट में आज की तारीख में वर्तमान फेमिन को देखते हुए इसके सीधे एवं स्थायी हल के लिए कोई व्यवस्था ढूंढी है, पीरियड में ढूंढने का कोई इरादा है ? पहले मेरा इरादा यह है कि हमें भी इसका परमानेन्ट साल्युशन करने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए । जब फेमिन का कोई स्थाई समाधान नहीं होता है और हर साल या दूसरे साल फेमिन पड़ जाता है तो कुछ रिलीफ वर्क्स, जो कि यूटिलिटी के नहीं होते हैं, करके कम्पेयर करते हैं कि इन्होंने तो 100 करोड़ खर्च किया है हमने तो 200 करोड़ रुपया खर्च किया था जैसा कि माथुर साहब ने कहा है । मैंने असेम्बली में बार बार कहा है कि फैमिन के कार्यक्रम में राजनीति नहीं आनी चाहिए । यह नेचरल कैलेमिटी है और इसमें वार फूटिंग पर काम होना चाहिए । मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट का ब्रिटिश हुकूमत का उदाहरण दिया था कि सिन्ध के इलाके की एवरेज रेनफाल

(श्री किशनसिंह भाटी)

राजस्थान के जो कम वर्षा वाले इलाके हैं जैसलमेर ,बाड़मेर, चूरू उनसे कम है, सिन्ध का 5 इंच का एवरेज था वहां सक्खर बैराज का निर्माण कर ब्रिटिशर्स ने हमेशा के लिए फैमिन को बिदाई दे दी। पहले भी मैंने यह कहा और गत असेम्बली में भी मैंने यह कहा, लेकिन यह कहने के बाद क्या इस पर सरकार ने और हम सबने मिलकर असेम्बली में सोचा है या सेमीनार की तरह शैक्षणिक, एकेडेमिक डिस्कशन्स करके और एक दूसरे पर एलिगेशन्स और काउन्टर लगाकर चले जाते हैं ? इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने क्या इसका स्थाई समाधान सोचा है ?

यह मानवता का प्रश्न है इसलिए पुराने फैमिन कोड में संशोधन करें। इसमें अभाव और अकाल को हटाकर केवल अकाल मानना चाहिये। वर्षा से इस प्रकार से कांग्रेस पीरियड में रिलीफ वर्क्स चलते थे, उन पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। उसमें अकाल राहत नहीं कह अभाव ही अभाव कहा है।इसको हमने क्रिटिसाइज किया है। आज हमारी भी लायेबिलिटी है। आज हमारी बारी है तो हम अपनी सिन्सियेरिटी और एफिशियेन्सी बतायें। कम से कम 30 वर्ष से जो कमिटमेंट किये गये असेम्बली के फ्लोर पर जो इधर आ गये हैं और जो उधर हैं हम सब का उन कमिटमेंट के बारे में जनता के प्रति फर्ज है। जिन चीजों को लेकर कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया है उसमें रद्दोबदल के लिए हमने आज तक कुछ कदम उठाये हैं ? अगर उठाने का इरादा है तो मैं समझता हूं कि मेरी सरकार जरूर उठायेगी अभाव और अकाल दोनों को मिटाने की दृष्टि से फेमिन कोड में चैंज करके 6 आना मजदूरी पुराने कोड में थी उसके कुछ पैसे आज दिये हैं जो कि मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। हमारी वेल फेयर स्टेट है, सोशलिस्टिक स्टेट है और गांधीजी की समाधि पर कसम हमने खाई है, कांग्रेस से विरासत में जो दीगर चीजें आई उस सारी की भूमिका में हमको विचार करना चाहिए हमारी इमेज बने इसके लिये जरूरी है कि हमने सिन्सियेरिटी हो। मेरा निवेदन है कोड को रिवाइज करें और कम से कम 7 रुपया मजदूरी मिले जैसलमेर, बाड़मेर और जिन इलाकों में गत वर्ष में फेमिन था तो मिलिटी के वर्क्स चलते थे, दूसरे ठेकेदारों के वर्क्स चलते थे, चूने के वर्क्स चलते थे तो भूखों मरता हुआ इन्सान दूसरी जगह नहीं लगता था। तो फेमिन कोड का आधार मानवता होना चाहिए। यह भगवान के बनाये हुए नियम नहीं है। जैसा कि माथुर साहब ने कहा था मेजरमेंट की बात नहीं होना चाहिए मैं माथुर साहब की ताईद नहीं करता हूं। कांग्रेस के जमाने में खेजड़सिंह , पिछडू खान और पीपलचन्द के नाम से पैसा फेमिन का लेकर राजनैतिक दल, मेट्स मिस्त्रियों ने पैसा खाया। हम चाहते हैं कि मेजरमेंट जरूर हो। लेकिन अभी तक का जो मैजरमेन्ट है वह डिफेक्टिव है। फेमिन का मारा हुआ, भूखा आदमी, माल न्यूट्रीशन से अफैक्टेड हैपहैजर्ड वे में काम कर रहे हैं उसके कन्सोनैन्स में, आदमी की वर्किंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए मेजरमेंट कम किया जाय और उसके हिसाब से पैसा दिया जाय। पुराने मैजरमेंट के हिसाब से मजदूरी के जो आप साढ़े चार रुपये पे करना चाहते हो उसके एवज में उसको दरअसल में दो या ढाई रुपये ही मिलते हैं जो कि आज के जमाने में बहुत ही सीमित आय है। इसी वजह से राहत कार्यों पर मजदूर कम भी लगते हैं।

(श्री किशनसिंह भाटी)

दूसरा, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि वर्क्स युटिलिटि के हों, जिनका उपयोग हो। पीने के पानी के लिए जहां पर पाइप लाइन, रीजनल पाइप लाइन नहीं ले जा रहे हैं। रेगिस्तानी इलाका है उसमें रीजनल पाइप महंगी पड़ेगी और टैन्कर्स भी महंगे पड़ेंगे तो हमारे जैसलमेर, वाड़मेर और शेरगढ़ के उन इलाकों को छोड़कर, जहां पर खेती होती है, सैकड़ों ऐसे गांव हैं, श्रीमन् जहां खारे पानी के कुएं हैं वह भी पूरे नहीं होते हैं फैमिन में, टैन्कर्स नहीं जा सकते, रीजनल पाइप लाइन नहीं जा सकती और पीने का पानी नहीं है, ऐसी सूरत में मेरी गुजारिश है कि वहां पर बहुत से तालाब हैं। जहां करीब 20 इंच वर्षा होने पर भी 3-4 महीने से ज्यादा पानी नहीं रहता है एवरेज पानी 15-20 दिन रहता है, ऐसे गांवों में फैमिन में क्यों नहीं ठेके बनवाये जायं, तालाब खुदवायें जाय पक्की सड़कें बनवाई जायं और मजदूरों से युटिलिटि के वर्क्स करायें जायं।

मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। मेरे जिले में गत वर्ष में जो वर्क्स हुए उनका बहुत सी जगह आज की तारीख तक पैमेंट नहीं हुआ। गत वर्ष का पेमेन्ट नहीं हुआ...

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

इसलिए हम ऐसा इंतजाम करें कि आज पेमेंट का सप्ताह 15 दिन का सप्ताह कहलाता है, लिटरली सप्ताह कैसा ही हो तो सप्ताह खत्म होते ही रेगुलर पैमेंट होना चाहिए। फैमिन वर्क पर विजिलैन्स रखने के लिए रेगुलर विजिलैन्स स्टाफ रहना चाहिए, रेगुलर चैकिंग होनी चाहिये ताकि पैसे का मिसयूज न हो।

इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की जहां कहीं भी कमी हो बाड़मेर, जैसलमेर और उन जिलों में जितने टैन्कर्स चाहिये और जितने गांवों की रिक्वायरमैंट है टैन्कर्स की वह अभी से चले जाने चाहिये गत वर्ष जैसलमेर. वाड़मेर, और शेरगढ़ में 15-20 टैंकर्स चाहिए थे तो वह फैमिन खत्म होने. को आया तब तक पूरे टैन्कर्स मिले। पी. डब्ल्यू. डी. कहता है कि खराब हैं। आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय और हमारी कैबिनेट से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों में परमानेंट फैमिन की रिक्वायरमेंट के टैन्कर्स होते हैं उनको हटाकर हैड क्वार्टर्स पर ले आते हैं। परमानेंट टैन्कर्स को वहां से हटायें नहीं और उन क्षेत्रों में वह टैंकर्स रहें और फैमिन एरिया में ही वर्कशाप हो ताकि आने जाने में टाइम वेस्ट न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो मिनट में समाप्त करता हूं।

दूसरी बात यह है कि फेयर प्राइज शाप्स खोलने का इन्तजाम होना चाहिए। मोबाइल यूनिट्स जाने चाहियें। पिछले फैमिन में इस तरह से हुआ नहीं। कुछ कमियां रहीं।

दूसरा आज सभी ने यह कहा कि फैमिन डिक्लेरेशन पटवारी, जो कि जिले के हर गांव में हल्काधीश कहलाता है, की रिपोर्ट पर नहीं होना चाहिए। वह सबसे बड़ा धीश है। जो कलेक्टर है वह आई. ए. एस. होते थे और आज कलेक्टर के नाम से We get irritated when come to power आई. ए. एस. का आर्गनाइजेशन इंडिया में स्ट्रांग है। जब एक बार राजस्थान में कलेक्टर ने पटवारी से पूछा कि आप कौन हैं

(श्री किशनसिंह भाटी)

तो पटवारी ने कहा कि वह हल्काधीश है। फेमिन के बारे में पटवारी ने लिख दिया वह खुदा की लकीर हो गई। इसमें एम०पी० एम०एल०ए० प्रमुख सभी का इन्वाल्वमेंट होना चाहिए। इनका इन्वाल्वमेंट न करके आपने आई० ए० एस० को बुलाया जयपुर में वातानुकूलित कमरों में और फेमिन की जांच उन पर छोड़ दी तो एरोनियस निर्णय चाहे आपका होता है। पटवारी के हाथ में अनफेटर्ड डिस्क्रिशन है। ग्राम पचायतों को इन्वाल्व करके वह करें।

एक बात और कहूंगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : You please treat me as a special case I request you दूसरा लोकस्ट ने नुकसान किया है जैसलमेर में। तो इसको भी नैचुरल कलेमिटी मानकर अलवर और भरतपुर की तरह स्पेशल रिलीफ दिलाया जाय। नेचुरल केलेमिटी का मुआवजा दिलायें टिड्डी कहां से आती हैं? दूसरी जगह से आतीहै। हम ने कसूर नहीं किया। हम तो टिड्डियों को उड़ाते रहे। टिड्डियां हमारे नाज को खा गईं। जैसलमेर में ट्रेक्टर से खेती इस बार इतनी हुई जो 30 वर्ष पहले कभी नहीं हुई अच्छी बारिश हुई थी। लाखों का कर्जा लेकर गरीब हरिजनों ने मुसलमानों ने और गरीबों ने खेती की उन्होंने 3-4 लाख किराये के कई गांवों में दे दिये। मगर वे सारी फसलें टिड्डी खा गई उन्हें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये। गांवों में टिड्डी आई और पूरे के पूरे अनाज को खाली कर गई। यह नेचुरल केलेमिटी नहीं तो और क्या है। आर्म्स फोर्ड की डिक्शनरी में या वेबस्टर की डिक्सनरी में आप कहीं पर भी देख लीजिये। इसलिए वहां के लिए जो आपके फण्ड्स हैं उनको ड्योढ़ा और दुगना किया जाना चाहिए।

इसके अलावा माथुर साहब ने जो एक बात कही, राजस्थान कैनाल की मेन कैनाल जब तक पूरी नहीं कर सकें। जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से चलनी चाहिये स्टेट गवर्नमेंट उसको चला रही है, प्रिन्सिपली मैं मानता हूं लिफ्ट कैनाल को अपोज नहीं करना चाहिए। जब तक मैन कैनाल पूरी नहीं हो तब तक ड्रिकिंग वाटर के लिए वाटर को लिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं जैसा कि पहले नाथूराम जी ने तैयार कराई योजना और हमारी सरकार ने उस पर विवेक से काम लिया। कहीं भी पालिटिकल आधार पर काम नहीं होना चाहिए। अतः राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करता हूं, उसे इनके दवाव से वदला न जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी जी कृपया समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फैमिन में पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव को पूछ-पूछ कर जो कलेक्टर्स की गलत रिपोर्ट आई है ....

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : ऐसे पटवारियों और जिलाधीशों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हम भी कोई गलत रिपोर्ट करते है तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कलेक्टर हमको कहे कि क्रिमिनल कह कर क्या ले लिया। जो भी फैमिन के अन्दर घपले हुए हैं उनकी

(श्री किशनसिंह भाटी)

जांच की जानी चाहिए। मिलिट्री ने तीस लाख की सड़क बनवाई और फैमिन ने भी अर्थ वर्क करवाया दोनों इक्वल इक्वल।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बंशीलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हजारीमल सारण

श्री हजारीमल सारण : (सरदारशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ और अकाल, और खासतौर से अकाल राहत कार्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा-

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी नाम होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी समय दूंगा-

(व्यवधान)

सूची करीब-करीब समाप्त हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे स्पीकर साहब ने आदेश दिया है,

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवसर अवश्य दूंगा।

श्री हजारीमल सारण : राजस्थान का चूरू जिला जो बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया था, हजारों मकान गिर गये थे। अभी मुझे जानकारी मिली है कि चूरू जिले के कलेक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें जिले के 960 गांवों में से केवल 405 गांवों को को ही अफैक्टेड बताया है और जो पर्सेन्टेज बताई है वह भी सही नहीं है। अभी माननीय सदस्य ऐतराज कर रहे थे कि मात्र कलेक्टर की रिपोर्ट पर ही विश्वास किया जाता है जो ठीक नहीं है। मैं भी कहना चाहता हूं कि इसको ही आधार बनाना उचित नहीं है। अकाल राहत समितियों से उसको ही अप्रूव करवाकर भेजना चाहिए, तभी वे सही मानी जानी चाहिए। केवल पटवारियों की रिपोर्ट पर कलेक्टर की रिपोर्ट बनती है। कांग्रेस की सरकार में उपर से आदेश दिये जाते थे कि इतना पर्सेन्ट अकाल दिखाओ। पटवारियों को सही काम करने की छूट नहीं दी जाती। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट आती है उस पर जिला अकाल सहायता समिति से अप्रूव कराकर ही रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पहले कांग्रेस की सरकार में ऐसा समझते थे कि मजदूरी पूरी नहीं दी जाती और फेमिन कोड बदलना चाहिए। इसकी कुछ धाराएं हमको भी नुकसान पहुंचा रही है और मजदूरों पर कोड़े मार रही है। मैं आशा करता हूं कि अकाल राहत मंत्री जी सही जगहों पर फैमिन वर्क्स खोलने की व्यवस्था करेंगे। मैं निश्चित-रूप से सरकार की प्रसंशा करना चाहता हूं कि पिछली बार हमारे यहां बहुत अकाल राहत कार्य खोले गये लेकिन हाऊस में उनके सम्बन्ध में कोई भ्रष्टाचार की गूंज नहीं हुई। कांग्रेस के जमाने में जहां पहले

(श्री हजारीमल सारण)

साल अकाल राहत कार्य खोले जाते थे वहां दूसरी साल हाऊस में उनके भ्रष्टाचार की गूंज होती थी। भविष्य में जो व्यवस्था की गई है दो किलो अनाज की उसके बारे में मेरा सुझाव है, मैं ऐसा मानता हूं कि घटिया अनाज मजदूरों को नहीं दिया जाय, उसके लिए उनको विवश नहीं किया जाय। जो सरकार के गोदामों में अनाज सड़ता है, उस अनाज को मजदूरों को लेने के लिए विवश करना गैर कानूनी और उनके प्रति घोर अन्याय है। सरकार की मंशा यह है कि उसका किसी न किसी तरह से सदुपयोग हो तो बहुत से गरीब लोग जो मजदूर हैं बहुत तकलीफ में हैं। उनको विवश नहीं किया जाय, स्टेट में और भी बहुत से लोग हैं, आफिसर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं उन पर यह पाबन्दी लगाई जाय तो ठीक होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मजदूरों को बाध्य नहीं किया जाय, उनको नगद ही मजदूरी दी जाए। अनाज का अभाव हो तो यह बात समझ में आ सकती है, महंगाई हो वो समझ में आ सकती है कि वे खरीद नहीं सकते इसलिए गरीबों को दे दिया जाय। सरकार इस बात पर विचार करें। दूसरा जहां तक मजदूरी देने का सवाल है चार रुपया बाईस पैसा, 1 रुपया पचास पैसा तो नगद और दो किलो अनाज यह बहुत कम है। इतने कम में काम करना सम्भव नहीं है। हम पहले से ही कहते आये हैं कि मंहगाई बढ़ गई है और फैमिन कोड में रेट वहीं की वहीं है। सरकार ने जो मजदूरी बढ़ाई है वह भी बहुत कम है। कम से कम मिनिमम एक्ट के तहत तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए।

यदि टास्क बेसिस पर काम कराया गया तो वही नतीजा फिर आ सकता है क्योंकि मंत्री तो बदले गये बाकी कोई फर्क नहीं आया। इसलिए यदि अधिकारियों पर छोड़ दिया गया तो जो उनको रिश्वत देंगे, उनका काम ठीक लिख देंगे और जो नहीं देगा उनका काम थोड़ा बतायेंगे, उससे उनको नुकसान होगा। फिर भी सरकार यदि अड़ी हुई है तो कम से कम उनको पी. डब्ल्यू. डी. रेट तो दें। गरीब मजदूरों ने क्या गुनाह किया है कि इतना काम करें और आप उनको पूरी मजदूरी न दें? इसलिए मजदूरी की रेट को बदलें। कम से कम मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत जो मजदूरी है वह उनको दी जाए और अनाज देने की जो पाबन्दी लगाई है उसको हटाया जाए। पानी, छाया व चिकित्सा की व्यवस्था पहले से की जाए। पिछली बार मैंने देखा कि दो दो तीन तीन महीने तक लोगों को मजदूरी नहीं मिली। एक तो थोड़ी मजदूरी दें और वह भी तीन महीने बाद दें तो तीन महीनें आदमी क्या खाएगा। जो सड़क पर काम करता है उसको यदि तीन महीने तक मजदूरी नहीं दी जाए इस प्रकार की अव्यवस्था को सहन नहीं किया जाएगा। मंत्रीजी कह सकते हैं कि हम अच्छा अनाज खाने को देते हैं लेकिन अच्छा अनाज नहीं मिलेगा। सरकार पहले से ही सावधान हो। फसल की स्थिति बहुत खराब है, कातरा खा गया है। अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण मकान गिर गये, लोग भूखे मर रहे हैं और 462 गांव चूरू जिले में अकाल में होने दिखाएं हैं जो गलत हैं इसलिए इस रिपोर्ट को दुरुस्त करायें और जिले की सहायता समिति से पूछकर रिपोर्ट मंगाई जाए।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि जिला व तहसील स्तर पर अकाल सहायता समितियों

(श्री हजारीमल सारण)

को प्रभावी बनाया जाए ताकि अकाल राहत कार्यों में सुधार आ सके और श्रमिकों को मदद मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र में बाढ़ का विवरण सहायता मंत्री ने दिया था और प्राकृतिक प्रकोप से बचने की व्यवस्था में ये लगे हुए थे । अतिवृष्टि के कारण उत्तरी भारत व राजस्थान में बहुत नुकसान किसानों को हुआ जान व माल का और यह जो सूखे की स्थिति पैदा हुई है यह कम वर्षा की वजह से है । बरसात हो जाना ही काफी नहीं है। जैसा मंत्री जी ने बताया, 26 जिलों में से 24 जिलों में इस साल सूखे की स्थिति है और उन 24 में करीब 10 हजार गांव सूखे के असर में आए हैं । हमारे यहां सूखे की स्थिति के दो तीन कारण हैं : एक तो बरसात की कमी, कातरा, जो कीड़ा है, फसल को खा गया और कातरे के खाने के बाद जब दुबारा फसल बोई तो बोने के बाद बरसात नहीं हुई । उसके फलस्वरूप रेगिस्तानी क्षेत्र की हालत यह है कि लू चलती है सितम्बर में जिसको मारवाड़ी में झोला कहते हैं, उससे फसल बिल्कुल खत्म हो गई ।

आज सदन में कई मुद्दे आ रहे हैं । एक यह कि स्केयरसिटी गांवों का असेसमेंट जो जिलाधीश करके भेज रहे हैं वह गलत है । फेमिन कोड में प्रावधान है कि रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश देती है, देने चाहिए और दे सकती है कि यह गांव लाइकली अफेक्टेड हैं । फेमिन और स्केयरसिटी में थोड़ा फर्क है । मैं मानता हूं कि इस साल जो स्केयरसिटी है उसमें चारे की स्केयरसिटी कम है । फेमिन तब डिक्लेयर होता है जब चारा बिल्कुल न हो । चारे की जिन जिलों में डिफिकल्टी है वह जरूर सामने आयेगी । इसलिए कलेक्टर्स को आज ही आदेश जाने चाहिए ।

पहले भी सदन में चर्चा हुई है कि रिकवरीज को सस्पेंड करने की कार्यवाही हो । माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे बहुत सहमत हूं । रिलीफ मिनिस्टर के हाथ में कुछ भी काम नहीं हैं, मैं भी रिलीफ मिनिस्टर रहा हूं । एक तो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, एडीशनल कमिश्नर भी है लेकिन जो रिलीफ के तमाम काम हैं जैसे पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पी. एच. ई. डी. है, सड़कों के काम के लिए पी. डब्ल्यू. डी. है, सिंचाई, वन विभाग –आदि से काम लिए जायेंगे, सोइल कन्जर्वेशन का काम कृषि वाले करेंगे । जब तक ये 3-4 मंत्री कोआपरेशन नहीं करते हैं तब तक रिलीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता । फेमिन कोड में कलेक्टर इसके प्रति आन्सरेबल है । मैंने कोशिश की थी, जिस प्रकार बिहार में 1967 में जब जबरदस्त अकाल पड़ा तब वहां सभी विभागों का कोआर्डीनेशन रिलीफ विभाग के अन्दर कर दिया था । मैंने यहां से डिप्टी कमिश्नर को भेजा था वह वहां से रिपोर्ट ले आया...

श्री शंकरलाल : आप उस समय राजस्व मंत्री थे ?

श्री परसराम मदेरणा : उससे पहले मेरे पास राजस्व विभाग नहीं था ।

कलेक्टर राजस्व मंत्री के रिपोर्ट भेजता है । फिर सहायता मंत्री के पास आती है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

एक्चुएल बैलेंस ग्राफ क्लाक सही नहीं हो रहा है। जब तक वित्त विभाग ग्रापके साथ सहयोग नहीं करेगा तब तक रिकवरीज का सस्पेंशन नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो स्केयरसिटी ग्रफेक्टेड गांव हैं वहां वसूली रोक दो। सहकारी बैंक सस्पेंड नहीं करते क्योंकि रिजर्व बैंक के नियम हैं, जो शार्ट टर्म लोन्स हैं वे मीडियम या लांग टर्म लोन्स में परिवर्तित कर सकते हैं। जब तक यह कार्यवाही वार फूटिंग पर सहकारिता मंत्री नहीं करेंगे तब तक अकाल राहत मंत्री कुछ नहीं कर सकेंगे। सहकारिता मंत्री को साइमलटेनियसली जो लाइकली ग्रफेक्टेड गांव हैं उनके लिए भी कार्यवाही करनी चाहिए। कई गांवों में रिकवरीज चल रही है ग्रौर सहकारिता मंत्री खड़े होकर ग्रकड़कर जवाब देते हैं कि 60 प्रतिशत लोग पावर्टी लाईन के नीचे हैं। दिल्ली में बवंडर, पूरे भारत में बाढ़, कहीं लू।

श्री कौशलकिशोर जैन : लू के बाद ठंडी हवा ग्राई है।

श्री परसराम मदेरणा : फलौदी से ग्राने वाले माननीय सदस्य की क्या राय है वह उन्होंने व्यक्त नहीं की। पता नहीं था कि उनकी पार्टी के ही सदस्य इस तरह के व्यूज रखते हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी सितम्बर के महीने में पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर गये ग्रौर कुछ जिलों में पधारे थे। जब वह बाड़मेर गये तो वहां बरसात हो गयी, जब वह जोधपुर में ग्राये तो वहां बरसात हो गयी। फिर वह चैम्बर में जाने लगे तो वहां बरसात हो गयी। तो उन्होंने सोचा कि ज्यादातर बरसात हो रही है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जहां जा रहा हूं बरसात हो रही है। तो मैं सोच रहा था कि जहां जहां पधारे रहे हैं वहां वहां बरसात हो रही है लेकिन जहां जहां गांव पड़े सन्तन के, हमारे तो सारे इलाके में ही एरिया फेमिन ग्रफेक्टेड है। फिर कातरे की वजह से ग्रौर कुछ बीमारियां भी हो गयी हैं उनकी वजह से भी फसल चौपट हो गयी। फिर टिड्डी का प्रकोप ग्रा गया। पहले वाले मिनिस्टर बता रहे थे कि कई हमले हुए ग्रौर काफी झड़पें हुई। फिर वहां लम्बे लम्बे प्रस्ताव ग्राते गये। हमारी तो सारी ग्राप को चौपट कर दिया। इसलिए ग्राज जो स्थिति है उसमें ग्रन्त्योदय के परिवार वाले लोग हैं, पावर्टी लाईन के नीचे हैं, इस लक्ष्मण रेखा के नीचे हैं उनकी हालत खराब है। इसलिए सबसे पहले तो व्यवस्था ग्रापको यह करनी पड़ेगी कि ग्रपनी फाइनेन्शल पोजीशन संभालनी पड़ेगी। जब ग्रापकी फाइनेन्शल पोजीशन होगी तभी तो काम कर सकेंगे। भीलवाड़ा से ग्राने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नेचुरल कैलेमिटी में तो ग्रापको दस करोड़ रुपया मिलता है। वित्त के साधनों के लिए ग्रापको भारत सरकार के पास जाना पड़ेगा। फण्ड्स ग्रौर फाइनेन्शल पोजीशन ग्रापके पास नहीं है तो ग्राप किसी भी एजेन्सी से काम नहीं करवा सकेंगे। इसलिए पहला कर्त्तव्य यह है कि ग्राप ग्रसेसमेंट करके सोच लीजिए कि ग्रापके पास इतना काम हैं, इतने महीने तक लोगों को काम देना है। उनकी इतनी वेजेज बनती हैं ग्रौर इतने का मैटेरियल होता है। इसके साथ ही दूसरे ग्ररेन्जमेन्टस भी ग्रापको बहुत करने पड़ेंगे बहुत से लोग कह रहे थे कि टैंकर्स खराब पड़े हैं उनकी भी ग्रापको व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर ग्रापको ग्राइडेन्टिटी कार्ड्स बनाने पड़ेंगे। ग्राइडेन्टिटी कार्ड्स कई जगह लोगों ने नहीं लिये। ग्रापको एक

(श्री परसराम मदेरणा)

तरह से टीम बनाकर चलना पड़ेगा। अगर यह नहीं किया तो जो हमको सुनना पड़ता था वही आपको भी सुनना पड़ेगा। कलेक्टर्स को पावर्स हैं टेस्ट वर्क्स शुरू करवाने की। जहां भी स्थिति खराब है, जहां फसल चौपट हो गई है वहां टेस्ट वर्क्स शुरू कर दिये जाने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि लोन रेवेन्यु की वसूली बन्द कीजिये और दूसरे लोन की भी वसूलियां बन्द कीजिए। चाहे पंचायत समिति के लोन हों या दूसरे डिपार्टमेंट के हों आप एक एग्ज़ीक्यूटिव आर्डर निकाल दीजिए। गांवों में इतनी विषम स्थिति हो गई है कि वसूलियां नहीं रुकती हैं और अगर नहीं रुकती हैं तो हालात बद से बद्तर हो जायेंगे। इसलिए आप रिकवरी को बन्द करवा दीजिए।

उसके साथ ही साथ दूसरा सजेशन यह देना चाहता था कि वेजेज का पेमेन्ट भी लोगों को समय पर होना चाहिए....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की
बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय इस बहस की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज की बहस की समाप्ति तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति के अनुसार आज की बैठक का समय आज की बहस की समाप्ति तक बढ़ाया गया

राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति पर विचार

श्री परसराम मदेरणा : वेजेज के सवाल को आपको फूल प्रूफ बनाना पड़ेगा। भारत सरकार के 1964 के आदेशों के अनुसार वेजेज और पैसा दोनों दिया जा रहा था। आज तक काफी जगह तो सड़कें बन गई हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मैंने वेजेज का पेमेन्ट समय पर करवाया था। कलेक्टर का जो भी रेवेन्यू मामला है वह वेजेज का पेमेन्ट करेगा। अलग अलग तहसीलों में कितना कितना पेमेन्ट किया और अरलियेस्ट उसका पेमेन्ट हो जाये इस संबंध में आपको इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए ताकि समय आने पर वेजेज का वितरण कर सकें।

पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ता है। जैसा कि कोड में लिखा हुआ है कि दो तीन इलाकों में घास की और चारे की कमी है। इसमें जोधपुर का इलाका भी है। उसका कारण यह है कि बरसात बहुत कम हुई है। हो सकता है कि मोर्टेलिटी मवेशियों की भी कम हो जाये। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का कमिटमेंट किया था कि हम फसल का और मवेशियों का बीमा करेंगे। पश्चिमी इलाके में चूरू, बीकानेर और गंगानगर का फसली इलाका और सीकर, झुंझुनूं का फसली इलाका और अजमेर का पश्चिमी इलाका सब अकाल की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए जनता पार्टी का जो कमिटमेन्ट है उससे आप मत मुकरिये।

लिफ्ट इर्रिगेशन के संबंध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कहने को तो बहुत बातें कही जाती हैं कि यूटीलिटी वर्क्स लिये जाने चाहिए और जिनकी उपयोगिता

(श्री परसराम मदेरणा)

है वही काम हाथ में लिए जाने चाहिए और फिर परमानेन्ट नेचर के काम हाथ में लिए जाने चाहिए। डी. पी. ए. पी. में लोगों ने सर्वे किया। एक प्लान बनाया उसमें उन्होंने प्रायोरिटी तय की। तो डी. पी. ए. पी. के जितने भी काम हैं, प्लान वर्क्स जितने हैं वह कहां चल रहे हैं। कितने लोगों को लगाया जा सकता है और फण्ड्स कितने हैं और नान-प्लान वर्क्स जिनको लेने जा रहे हैं वह कौन कौन से वर्क्स हैं। इसमें भी आप किनको उपयोगी समझते हैं, साइल कन्जर्वेशन के कौन से काम लिए जा सकते हैं, फारेस्ट और इरिगेशन के कौन से लिए जा सकते हैं और कौन से काम इनकम्पलीट पड़े हैं और जो लास्ट के फेमिन में काम कम्पलीट नहीं हो सके। कुल मिलाकर स्थिति यह होती है कि फेमिन का काम साढ़े तीन महीनें ही चलता है साढ़े तीन महीने में दूसरा फेमिन और हो जाता है। वर्षा हो गई, शाम को और ठण्डी हवा बह गई तो सारी फसलें जल जाती हैं। इसके पहले उसका सदुपयोग हो जाय तो ठीक है। सबसे पहले जो इनकम्पलीट रोड्स हैं उनको पूरा कर लिया जावे और जो कम्पलीट हो गई हैं उनकी रिपेयर्स नहीं हो रही है क्योंकि वे पी. डब्ल्यू. डी. की नहीं है, जो ग्रेवल सड़के बन गई हैं उनकी रिपेयर्स नहीं हो रही है उनको आप पहले लीजिए।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम के बारे में मैंने दो-तीन दिन पहले अखबारों में पढ़ा था, मुख्य मंत्री जी ने पोलिटिकल लीडर्स को बुलाकर और साथ में सत्ता पार्टी के लोगों को बुलाकर कहा था कि सर्वे करा रहे है। सर्वे हो चुका है। उसमें चार डिवीजन लिये गये हैं और चार के पीछे चार सब डिवीजन लिये गये है। एक एक सब डिवीजन के पीछे चार चार ओवरसियर लिये है तो करीब ५० लाख खर्चा करने के बाद वह रिपोर्ट तैयार होगी। यह किस प्रकार का निर्णय लिया गया है। मैं समझता हूं यह टालमटोल की नीति है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस लिफ्ट इरि-गेशन के काम को अभी आप चूरू, बीकानेर, नागौर और चौथा जोधपुर तथा बाड़मेर इन पांच को यदि हाथ में लेते है तो ज्यादा मजदूरों को काम मिल जायगा क्योंकि वही अकाल की ज्यादा सम्भावना है। जिस वक्त अकाल पड़ेगा उन लोगों के पास काम नहीं रहेगा।

यहां पर मैंने देखा है एफ०डी० के लोग ऐतराज करते हैं लेकिन जब वे ही कलेक्टर बन कर जाते हैं, 74-75 में मुझे याद है, जब कलेक्टर बन गये तो सबसे पहले सड़कों का काम किया और उन्होंने कहा कि यदि लोगों को बचाना है तो सड़कों का काम पहले हाथ में लेना होगा। इसमे आपको इमीजियेटली काम करने में आसानी होगी।

रिलीफ का काम तो आपको वार फूटिंग पर लेना पड़ेगा। यदि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देरी हो गई तो लोग कमजोर हो जायेंगे। जो एक रोटी खाता था वह आधी रोटी खाने लग जायगा। फिर उसके बाद दिवाली के दिन आ गये हैं। उनकी हालत को कमजोर मत करिये ·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बीमारी भी अभी फैल रही हैं इसलिए अभी से आपको मेडीकल हैल्थ को एक्टिव कर देना चाहिए। डाक्टरों को अलग

Page No.117

(श्री परसराम मदेरणा)

अलग एरिया में भेज दें ताकि वे उनकी हैल्थ को भी देखते रहें। उनके साथ स्टाफ दीजिए। जब तक इस तरह की सिक्योरिटी डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक उनमें वह भावना नहीं हो पायेगी।

सस्पेंशन आफ प्रासीडिंग एक्ट के नीचे गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है उसमे पूर्व सब जगह कर सकते हैं। आप टैस्ट वर्क शुरू कर सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं। इमीजियेटली आपको इस बारे में स्टेप लेने होंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने जो मुझ पर आरोप लगाया है, वह गलत है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरोप नहीं है, शार्ट टैम्पर कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : आरोप लगाने वाले तो यह खड़े हैं।

सूचना

राजस्थान बन्दी शनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978 में प्रत्यक्ष गलतियों की शुद्धि

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को एक जानकारी देना चाहूंगा। माननीय सूर्यनारायण जी ने नियम 87 के अन्तर्गत बताया है कि एक क्लेरिकल एरर हो गई है और उसको दुरुस्त करने के लिए प्रस्तुत किया है। मैंने रूल 87 को स्टेडी किया है। मैं इस बारे में सदन की राय जानना चाहूंगा जिसमें यह व्यवस्था दी गई है......

"Where a bill is passed by the House, the Speaker shall have power to correct patent errors and make such other changes in the Bill as are consequential upon the amendments accepted by the House"

तो इस में दो तरह की पावर्स है एक तो वह है जिसमें पेटेन्ट एरर करेक्ट की जा सकती है दूसरी वह है जो बिल में कान्सीक्वेन्सियल एरर अमेन्डमेंट के रूप में रह गई है। फिर भी मैं कोई निश्चित अभिव्यक्ति करूं, मैं माननीय परसराम जी से कहूंगा....

श्री परसराम मदेरणा : यह जो एरर है, यह तो कभी भी कर सकते हैं पेटेन्ट एरर रह गयी है कान्सीक्वेंसियल एरर रह गई है। आपने मूव कर दिया है तो.....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने मूव नहीं किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष को अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी मैं जानकारी चाहूंगा जिस तरह कोई अमेन्डमेंट होने पर कान्सीक्वेंसियल चेन्ज भी कर सकते हैं लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है दो तरह की एरर है, एक तो पेटेन्ट एरर, दूसरे वे चेन्जेज की जा सकती हैं जो किसी अमेन्डमेंट के परिणाम स्वरूप की जायं। यह पेटेन्ट एरर हो सकती है।

कई माननीय सदस्य : कर दीजिए। इसमें तो आप कर दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : हाउस से भी करवाना चाहें तो उसे रख सकते हैं। ओरीजिनल एक्ट हिन्दी में है इसलिए हो सकता है ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं। ओरीजिनल एक्ट में तो वर्ड कुछ और है और जो मूव हुआ है वह और हैं ......

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अभिज्ञान और शनाख्त है।

श्री परसराम मदेरणा : जो जानकारी दी है, यह पेटेन्ट एरर है। आप कर दीजिए और हाउस भी कर सकता है, यदि मूव हो गया हो तो।

श्री उपाध्यक्ष : यह अधिकार माननीय अध्यक्ष को है। सदन की जो राय रही है और जिस तरह की एरर है इसको दुरुस्त करने का माननीय अध्यक्ष को अधिकार है। सदन की राय के अनुसार माननीय अध्यक्ष इसको दुरुस्त कर देंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : चूंकि माननीय अध्यक्ष ने नियम 87 के अनुसार स्वीकृति दे दी है इसलिए वर्ड "शनाख्त" की जगह "अभिज्ञान" कर दिया जाय, जहां जहां भी यह आया है।

राज्य में अकाल व सूखे की स्थिति पर विचार

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब ने जो भाषण दिया उसमें माननीय कैलाश जी मेघवाल के लिए कहे गये शब्दों को छोड़कर बाकी मैं उनका शत प्रतिशत समर्थन करता हूं। अगर कोई अनुसूचित जाति का मंत्री आक्रामक होकर बोले तो आपको तो खुश होना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : ये ब्रह्मचारी हैं, इसलिए अकड़ते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : इस अकाल के बाबत मैंने जो कलेक्टर महोदय को निवेदन किया, उसके पीछे मेरे पास ग्राउन्डस हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र पिड़ावा में दो तहसीलें आती हैं एक तो पचपहाड़ और दूसरी पिड़ावा। मैं वहां गया था। इसके पूर्व 6 अक्टूबर को जो विधान सभा प्रारम्भ हुई मैंने तारांकित प्रश्न भी रखा था और उल्लेख किया था कि वहां की फसलें खराब हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। उसका जो जवाब दिया कलेक्टर महोदय ने, हमारे अत्यन्त बलशाली राजस्व मंत्री को भेजा है......

(व्यवधान)

वह राजस्व से सम्बन्धित है, इसलिए आप बच नहीं सकते हैं। जिलाधीश महोदय, ने लिखा है, जिले में खरीफ की फसल ज्वार अधिक होती है इसलिए लैन्ड रैवेन्यू एक्ट के अनुसार अगर ज्वार बिल्कुल नष्ट भी हो जाती है तब भी खराबा नहीं मानकर चरीपुख्ता माने जाने के आदेश हैं। इसलिए हमने पटवारियों से कह कर ज्वार की फसल को खराब नहीं लिखवायाबल्कि यह चरीपुख्ता, इसका मतलब है फीडर, चारा, वह भी पुख्ता और मेरा चुनाव क्षेत्र भी पुख्ता हो गया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का हमारी ब्यूरोक्रेसी का क्रूर, निर्दयी और अमानवीय व्यवहार है वैसा ही हमारे राजस्व मंत्री का है जो कलेक्टर के पीछे खड़े हो जाते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारे मंत्री अफसरों के पीछे खड़े होकर कब तक इनको डिटो करते रहेंगे। हम लगातार निवेदन कर रहे हैं, मैं खुद उस

(श्री ईश्वरचन्द्र)

क्षेत्र में गया हूं, लगातार अकाल राहत मंत्री और राजस्व मंत्री को लिख कर दिया है और अकाल राहत मंत्री कहते हैं कि आपको वहम हो गया है। जो चीज मैं प्रत्यक्ष देख कर आया हूं, गांव गांव में गया हूं। आप कृपा करके सहायता विभाग को चलाने के लिए बैठे हैं, यह आपकी बिल्कुल निर्मम बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले के अन्दर 1586 गांवों में से 119 गांवों में अकाल या अभाव बताया है जब कि मैं निरन्तर चीख रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 218 गांव हैं, उन 218 गांवों में से कम से कम डेढ़ सौ गांवों में बिल्कुल अकाल की स्थिति है, बाकी के अन्दर अभाव की स्थिति है। तहसील पचपहाड़, जहां पर कि झालावाड़ रोड़ से जाते हैं, उसके अन्दर पचासों गांवों में, कालिया खेड़ी, घटोद वगैरा इन सारे गांवों में ज्वार की एक मात्र फसल होती है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कलेक्टर साहब को तार दिया, सीमित तनख्वाह और आमदनी होते हुए भी लगातार टेलीफोन कर रहा हूं और राजस्व मंत्रीजी के यहां पर जाने के लिए स्कूटर का किराया भरता हूं लेकिन उसके बाद भी यह जो रिपोर्ट आई है उसमें यह हालत है कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में ही नहीं जा सकता.........

श्री श्योपतसिंह मकासर : इधर आ जाओ।

श्री ईश्वरचन्द्र : वहां आने से भी समस्या हल नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कम से कम यह हिम्मत तो महसूस करोगे। यह कायरता तो महसूस नहीं करोगे।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह ज्वार, कपास और मूंगफली की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, राजस्व मंत्री इस और महोदय, ध्यान दें और फोडर के चक्कर में पड़ कर काश्तकारों की जिन्दगी को बरबाद नहीं करें। कलेक्टर को आदेश दें कि मानवीय आधार पर जन प्रतिनिधियों से, सरपंचों से बात करें और मौके पर जाकर जांच करें। लेकिन कलेक्टर साहब को तो टाइम नहीं है। हमारे यहां पर इतना बड़ा काण्ड हो गया, अग्निकाण्ड हो गया, रोड़वेज के डिपो को जला दिया लेकिन कलेक्टर अपने दफ्तर से एक फर्लांग चल कर नहीं आए। क्या ऐसे कलेक्टर से उम्मीद कर सकते हैं कि वे मौके पर जायेंगे और कार्यवाही करेंगे। हमारे माणकचन्द जी मंत्री बनते ही ब्यूरोक्रेसी को डिफेन्ड करने लग गये। ये भी हमको क्या समर्थन देंगे ? इसलिए जो मैंने निवेदन किया है कि जो आई. ए. एस. अफसर हैं उनका जो अमानवीय व्यवहार है और वही अमानवीय व्यवहार हमारे मंत्रियों में भी छूत की तरह बढ़ता जा रहा है, उनको रोकने की जरूरत है। और रोकना चाहिए और आप रोकेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्रीमान् यह सही है कि सहकारी मंत्री, अकाल राहत मंत्री और राजस्व मंत्री, इस त्रिगुटे ने मिलकर दमनकारी रवैये से काश्तकारों की कमर तोड़ रखी है। उनका कोई इस तरह का तालमेल हो गया है किसानों पर दमन करने का, उनसे खींचने के मामले में ये सब एक हैं। जब तक इनका रवैया नहीं बदलेगा इनको कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई मनुष्य नजर नहीं आयेगा। इसलिए मैं इस त्रिगुटे से निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके अकाल जैसे प्रश्न पर, अभाव

(श्री ईश्वर चन्द्र)

जैसे प्रश्न पर केवल अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बताने के लिए, केवल ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेहरबानी करके काल से पीड़ित ग्रामीण जनता के साथ खिलवाड़ न करें।

उपायक्ष महोदय, एक शेर याद आ गया कि

कलियों के जिगर अफसुरदा है,
कांटों की जबाने सूखी हैं।

हम बाग के धोखे में शायद,
जंगल के किनारे आ बैठे ।।

दोनों ही परेशान है। हमने यह उम्मीद की थी कि हमारी जनता सरकार राहत देगी। राहत के प्रश्न पर इस अकाल संहिता को बदल कर रख देगी लेकिन बदलना तो दूर रहा उसका जो प्रोविजन थे जिसमें कोई राहत दी जा सकती है उसको भी एक तरफ रख कर राहत नहीं दी जा रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको बदल देंगे, दुबारा नहीं आ सकोगे।

श्री ईश्वर चन्द्र : मैं तो आऊंगा, आप अपनी फिक्र करो।

श्री परसराम मदेरणा : जिनके बाहर कुछ और अन्दर कुछ और, ऐसे इंसान के किरदार से डर लगता है।

श्री ईश्वर चन्द्र : इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्रीगण डरे नहीं, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को कन्ट्रोल कीजिए, जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लीजिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तहसील पिड़ावा और पचपहाड़ में जितने गांव हैं उनको अकाल ग्रस्त और अभाव ग्रस्त घोषित करें, अन्यथा मुझ जैसे कार्यकर्त्ता को आन्दोलन का सहारा भी लेना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं रहूंगा।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अभी जो खरीफ की फसल में कीड़ा लगा, मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, सूरजपुरा के आस पास में फसल नष्ट हो गई जिसकी सूचना मैंने जिलाधीश को और माननीय तत्कालीन कृषि मंत्रीजी को भी दी। मैं मंत्री महोदय से जयपुर आकर मिला कि दवाइयां भेजिये। मुझे कहा गया कि दवाई भेज दी है। मैं वापस मौके पर गया और फिर जिलाधीश से सम्पर्क किया कि अभी तक दवाई पहुंची नहीं है, फसल नष्ट हो रही है परन्तु हमारे अजमेर जिले का सौभाग्य है कि वहां पर जिलाधीश श्रीमती कृष्णा कुमारी भटनागर है। अब उनसे ज्यादा क्या कहें, अगर कोई मर्द होता तो उनसे जा करके कुछ कह भी सकते थे......

श्री टीकमचन्द कांत : यह नारी का अपमान है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप तो महिलाओं को जितना पसन्द करते हैं उतना कोई नहीं करता।......

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : क्या महिला कलेक्टर होने ही नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आपकी संकीर्ण प्रवृति है। आप यह कहें कि....

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो हर बात में कोई न कोई बात खड़ी करके कहना है। आप जरा इनको रोकिए।

श्री नरा : आपका सवाल ही ऐसा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : महिला के नाम से घबरा रहे हो, महिला से ही चौंक रहे हो।

श्री उगमराज मेहता : आप बिराजिये, पहले मुझे सुन लीजिए।

श्री नूरा : हमारी विधान सभा में भी महिला सदस्या हैं उनके लिए क्या कहेंगे ? जो महिला मंत्री हैं उनके बारे में क्या कहेंगे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, ये अपने शब्द वापस लें। ये शब्द कार्यवाही में नहीं रहने चाहिए।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उजला अरोड़ा को क्या आप कमजोर समझते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग्स देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर दवाइयां पहुंचनी थी लेकिन नहीं पहुंची। किसानों की फसल नष्ट हो रही है और किसानों के पास पैसा कहां है। मैंने कृषि अधिकारियों से निवेदन किया लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। किसानों की फसल नष्ट हो गई सूरजपुरा के आस पास में। मैंने फिर कृषि मंत्री जी से निवेदन किया कि आप इस प्रकार से जब फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो कम से कम युद्ध स्तर पर कार्यवाही करके अपने अधिकारियों को भेज कर दवाइयों की व्यवस्था करायें। आगे भी निवेदन करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं हो। जो किसानों का कार्य है, किसानों की फसल को बचाने का यह कार्य युद्ध स्तर पर करना चाहिए अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो अधूरे कार्य रह गये हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो पिछली बार कार्य रह गये थे........

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये तो मर्द है। इनसे तो लड़िये। क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं ?

श्री उगमराज मेहता : सिंचाई मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले दस साल से जो अधूरे काम रह गये थे उनको रेगुलर काम में ले लिया गया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह कछवाह !

श्री कौशलकिशोर जैन : मैंने अपना नाम भी दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : फिर हम चले जाए। हमने तो इस खयाल से आपको नाम नहीं दिए कि सबको बोलने का मौका मिलेगा। वरना हम भी लिख कर दे देते।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवश्य मौका दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं भी एक सदस्य हूं। मुझ को भी मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी मौका मिलेगा।

श्री शिवचरण सिंह : ये तो पार्टी मीटिंग में भी अपने मिनिस्टर को कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सभी को अवसर दूंगा।

श्री कौशल किशोर जैन : विरोधी दल के सदस्यों का समय समाप्त हो गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप सूची पढ़ कर सुना दें ताकि हमको यह मालूम हो जाय कि हमारा नम्बर कब आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माधोसिंह जी को चर्चा कर लेने दें। तब तक मैं अपना अभिमत बता दूंगा।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत पर चर्चा हो रही है। मान्यवर मेरी रक्षा कीजिए, बोलने नहीं दे रहे हैं।

जो सूचना इस कागज के द्वारा दी गई है, उस सूचना को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यह बिना सोचे समझे सदस्यों के सामने प्रस्तुत कर दी गई है। मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो अभाव का इलाका है, उसकी सूचना देने वाले अधिकारियों में अक्ल का अभाव हो गया है। जोधपुर के अन्दर पांच तहसील हैं और उसके अन्तर्गत 726 गांव हैं इनमें 424 गांवों को ही प्रभावित बताया गया है। दूसरी ओर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, की 36 तहसीलों में से 31 तहसीलों को अभाव ग्रस्त बताया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये आंकड़े दिये गए हैं, हम उदयपुर जाकर देख कर आए हैं वहां किस प्रकार की स्थिति है। दूसरी ओर जो पश्चिमी राजस्थान के आंकड़े हैं, उसका कोई आधार नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकाल की परिभाषा क्या है? अकाल को किस आधार पर निश्चित करना चाहिए? इसके लिए हम जिलाधीशों से वार्तालाप करते हैं। तो यह कहा जाता है कि जिस गांव में आधे से ज्यादा नुकसान होता, है उसको हम अकाल की परिभाषा में लेते हैं। जहां पानी की कमी होती है, चारे की कमी होती है, अनाज की कमी होती है तो अकाल मान लिया जाता है। जब काश्तकार की खेती नहीं हो सकती है तो रोजगार की कमी हो जाती है, अगर चारा है थोड़ा पानी है तो रोजगार नहीं है तो आदमी रोटी कमा कर नहीं खा सकता है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां चारा नहीं है, पानी नहीं है। इस तरह से जो अकाल की परिभाषा को निश्चित करने का जो माप दण्ड है उसको बदलना आवश्यक है। अकाल के अन्दर राहत पहुंचाने का जो तरीका है वह भी गलत है। गलत इस प्रकार है कि पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, गांव हैं उनमें हमेशा अकाल रहता है। कोई साल ऐसा नहीं रहता है जब कि वहां पर अकाल नहीं रहता हो। हर साल ऐसी ही स्थिति रहती है। वैसी स्थिति दूसरे जिलों में उत्पन्न होती है तो कहते हैं कि अकाल पड़ गया। पश्चिमी राजस्थान में हमेशा ही अकाल की स्थिति रहती है। उससे निपटने के लिए हमारी पहले की सरकार ने कुछ काम किया था। परन्तु वे बहुत कम थे। इतने कम है कि आम आदमी यह महसूस नहीं कर पाया कि उनको किसी प्रकार से राहत मिल सकती है। वहां पर ट्यूब वैल्स खोदे गये परन्तु वे बराबर

(श्री माधोसिंह कछवाह)

नहीं चल रहे हैं। एक दो जगह चल रहे होंगे। इस कार्य में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को सहयोग देना चाहिए। उसका उपयोग होना चाहिए। अकाल को परमानेन्ट रूप से मिटाने के लिए उसका काम होना चाहिए। इस तरह सरकार परमानेन्ट ढंग से अकाल से निपटने के लिए कदम उठाने में उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो माननीय सदस्यों ने यहां पर कह दी है। मैं कुछ सुझाव संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को देना चाहता हूं। मान्यवर जो मजदूरी दी जाती है, मैं समझता हूं इतनी कम मजदूरी देना हमारे लिए कलंक की बात है। चूंकि कई माननीय सदस्यों का यह सुझाव है कि इतनी कम मजदूरी नहीं दी जाए कि एक आदमी का उससे पेट नहीं भर सकता है। यह अव्यवहारिक दृष्टिकोण है। जो मजदूरी दी जा रही है उसके आधार पर भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। जो नाप तोल होता है। वह गलत होता है। एक आदमी की जगह तीन आदमियों के नाम लिखकर पैसा देने की स्थिति बनती है इसलिये मजदूरी देना कतई उपयुक्त नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार पर, लोगों को काम पर लगाने के लिए गांवों में जो बहुत स्कूल खुले हैं उनके भवन निर्माण किये जाय। नये स्कूलों के मास्टरों के रहने की व्यवस्था की जाय, क्वार्टर बनाये जाय तो वह भी उपयुक्त होगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। सरकार इसको सोचे तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जोधपुर में पानी कम है, जोधपुर तहसील में और जोधपुर बाहर में भी। जोधपुर शहर में तो पानी की इतनी कमी है कि—

श्री श्योपतसिंह मकासर : अकाल की बात।

श्री माधोसिंह कछवाह : पानी की कमी अकाल के द्वारा ही हुई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अकाल में घुसपैठ मत कीजिये।

श्री माधोसिंह कछवाह : आप में भी अक्ल का अभाव हो गया है। बिना बरसात के तालाब खाली हो रहे हैं। 12 महीने पानी रहता है वहां 2 महीने भी पानी नहीं होगा तो वह अकाल की ही बात होगी। इसमें आप क्यों नाराज हो रहे हैं। अगर आपको बोलने की जल्दी है तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।

तो पानी की कमी को मिटाने के लिए जोधपुर में पानी की नहर लाने का प्रस्ताव है। इसको इसी साल स्वीकृत करने में किसी तरह की देरी न हो जाए क्योंकि मुझे शक है कि इसमें सरकार ढील बरत रही है। पानी की कमी, अगर योजना स्वीकृत न की तो बनी ही रहेगी। मान्यवर, जितने भी पश्चिमी राजस्थान में जिले हैं उनमें प्रत्येक जिले में भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार बड़े उद्योग लगावें ताकि वहां पर कम से कम हजार पांच सौ आदमियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जितना वहां पर खनिज मौजूद है उसको निकालने के लिए कोई बड़ी इन्डस्ट्री लगाने की योजना बनानी चाहिये ताकि हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों को रोजगार देने का कोई परमानेन्ट साधन मिल सके। इस बात पर पहले वाली सरकार ने भी नहीं सोचा और यह सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासनिक क्षेत्र में जो अकल का अकाल है उसको दूर किया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

पश्चिमी राजस्थान में जो विकास बिजली, पानी और वहां के उद्योग धंधे जुटाने के लिए किया जाना चाहिये वह नहीं हो रहा है। जब भी सड़कें बनाने का कोई सवाल आता है तो मैं कह सकता हूं कि 103 लाख में 2 लाख का प्रोविजन भी नहीं किया है, माइंस के लिये 107 लाख का प्रोविजन किया गया है जिसमें अकेले कोटा उदयपुर में 70-80 लाख का प्रोविजन किया गया है और जोधपुर डिविजन में केवल 2-2। लाख का किया गया। और देखें, माइनिंग में एरिया डवलप करने की बहुत जरूरत है चाहे वहां नमक की खान हो या पत्थर की खान हो। वहां जब आय न हो तो खानों का जाल जरूर बिछाया जाना चाहिये। लेकिन क्या दृष्टिकोण बना रखा है? मन्त्री जी सोचते हैं कि जिस एरिया से आये हैं वहां पर ज्यादा खर्च करें और सूखा एरिया है वहां कुछ भी खर्च न करें। यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में हमेशा हमेशा के लिये अकाल को दूर करने के लिये ऐसे साधन ढूंढे जांय जिनके द्वारा बरसात न हो तो भी लोगों की ऐसी स्थिति न बने दुखद स्थिति न बने और वहां के लोग किसी दूसरी प्राविन्स में जाने की न सोचें। कम से कम ऐसी स्थिति तो टालें और ऐसे साधन जुटायें अब मैं आपके आदेश से स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी

श्री मूलचन्द डागा : अब वह लिस्ट डिकलेयर करदें माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इसके तत्काल बाद।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा क्या दोष यह है कि हम इधर बैठे हैं। 3लोग ट्रेजरी बेन्चेज से बोलेंगे और एक उधर से।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास जो सूची है उसमें से मैंने 14 में से 10 जनता पार्टी के सदस्यों को अवसर दिया है कौशल किशोर जी, और आप शिकायत कर रहे हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय शिकायत नहीं कर रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप गिड़गिड़ा रहे हैं।

श्री कौशलकुमार जैन : रेश्यो यही है विधान सभा का।

श्री उपाध्यक्ष : यह रेश्यो बराबर मेन्टेन हो रहा है। श्री कौशल किशोर जी की दूसरी जिम्मेदारी है। पालीवाल जी का काम नही कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अच्छा यह बात है?

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन): भाई लोग लड़ते हैं, उपाध्यक्ष महोदय,।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भाई लोग नहीं, माननीय सदस्य कहें।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : मैं महिला होने के नाते नहीं मांग रही हूं, अल्प संख्यक होने के नाते मांग रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी समय मिलेगा बाद में ।

(व्यवधान)

जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनमें १-२ माननीय सदस्य बचे हैं ।

श्री शंकरलाल : हमने नाम दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है। स्थगन प्रस्ताव है उनको पहले प्राथमिकता दूंगा

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय , मुझे बोलने के लिये कहा

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय ,राज्य सरकार को वोट लेने के लिये भेज दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : खेतसिंह जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों को बड़ी जल्दी है, बोलना चाहते हैं इसलिये में खासतौर से माननीय अकाल सहायता मंत्री जी से यह निवेदन कर दूं कि आपने जो अकाल स्थिति पर विवरण दिया है उसमें आपने लिखा है कि जिलाधीशों से रिपोर्ट 20-21 तक मंगवाई है अपनी असेम्बली का सैशन 15-16 तक समाप्त हो जाएगा । मैं चाहूंगा कि 16 और 20 के दरमियान जिलाधीशों को आदेश दिया जाय वे सारे विधायकों और सांसदों को बुला कर उनसे विचार विमर्श करने के बाद 20 तारीख तक अपनी रिपोर्ट भेजें ।

मेजर श्री फतहसिंह : मेरा समर्थन करने पर बहुत धन्यवाद ;।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 20 तारीख तक सभी को बुला लिया जाय । मैं सोचता हूं कि हाउस 20 तक चले।

मेजर श्री फतहसिंह : जो परिपत्र जारी हुआ है उसमें कलक्टर्स को 20 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है उनको यहां बुला लिया जाय ताकि हमसे बात भी हो जाय ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये तो कलेक्टर्स के इशारे पर चलने वाले लोग हैं । आप किसकी बात कर रहे हैं । अच्छा यही रहेगा कलेक्टर्स को रिक्वेस्ट कर दी जाय कि वे अपने जिले में मीटिंग बुलावें जिससे जिले की, खास तौर से अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्यायें हैं वे हम रख सकें ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इस बार जो रिपोर्ट आपके पास आ रही है, आप पटवारी से पूछ रहे हैं कि खराबा है कि नहीं । उसके अनुसार आपने यहां पर यह, फीगर्स दिये हैं । पहले ऐसा हुआ है कि जब गिरदावरी होती थी, तो सरपंच की तस्दीक हुआ करती थी । मुझे मालूम हुआ है, मैंने सरपंचों से पूछा है अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर तो उन्होंने यह बताया है कि हमको साथ में नहीं रखा गया है और गिरदावरी की गई है । यह इस दफा हुआ है । मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप यह हिदायत दें कि पटवारी जब गिरदावरी करें तो सरपंच को साथ रखें, और सरपंच और पटवारी आपस में एक राय नहीं है तो एस. डी. ओ,. साथ में जाय और विधायक को भी इत्तिला होनी चाहिए ताकि वह भी वहां पहुंच जायं । खराबा उसके सामने दर्ज हो तो काफी समस्या का समाधान होगा । मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वह इन्सपेक्टर्स भेजें

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ताकि सही रूप से जो अकालग्रस्त गांव है उनके नाम आपके पास आ जायं। उसके अनुसार ही आप राहत कार्य खोलें ताकि लोगों को सही राहत मिल सके।

इस मौके पर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे पूर्ववक्ता ने बहुत बात आपको कह दीं, जैसे कि पीने के पानी का प्रबन्ध करना है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में कई गांव ऐसे हैं जहां कि पानी खारा है। हमने भी इसके लिए बहुत कोशिश की थी। पहले हर फेमिन के अन्दर टैंकर भेजे गये। वहां पर कोई तालाब नहीं और न कोई दूसरी व्यवस्था है। टांके खोदे तो काफी उसका एन्केचमेंट एरिया चाहिए। हमेशा वहां पर टैंकर भेजे गये हैं तो मेहरबानी करके टैंकर की व्यवस्था करवायें।

जोधपुर के अन्दर फेमिन के अन्दर ट्यूबवेल अधूरे खुदे हुए पड़े हैं। फेमिन रिलीफ वर्क्स चालू किये जायं तो अन्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड उनको चालू करें और आपका डिपार्टमेंट उनको पैसा दें जिससे पीने का पानी मुहैया हो सके।

जिन गांवों के अन्दर फेमिन कन्डीशन्स हैं वहां पर लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने में असमर्थ हूं। पहले यह होता रहा है हम लोगों ने पी. आई. दी है तो आप भी मेहरबानी करके पी. आई. की रकम दें। तहसीलदारों को हिदायत दें कि जहां पर अकालग्रस्त होने की घोषणा की गई है वहां के लोगों को पी. आई. देने की कोशिश की जाएगी और गांव के लोग चन्दा करके काम शुरू करें और बाद में उनको पीं. आई. मिलती रहे ताकि पीने के पानी की व्यवस्था हो सके।

मेरे चुनाव क्षेत्र में धान की कमी है। आपके पास पहले सिविल सप्लाइज विभाग था और अब दूसरे, मंत्री जी के पास चला गया है। वहां पर कोआपरेटिव की मार्फत और कोआपरेटिव सक्षम नहीं हो तो सरकार धान की दुकान खोले। आप भी नहीं खोलते हैं तो फिर प्राइवेट व्यापारी को मौका देकर कम से कम धान की व्यवस्था करें, जिससे लोगों को बाजार से नीचे भावों में धान मिल सके। वहां पर धान के भाव ऊंचे हो गये हैं। वहां के लोगों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वे ऊंचे भाव से बाज़ार से धान खरीद सकें। यदि यह नहीं करेंगे तो भूखों मरने की स्थिति हो जाएगी।

जहां तक टैस्ट वर्क शुरू करने का प्रश्न है मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि स्कूल भवन शुरू कर दें। उनसे पहले एक महानुभाव ने कहा कि ट्यूबवैल खुदवायें जायें। फेमिन वर्क्स का मतलब यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब व्यक्तियों को रोजगार मिले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम वहां पर मिल सकता है जहां कि नहर की खुदाई का काम हों, तालाब की खुदाई हो। ऐसे फेमिन के काम हो जहां पर ज्यादे से ज्यादा लोगों को काम पर लगा सकें। ट्यूबवैल या स्कूल भवन के निर्माण में लेबर कम लगता है। उन कामों में ज्यादा लोगों को मजदूरी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां भी वर्क शुरू करें तो तालाबों का वर्क शुरू करें या जिन इलाकों में टांकों का सुझाव आया था उनमें भी कुछ लेबर खप सकती है। ज्यादा लेबर सड़क पर खप सकती है, बान्धों पर लग सकती है स्वाइल कन्जर्वेशन हो सकती है। इनकामों को प्रयोरिटी देकर काम शुरू करें।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक घास का सवाल है, घास की कमी हमारे यहां पर नहीं है तो घास के डिपो खोलें नहीं ।

मेरे पूर्व वक्ता, भूतपूर्व राजस्व मंत्री और अकाल सहायता मंत्री ने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया था। यदि मंत्री जी उस सुझाव पर अमल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा । और भी कई चीजें हम से सीख लें तो आपकी कमी दूर हो जायगी और आगे चल कर आप इस तरह से काम करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी । इस ब्यूरोक्रेसी के तहत कुछ काम कर सकेंगे, नहीं तो आने वाले समय में आपका बैठना मुश्किल हो जायगा। इसलिए खास तौर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय रहते हुए फेमिन के वर्क्स शुरू कर दें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अकाल के कार्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लिस्टें बनी हैं जिलाधीशों की इसमें राजनीति नहीं है ? जैसलमेर जिले में कुल 650 गांवों में से 515 गांव फेमिन में ले लिए। शेरगढ़ तहसील को उसमें शामिल नहीं किया जहां कि बुरी हालत है । जो गांव लिखे है उनमें 45 गांव ऐसे हैं जिनमें फेमिन हैं लेकिन उनको नहीं लिया । इससे बड़ी राजनीति और क्या हो सकती है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 30 साल के राज्य में सही रूप से रखा है । हमने पक्ष और विपक्ष का हमेशा ध्यान रखा है ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : खेतसिंह जी साहब, 12 लाख का बंगला कैसे बना जयसमन्द पर । अकाल राहत कार्य में 12 लाख का बंगला जयसमन्द पर आपने अपने आराम करने के लिए कहां से बनाया ? आपने अपने ऐशोआराम का सामान जुटाने के लिए जयसमन्द पर बंगला बनाया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपा करें ।

(व्यवधान)

कृपया विराजिए ।

श्री हरीशकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, चोर मचाये शोर यह नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सदस्यों, अपन विधान सभा के सदस्य हैं । अखबार वाले कार्यवाही छापेंगे, और इस तरह से तौर तरीके रखेंगे तो ......

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : आप बैन्च पर खड़े हुए थे तब भी अखबार वालों ने छापा था ।

एक माननीय सदस्य : सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : जनता ने आपकी ऐसी की तैसी कर दी ।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि विरोधी पक्ष के लोग कुछ भी कहें तो ......

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : रामरघुनाथजी, आप.....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको लाकर बड़ी भूल की ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेतसिंहजी, कृपया चर्चा समाप्त करें !

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : सदन को ज्ञात हो गया है कि आप आ गये हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में यह माना गया है कि 26 जिलों में से 24 जिले अकालग्रस्त हैं । कल जब मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहा था उस वक्त भी अकाल सहायता मंत्रीजी ने इस बात को माना था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति साधारण स्थिति नहीं है । यह बहुत भयंकर स्थिति है । मेरे पूर्व वक्ता झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और मैं भी कह सकता हूं कि आप इसको लाइटली नहीं लें । जो गांव निश्चित तौर पर अकाल ग्रस्त हैं, कलेक्टर की मेहरबानी पर और पटवारी या एस. डी. ओ. की रिपोर्ट पर आपने कोई निर्णय ले लिया तो निश्चित मानकर चलिए कि यह आपकी भूल होगी और एक बहुत बड़ी आबादी महरूम रह जायगी, जिसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे । इसलिए आप मेहरबानी करके इन्स्ट्रक्शन्स भेजिए और उनको आगाह कीजिए, जनप्रतिनिधियों को इसमें साथ लीजिये । पंचायतों के चुनाव तो आपने करा दिये, पंचों और सरपंचों के चुनाव नहीं करायें, इसलिए इनके साथ विचार विमर्श करके आप रिपोर्ट भेजिए ।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अन्त में मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने रिपोर्ट मंगाई है वह मानने योग्य नहीं है । मेरी तहसील में 96 के 96 गांव अकालग्रस्त हैं, हमारे यहां पर और जगह से भी घटिया फसल हुई है । दो तीन महीनों से अधिक धान नहीं हुआ है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो विलेजेज अफेक्टेड हैं उनके लिए आप फिर से जांच करायें, राजनैतिक आधार पर आप नहीं लें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामरघुनाथ ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभावग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने लिस्ट दी है जिसमें अभावग्रस्त गांव दर्शाये गये हैं, मेरे जिले में 1250 गांव हैं वहां पर 70 पर्सेन्ट गांव अकाल से ग्रस्त है । यह जो आपने अनुमानित संख्या दी है उसको मैं आधार नहीं मान सकता, यह मेरी समझ में नहीं आ सकता । पूर्व में जब कांग्रेस का शासन था राजस्थान में तहसील लेवल

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

पर, ब्लाक लेवल पर और जिलाधीशों के सामने बैठकें हुआ करती थी उसमें विचार विमर्श करके तय किया जाता था कि वास्तव में कितने गांव अभावग्रस्त हैं और उनको मदद की जरूरत है। इस बारे में जैसा कि माननीय खेतसिंहजी बता रहे थे पटवारी रिपोर्ट तैयार करता है, सरपंच या उसके नुमाइन्दे उनके साथ जावें और फिर उनके हस्ताक्षर से रिपोर्ट सबमिट की जाय लेकिन इस बारे में ग्रामवासियों को और पंचों को कोई जानकारी नहीं है कि कौन-कौन से गांव इसमें ही रखे गये हैं। पटवारी घर पर ही रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं या तहसील में ही बैठ कर करते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पुनः कराया जाय पंचों और सरपंचों को इसमें इन्वाल्व किया जाय, ताकि वास्तविक गांव सामने आवें और अकालग्रस्त गांवों को मदद दी जा सके समस्या केवल राजनैतिक आधार पर ही उसको नहीं जोड़ा जाय अन्यथा एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी और बहुत बड़ा अन्याय होगा।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में 1250 गांव हैं। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि मुझे कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला है, 700 के करीब गांव अभावग्रस्त हैं। पानी की भी समस्या है। नागौर जिले में अक्सर पानी की समस्या रहती है। अबकी बरसात कम हुई है, गांवों के तालाब भरे नहीं है, उनमें थोड़ा पानी आया है। कुछ दिनों में वे सूख गये और कुछ सर्दियों में सूख जायेंगे। अक्सर खारा पानी है, कुएं बहुत गहरे हैं। जिनके पास पैसा है उन्होंने तो टैंक बना लिए हैं उनकी तो व्यवस्था हो जाती है लेकिन जिन गांवों में, तालाबों में पानी आ जाता है वहां पर पानी नहीं आया, इसलिए समस्या है उसको अभी से सुलझाया जाना चाहिये नहीं तो मार्च के बाद और समस्या बढ़ जायगी। जो रेतीले इलाके में गांव हैं वहां पर टैंकरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि कितने ऐसे गांव है जहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा सकता है और किन-किन गांवों को जल प्रदाय योजना से जोड़ा जा सकता है। कितने गांवों में कितने टैंकर चाहिए यह अभी से व्यवस्था करनी पड़ेगी वरना मार्च, अप्रेल में पानी उपलब्ध नहीं होगा। इसके साथ जैसा कि पूर्व वक्ता बता चुके हैं ऐसे इलाकों में सड़कों के बनाने और किसी प्रकार की मजदूरों की मजदूरी उपलब्ध नहीं होती। आपकी सड़क बनेगी और मजदूरों को मजदूरी मिल जाएगी। इसलिए आप जो प्लान आगे बनाने जा रहे हैं उसका छोटा प्लान बनाकर आयें। कोई योजना हो तो लेकर पूर्व में जो सड़कें बनी हुई हैं पी. डब्ल्यू. डी. ने टेक ओवर नहीं की है और हालत खराब हो गई है लेकिन ऐसा काम लेकर चलें जिसमें आपका मजबूत और पक्का प्लान हो, विकास का काम हो और साथ ही साथ अधिक से अधिक मजदूरी उपलब्ध हो।

इसके अलावा गांवों में जो तालाब हैं उनको खुदवाने के लिए कोई योजना नहीं है। ट्यूबवैल्स को खोदा जा सकता है लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां न पानी उपलब्ध है और यदि कुएं खुदवाते हैं तो उनमें खारा पानी निकलता है। तालाबों को खोदने के लिए पैसा दिया जाए। कांग्रेस शासन में अक्सर यह देखा गया है कि इस तरह के

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

तालाबों के लिए लाखों रुपये दिए गए । अक्सर ये कार्य चलते, वे अपने तालाब खुदवाते, उनको मजदूरी मिल जाती और पीने के पानी की व्यवस्था होती । यह जानते हुए भी कि ऐसा पानी पीने से बीमारियां फैलती है, लेकिन क्योंकि इसके लिए इमीजिएट परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं है ऐसा करते। इसलिए आप मानकर चलें कि जहां आपके पानी का स्रोत नहीं है, तालाब खोदें और ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में अधिक से अधिक पानी रह सके ।

जिन गांवों के बारे में तो उनको आस पास की जल प्रदाय योजनाओं से अविलंब जोड़ने की कोशिश करें । चारे की कमी नहीं है लेकिन मवेशियों के पीने के पानी की समस्या खड़ी हो सकती है । आप इसके लिए क्या करने जा रहे हैं ? जगह जगह ट्यूबवैल या कुएं की सोच रहे हैं, क्या आपकी व्यवस्था है ? पहले यह हुआ करता था कि पिलाई के लिए एड दी जाती थी और पानी पिलाने के लिए व्यवस्था करते थे। यह भी आपको सोचना पड़ेगा । हमारे जिले में बहुत पशुपालक हैं उनके लिए पानी की अव्यवस्था के कारण पशुओं के मरने की आशंका है इसलिए आपको कोई व्यवस्था करनी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क ।

(अनुपस्थित) ।

श्री **हरीश शर्मा** ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, कई दिन पहले जब मैं अपने क्षेत्र में घूमने गया था तो जी चाहता था कि प्रकृति की सुन्दरता देखता रहूं लेकिन जब दुबारा अपने क्षेत्र में जाने का अवसर मिला तो चारों ओर से सुनाई दिया कि हे भगवान कैसे हम अपने बाल बच्चों को पालेंगे, सारी फसल चौपट हो गई ।

(व्यवधान)

कांग्रेस (आई) के नेता ने कहा है कि मर्द है तो केवल इंदिरा गांधी बाकी सब महिलायें हैं इसलिए मैं इनको महिलायें समझकर माफ करता हूं ।

खैर । यदि सरकार ने तत्कालिक कदम नहीं उठाए और सहकारी समितियों से राजस्व की वसूली नहीं रोकी गई तो निश्चित रूप से खून खराबे की स्थिति खड़ी हो सकती है । किसान ईमानदारी से खाता है उस पर आप जुल्म ढा रहे हैं और सरकार उनके साथ जुल्म कर रही है । दोनों जिलों में उसकी चपेट में किसान मर रहा है । वहां केवल अकाल है, राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं उनको तत्काल शुरू करायें । अगर सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया । रामगंजमंडी और लाडपुरा क्षेत्र में ८ पंचायत समितियों में कार्य नही किया तो किसान अपनी आवाज उठाने के लिए कटिबद्ध हो जाएगा ।

मेरे क्षेत्र में ऐसे तालाब व नाले है जहां एनीकट्स बन सकते हैं, पुराने राजा महाराजाओं के बने हुए हैं, सब टूटे हुए हैं, अगर उनको ठीक कराकर सिंचाई की जाती तो आज यह स्थिति नहीं होती मैंने कई बार एनीकट्स के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन इसको न कृषि विभाग और न सिचाई विभाग लेने को तैयार है । इस कार्य को करके असमंजश की स्थिति को आप तोड़ें । इस कार्य के लिए फेमिन कोड को बदला जाए । मजदूरी बढ़ाई जाए ताकि कार्य करने

(श्री हरीश शर्मा)

वालों को राहत मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि दर बढ़ाई जाए और उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। उसके साथ कृषि विभाग और पंचायत समिति सबको लेकर एक यूनिट बनाकर कलेक्टीवली निर्णय करें तभी सही रिपोर्ट सरकार के सामने आएगी। अभी बरसात के समय में मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई, स्कूल जाने वाले बच्चे उसमें बहे, तीन बच्चों की मृत्यु हुई, तीन पुलियां बाढ़ से टूटीं, 4 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। उसके बावजूद जो बाढ़ की रिपोर्ट आई उसमें रामगंज मंडी को बाढ़ से प्रभावित नहीं दिखाया। यह क्या है? क्या यह सरकार की कार्य कुशलता है? इसके लिए जरूरी है कि चाहे एक ही कार्य किया जाए उसके बारे में तत्काल प्रभावी कदम उठाये जायं। मेरा सुझाव है कि सड़क, विद्यालय, चिकित्सालय, पुलियां जो बरसात के दिनों में गांव से मंडी तक आने के लिए अवरुद्ध हो जाती हैं, ऐसी पुलियों का काम शुरू किया जाए। एनीकट्स से काम लिया जाए ताकि बहुत बड़ा काम शुरू हो सके। सब लोग जो प्रभावित हैं वे कार्य कर सकें और उनको राहत मिल सके। मैं राजस्व मंत्री व अकाल राहत मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि समय आ चुका है, लोगों में भंयकर त्राहि-त्राहि मची हुई है। वे आशा लगाए बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं कि कब सरकार राहत कार्य खोलेगी लेकिन आज तक यह हुआ है कि धीरे धीरे चलो, उस स्थिति में हम चल रहे हैं, हम अपनी स्थिति को जानते हैं, जब क्षेत्र में जाते है तो किस प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल राहत कार्य खोलें। रामगंज मंडी और लाडपुरा में जो 8 पंचायत समितियां हैं उनको राहत पहुंचायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : मुझे दो मिनिट दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : अकाल के विषय में सब को बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सब को अवसर दे रहा हूं। अगर आप 12 बजे तक भी चलाना चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : इसी पर मैंने कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): समय तो बढ़ाया गया है आप जितनी और डिबेट करना चाहें करें, फिर भी कोई पाजीटिव समय तय करें। हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जब सदन बैठने को तैयार नहीं होता है तब तो आप कहते हैं कि समय बढ़ाया जाए और जब हम बैठना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि समय तय करें। आप हर बात उल्टी करते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा था कि घंटे, दो घंटे और लगेंगे तो उसमें कोई बात नहीं है। आप बैठिये मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था.....

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष जी, मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मालूम करूंगा कि आपका नाम है या नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तीन पेज का नोट सक्युंलेट किया है.......

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष जी, ध्यान आकर्षण वाले रह गये और बाकी का भी नम्बर आयेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अन्तिम वक्ता हैं जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल राहत के विषय में सदन में चर्चा हो रही है इसकी मंशा यही है कि सदन में इस पर पूरा विचार किया जाये और जहां भी अभाव की स्थिति है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे राज्य के 26 जिलों में से 24 जिलों में अभाव की स्थिति है तो आपको इस तरह से बीच में डिस्टरबेन्स नहीं करना चाहिए । मामला बहुत सीरियस है और अगर इसको इतना लाइटली लेंगे तो आपको बहुत पेचीदगियां पैदा होंगी ।

उपाध्यक्षजी, मैं आपको पहले के अनुभवों के आधार पर बताऊंगा और हमारे पहले के भूतपूर्व अकाल सहायता मंत्री जी हैं उन्होंने भी कई सुझाव दिये उनको भी लाइटली लिया और सुनने की कोशिश नहीं की । मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह मानवीय प्रश्न है और इसमें राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए । यह तो कहा जाता है, लेकिन फिर भी माननीय उपाध्यक्ष जी मैंने जो पहले के माननीय अकाल सहायता मंत्री थे, मैंने पिछले अनुभवों के आधार पर राज्य सरकार को आगाह किया था कि जालौर जिले में जो गिरदावरी हुई वह गलत हुई । उसके बाद माननीय मंत्री जी ने जांच की तो उसको उन्होंने सही पाया और जब कलेक्टर ने एक रिपोर्ट भेज दी तो दुबारा रिपोर्ट में चैन्ज नहीं करना चाहते थे तो माननीय मंत्री जी के सामने समस्या उपस्थित हुई । पूरा जिला यहां सदन में अकालग्रस्त घोषित करना मंत्री जी चाहते थे लेकिन फेमिन कमिश्नर ने सलाह दी कि आप फेमिन डिक्लेयर मत कीजिए । तो उपाध्यक्ष जी, मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता था कि आपका रेवेन्यू अभियान चला उसमें सरपंच, प्रधान तो खैर थे नहीं सारी जनता के सामने कलेक्टर, एस. डी. ओ. और सारे उपस्थित लोगों के सामने पूछा गया कि कितना खराबा आया और फसल की क्या स्थिति है ? सब जगह यह कहा गया कि चार आना फसल है और कलेक्टर ने स्वीकार किया कि यह फेमिन में घोषित किये जायेंगे । इतना करने के बाद और पूरा अभियान चलने के बाद यह स्थिति हुई कि जब लिस्ट घोषित हुई तो एक भी गांव नहीं । उस पर मैंने बारबार सदन में सरकार को ध्यान आकर्षण के जरिये, एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये और प्रश्न के जरिये राज्य सरकार के सामने आंकड़े उपस्थित कराये तो माननीय मंत्री जी को आभास हुआ और उन्होंने माना कि हां गलत गिरदावरी की रिपोर्ट आई है और आप सही हैं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि फेमिन डिक्लेयर करवाने के प्रपंच में मत पड़ो और काम शुरू करा देंगे । मैंने मंत्री जी से कहा कि आप काम नहीं खोल सकेंगे, आपको धोखा दिया गया है । उन्होंने कहा कि हम सारी व्यवस्था करेंगे । उपाध्यक्ष जी सही स्थिति यह हुई कि, अभी माननीय मंत्री यहां नहीं हैं उन्होंने कहा कि यह मामले केबिनेट के सामने जाते हैं और केबिनेट ही फैसला करेगी ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

केबिनेट में मामला नहीं ले जा सके अकाल मंत्री जी आ गये हैं-उनकी कोशिश के बावजूद भी कुछ गांव घोषित भी किये कलेक्टर को आदेश भी दिये और कामों की सूची भी मांगी। एक डिप्टी कमिश्नर रिलीफ को जालौर भेजा और कहा कि आप जाकर यह स्थिति लाइये कि काम क्यों नहीं खोल रहे हैं? जब डिप्टी कमिश्नर रिलीफ जालौर गया तो वहां न तो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर सिंचाई विभाग मिला और न पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर साहब मिले। यह मामला बहुत गम्भीर है। मेरा उपाध्यक्ष जी यही कहना है कि मैंने पहले भी आगाह किया था कि पिछली साल काफी गांव, अकालग्रस्त घोषित किये गांव और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी यही आब्जर्वेशन दिया था कि पिछली सरकार के समय में गड़बड़ियां हुईं लेकिन लोगों को भूखों नहीं मरने दिया। इतने गांव अकालग्रस्त तो पिछले साल घोषित कर दिये लेकिन काम नहीं हुआ। माननीय सदस्य कहते हैं कि करप्शन की शिकायत पेश नहीं हुई। जब काम ही नहीं हुए तो शिकायत क्या पहुंचेगी? इस साल हमारे क्षेत्र की स्थिति विकट है, पिछली साल से भी ज्यादा विकट स्थिति है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी हम आपसे यही चाहेंगे कि आप समय समय पर स्टेट लेवल पर रिलीफ कमेटी की घोषणा करें और डिस्ट्रिक्ट फेमिन रिलीफ कमेटी की भी घोषणा करें जो कि 15 दिन के बाद स्थिति का जायजा ले और सबकी सलाह से ले। अगर ऐसा इंतजाम करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। हर कान्स्टीटुएन्सी इफेक्टेड है। इस मामले को सीरियसली नहीं लेंगे तो समस्या काबू में नहीं आयेगी। यह बहुत सीरियस चीज है। माननीय मंत्री जी को हम सब सहयोग दें, नहीं तो मंत्री जी अकेले क्या कर सकेंगे? जैसा श्री परसरामजी मदेरणा ने कहा कि चार पांच मिनिस्टर्स बैठकर सब-कमेटी बनायें तो मामला बैठ सकता है। इसीलिए कहा है कि फोर्टनाइटली रिपोर्ट कलेक्टर सितम्बर में भेजें, अक्टूबर में भेजें, नवम्बर में भेजें। पहली बरसात का क्या हुआ, दूसरी, तीसरी और चौथी बरसात का क्या हुआ? इन सब बातों का बराबर रिव्यू होना चाहिए, तब जाकर कह सकते हैं आफिसर्स को कि पहले तो आपने यह रिपोर्ट भेजी थी और अब यह कैसे भेज दी। मैं पन्द्रह बीस साल का पुराना सदस्य हूं, मैं पहले भी सरकार को कहता था और अब आपको भी कहता हूं। यहां बैठकर आप चार्जेज लगाते रहे। इससे काम नहीं चलेगा। आप इससे बैटर इन्तजाम करके बतायें तब आपको धन्यवाद देंगे।........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह तो लोगों को सेट बेक हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जिला जालौर की ओर पुन: आकर्षित करते हुए यही निवेदन करूंगा कि पहले जो गांवों की लिस्ट आई है-भीनमाल, जालौर और सांचौर उसमें कोई पक्षपात का तो मामला नहीं है। यह कागजों का मामला है, सही स्थिति क्या है? कलेक्टर को बुलायें, हमको बुलायें और जैसा मेजर साहब ने कहा है फेक्चुअल स्थिति बाहर गांवों में डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला ऐसा है, इसमें कुछ समय तो दीजिए। मैंने पिछले साल भी कहा था और उन्होंने मन्जूर किया कि मंत्री जी को मालूम है यहां जब जवाब देंगे तब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कहेंगे जो फैक्ट्स पेश किये गये थे उससे आपको ज्ञान हुआ है या नहीं और आपने कहा यस हुआ है और मैं फेल हुआ हूं और आपने मंजूर किया कि वास्तव में काम नहीं हुआ है। मैं कहता हूं इस साल जो भी स्थिति है कागजों में उसका सही प्रदर्शन हो और वैसा ही डिक्लेयर करके फेमिन की स्ट्रेटेजी क्या है, वह होनी चाहिए। जो फेक्ट्स बताये हैं, एक कमेटी की घोषणा कर दीजिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री): ऐसा ही हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: तो यह बराबर रिव्यू करके जो साइल कन्जर्वेशन का वर्क है, फेमिन का वर्क है, ईरिगेशन के वर्क है-बाड़मेर में जैसे खड़ीन का वर्क है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेबर पोटेन्शियल के लिये आपको समस्या आयेगी। वर्क वह होता है जो लेबर पोटेन्शियल होता है। मैं निवेदन करूंगा गुजरात में जिस तरह काम होता है आप एक टीम भेज कर कि वहां किस प्रकार का वर्क होता है, उसका अध्ययन कराइये। पक्का वर्क तब होता है जब कोई स्पष्ट स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। यह नहीं है कि नदियां आई और जमीन की उथल-पुथल कर गई। उसमें इधर उधर का काम करा दिया, इससे आपका काम होने वाला नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो भी काम हो हमारा एग्रीकल्चर पोटेन्शियल जिला है और इसमें जिस हिसाब से वर्क होता है-जैसे ईरिगेशन वर्क है, साइल कन्जर्वेशन का वर्क है, सड़कों का काम है-इन सारे कामों की सूची बनाकर पूरे तीन चार महीने के काम का ब्यौरा तैयार करायेंगे तब तो होगा, नहीं तो हम कहेंगे ऐसा नहीं होगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने कहा है कि इस काम के लिये कमिश्नर लगा रखा है तो मेरा निवेदन है कि कमिश्नर के डर से काम नहीं चलने वाला है। एक तरफ तो आप यूं कहते हैं और दूसरी तरफ भी आप यूं कहते हैं। जो आपकी पालिसी है, उसी के अनुसार वर्क करेंगे तो काम होगा वरना सब जगह बात ही बात होगी, काम नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्रीमती श्यामा कुमारी सैंगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अकाल राहत के विषय में अपने गांवों की जानकारी देना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में चित्तौड़ जिले में कपासन में दोनों प्रकार के गांव हैं। एक प्रकार के गांव तो वे हैं जहां वर्षा हुई है और वर्षा से अच्छी फसल भी हो गई है और दूसरे प्रकार के गांव वे हैं जहां श्रीमन् शुरुआत में तो वर्षा हुई है लेकिन ज्यादा बरसात होने से कीड़ा लग गया और फसल खराब हो गई है। पिछली वर्षा की कमी के कारण फसल पक नहीं सकी है तो मैं श्रीमान् से आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी और मैंने पिछले वर्ष भी माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में भोपाल सागर को भरने के लिए पिछली सरकार ने एक योजना बनाई थी और उसकी खुदाई का काम भी शुरू करवा दिया था लेकिन वह अधूरा छोड़

(श्रीमती श्यामाकुमारी सैंगर)

दिया गया है यदि वह पूरा हो जाता है तो पंचायत समिति के जो क्षेत्र हैं वे पूरे सिंचित हो जाते हैं। न मालूम किन कारणों से पुरानी सरकार भी नहीं करवा सकी और हमारे वर्तमान सिंचाई मंत्री जी का भी ध्यान उस ओर नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी मेरे क्षेत्र में फीडर भोपाल सागर है उसको पूरा करवा दिया जाय। इसके अलावा छोटे छोटे बांध हैं–इनको अगर बनवा दिया जाय तो अकाल से राहत मिलेगी।

इसके साथ ही मैं अभी हमारे माननीय सदस्यों में से किसी ने कहा कि सरकार एनीकट्स बनवाने का काम करे तो क्षेत्र में अकाल की स्थिति में राहत हो जाती है। मेरे क्षेत्र में जो एनीकट्स इत्यादि के छोटे छोटे काम हैं वे तो सरपंच ही करवा लेंगे लेकिन जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनमें अधिक पैसों की जरूरत होती है, उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी राशि स्वीकृत करके जो भोपाल सागर फीडर है जिसका थोड़ा काम बाकी है, उसको पूरा करवा दें तो मेरे क्षेत्र की समस्या हल हो जायगी।

इसके अलावा उदयपुर की बात भी बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं उदयपुर में रहती हूं जैसे सलूम्बर है, गोगुन्दा है, फलासियां है, गिरवा है ये चार–पांच क्षेत्र हैं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहां के जन प्रतिनिधि भी यहां है और शायद वे भी अपनी कुछ बात कहेंगे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से जो उनका धन्धा है, वह लकड़ी बेचने का है और जब से आपकी डेजर्ट की स्कीम बनी है तब से उनका संरक्षण बन्द हो गया है। उनके पास एक-एक, दो-दो बीघा जमीन है, उसमें यदि अकाल न भी पड़े तो उसमें अनाज इतना नहीं पैदा कर सकते हैं जिससे उनका पालन हो जाय, साल भर गुजारा हो जाय। जब गुजारा नहीं होता है तो भूख से भूखा आदमी क्या नहीं करता है, भूखे रहने के कारण जंगल से लकड़ी लेकर शहरों में बेचते हैं। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि वे नाजायज शराब का धन्धा भी करते हैं, केवल पेट पालने के लिए करते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन है कि अकाल राहत का काम शुरू करें और उसके लिए जैसा माननीय मदेरणा साहब ने फर्माया कि पिछली सरकार काम शुरू कर देती थी और योजना समाप्त होने पर काम एकदम बन्द हो जाता था और सामान वहीं पड़ा रह जाता था। मेरा निवेदन है कि जो काम अकाल राहत में शुरू कर रहे हैं उसको पूरा करवायें और पुराने अधूरे सड़क निर्माण कार्य को भी पूरा करवाने की कृपा करें।

मेरे क्षेत्र में भी ऐसी अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं, आज जिनको हम सड़क नहीं कह सकते हैं, केवल रास्ते हैं वे और उन पर गिट्टियां, पत्थर आदि पड़े हुए हैं उनका बहुत कुछ सामान तो लोग ले गये। थोड़ा बहुत सामान अभी बचा हुआ है तो, श्रीमान; मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि पिछले अकाल में जो कुछ काम शुरू करवाया था उनकी उपयोगिता को देखकर उनको पूरा कराने में प्राथमिकता दी जाए। ऐसा न हो कि आधा काम करवा दिया और आधा नहीं करवाया। उससे उसकी न तो उपयोगिता रहेगी और जो आधा सामान उन सड़कों पर पड़ा हुआ है वह भी इधर उधर हो जाएगा इससे सरकारी धन का दुरुपयोग ही होगा। आदिवासियों का जो धन्धा है वह जंगल से लकड़ी काट कर बेचना है। अगर छोटे–

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

छोटे उद्योग धन्धे खोल दिये जाएं और उनको रोजगार मिल जाय तो सम्भव है उनका चोरी से जंगल काटना और नाजायज शराब बनाना बन्द हो जाय। मेरे क्षेत्र में बागरिया जाति के लोग रहते हैं उनकी जातिय परम्परा है कि वे चोरी के बिना नहीं रह सकते। उनके लिए राहत कार्य चलाये जाएं जिससे उनको मजदूरी मिल सके। उनको पिछली सरकार ने जमीनें भी दी हैं और हमारी सरकार ने भी अन्त्योदय में उनको लाने का प्रयास किया है। मेरा निवेदन है कि जो सड़कें अधूरी हैं और जिन पर मिट्टी पड़ी हुई है उन स्थानों का काम शुरू करवा दिया जाय ताकि उन बागरियों को और आदिवासियों को काम मिल जाय और राहत भी मिल जाय। यही बात कहते हुए और आपको धन्यवाद अर्पित करते हुए स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंनें भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री दुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष, इनके तो हाथ का ही असर हो गया।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम मेरा भी है, मेरे से क्या नाराजगी है?

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम तो काफी आगे है। आपको तो काफी इन्तजार करना है और आपको बैठना भी है।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पाली जिले की तरफ से कोई नहीं बोला है और रामकृष्णदास जी तो काफी बोलेंगे। जो ज्यादा उचक उचक कर बोलते हैं उनका नाम पहले पुकार देते हैं और जो चुप रहते हैं उनको समय नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बोल लीजिए। गुप्ताजी को भी एतराज नहीं होगा।

श्री रतनलाल वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, फिर गुप्ताजी नहीं बोलेंगे। उनकी जगह पर ये बोलते हैं तो गुप्ताजी नहीं बोलेंगे।

श्री सुखलाल सेंणचा : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं कि इस वर्ष भी अकाल घोषित होने जा रहा है और हमारे पाली जिले में 843 गांवों में से 228 गांवों में अकाल की स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले की स्थिति से आप अच्छी तरह से अवगत हैं और आपको पता है कि पाली जिले में भंयकर अकाल की स्थिति है। पिछले साल के अन्दर भी पाली जिले के अन्दर भयंकर अकाल की स्थिति थी और राज्य सरकार द्वारा अकाल घोषित किया गया था। कामों की मंजूरियां दी गई थीं और यहां तक की 32 लाख की मंजूरियां दी गई थी। सड़कों और अन्य कामों के लिए मंजूरी दी गई थीं परन्तु उसमें से पांच लाख रुपये भी खर्च नहीं हुए जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिला। एक भी काम पूरा नहीं हुआ। जगह जगह पर जहां के लिए मंजूरियां दी गई थीं, हमने राज्य सरकार को पत्र आदि भी भेजे थे कि वहां पर काम नहीं हुए हैं। इसका परिणाम

(श्री सुखलाल सेंणचा)

यह हुआ कि उस इलाके में हम लोग गए तो वहां पर लोगों ने हमको बहुत बुरी तरह से कसौटा। इसलिए समय रहते माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप अभी से हमारी कमेटियां बुलावें। पहले तो यह है अकाल राहत मंत्री महोदय, कि जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि 20 तारीख के पहले पहले जिलाधीशों के साथ बैठ कर तय कर लें कि कौन कौन से ऐसे गांव है जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र में आने चाहिए और जिनके लिए जिलाधीश अपनी रिकमण्डेशन नहीं भेजें उनकी स्थिति हमको अभी से वहां पर मालूम हो जावे तब हम आवश्यक कार्यवाही कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। पाली जिले में सैकड़ों गांवों में अकाल की स्थिति हो रही है इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार की व्यवस्था कर लें कि हम अपने इलाके में किस प्रकार की योजना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि पिछले जितने भी अकाल पड़े हैं उसके अन्दर माननीय मंत्री महोदय आपसे एक बात कहता हूं कि परसराम जी मदेरणा से आप बात कर लें कि इतने होशियार मिनिस्टर होते हुए भी इस हाऊस के अन्दर किस प्रकार की गलतियों के लिए उनकी खाल काटी जाती थी और आपकी खाल भी काटी जाएगी उसी तरह से आपकी गलतियों के लिए। आज करीब करीब राजस्थान के काफी इलाके में भंयकर अकाल की स्थिति है। आज जब लोगों की भूख-मरी की हालत होगी, जब गांवों में रोजगार नहीं मिलेगा, विधान सभा अब छः महीने के बाद मिलेगी तब हम आपके सामने चर्चा करेंगे, निवेदन कर सकेंगे इसलिए मैं कहता हूं कि आप समय रहते यह व्यवस्था कर लें जिससे प्लानिंग कमेटी की मीटिंग के अन्दर हम अपने सुझाव दें और आप सरकारी मशीनरी को व्यवस्था करने के लिए अभी से सतर्क कर दें।

मैं निवेदन कर दूं कि मेरे रायपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बांध रायपुर-छीपावास बांध है। जब यह बांध बना था तो इस तहसील के गांवों को आशा थी की हमको पानी मिलेगा, परन्तु पांच सात गांवों को पानी देने के बाद, जब रायपुर नदी, लूणी नदी जो बहुत बड़ी नदी है उससे काफी गांवों के कुओं को पानी मिलता था परन्तु बांध बन जाने के बाद बहुत कम पानी आगे जाता है। वहां के किसानों को कुओं के अन्दर पानी की कमी के कारण काफी दिक्कत पैदा हो रही है। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे जो गांव हैं बांसियां, पीपलिया, मोहरा, रायपुरा, देवली, कुशालपुरा, झूंठा, करमावास, गुडिया, सबलपुरा, इन गांवों के अन्दर एक प्रोजेक्ट बना करके वहां अकाल का स्थायी समाधान करें। वहां पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना कर के एक उधोगपति ने मोडल बनाया है। मंत्री महोदय, नदी के किनारे के कुओं पर नल लगाकर पाइप से उनको पानी दिया है। मैं चाहूंगा कि इस अकाल के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे इलाके में मैं चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी विशेष रूप से ध्यान दें और जैसा मैंने निवेदन किया है जिला प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दें। मैं इस बात को बताऊंगा, लिख कर भी दे दूंगा कि वहां पर छोटा सा प्रोजेक्ट बन सकता है और

(श्री सुखलाल संणचा)

हजारों बीघा जमीन को पानी पिला सकते हैं और अकाल का स्थायी हल हो सकता है।

इसके साथ साथ एक बात मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे इलाके में अकाल की स्थिति है और दिनांक 23-9-78 को माईनर इर्रिगेशन रायपुर में, पंचायत समिति के सरपंचों की मीटिंग हुई थी । जिलाधीश महोदय भी थे और इस मीटिंग में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर का मैनेजर, जो कि रायपुर के अन्दर स्टेट बैंक है वे उसके मैम्बर हैं, रूपचन्द जैन, उनके लिए रायपुर के सरपंचों ने पत्र दिया था । माननीय भैरोंसिहजी जब पाली आए थे तो कहा था कि अन्त्योदय योजना के अन्दर ये कितना भ्रष्टाचार करते हैं ? उन्होंने कहा था कि तुम मेरे को इस की जगह बताओ मैं उसको रुपया देकर जाता हूं और जयपुर जाकर उसका इलाज करता हूं । पाली में मीटिंग में उन्होंने कहा था ,मैं वहां पर नहीं था । हमारे स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के जो मैनेजर हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं । पर्सन्टेज दिए बिना किसी को कोई लोन नहीं मिल रहा है। अन्त्योदयी लोगों से भारी रिश्वत ली जा रही है । इसके बारे में आपको जांच करवानी चाहिए । चूंकि यह स्टेट बैंक का मामला होने के कारण और वहां के सरपंचों ने लिख कर देने के बाद भी राज्य सरकार का कोई कण्ट्रोल नहीं है और राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जिला स्तर पर उनका काफी अत्याचार हो रहा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं इस मौके पर अकाल राहत मंत्री और दूसरे विद्युत मंत्री जो यहां पर नहीं है, जिनका अकाल से भारी सम्बन्ध है । इधर तो अकाल की स्थिति है, रबी की फसल बोई जा रही है। मेरे इलाके में कई गांवों में इस बार भी फसल नहीं होगी । जिन किसानों ने बिजली ले रखी है लेकिन आपके विभाग की लापरवाही के कारण, अधिकारियों की लापरवाही के कारण मैं इस बात को देख रहा हूं कि दस दिन से कई गांवों में बिजली नहीं मिल रही है । किसान अपना बीज नहीं बो पा रहे हैं । एक घंटे में पांच मिनट भी बिजली नहीं आती है । मैंने सहायता मंत्री जी और विद्युत मंत्रीजी से इस बात की शिकायत की कि सोजत डिविजन हैड क्वार्टर के करनोस पट्टा गांव में एक तरफ बिजली की कमी के कारण हम अकाल से इफेक्टेड हैं और दूसरी तरफ बिजली की कमी ने और भी परेशानी में डाल रखा है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन बातों पर आप ध्यान दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम था ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने देखा कि शायद आप नहीं बोलना चाहेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अवश्य मिलेगा ।

श्री नवरंगसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, पहले मैं अपनी बात प्रस्तुत कर दूं उसके बाद माननीय गुप्ता जी बोल लेंगे ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुझे इसमें कोई-आपत्ति नहीं है कि मुझे बाद में बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया सबसे अन्त में बोलें, सब की इच्छा यही है ।

श्री नवरंगसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि पहले भी राहत मंत्री जी ने बताया था और कृषि मंत्रीजी ने बताया था एक प्रश्न के जवाब में कि 26 में से 24 जिले अकाल से ग्रस्त हैं । केवल कोटा और गंगानगर ऐसा जिला है जहां पर रिपोर्ट के अनुसार खराबा नहीं है । मैं यह भी निवेदन करूं कि राजस्थान में कुल 196 तहसीलें हैं और जो पहली रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 110 तहसीलों में अकाल बताया गया है । राजस्थान में कुल 35992 गांव हैं जिनमें से 9889 में यह अकाल की स्थिति बताई गई है । झुंझुनूं और जैसलमेर राजस्थान में ऐसे जिले हैं जिसमें जितने भी गांव हैं,जैसे झुंझुनूं में चार तहसीलें हैं और 698 गांव हैं ये सब के सब इस खराबे की रिपोर्ट के अनुसार अकालग्रस्त बताए गए हैं इसी तरह से जैसलमेर में 515 गांव अभावग्रस्त बताये गये हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि आप सब जानते हैं इन जिलों में अक्सर दो तीन वर्ष से अकाल पड़ता है । पिछले साल भी वहां पर अकाल था । इस साल भी पहले तो,कातरा लगा, फिर अनावृष्टि ने यह इस प्रकार की भयंकर स्थिति पैदा कर दी है । इस लिए यदि लोगों को तत्काल राहत नही पहुंचायी गई तो उस में स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है । मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे तत्काल जो अधूरे कार्य रह गये हैं उनको हाथ में लें और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम खोलें । काम के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांध, सड़कें या बाढ, अतिवृष्टि के कारण जो सार्वजनिक भवन गिर गये है, टूट फूट गये हैं उनको ठीक किया जाए । इसी प्रकार कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान की प्लानिंग बनाकर काम किया जाए । कुछ सहायता के रूप में पैसा देकर इस प्रकार की कालोनी बनाकर ,जिन गरीब लोगों के मकान ढह गये हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए ऐसी योजना बनाई जाए और उनको काम दिया जाए ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल में स्थायी काम लिए जाए । विशेषकर झुंझुनूं, सीकर, चूरू और नागौर ऐसे जिले है जहां पर कि अकाल पड़ता ही रहता है यहां पर सिंचाई के कोई स्थायी साधन नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन जिलों के लिए भारत सरकार से मिल कर, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है भारत सरकार की मार्फत राजस्थान सरकार को 500 करोड़ का ऋण ईरान सरकार दे रहा है सिंचाई योजनाओं के लिए । तो मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा में जो जवाहर नहर है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाय । इससे झुंझुनूं, सीकर, नागौर और चूरू जिलों को पानी मिल सकता है जहां पर अक्सर अकाल पड़ता है, उसकी स्थिति सुधर सकती है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसी वक्त में बिजली का विस्तार करना जरूरी है । झुंझुनूं जिले के हर गांव में मैं गया हूं, और यह शिकायत आम सुनी है कि जो बिजली के कनेक्शन नवम्बर तक मिलने चाहिए वह मार्च, अप्रेल तक जाकर के मिलते हैं । नवम्बर के बाद किसानों को कनेक्शन मिलते हैं, उससे किसान को लाभ के बजाय हानि होती है । उनको मिनिमम चार्जेज देना

(श्री नवरंगसिंह)

होते हैं और सिंचाई का काम भी नहीं होता है। विद्युत मंत्रीजी यहां पर नहीं है। जो अन्य मंत्री हैं, उनसे ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली विस्तार का कार्यक्रम भी आगे बढ़ाने के लिये इसको अकाल के रूप में शुरू करें और नवम्बर के अन्त तक बिजली के कनेक्शन दे दें, कोई सामान का बहाना न करें। चेयरमैन, मंत्री महोदय को कहते हैं तो यह कहा जाता है, सामान नहीं है। काश्तकार सामान की बात नहीं जानता। उसको तो तत्काल बिजली चाहिए ताकि उसके साधन बढ़ सकें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर डिसकशन हो जाता है, कार्यक्रम बन जाता है, उसके बाद कार्यक्रम चालू होता है मार्च के महीने में। मैं यह निवेदन करूंगा मार्च, अप्रेल, मई ये ऐसे महीने है कि किसान को फिर भी कुछ न कुछ काम मिल जाता है परन्तु दिसम्बर, जनवरी, फरवरी ऐसे महीने हैं जिनमें किसान के पास काम नहीं होता है ऐसी हालत में यह जरूरी है कि दिसम्बर तक काम शुरू कर दें तो लोगों को सही मायने में राहत और काम मिल सकेगा। अक्सर जो गरीब वर्ग के लोग हैं वे दूर दूर चले जाते हैं और वहां उनकी हालत बहुत खराब होती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चारे की कमी है। पिछली बार भी झुंझुनूं को यह आश्वासन दिया गया था कि इतना चारा भेजा जाएगा परन्तु कोई काम नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी से चारे की व्यवस्था की जाए। झुंझुनूं में कड़बी की व्यवस्था नहीं है। इसकी आप तत्काल व्यवस्था करें। तत्काल चारे की भी व्यवस्था करें ताकि पशुओं को अकाल की चपेट से बचाया जा सके।

जो फेमिन कोड है उसके हिसाब से मजदूरी तीन रुपया दी जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही फेमिन कोड में संशोधन करना पड़े एक तरफ हम यह कहते हैं 'काम के बदले अनाज' योजना में मजदूरी पांच रुपया या लोकल स्थिति के अनुसार मजदूरी देते हैं। परन्तु एक गरीब आदमी से तीन रुपये में काम करा चाहे, यह संभव नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति पर गौर करें। कम से कम पांच रुपये से कम मजदूरी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जितने भी अभाव पीड़ित लोग हैं, जिन जिन गांवों में जितने भी छात्र स्कूल, कालेज में पढ़ते हैं, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार के आदेश दें कि उनको जो मन्थली फीस देनी होती है, वह माफ की जाएं। इसी प्रकार यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल की स्थिति को देखते हुए राजस्थान में शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाए। कमजोर वर्ग के लोग जो अकाल से पीड़ित हैं उनको विशेष छात्रवृत्ति दी जाए। इन्हीं बातों के साथ में पुनः माननीय राहत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और यह कहूंगा कि जो भी रिपोर्ट खराबे की आती है उसमें पंचायत का सहयोग होना चाहिए मेरा यह सुझाव है कि पंचायत का प्रस्ताव लिया जाए। जनप्रतिनिधियों से कलेक्टर राय ले। उनसे मीटिंग करके निर्णय ले और उसके बाद ही अकाल घोषित करे। यह निश्चित तौर तरीका अपनाया जाए तो कलेक्टर, पटवारियों आदि के प्रति जो शिकायत होती है, वह मिट सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप अन्तिम वक्ता ही रहेंगे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर :

(व्यवधान)

मुझे किसी न किसी को काल करना पड़ेगा ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं बीकानेर जिले का नुमाइन्दा हूं जो अकाल की विभीषिका से हमेशा पीड़ित रहता है । श्योपतसिंह मकासर गंगानगर से आ रहे हैं, वहां कोई अकाल नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस सारे राजस्थान का पेट मेरा कोटा जिला भरता है·····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजिए । माननीय श्योपतसिंह जी आपका गंगानगर जिला तो अभावग्रस्त नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरी पार्टी सारे राजस्थान को रिप्रेजेन्ट करती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । यह गंगानगर का मामला नहीं है । यह सारे राजस्थान का मामला है । माननीय उपाध्यक्ष मैं अभी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ गया था । जयपुर जिले के इलाके में भी जाकर आया हूं । जो हालात मैंने देखें हैं वे कोई कम नहीं है । बहुत ही गम्भीरता है । यह जो पर्चा हम को दिया गया है, यह इसका द्योतक है कि हमारी सरकार इस ओर कितनी संजीदा है । यह साइक्लोस्टाइल करके दो पेज दिये हैं···अभी 20 नवम्बर को रिपोर्ट आएगी कि क्या पोजीशन है ? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से फसल बाढ़ से तबाह हो गई, सूखे से तबाह हो गई, कातरा खा गया, अकाल पड़ गया जिस क्षेत्र में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा विचार करें वहां क्या व्यवस्था है ? 15 अक्टूबर को ही हमें मालूम हो गया था, सितम्बर के आखिर में तो हर किसान जान जाता है कि मेरे खेत में कुछ नहीं होगा । सबसे बुरी हालत तो उस किसान की होती है उसने शुरू में कर्जा लेकर फसल बोयी और सितम्बर में उसे मालूम हो जाय कि एक दाना भी पैदा नहीं होगा । कैसी विडम्बना है ? वह आपके राहत कार्यों का इन्तजार शुरू करेगा या नहीं करेगा । यह जो एक बड़ी अजीब सी ट्रेडीशन बन गई है । जब तक लोगों के अकाल राहत कार्य खुलें तब तक वे देश के दूसरे इलाकों में चले जायं रोजी के लिए । गांव छोड़ कर चले जायं, तहसील हैड क्वार्टर पर आ जायं, गांव छोड़ कर चले जांय तब आप घोषणा करते है कि हमने 5 करोड़ लगा दिये, 10 करोड़ लगा दिये । • हमने 300 करोड़ रुपये आज तक राजस्थान में अकाल के नाम पर लगा दिये; कोई भले की कोशिश नहीं की । कौन तय करेगा ? कौन जानता है कि हमारे कलेक्टर्स इस बात की परवाह नहीं करेंगे, आफिसर्स की जीपें दौड़ेगी, दौड़ती रहेंगी । कोई ऐसा हिस्सा गरीब है, बेसहारा है, गांवों में इमदाद के लिये भेजते हैं और हमारी आम जिन्दगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता । सिर्फ हम नकली बातें करते हैं । इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिये । अभी परसरामजी ने कहा पिछले लगातार 40 साल से ऐसा हो रहा है । अगर शुरू में वर्षा नहीं होती तो कोई बात नहीं । किसान कर्जा नहीं लेंगे खर्चा नहीं लगायेंगे । मगर किसान कर्जा

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

ले लें, फसल बो दें, मेहनत कर लें और फिर बाद में फसल तबाह हो जाय तो किसान के लिये पागल कर देने वाली बात है। जब साईबेरिया में गेहूं पैदा हो सकते हैं तो हमें भी अपनी फसल का पैटर्न बदलना पड़ेगा इस दफा बहुत से माननीय सदस्य काफी गांवों से आये है सब जानते हैं जो हमारा पैटर्न है फसल का, बाजरे की फसल नाम मात्र की फसल है। हमारे पास खेत हैं, सारे साधन हैं, नये नये साइन्स ने ईजाद किये हैं। खाद है दवाईयां हैं इसके बावजूद भी ऐसा क्यों? तो हमें अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। रेगिस्तानी इलाके में कौनसी फसल हो सकती है, डूंगरपुर, उदयपुर की घाटियों में कौनसी फसल पैदा हो सकती है? किस चीज को डेवलप किया जाय। चिकमंगलूर में आज इलायची हो सकती है काफी हो सकती है, तो हमारी इन घाटियों में, हमारे सांइंटिफिक लगाये जायं ताकि वे पैटर्न को बदल सकें। हम करोड़ों रुपये लगाते हैं अध्यक्ष महोदय, हम कातरे को मारने का इलाज नहीं कर सके। कातरे ने सारी फसल को तबाह कर दिया। दुनिया जानती है कातरे का इलाज और हम कातरे पर घूम रहे है मालूम ही नहीं होता कि वह कहां से आता है पैदा होता है और चला जाता है। तो ये सारे झांसे झूंठे और बोगस हैं कोई ध्यान नहीं देता। 200 250 करोड़ पिछली सरकार ने लगा दिये अब भी कम हो रहे है। इसके पीछे एक भावना बन रही है कि जल्दी से जल्दी गांव अकाल पीड़ित घोषित किये जायं—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मेहरबानी करके इस पर सोचा जाय कि इस अकाल को कैसे समाप्त किया जा सकता है इसकी क्रियान्विति कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि सिटी एरिया से जो आये हैं उनको शायद बोलना नहीं है। क्या आप सभी इससे सहमत हैं?

(व्यवधान)

माननीय डागाजी, आप शायद पाली शहर से हैं।

(व्यवधान)

नाम तो सभी ने दिये हैं लेकिन किसी न किसी का नाम तो पुकारूंगा।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 विरोधी सदस्य बोल चुके लेकिन जनता पार्टी में किसी का नाम नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो बचे हुये हैं वे बोलना चाहेंगे। अभी उनको मैं क्या कहूं। मुझे खुद भी निश्चित करना होगा। मैं खुद भी डिबेट बन्द नहीं करूंगा जब तक सारे सदस्य का बोलना नहीं हो जाए।

श्री करतारसिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मेरा डिस्क्रिशन है। मैं इसे व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिरोही जिला कभी तो अतिवृष्टि और कभी कम वर्षा से प्रभावित रहता है। आज 3 साल से लोग अकाल की स्थिति में पड़े हुए हैं....

(श्री माधोसिंह)

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह लिस्ट है इस लिस्ट के अन्दर 70 प्रतिशत विलेजेज जो हैं वह मेरे खयाल में...

(6.50 सायं)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पदासीन)

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप सिरोही पधारे थे और आपने वहां पर मीटिंग की थी। आपने फरमाया था कि ऐसे कार्य जो अधूरे पड़े थे उनको पहले लेने के लिए एडवाइस करेंगे। इस तरीके से दो किलो अनाज और 1-50 रुपया रोज के हिसाब से लोग मजदूरी पर आ जायेंगे। इस प्रकार से आपके काम पूरे हो जायेंगे। यह मुझे असम्भव दिखता है। मैं अनुरोध करूंगा कि यह जो मजदूरी है, इस तरह से यह एक मेटेरियल कम्पोनेन्ट है और जो बजट स्वीकृत किया गया है वह या तो रिपेयर्स के लिए है या जो छोटे कार्य है उनके शुरू करने के सम्बन्ध में है उसका सम्बन्ध इससे जोड़ा जाय। इससे जोड़ कर दोनों का समन्वय बैठेगा तो मेरे खयाल से कोई भी अच्छा काम हो सकेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस ओर ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करेंगे।

सावन में सिरोही के अन्दर लास्ट वर्षा हुई थी। उसके बाद में कोई वर्षा नहीं हुई है। वैसे सिरोही के पास गुजरात के जिले हैं और कच्छ का रन है। वहां पर रेगिस्तान बढ़ता आ रहा है। यहां पर कृषि मंत्रीजी ने अभी फरमाया था कि रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि रेगिस्तान बढ़ रहा है। वह सिरोही जिले की तरफ ही बढ़ रहा है। आप इसकी रोकथाम के लिए कुछ फेमिन के तहत प्रयत्न करें। एक तरफ जंगल है उनका बुरी तरह से कटाव हो रहा है। जब तक जंगल की रुकावट न हो तब तक प्रकृति का संतुलन बराबर नहीं रहेगा। कभी ज्यादा बारिश होगी और कभी कम वर्षा होगी। इसलिए मेरा अनुरोधहै जहां मिट्टी का कटाव है जो कि जंगल की स्थिति हमेशा पैदा करता है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे।

मैं आप से अनुरोध करता हूं वसूली के बारे में कि जिस तरीके से वसूली निर्ममता पूर्वक हो रही है, एक तरफ कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है, एक तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है आप कह रहे हैं कि वसूली नहीं हो रही है। जहां अकाल एफेक्टेड एरिया है वहां दूसरे विभाग वसूली के आदेश देते हैं। जिन लोगों पर लागू करना होगा उनके विकास के लिए योजना आपने बनाई थी। आपने उन लोगों को सूचित किया है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए कुछ आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए और यहां पर वसूलियों को रोकना चाहिए।

और कार्यों के बारे में सबसे बड़ी बात जो मैं अनुभव करता हूं वह यह है कि आप को दीवाली के बाद ही उनको शुरू कर देना चाहिए था। बारिश जब हो जाती है तो तीन चौथाई एरिया तो खरीफ पर निर्भर करता है और उस तीन चौथाई एरिया के लोग यह सोचते हैं कि फसल नहीं हुई है तो वहां से भागना शुरू कर देते हैं गुजरात चले जाते हैं, कुछ मध्यप्रदेश में। फिर आप कामों को शुरू करते हैं तो जिस समय मजदूर उपलब्ध होने चाहिए वह

(श्री माधोसिंह)

नहीं होते हैं। गई बार जब अकाल की स्थिति थी तो आपने कार्य मार्च और अप्रेल में जाकर शुरू किये वह मेरे खयाल से दो ढाई माह तक चले। पूरे जिले के अन्दर 15 हजार का काम हुआ वह भी गिट्टी तोड़ने का कार्य हुआ। उसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। मैं अनुरोध करूंगा क जबउन्हेंमजदूरी देना है, काम पर लगाना है तो समय पर दें ताकि वह बाहर नहीं चले जायं आपको इसके लिये जल्दी जल्दी से व्यवस्था करनीचाहिए ताकि उनको दूर नहीं जाना पड़े और यहां पर ही मजदूरी उपलब्ध हो जाय। मजदूरी के लिए एक प्रश्न पर चर्चा हो रही थी तो मजदूरी के लिए निवेदन किया गया था कि फेमिन कोड के अन्दर ऐसी व्यवस्था निश्चित नहीं है कि इतनी मजदूरी देंगे जो कुछ मजदूरी है वह अपनी इच्छा से देंगे। तो वह इस तरीके से निर्धारित की जाय कि मजदूर अपना पेट भर सके। क्या इस 30 साल की आजादी के बाद हम इतना ही महसूस करें, कि हमारा इतना ही फर्ज है उन लोगों के बारे में कि उनको जीवन जीने तक की मजदूरी देंगे? दूसरी उनकी आवश्यकताएँ अभी भी पूरी नहीं करें? इसलिए मेरा अनुरोध है कि मिनिमम वेजेज जो कि सरकार ने निर्धारित की है उसी के तहत फेमिन में मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि वह लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें

दूसरा मेरा अनुरोध है कि सिरोही जिले के अन्दर कई नदियां ऐसी हैं जिनमें देह बहुत हैं। उनके ऊपर यदि इरिगेशन डिपार्टमेंट पम्पिंग सेट लगाये और पम्पिंग सेट से जो खेती खड़ी हुई है उनके अन्दर पानी लाये तो कई लोग लाभान्वित हो सकते हैं' इस प्रकार से सरकार के लिए फेमिन की समस्या कम हो सकेगी।

अभी पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह फर्माया था, कभी उन्होंने इसके लिए नहीं बोला है उन्होंने अनादरा या आबू का ही रेफरेंस दिया। वह सरकार के बारे में जानते होंगे। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सिरोही जिले के अन्दर जो कि झुन्झुनू जिले के बाद में नेक्स्ट अफेक्टेड एरिया है, वर्क्स शुरू करेंगे और वहां के लोग गुजरात और दूसरी जगहों पर नहीं जायेंगे।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय श्री सारस्वत।

श्री **बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विभिन्न जिलों में से पधारने वाले सम्माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता और विपत्ति के हालात, अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति राजस्थान की एक रूप से पेश की है वह वास्तव में चिन्ताजनक है। मैं आज विशेष रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक विपत्तियों से आज जो रेगिस्तानी क्षेत्र की हालत है वह अपेक्षाकृत राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन कुछ उपलब्ध हैं वहां पर प्रकृति का प्रकोप उतना नहीं है जितना कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। प्रकृति का एक बार प्रकोप होने के बाद न तो वहां पानी की व्यवस्था रहती है और न दूसरी फसल की जो कि अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उपलब्ध है जहां प्रकृति की कृपा है वहां उन्हें उपलब्ध है। मगर उस क्षेत्र में कतई कोई विकल्प या कोई चारा अन्य उनके पास नहीं रहता, चाहे उनके मवेशियों का सवाल हो, चाहे उनके बच्चों के पालन पोषण का सवाल हो, चाहे उनके खुद की रोटी-रोजी का सवाल हो। मगर उसके पास में कोई साधन नहीं रहता है। मेरे कहने का मतलब यह

Page No.145

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)

नहीं है कि अन्य क्षेत्र में अकाल की समस्या नहीं है लेकिन बहुत अंशों का फर्क है । प्रशासन का उत्तरदायित्व वहां पर भी उतना ही है और इन क्षेत्रों का भी उतना ही है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से जहां पर प्रकृति का प्रकोप हो और प्राकृतिक विपत्तियां अधिक हों और हालात वास्तव में ऐसे हों और कोई अन्य विकल्प के साधन न हों तो प्राथमिकता वहां पर दी जानी चाहिये । विशेष ध्यान उस क्षेत्र के लिए दिया जाना चाहिए । यह मेरा मंत्री महोदय से और राजस्थान सरकार से निवेदन है ।

मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि नागौर जिले की रिपोर्ट मुझे अभी देखने को मिली है । वहां के जिलाधीश महोदय से मैंने निवेदन किया था, क्योंकि वह जो मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के थोड़े ही समय के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि कुछ गांवों को जो अकाल में लिये जाने थे, मेरे खयाल से उन्हें सम्मिलित कर दिये जाने चाहिए थे । नागौर तहसील के वह गांव रह गये हैं उनमें वस्तुस्थिति ऐसी है कि आज भी चार आने से ज्यादा फसल नहीं है । न पर्याप्त मात्रा में घास है, पीने का पानी तो आज उपलब्ध नहीं है और आने वाले समय में चार-पांच कोस से पानी उपलब्ध करना पड़ेगा। साथ में ही पशु धन इतनी बड़ी तादाद में है कि जब तक उनकी समुचित व्यवस्था नहीं कर दी जाती तब तक हमको बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि उन गांवों में और उन तहसीलों के कुछ गांवों में जिनमें दस-पन्द्रह पंचायतें हैं और लोग किसी प्रकार से काम चला रहे हैं। जो फसल मामूली हुई थी उससे इसलिए यह उचित नहीं समझा कि मांग की जाय । मगर वहां पर पीने के पानी का भारी सामना करना पड़ेगा और मैंने इसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन भी किया था कि प्रकृति प्रकोप का सामना करना पड़ेगा इसलिए इसकी मुकम्मिल व्यवस्था करनी चाहिए । मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ गांवों की भारी समस्यायें है और कई मीलों से पानी लेना पड़ता है । वहां पर उनकी आमदनी का भी कोई जरिया नहीं है, कोई उद्योग धंधा उनके पास नहीं है जिससे वे अपना पालन पोषण कर सकें । इसलिए जिलाधीश महोदय को उन गांवों में भी, क्योंकि पटवारी से जो रिपोर्ट आई है उसमें सरपंचों को शामिल नहीं किया गया है । इस इनीशियल स्टेज पर उन गांवों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए । नागौर तहसील के कुछ गांवों को जो 11 पंचायतें हैं, जो फेमिन से इफेक्टेड हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए । मेरी प्रार्थना है कि कल्याणकारी शासन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है और लोगों को और कल्याणकारी जीवन के लिए उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए । मेरा निवेदन है कि सारे राजस्थान के बारे में इस हालत में गम्भीरता से विचार करना चाहिए और पश्चिमी क्षेत्र में जहां पूर्णतया अभाव है और कोई जीवन-यापन के साधन नहीं हैं वहां पर सरकार को विशेष ध्यान देकर लोगों के पालन-पोषण और मजदूरी की व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री **सभापति** : श्री डागा ।

(व्यवधान)

श्री **किशनसिंह भाटी** : ये तो पाली सिटी के हैं–

(व्यवधान)

ये तो वाटर पोलूशन पर बोलेंगे, Why should he polute the debate? सभापति महोदय, इतनी अच्छी डिबेट है फेमिन की, अब ये पोल्यूशन पर बोलकर डिबेट को पोल्यूट करेंगे।

श्री **सभापति** : पांच मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री **मूलचन्द डागा** : माननीय सभापति महोदय, "वो जाने क्या पीर पराई जाके पैर न फटी बिवाई"। श्रीमान्, सरकार पर अकाल का दायित्व है, उससे युद्धस्तर पर कैसे लड़ा जाय जब कि हमारे अकाल राहत मंत्री अकेले यहां पर बैठे हैं, इनकी ताकत नहीं कि अकाल के दैत्य से लड़ें। न तो यहां कोई सेक्रेट्री है, न फेमिन के आयुक्त हैं। सारे ला लॉन बनाता है, एक मंत्री का सेक्रेट्री नहीं है।

श्री **किशनसिंह भाटी** : सदन में झूठ तो नहीं बोलें, आयुक्त वगैरह तो बैठे हैं।

श्री **मूलचंद डागा**: अगर बैठे हैं तो ठीक हैं, सारे ही शहरों के रहने वाले हैं। यह अच्छा हुआ कि बीस मन्त्री हो गये, मंत्री मण्डल का विस्तार हो गया। एक जिला एक मंत्री के सुपुर्द कर दिया जाय और वह अपने-अपने एम. एल. ए. को लेकर तहसीलों में घूम-घूम कर सारे काम करवाये। मेरा गांव पाली जिले में सकदर है जो प्यासा है। मैं अपनी तहसील की कह रहा हूं, उसके लिए ज्यादा नहीं कह कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि पाली तथा रोहट क्षेत्र के 40 गांवों में भू-जल में पोल्यूशन होने से कई लोग कुबड़े हो गये हैं। ट्यूबवैल का पानी प्रदूषित हो गया है और कुओं का पानी पीने योग्य नहीं रहा है, पानी का अकाल है, अनाज का अकाल है और घास का अकाल है। मेरी जो समस्या है, मैंने इसके लिए कलेक्टर साहब को तीन बार दरख्वास्त दी कि मेहरबानी करके उन गांवों में जहां बांडी नदी का पानी पीते हैं, प्रदूषण के कारण उसका पानी पीने के योग्य नहीं रहा। पानी की समस्या है। जोधपुर में भी वही पानी जाता है, इसलिये अकाल की भारी समस्या है। हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, वहां पर आपने सुविधाओं में कौन सी कमी की ? आपने पाली में पीने के पानी के लिये एक घंटा कर दिया और जोधपुर में पीने के पानी के लिए दो घंटे कर दिये। मैंने इसलिए कहा कि एक जिले में एक मंत्री को भेजा जाए और वहां पर इनको हिम्मत के साथ युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करना चाहिए। यह एक मानवता का प्रश्न है। राजस्थान में दूर-दूर मंत्रियों को भेज दीजिए और वहीं से सारे कार्य करें तब तो यह कार्य युद्धस्तर पर हो सकता है।

यह बीगोड़ी का सस्पेन्शन क्या है ? दाना भी पैदा नहीं हुआ तो आप मना कर दीजिए कि बीगोड़ी नहीं ली जायगी। यहां के मुख्य मंत्री भाषण दे रहे थे कि मध्यप्रदेश में भेड़ों के लिए इन्तजाम कर दूंगा और फेमिन कोड को पलट दूंगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, राजस्थान के मुख्य मंत्री जब इधर बैठते थे तो आवाज करते थे। मैं उनकी तारीफ करता हूं मगर आज इतनी सारी समस्यायें हैं और वे यहां पर नहीं हैं। उन्होंने क्या किया ? वे कहते हैं कि मैं देखूंगा। बार-बार सदन में कहा कि फेमिन कोड को पलट दूंगा, यह काफी पुराना हो चुका है।

(श्री मूलचन्द डागा) -

मुझे यह मालूम नहीं था कि वे केवल आश्वासन ही देते हैं। उनके आश्वासन रिकार्ड पर है। न फेमिन कोड बदला ....

श्री ईश्वरचन्द्र : फेमिन कोड बदलने के लिए सरकार ने कमेटी बैठाई है ।

श्री मूलचन्द डागा : आप उसके सदस्य हैं। कमेटी बिठाने का मतलब है काम नहीं करना, काम को टालना। मैं कमेटियों में विश्वास नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आता, अकाल राहत मंत्री स्टेनों की तरह क्या नोट करते हैं। इनको कुछ मालूम नहीं, जिलों में घूमते नहीं। सुनते सुनते थक गये तो कृषि मंत्री चले गये। यहां कौन बैठा है? अकाल समस्या मानवीय समस्या है। यह तीन करोड़ जनता का प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हम विरोधी दल के सदस्यों के सारे गांवों में पीने का पानी नहीं है। मैंने बार बार कहा, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करें नहीं तो मैं बगावत करना लोगों को सिखाऊंगा वे नल तोड़ दें, जिस पाइप से शहर में पानी जाता है उसको तोड़ दें, आपकी सिविल लाइन्स में जिस पाइप से पानी जाता है उसको भी तोड़ दें?

श्री कौशलकिशोर जैन : बगावत की उम्र चली गई। बाल सफेद हो गये।

श्री मूलचन्द डागा : इससे तो मरना अच्छा है। मेरे घर में चार घंटे पानी आता है और गांव में पीने को पानी नहीं। आपने क्या कदम उठाये? इंजीनियर के घर लान है, गार्डन है, पपीते के पोधे हैं। कलेक्टर के घर तीन चपरासी हैं। उनको क्या पता कि अकाल क्या होता है? यह क्या कागज पेश किया है? अकाल राहत मंत्री, इस कागज को मैं ईमानदारी से तैयार किया कागज नहीं कहना चाहता। आप अपने विभाग को कसो। यहां जो सदस्यों ने कहा कि है किसी ने नोट नहीं किया है। किसी ने बांधों की मांग की, किसी ने बिजली की, किसी ने नोट किया?

श्री कौशलकिशोर जैन : मंत्री महोदय विराजमान हैं वे नोट्स ले रहे हैं।

श्री मूलचंद डागा : नए मंत्री क्या करेंगे को-आर्डिनेशन चाहिए।

आप अपना कागज संभालो, अपने बिस्तर के नीचे रख कर सो जाओ। यह कागज हमारे किस काम का? भैरोंसिहजी से मैंने बार बार कहा है लेकिन न तो कोड बदला, न अनाज मिल रहा है और न पानी मिल रहा है। यह पार्टी का सवाल नहीं है। आपके और हमारे 10 आदमी कमेटी में बैठ जायं। उनको आप साधन दें ताकि सारे जिले में घूमें। इस कमेटी का निर्णय फाइनल माना जाय। कुछ काम करना है तो कदम बढ़ायें। कोरे भाषण देते रहने से काम नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह शक्तावत।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा नम्बर कब आएगा?

श्री सभापति : आखिर में।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़): सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो पत्र रखा गया है उसमें उदयपुर जिले के 17

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

में से 15 तहसीलों में और उनमें 3178 गांवों में से 1971 गांवों में अकाल की स्थिति बताई गई है। मैं बचे हुए गांवों की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सौभाग्य से मेरे क्षेत्र में मंत्री जी एक बार पधारे थे। वहां के जो खेत हैं उनके लिए उपमा उन्होंने बाड़े की दी। उन्होंने कहा, मेरे झुंझुनूं जिले में जो पशुओं के बाड़े हैं उनसे भी छोटे खेत हैं। एक हैक्टेयर से भी कम। काश्त–कार की इतनी पैदावार नहीं होती कि वह अपने परिवार का पालन कर सके। वहां 17 प्रतिशत जमीन खेती योग्य हैं। बरसात का सारा पानी बह कर चला जाता है। सभी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं परंतु छोटे बड़े बांध इसलिए बना दिये जाते हैं कि राजसमंद बहुत बड़ी झील है, उसका कैचमेंट एरिया पड़ता है। मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे एनीकट्स बनायें। लोग खेत बनाते हैं तो 30 बाई 30 का खेत बनाने में भी 6 महीने का परिश्रम करना पड़ता है। बरसात में मिट्टी बह कर चली जाती है। वहां जंगलों की भयानक स्थिति हैं। उदयपुर जिले में 16.63 प्रतिशत जंगल हैं 39 प्रतिशत ऊसर भूमि, 9 प्रतिशत चरागाह 19 प्रतिशत बंजर भूमि है। इस प्रकार 83 प्रतिशत भूमि खेती योग्य नहीं है। 17 प्रतिशत जमीन ही बोई जाती है। कुम्भलगढ़ की आबादी 83857 है। 24 हजार खेत इतने छोटे हैं कि एक खेत एक हैक्टेयर से भी कम है। आवागमन के साधन नहीं, रेल के दर्शन किए नहीं। 27 किलोमीटर सड़क पुराने जमाने की बनी हुई है। स्टेट के जमाने का तालाब बना हुआ है। वहां पर ऐसे खेत हैं कि दो महीने भी निवासियों को अपने परिवार का पालन करने के लिए अनाज पैदा नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता किस प्रकार अधिकारियों ने हमारी तहसील को अकाल में नहीं लिया।

हमारे भूतपूर्व मंत्री और विकास अधिकारी एक गांव में गए। वहां लोगों से पूछने लगे कि मक्का का भुट्टा ऊपर लगता है या बीच में? जहां ऐसे विकास अधिकारी हैं आप बताइए, कौनसा किसान उनकी राय को मानकर अपना विकास कर सकता है। इस प्रकार की बड़ी भयानक स्थिति है। छोटे छोटे खेतों में वहां के लोग वर्ष भर परिश्रम के बाद भी अपने भरण-पोषण के साधन नहीं जुटा पाते हैं। पूरे क्षेत्र में कहीं कारखाना या कोई ऐसी चीज नहीं है जहां लोग मजदूरी करके अपना पेट भर सकें। अप्रेल में राहत कार्य चले और जून में बरसात के कारण 1 महीना ही चल पाए। मेरा मंत्री से निवेदन है कि उदयपुर जिले का यह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें खेत छोटे हैं, इसलिए वर्ष भर जो पैदावार होती है वह उनके खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए उस इलाके का दुबारा सर्वे कराया जाए अधिक समझदार अधिकारी वहां भेजा जाए ताकि स्थिति का सही अवलोकन कर सकें। वहां पर छोटे छोटे एनीकट्स बनाए जायं।

हमारे क्षेत्र में एक गांव है जहां 7 में से 6 ट्यूबवैल का पानी खारा है। जन स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट दी है कि इस पानी को पीने वाले अधिकांश व्यक्ति तीसरे साल के बाद कुबड़े हो जायेंगे। हमारा घनघोर पहाड़ी इलाका है। पहले निवासियों का जीविका का साधन जंगल थे, परन्तु अब जंगलात के कारण जंगली पशु बढ़ गए हैं

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

उनका उत्पात भयंकर हो गया है । एक बार खेत में घुस जाय तो 6 महीने की कमाई खेत की मारी जाती है । वन विभाग ने चारों तरफ बाउंडरी नहीं बनाई है इस कारण रात्रि के समय जानवर खेतों में जाकर फसल बर्बाद करते हैं । वहां के लोग 6-6 महीने नहाते नहीं हैं । एक मील पहाड़ों में जाकर पशुओं को पानी पिलाते हैं । नालों के किनारे खड़े होकर पति पत्नी पानी निकालते हैं । मुश्किल से छोटे खेतों की पिलाई हो पाती है ।

अतः मेरा मंत्रीजी से निवेदन है खास तौर से कुम्भलगढ़ तहसील के बारे में कि वहां स्वयं जाकर आपने दृश्य देखा है । आप कृपा करके सर्वे करायें और लोगों के जीवन को बचाने की कोशिश करें।

श्री **सभापति** : श्री रामसिंह ।

श्री **रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं): सभापति महोदय, जयपुर जिले से एक भी माननीय सदस्य ने अपने विचार नहीं रखें हैं जब कि 19 एम. एल. एज. हैं ।

श्री **एच. एन. शर्मा** : माननीय सभापति जी, चित्तौड़ का भी ध्यान रखिये ।

श्री **सभापति** : श्री राम सिंह ।

श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : सभापति महोदय, अकाल के संबंध में पिछले तीस वर्षों में नाना प्रकार से हमारे साथियों ने सुझाव दिये । तीस साल के अन्दर हमारी पहली सरकार और आज की सरकार अकाल का कोई समाधान निकालने में असमर्थ रही है । मान्यवर, खेती यों तो राजस्थान में घाटे का धंधा है । जो किसान खेती करता है वह उसके साथ साथ पशुधन का धंधा नहीं करे या बाजरा या ज्वार के साथ तिल या मूंग-मोठ नहीं बोये तो चाहे खेती का जमाना है या नहीं, खेती घाटे का धंधा होती है । कभी राजस्थान में अकाल पड़ता है, कभी राजस्थान में ज्यादा बरसात होती है, कभी अच्छा जमाना होता है तो अनाज के भाव इतने गिर जाते हैं कि किसान की उपज नहीं के बराबर होती है । धूल और रेत के भाव किसान को अनाज बेचना पड़ता है । अकाल पड़ता है तो चारे और घास की समस्या हो जाती है और किसान के सामने भरण पोषण की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है । वह अपना कर्ज नहीं चुका सकता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता । तो, सभापति जी, मारवाड़ी में एक कहावत है जैसो कंठा यहां भलो वैसो ही परदेस । तो चाहे जमाना हो या नहीं हो राजस्थान के अन्दर कुओं से खेती होती है और किसान प्रकृति पर निर्भर रहता है । हिन्दुस्तान में पंजाब और दूसरे राज्यों में जहां आधुनिक तरीके से और नहरों से सिंचाई करते हैं वहां राजस्थान का किसान उनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो सकता । तो फिर कभी अकाल ज्यादा होता है बरसात कम होती है तो किसान के भरण -पोषण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । एक बार यदि किसान कर्जा किसी व्यापारी या बनिये से या राजकीय संस्थान से ले लेता है तो उम्र भर वह तो क्या उसकी औलाद भी उस कर्ज को नहीं चुका सकती । यह तो हालत हमारे राजस्थान के किसान की है । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप तो स्वयं गांव के किसान हैं आपके सामने मुझे कुछ कहने की और बताने की आवश्यकता नहीं है । आप तो वकालत या अफसरी करके कुछ कमा सकते हो लेकिन खेती से आपके बडेरों ने या पूर्वजों ने कुछ कमाया हो मैं ऐसा नहीं समझता ।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सभापति महोदय, मैं नहीं चाहता कि मैं यहां कांग्रेस की सरकार की बुराई करूं लेकिन मैं यह भी आगाह कर देना चाहता हूं कि हमारे मंत्रियों को और अपने साथियों को, वह चाहे भैरोंसिंह जी हों या सुखाड़िया जी थे, मथुरादास जी माथुर थे या परसराम जी मदेरणा थे अगर इन्होंने कुछ खाया है तो दो साल में आपने कितना खाया है ? पैसा खाने वाले आपके अधिकारी हैं, नेता नहीं हैं। हमारे अधिकारियों ने बड़े बड़े शहरों में आदर्श कालोनी स्थापित की, लाखों और करोड़ों रुपया हथोड़ों, तगारियों और फावड़ों के नाम से खा गये नेताओं को चाहे बदनाम कर लो, एम. एल. ए. को चाहे कुछ कह दो लेकिन जब तक आप अधिकारियों के चाल चलन को नहीं बदलेंगे तब तक फेमिन कोड को बदलने से कोई फायदा नहीं है। फेमिन कोड में चेन्जेज करने से और कागजों में इधर उधर करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको उन आदमियों की इन्क्वायरी करानी पड़ेगी जो कि लाखों और करोड़ों रुपया खा गये। अधिकारियों ने दस बीस लाख रुपये एक वर्ष में बना लिए फेमिन में। अगर आप चाहते हैं कि गरीब आदमी का भला हो, उसकी उदरपूर्ति हो और उनको जिंदा रखना चाहते हैं तो फेमिन कोड को बदलने की जरूरत नहीं है। बदनाम और भ्रष्ट अधिकारियों को बदलना पड़ेगा तब जाकर गरीब आदमी को कुछ दे सकेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा एक बात और कहूंगा कि गांवों के अन्दर जो लुहार हैं और छोटे छोटे कारीगर हैं अगर आप उनको मदद पहुंचाना चाहते हैं तो तगारी, फावड़े आदि वहां ढलवाकर उनको काम दें। सब कुछ गांव की संस्था के मार्फत करायें। उससे कुटीर उद्योग तो पनपेंगे ही, साथ ही असहाय लोगों को धंधा मिलेगा। 15 रुपये में हथोड़ा आता है। दूसरे सामान भी गांव के कारीगरों से ही बनवा कर लें तो लाखों और करोड़ों रुपयों का फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि गांव के वास्तविक आदमी को सहायता मिले तो आपका फर्ज होगा कि गांव की गाड़े और दूसरे काम उनसे करवायें।

फेमिन में पानी की व्यवस्था के लिए एक एक गांव के लिए लाखों रुपया ठेकेदारों को दिया, जो कि शहरों में रहते हैं उन्होंने वह रुपया प्राप्त किया और गांव के एक भी आदमी को पानी नहीं पिलाया। लाखों रुपया उन्होंने प्राप्त किया। हमारे जैसी ही व्यवस्था आप करेंगे तो आपको भी बदनामी मिलेगी। लाखों और करोड़ों रुपयों के घोटाले हुए उसमें बदनामी सरकार की हुई। भ्रष्टाचारी अधिकारी थे लेकिन बदनामी सरकार की हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो भ्रष्टाचारी आदमी है उनको जयपुर के अन्दर हाजिर किया जाये और कार्यवाही की जाये। जैसे पुलिस के अन्दर जो थानेदार गड़बड़ी करता है उसको लाइन हाजिर कर देते हैं उसी तरह से भ्रष्टाचारी आदमी को जयपुर में बुलाया जाये और उसे सजा दी जाये। मेरा निवेदन है कि वह लाखों रुपया गरीब आदमियों तक पहुंचे। लोगों को राहत देने के लिए और जनता पार्टी की इमेज

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बनाने के लिए हमारा फर्ज है कि हम सच्ची बात कहें। आप भ्रष्टाचारी आदमी को लाइन हाजिर करो। आम आदमी को और गांव के कारीगरों को धंधा मिले, यही निवेदन करना है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक जयपुर जिले का सवाल है–चौमूं, बैराठ, सिकराय, कोटपुतली आदि गांवों में इस वर्ष भंयकर स्थिति बनी हुई है। केन्द्र की जो टीम आई थी उसने भी उसका मुआयना किया है। जिलाधीश महोदय, तहसीलदार और एस. डी. ओ. सबने मौके देखे हैं लेकिन बड़े दुखः के साथ कहना पड़ता है कि लोगों के मकान बह गये चाहे वे पक्के हों या कच्चे हों। मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मेण्डा नदी के पास मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई थी जिसकी कि कीमत करीब तीन लाख रुपये थी। मेण्डा नदी की बाढ़ के कारण वह पक्की मस्जिद बह गई। वहां के अल्प संख्यक मुसलमान लोग आज बिना मस्जिद के एक ऊंचे टीले पर नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह उदयपुरियां नाले में पिछले 10-12 साल से बराबर बाढ़ आती है और बाढ़ से वहां की सारी फसलें चौपट हो जाती है। उनका मुआयना भी किया जाता है लेकिन उस क्षेत्र में एक नये पैसे की भी राहत नहीं दी है।

जहां तक टीनों का सवाल है। राज्य सरकार ने टीनें खेजरोली में भेजी, वह आज तक खेजरोली में ही बन्द पड़ी हुई है 250 रेगर परिवारों के पक्के मकान बह गये उनको वह डिस्ट्रिब्यूट नहीं हुई। वे टीने आज भी बन्द पड़ी हुई है, मैं कहना चाहूंगा जो भी राहत दी जाती है वह बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनको तत्काल दी जानी चाहिये। मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा, मैंने कलेक्टर को पत्र लिखा और जिलाधीश महोदय से मैंने टेलीफोन पर भी कहा लेकिन अभी तक उनको राहत नहीं दी गई है।

जहां तक फेमिन का सवाल है, जयपुर जिले के अन्दर 15 तहसीलों में से केवल 5 तहसीलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है। उदयपुर, बांसवाड़ा, जो दूर दूर के जिले हैं, की रिपोर्ट सेक्रेटेरियेट में आ गई है लेकिन जयपुर जिले की पांच तहसीलों की रिपोर्ट सेक्रेटेरियेट में नहीं पहुंची है। मुझे दुखः के साथ कहना पड़ता है कि जहां राज्य सरकार की राजधानी है और जहां कलेक्टर बैठता है, जहां सचिवालय स्थित है वहां की रिपोर्ट राहत मंत्री जी ने नहीं देखी है वह सचिवालय तक नहीं पहुंची है। इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि राजस्व अधिकारी कितनी तत्परता से अकाल राहत पर ध्यान दे रहे हैं।

फेमिन के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपका मिनिमम वेजेज एक्ट है उस हिसाब से यदि कोई पांच रुपये कम पेमेन्ट करता है तो राज्य सरकार एक्शन लेती है लेकिन आपका जो फेमिन कोड है उसमें 4 रुपये 10 पैसे हैं। उसमें भी बढ़ोतरी कीजिये और कम से कम 5-6 रुपये बाहर के मजदूर को दीजिये। मजदूर चाहे किसी मिल का हो, चाहे इन्डस्ट्री का हो, चाहे माइन्स का हो और चाहे सरकारी कर्मचारी हो वे अपनी आवाज एकत्रित करके राज्य सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन गांव का मजदूर,

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

खेतिहर मजदूर आज संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है। उनकी आवाज केवल इस सदन के माध्यम से ही पहुंचती है इसलिये उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जाय कि कम से कम 5-6 रुपये मजदूरी के दें और जो मजदूरी दें उसकी क्वालिटी और क्वान्टिटी को देखें। पिछली बार मजदूरों को जो गेहूं मजदूरी के बदले दिया गया था, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उस गेहूं को व्यक्ति तो क्या एक पशु भी नहीं खा सकता है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। 10 किलोग्राम गेहूं में पांच किलो मिट्टी मिली हुई थी वह बिलकुल बीदा हुआ था। जिसको कोई खा नहीं सकता है वह उनको मजदूरी के रूप में दिया गया है। फिर आप कहते हैं कि मजदूर आते नहीं है। आप उनको चार रुपया, पांच रुपया ही दे दीजिए वह नगद दीजिए या फिर उसके बदले में जो अनाज देते हैं वह उस कीमत का तो दीजिये चाहे आपको इसके लिये फेमिन कोड बदलना है तो बदलिये, चाहे मंत्रीमण्डल का निर्णय लेना है तो वह लीजिये। एक तरफ हम यह कहते हैं कि लाखों की तादाद में श्रमिकों को रोजगार दिया है, तो उनके हितों का ध्यान भी रखना होगा। फेमिन जब पड़ता है तो कलेक्टर फेमिन रिलीफ वर्क्स का प्लानिंग करता है। फेमिन का नाम तब स्टार्ट होता है जब फेमिन खतम होने लगता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रि-प्लान बनाना है, जो भी आपको प्लानिंग करना है वह जैसे ही राज्य सरकार का निर्णय हो। उसके सात रोज में क्रियान्वित कर ही देना चाहिये ताकि उसका फायदा मिल सके।

एक निवेदन और करना चाहता हूं फेमिन के तहत जिन सड़कों को राज्य सरकार ने बनाया, जिन नहरों और तालाबों को बनाया और जिन पर लाखों रुपया खर्च किया है उनको पी. डब्ल्यू. डी. नहीं देखता है, सिंचाई विभाग नहीं देखता है। मैं यह कहना चाहूंगा जहां पी. डब्ल्यू. डी. और सिंचाई विभाग के कार्य सलेक्ट किये जाते हैं वहां सिंचाई मंत्री जी और पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री जी, जो आप स्वयं हैं, उनको प्राथमिकता दीजिये। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा मेरे चौमूं क्षेत्र में आज से चार पांच साल पहले मेण्डा, सामोद, बांसा की सड़कें बनीं लेकिन आज तक वे कम्पलीट नहीं की गई हैं। इसी तरह से उदयपुरिया का नाला है, उसके लिये मैं कहना चाहूंगा हर साल वहां नुकसान होता है लेकिन उस कार्य के लिये सिंचाई विभाग कहता है हमारे एग्जिस्टिंग वर्क में नहीं हैं इसलिये नहीं कर सकते हैं। जिलाधीश महोदय कहते हैं रिपोर्ट भेजें। जब रिपोर्ट तहसील में देखते हैं तो मिलती नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा चाहे उसे आप सिंचाई विभाग से करवायें, चाहे पी.डब्ल्यू. डी. से करवायें और चाहे रेवेन्यू से करवायें लेकिन जहां जन हानि होती है, पापूलेशन अफेक्टेड है और हर साल नुकसान होता है वहां कम से कम उन कामों को तो तत्परता से करवायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले की पांच तहसीलें है जो बाढ़ से काफी प्रभावित हुई हैं। कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बार बताया है और मैंने भी निवेदन किया है कि उन गांवों के लिये जो योजना आई है, जो कलेक्टर के पास पेन्डिग है उनको मंगवा

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

कर पूरी करवायें ।

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा): सभापति महोदय, फेमिन के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें अजमेर जिले के गांव जो एक हजार के आस पास हैं उनमें से 350 गांव अभाव ग्रस्त बताये गये हैं । ये आंकड़े बिलकुल झूठे हैं । यह सारी रिपोर्ट पटवारी ने बनाई है । राज्य सरकार का दबाव आया इसलिये उसने फटाफट रिपोर्ट बना दी,–जल्दबाजी की रिपोर्ट है । मैं कहना चाहता हूं जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अलावा जो रिपोर्ट वहां के सरपंच ने भेजी है जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और जिस पर उनके दस्तखत हैं उसको कम से कम मान्यता दी जानी चाहिये । पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानने का तो मतलब है गांवों को उसके भरोसे छोड़ देना और राहत न मिलना पटवारी की रिपोर्ट उसी तरह है जैसे एक पहिये की गाड़ी । एक पहिये की गाड़ी चलती है तो उसमें कोई कलाबाजी होती है तभी चलती है । दो पहिये की गाड़ी जिसमें अधिकारी और जन प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार होती है उसकी कीमत होती है । साथ में सर्वे कर रखा है, सर्वे के आधार पर काम आप करवाना चाहते हैं लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी, पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी और फेमिन में काम करने वाले डिपार्टमेंट जो काम कराते हैं वे फेमिन के काम को बेगार समझते हैं । जो ठेके का काम होता है उसमें रूचि लेकर काम करवाते हैं और उस काम के लिये सब दौड़ते हैं । फेमिन के काम में अधिकारी लोग रुचि लेकर समय नहीं देते हैं । मंत्री महोदय आपने देखा होगा कि सर्वे के कारण क्या स्थिति हुई थी । सर्वे की स्वीकृति के कारण बरसात के दिन नजदीक आ गये तो काम करने का क्या फायदा हुआ ? अगर समय पर सर्वे हो जाता तो विकास के कार्य, फेमिन से हो सकते थे । लोगों को समय पर राहत मिल सकती थी, लेकिन इन अधिकारियों की कमजोरी की वजह से, अधिकारियों के काम में रुचि न लेने की वजह से समय पर सर्वे नहीं हो सका और लोगों को राहत नहीं मिली। पाली जिले में, रायपुर में 16 सितम्बर तक का फेमिन के टाइम का गेहूं आज तक नहीं मिला है। किसानों ने तहसील के सामने प्रदर्शन किया कि अब तो फेमिन के काम का अनाज मिलना चाहिए । यह किस की कमजोरी है ? ये कौन लोग हैं ? क्या ये इलाके के लोगों को समय पर राहत नहीं दिला सकते ? वे चाहते तो दिला सकते थे ।

साथ ही अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू नहीं होंगे उसके पहले ही कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की गाड़ियां पैसा वसूल करने के लिए घूमने लग जायेंगी । किसी की गाय खोल कर ले जायेंगे, किसी की भैंस खोल कर ले जायेंगे, किसी का क्या ले जायेंगे। किसी को कहेंगे कि खड़े हो जाओ, जब तक पैसा नहीं देते, आप यहां से जा नहीं सकते । आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग वसूली के लिए निकल जायेंगे, और अंग्रेजों के टाइम का कोआपरेटिव का कर्जा वसूल करने पहुंच जायेंगे । जब पूछा जायगा कि हमारे बुजर्गों का कर्जा कितना था तो कहेंगे कि यह तो मालूम नहीं है लेकिन आप में इतना पैसा निकलता है । मेरा निवेदन है कि जो छोटे काश्तकार हैं, जो कर्जा नहीं चुका सकते उनका कर्जा माफ कर देना चाहिए । नहीं तो जमीनें बेच करके और घर झोंपड़े बेच करके उनको पैसा चुकाना पड़ेगा और

(श्री नूरा)

वह सड़क छाप हो जायेंगे । इस बात को गहराई से नहीं लेंगे तो काश्तकार उजड़ जाएगा। आज सही मायने में जिसको राहत की जरूरत है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसी से यह विभाग पैसा वसूल करने जाता है । जो समर्थ लोग हैं वे बच जाते हैं । इसलिये समय रहते रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से सम्बन्धित जो हमारे मंत्री महोदय हैं, वे ऐसा आदेश जारी कर दें कि जिनके पास पैसा नहीं है, अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर वसूलियां अविलम्ब रोक दी जायं । उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ।

एक नई बात और अर्ज करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के जागीरदार ने, सुना है, यह शर्त रखी कि गंगानगर के अन्दर मेरे इलाके को पानी मिलना चाहिए। आज रेत के टीलों में समुद्र लहलहा रहा है । राजस्थान नहर से लिफ्ट इरिगेशन के जरिये पानी ऊंचा लाकर उनको पानी पहुंचाया जा रहा है । आज वहां पर जमीनों की हालत यह है कि जहां पर भी जमीन नजर आती है जमीन को हड़पने के लिए गिद्ध की तरह से नजर लगाए बैठे हैं। जब गंगानगर में इस तरह से पानी पहुंचा सकते हैं तो यह तो राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार, जो जनता के द्वारा चुनी हुई है, पूरे राजस्थान का ध्यान रखना चाहिए । मैंने बोरूंदा की स्कीम को देखा है । वहां पर सन् 62 में मैं गया था । आठ हजार बीघा भूमि को पानी पिलाया जा रहा है बीस इंच मोटे पाइप से । उसमें से दो हजार बीघा उसकी है जिसके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि छः हजार बीघा जमीन ऐसी थी जिसके लिए यह किया हुआ था कि पानी मैं दूंगा और पैदावार का आधा आधा कर लूंगा । इस तरह से ऐसे लोगों द्वारा गरीबों का अकाल के टाइम में शोषण होता है । हर तरह से उनकी मौत आती है । हर समय उनके सिर पर मांगने वाले चढ़े रहते हैं । समय पर उनको राहत मिलेगी नहीं, पेट भरने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, समय पर काम नहीं मिलेगा । फिर जमाखोर पहुंच जायेंगे, वह उधार देंगे और एक एक का दुगुना वसूल करेंगे । उसको जिन्दा रहने के लिए जो भी साहूकार देगा लेना पड़ेगा । ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि बोरूंदा ऐसी जगह है जहां पर करणीदान जी का यह है । अकाल के टाइम में उनके धोरे चल रहे हैं और पास के कुओं में पानी की बूंद नजर नहीं आती । 20 इंच का पाइप चल रहा है लेकिन अकाल पड़ जाय तो पानी काम नहीं आ सकता । मैं निवेदन करूंगा कि आप राहत तो दें लेकिन इस धरती के गर्भ में जो पानी है सूखे इलाकों के अन्दर उसको बाहर निकाला जाना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि अजमेर जिले में बनास और चम्बल का पानी लाकर पीना पड़ रहा है । ब्यावर में बनास का पानी देंगे । उसी चम्बल और बनास की बड़ी योजना बना कर, जिस प्रकार गंगानगर में राजस्थान कैनाल और जालौर में नर्मदा पानी लाने की स्कीम बनी है, इसी तरह से इन नदियों का पानी लाकर अजमेर जिले में भी हमेशा के लिए अकाल का स्थायी हल निकाला जा सकता है इस अकाल की लपेट से बचा कर जितनी भी जनता भूख से पीड़ित है उसको राहत दे सकते हैं । हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है। बरसात के अन्दर पानी बहता है तो मिट्टी बह कर चली गई है । वहां के तालाब टूटे हुए हैं । मेरे इलाके में ढाई सौ तालाब

(श्री नूरा)

हैं जिनमें से सौ के लगभग तालाब टूटे हुए हैं, जो खेती को बरबाद करते हैं। सूखा पड़ रहा है, पानी जमा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जिस दिलचस्पी से आपने इस बहस को सुना है अकाल के सम्बन्ध में, उसी दिलचस्पी के साथ समय रहते आप लोगों को भूख से बचाने के लिए काम करें। समय पर काम शुरू करके आप मदद पहुंचायें। आपको इन अधिकारियों से चौकन्ना रहना चाहिए, और जन प्रतिनिधियों को साथ में ले करके इस काम को युद्ध स्तर पर करके लोगों को भूख से बचाना चाहिए। अकाल को हमेशा के लिए खतम करने के लिए जिस तरह से गंगानगर में पानी लाया गया है, उसी तरह से अजमेर जैसे गरीब इलाके में बनास और चम्बल का पानी लाकर हमेशा के लिए उस अकाल से छुटकारा दिला सकते हैं।

श्री सभापति : श्री शर्मा।

श्री एच. एन. शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री और राजस्व मंत्री महोदय का कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले जो पेपर हमें मिला है इसकी ओर ध्यान दिलाऊं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, इसमें लिखा है कि चित्तौड़ जिले की तीन तहसीलों में अकाल है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये तीन तहसीलें कौन सी हैं। कपासन है, प्रतापगढ़ है या बेगू हैं, कौन सी तहसीलें हैं ? अगर विभाग चाहता तो इन तहसीलों के नाम भी एड कर सकता था। गांवों की संख्या दी हुई है। अगर विभाग थोड़ी सी परेशानी मोल लेता तो इन ग्राम पंचायतों के नाम दे सकता था कि इन ग्राम पंचायतों के इन गांवों में अकाल है। लेकिन विभाग सोया हुआ है। हमारे मंत्री महोदय भी यहां से घर जाकर सो जाते हैं। घर जाने के बाद किसी बात की परेशानी मोल नहीं लेते। विभाग को ताड़ना नहीं देते। विभागीय अधिकारियों की खिचाई नहीं करते। माननीय सदस्यों को जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, माननीय सदस्यों को जो कागज पेश किये जाने वाले हैं वे हर हालत में हर तौर तरीके से पूरे होने चाहिए। लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि तीन और चार तारीख को सारे जिलाधीशों की मीटिंग जयपुर में बुलाई गई थी। अगर हमारे मंत्री महोदय चाहते तो छः तारीख को हमारे सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, पांच या चार तारीख को माननीय सदस्यों को बुलाया जा सकता था। अगर हमें इन्फार्म किया जाता तो इसमें कोई राय नहीं है कि सभी माननीय सदस्य इसी अकाल रूपी रावण से लड़ने के लिए, इस अकाल रूपी समस्या से हमेशा के लिए निपटने के लिए, अकाल का जो हमारे पर हमला हुआ है उससे निपटने के लिए जिलाधीशों के साथ बैठ कर मंत्रणा कर सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी सरकार हमारे सुझावों को लेना ही नहीं चाहती। केवल जिलाधीशों ने कह दिया और लिख कर भेज दिया उसे आपने फाइनल मान लिया। मैं तो यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारी सरकार को केवल अधिकारी चला रहे हैं, हमारे मंत्री खाली सेवक बन कर रह गये हैं। जो अधिकारी लिख कर दे देते हैं, चपरासी की तरह यहां लाकर पेश कर देते हैं। यह चपरासीगिरी ही करनी है तो छोड़ो।

(श्री एच. एन. शर्मा)

सरकार पर आज यह अधिकारी वर्ग हावी हो रहा है। आपको इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। अगर तब्दीली नहीं करोगे तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि कानून से बड़ा अडंगा है। कानून अडंगा करता रहा तो मैं समझता हूं कि आप जानते हैं कि ऐसा करने के बाद क्या होता है।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : पहले ही इधर आ जाओ। निकाले जाओगे पार्टी से।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, मजदूर कहीं का भी हो, चाहे वह फैक्ट्री का हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो, चाहे वह आर. एस. ई. बी. का हो चाहे वह जन स्वास्थ्य विभाग का हो, और चाहे अकाल राहत विभाग का मजदूर हो। मजदूर मजदूर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन रखना बिल्कुल ही दुर्भाग्य की बात है। आज मजदूर मजदूर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, उनकी तनख्वाहों में डिस्क्रिमिनेशन है। मैं तो कहना चाहूंगा कि हर हालत में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया जाना चाहिए और मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत जो निर्धारित तनख्वाहें हैं वह हर हालत में आने वाले बजट में रख कर न्यूनतम वेतन कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, मंत्री महोदय का कि यह बड़ा ही दुर्भाग्य है अकाल पड़ता है भगवान के क्रोध से, कहीं अतिवृष्टि होती है, और कहीं वर्षा नहीं होती है। तीसरा अकाल और होता है। यह तीसरा अकाल पैदा करते हैं अधिकारी वर्ग। इसको अगर सरकारी अकाल की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह कैसे पैदा करते हैं? सरकार ने पैसा पास कर दिया। करोड़ों रुपया अधिकारियों को दे दिया। आपको नहर बनाना है। नहर बन गई, कच्ची, पक्की, जैसी भी बन गई। इस नहर से इतना सीपेज हो रहा है कि सारे क्षेत्र में पानी भर गया। इस कारण वहां पर फसल पैदा नहीं होती। यह कृत्रिम अभाव आपने पैदा किया। बैगूं तहसील में 5 ग्राम पंचायतों में 50 गांव ऐसे हैं जो नहरी इलाके में है और इस कारण जहां कुछ भी पैदा नहीं होता है। काश्तकार कहते हैं कि इस नहर के पहले भुट्टे खा लेते थे। अब हमें भुट्टे खाने को नहीं मिलते हैं। यह इसलिए कि इन अधिकारियों ने कृत्रिम अकाल पैदा कर दिया है। मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि नहर बनाइये मत और बनाओ तो पक्की बनाओ। अकाल राहत के अन्तर्गत जो काम किये जाएं उनको इनकम्पलीट नहीं छोड़ा जाए। दस साल पहले सड़क बनी थी। आज उसका कोई धणी धोरी नहीं है।

सभापति महोदय, एक और बात कहना चाहूंगा कि इन अधिकारियों ने कैसे अपनी काली करतूतों से राजस्थान सरकार को डूबोया है। मध्य प्रदेश सरकार की आंखों में धूल झोंकी है। सिंचाई मंत्री महोदय सदन में नहीं हैं। मुझे आशा है अकाल राहत मंत्री महोदय मेरी भावनाओं को वहां तक पहुंचा देंगे। 3-5-69 को चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की 89 वीं मीटिंग हुई थी। उसके अन्दर राणा प्रपताप सागर, जवाहर सागर के डूब में जो गांव आ गये थे, उन गांव वालों को अलग से बसाया गया उन्हें अधिक सुविधा देने कुआ खोदने के लिए क्रमशः 2.6 2.0, और 2.5 लाख रुपया

(श्री एच. एन. शर्मा)

पास किया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि 19 वर्ष हो गये यह लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम पेन्डिंग है। आज तक पूरी नहीं हुई है। शुरू में यह साढ़े बारह लाख की थी। फिर यह 18.58 लाख की हुई है और अब यह 23 लाख की स्कीम हो गई है। यह दुर्भाग्य है सिंचाई विभाग के जो एस. ई. साहब थे उन्होंने 6-11-75 को अपनी कम्पलीशन रिपोर्ट दे दी। एम. पी. सरकार को, चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड और राजस्थान सरकार को यह कह दिया कि लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम पूरी हो गई है। नये एस. ई. साहब खुद देखने को गये। उन्होंने भी इसको देखा आपको सुन कर ताज्जुब होगा 19 साल से वहां पर काम नहीं होगा। इस लिफ्ट इरिगेशन से कोई पैदावार नहीं हुई। यह कृत्रिम अकाल पैदा किया है आपके अधिकारियों ने। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कृत्रिम आकल अधिकारीगण पैदा करते हैं, उसको आप रोकिए। अगर नहीं रोकते हैं तो यह तीसरा अकाल पैदा हो रहा है। इससे जनता, काश्तकार, मजदूर परेशान हो जाएंगे।

मंत्री महोदय को मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जब अकाल राहत के काम चलते हैं तो सभापति महोदय, अधिकारी वर्ग रिपोर्ट देता है सरकार को कि लोग काम पर नहीं आ रहे है। क्यों नहीं आरहे हैं। कारण क्या है सदस्यों ने बताया है कि उनको खराब अनाज मिलता है। एक और समस्या है। जो पी. डब्ल्यू डी का मिस्त्री होता है, ओवरसीअर होता है वह लोगों को 1971 की जनगणना के आधार पर कहता है कि तुम्हारी उम्र 13 वर्ष लिखी हुई है जब की वह लड़की 25 साल की हो गई है तुमको नहीं रख सकते। दूसरा आदमी जो चार बच्चों का बाप हो गया है उसको ओवरसियर कहता है तुम्हारी उम्र 13 साल है। इसलिए नहीं रखा जा सकता। सभापति महोदय इस तरह की यह जो अनियमित कार्यवाही होती है उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अधिकारी वर्ग कैसे यह अकाल राहत का करोड़ों रुपया खर्च करता हैं। अकाल ग्रस्त क्षेत्र में यह खर्च किया जाना चाहिए। परन्तु वहां पर खर्च न किया जाकर मेन रोड पर काम कराया जाता है। गये साल इस विभाग द्वारा चित्तौड़-बूंदी मैन. रोड पर काम कराया गया।

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

एक मिनट। अन्तिम बात कहना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि बूंदी चित्तौड की मेन रोड पर काम कराया गया है। यह तो रेगुलर सड़क है इसका मेन्टीनेन्स का पैसा मिलता है। तो उस बजट से इसकी मेन्टीनेन्स की जानी चाहिए अकाल राहत के पैसे से इसकी मेन्टीनेन्स नहीं की जानी चाहिए जहां अकाल पड़ता है, उन गांवों में ही कार्य कराया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी

श्री **सभापति** : श्री शंकरलाल

श्री **शंकरलाल** (जैतारण) : सभापति महोदय, मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह दूसरा अकाल का वर्ष है। जबकि राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति बनी है सभापति महोदय, गत वर्ष भी अकाल था। मौजूदा सरकार के आने बाद, यह बताया गया है कि 19 जिलों में करीब 12,000 से ज्यादा गांव अकाल ग्रस्त है। यह भी कहा गया था कि सरकार द्वारा इनके बारे में अच्छा प्रबन्ध किया जाएगा। मैं ज्यादा विस्तृत चर्चा न करके, मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद गत वर्ष जो अकाल घोषित

(श्री शंकरलाल)

किया गया था, उसका मुकाबला कितना किया ? अब यह जो अकाल संभावित बताया गया है, जो रिपोर्ट दी गई है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, यह मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा । सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें यह कहा था कि इन 19 जिलों के अन्दर 7.57 करोड़ रुपये अग्रिम सहायता से, 2.12 करोड़ रुपये राज्य सरकार से और दस हजार टन गेहूं लोगों को बांटेंगे । इसके अलावा जो खर्च होगा वह करेंगे । यह तो बताया । जैसे मेरे क्षेत्र में यह जो अकालग्रस्त गांव घोषित किए गए, इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ 11 जनवरी को । उसमें 90 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया । इसके अन्दर आप अन्दाजा लगाइए, मैं फेमिन अकाल राहत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वहां पर कितना काम कराया गया है ? इसके बारे में कहना पड़ेगा सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि पिछली सरकार ने अकाल का मुकाबला अच्छी तरह से किया था, उससे भी मझे सन्तोष नहीं था । मौजूदा सरकार के आने के बाद गांव में जाकर आप पूछ लें, अकाल का मुकाबला करने में सरकार ने बड़ी उदासीनता दिखाई है। इससे लोगों में असन्तोष है । अधूरे काम को नहीं लिया गया है । लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है । काम के बदले अनाज की योजना चली, लोगों को सड़ा गला अनाज दिया गया । इसके अलावा लोगों को समय पर मजदूरी नहीं मिले । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी पर अनाज थोप नहीं सकते । मेरे पास अनाज है । मुझे पैसों की जरूरत है । आप पैसा न देकर अनाज देना चाहते हैं इसलिए लोग मजदूरी पर नहीं आते हैं । जो अनाज देना चाहते हैं उसको वे लेना नहीं चाहते हैं । लोगों ने काम किया उनकी मजदूरी नहीं मिली । ग्राम कूमड़िया में सिंचाई बन्धे का काम हुआ आज तक मजदूरी नहीं दी गई है । मैं यह निवेदन करूं इस तरह से असन्तोष का वातावरण आपका गत फेमिन में जो काम हुआ था, उसके प्रति लोगों में है । मैं आपको मुद्दे की बात कहूंगा । सभापति महोदय, यह सही है कि फेमिन कोड दोषपूर्ण है । इसको बदलने की बात कही गई है । आपने कमेटी बिठादी है । आप चाहते हैं, आपके दिल की तमन्ना है तो आप इसको युद्ध स्तर पर कीजिए यदि वास्तव में यह इच्छा है । राजस्थान के अन्दर जो आपने सिवाय गंगानगर और कोटा के यह जो अभावग्रस्त गांवों की लिस्ट बनाई है, हो सकता है कि इस लिस्ट में कमी हो । इसके बारे में जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके इसमें संशोधन करेंगे । परन्तु काम करने के लिए आप अपने मिनिस्टरों पर संयुक्त जिम्मेदारी डालिए । उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दीजिए । मैं यह नहीं कहता कि पहले की सरकार का आप अनुसरण करें। पहले एक एक मिनिस्टर को दो दो जिले दिये गये थे । आप कालवी साहब को इतने गांव दीजिए । इसी तरह से राजस्व मंत्री को दीजिए ताकि काम की देखरेख हो सके । यह जो अकाल का रोग है, यह राजस्थान का रोग है । इसको युद्ध स्तर पर करने के लिये अकेले फेमिन मिनिस्टर के बस की बात नहीं है । केवल ये नहीं चला सकते । हमारे मुख्य मंत्री महोदय अन्त्योदय योजना, एक ऐसी योजना चला रहे हैं जो गरीबी दूर करने की है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्त्योदय से ज्याद। केबिनेट स्तर पर जरूरी कार्डिनेशन है

(श्री शंकरलाल)

आपके इलाके में अगर अकाल पड़ जाय तो आप स्वयं-मुख्य मंत्री जी आप अपने मंत्रीगण के अन्दर कोर्डिनेशन करवायेंगे । कौन आपका कहना नहीं मानते हैं ? कौन आपका कहना नहीं करते हैं ? आपको कोर्डिनेशन केबिनेट स्तर पर करना पड़ेगा । केवल फेमिन मिनिस्टर के बल बूते की बात यह नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा माननीय रामसिंह ने बताया पश्चिमी जिलों में अकाल की स्थिति आती ही रहती है। यह स्थिति न बने इसके लिए डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम बनाया गया । जो नये कृषि मंत्री जी बने हैं कालवी साहब, वे सुन रहे हैं । वे डी. पी. ए. पी. को देखें वे कृषि मंत्री हैं । हमारी अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए डी. पी. ए. पी. की स्कीम बनाई गई। मई 1974 में बनाई गई । अब 76 चल रहा है–

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी))

इन चार सालों में जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के 10 जिले हैं उनके लिये क्या हुआ ? सूखा संभावित स्थिति नहीं बने इसके लिए प्रोग्राम बनाया गया था इसका क्या असर पड़ा ? मैं कहता हूं बड़ी बड़ी योजनाएं राज्य सरकार के, केन्द्र सरकार के स्तर पर बनाई गई । मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, क्योंकि समय कम है, आप घंटी बजाना चाहते हैं, जवाई बांध योजना बनी, उसका पानी कितने जिलों में दिया जायगा, कितना धौलपुर में जाएगा । बड़ी-बड़ी योजनाए हैं, उनको आप देखें । सरकारी अधिकारियों पर खर्च होता है उनके टी. ए. डी. ए. में खर्च होता है, लोगों को बुलाते हैं, जलसे करते हैं इससे कुछ मतलब नहीं है । आप देखें इस पैसे का उपयोग कहां हुआ । केवल डी. पी. ए. पी. स्कीम बना कर आप संतोष नहीं ले सकते । यह जो फेमिन का प्रोग्राम है उसमें केवल आप घोषणा करके संतोष लेना चाहते हैं । पाली जिले में केवल 283 गांव बताये–

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप अकाल राहत कार्यों की घोषणाएं करते हैं । वास्तव में मजदूर इसलिए नहीं आते क्योंकि 3 रुपये मजदूरी देते हैं । इतनी मजदूरी में कोई मजदूर नहीं आने वाला है –

श्री दाऊदयाल जोशी : घंटी बज चुकी है चार बार ।

श्री शंकरलाल : इनको कम से कम 5 रुपये मजदूरी देनी पड़ेगी–

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप बार बार घंटी बजा रहे हैं ।

जैसा कि श्योपतसिंह जी ने कह दिया आप योजना बना कर कलेक्टर्स की मीटिंग बुलाले जिला स्तर पर ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री मनोहर सिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं इस बात की कि जब से काम हाथ में लिया है चूंकि ये खुद ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे हैं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

इसलिए अधिकारियों में भी फर्क आया है। पहले तो स्थिति यह थी कि लोग इंजिनियर और ओवरसियर के लड़कों से अपनी लड़कियों की सगाई प्रसन्न होकर करते थे क्योंकि खूब धन कमाया है अकाल राहत में भ्रष्टाचार करके। राहत मंत्री जी को मैं उपमा देता हूं उस डाक्टर की जो कालेरा के रोगियों का इलाज कर रहा हो लेकिन दूसरे मंत्री जो लगे हुए हैं उनको उपमा देता हूं वे प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं चारों तरफ फैल कर। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अकाल को रोकना है तो पहले वन मंत्री जी, खूब वृक्ष लगाने होंगे। 30 साल तक जंगलों को बरबाद कर दिया गया—

"काट लिया सब रूंखड़ा, वन का सेंपट पाट।
का झांके बरसात की, जदी जीवड़ा बाट॥

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठना चाहता हूं। मंत्री गण आपस में बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको सुन रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो वन मंत्री, सबसे पहले इस ओर ध्यान दें माण्डलगढ़ के चारों ओर खूब वन था। लोग शेर का शिकार करने आते थे लेकिन आज सब जंगल ऐसे हो गये हैं जैसे मेरा सर। आज वर्षा का तोड़ा पड़ गया है, वन मंत्री जी। सबसे पहले जिम्मेदारी आती है आपके ऊपर। दूसरी जिम्मेदारी सिंचाई मंत्री जी पर है। लेकिन दुर्भाग्य से सिंचाई मंत्री जी यहां हैं नहीं, उनके अधिकारी भी मौजूद नहीं है। खास मेरे ही क्षेत्र में बनास, बड़ेच, कोठारी अंवली, मेनाली नोलप सोन आदि कई नदियां बहती है आप बांधिये उनके पानी को, रोकिये। वन मंत्री जी के प्रयत्न से जंगल लगेंगे, सिंचाई मंत्री जी के प्रयत्न से पानी रुकेगा। लेकिन आबकारी मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि शराब बन्द कर के उन्हें हर मुसीबत का सामने करने के योग्य बनाइये। हमारे मेजर साहब के क्षेत्र में अकाल पड़ा है लेकिन जब तक वहां शराब मौजूद है रावत शराब पीकर पड़े रहेंगे।

मेजर श्री फतहसिंह : आज से ही बन्द करवा दो दारू वहां; मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं आपको देखता हूं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि शराब से अनाज कम से कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि जितने आदमी हैं वे शराब पीकर पड़े रहते हैं। आप सब नहीं पड़े रहते, क्षमा करियेगा।

मैं खनिज मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने खनिज के लोभ में सबके सब जंगल बरबाद करवा दिये हैं। वन मंत्री जी, नाजायज तौर से आपके वन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने मिलकर खुद जंगलों को बरबाद किया है और वहां पर पत्थर की खाने ही खानें खोद दी हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दीजिएगा।

हमें सामाजिक कुरीतियों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा जिनकी वजह से अकाल का मुकाबला करने की किसान की हालत नहीं रही। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मृत्यु भोज ज्यों के त्यों होते रहे हैं। आप इनको नहीं रोकेंगे तो ठीक तरह से काम नहीं होगा। राहत मंत्रीजी का काम है कि सबका सहयोग लें। गृह मंत्रीजी का काम है, वह देख रहे हैं। उनका बहुत बड़ा ध्यान है।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको वे अनुभव है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके पंचायत मंत्री के नाते इससे सम्बन्ध जोड़कर सब पंचायत समितियों और पंचायतों तथा गांवों में रिजर्व फारेस्ट्स लगायें। वन मंत्रीजी आपका साथ दे रहे हैं और सब तैयार हैं। इससे सच्चे मायने में गांधीजी का स्वप्न पूरा होगा। जिस तरह से राहत का काम करें गान्धीजी का काम करें। हम सब मिलकर इस काम को करें। हम कहते हैं कि इन्होंने गड़बड़ की, उन्होंने गड़बड़ की। हमें अपने आपको देखना पड़ेगा कि हम अपने समाज में कितना बदलाव लाने को तैयार हैं। जितनी खुशबू यहां से निकलेगी उतनी ही सब जगह महक बढ़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपको दो घंटे ज्यादा बैठना पड़ा है। आपने मेरे बुढ़ापे पर तरस खाकर दूसरों का नाम पहले होते हुए भी मुझे अवसर दिया, क्योंकि मैं 68 साल का आदमी हूं।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): सभापति महोदय, मैं खास तौर से पाली जिले के लिए कहूंगा क्योंकि पाली जिले के अन्दर बहुत कम गांव आये हैं। हमारे यहां सरपंचों ने अपने एरिया वालों के नाम लिखायें हैं। हमारे यहां पर अकाल की भयंकर स्थिति है। मैं गया और पटवारी से बात की। उसने मुझे बताया कि हमें इस प्रकार के इन्सट्रक्शन्स हैं कि खराबा कम से कम लिखा जाय। हमने यह बात एस. डी. ओ. से पूछी तो एस. डी. ओ. ने कहा कि मैं आपके एरिया में गया था तो वहां पर कपास की फसल है। मैंने कहा कि वहां पर 2-3 कुए हैं जिनमें कपास की फसल कहां से हो गई? मैंने पूछा कि खराबा किस फसल में है? क्या कपास की काश्त में होता है खराबा। पल्स में होता है। यह हालत तो आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आफिसर्स की है। मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि खराबे के एस्टीमेट्स के लिए एग्रीकलचर डिपार्टमेंट को क्यों नहीं साथ में लिया जाता है? वह सही स्थिति बता सकता है। पटवारी को जमीन का ज्ञान है उससे आप खराबा निकलवाना चाहते हैं। ज्वार की फसल घास के लिए उगाते हैं। मूंग की फसल कैसे यह उसमें आती है। इनका पट्टा जो पटवारी देता है वह सही नहीं है। आप यह काम जन-प्रतिनिधियों को दें या एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट को दें वही आपको सही सलाह देंगे और तभी सही स्थिति का पता पड़ेगा।

जहां तक डी. पी. ए. पी. का सवाल है, रूल्स का सवाल है आप जितनी स्कीम बनाते हैं वह सारी यहां से सैन्कशन होती रही हैं और सरकारी अधिकारियों द्वारा पैसा खर्च होता रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि जो भी पैसा खर्च किया जाय वह ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाय। फडू फार वर्क या कोई भी हो वह सरपंच या उसके साथ में मदद के लिए कोई आदमी दे दें ताकि जो भी पैसा गांवों में खर्च हो उसका सही रूप में युटिलाइजेशन हो किसी तरह की मदद चाहिए श्रमदान वगैरह की तो वह गांव वाले दे सकेंगे। जिससे पैसे का ज्यादे से ज्यादा युटिलाइजेशन गांव में हो।

(श्री माधवसिंह दीवान)

दूसरा, जिस गांव में मैं अभी गया तो वहां के सरपंच ने मुझे बताया कि 10 साल पहले वहां पर फेमिन पड़ा था। उस समय के तगारी और फावड़े एक गोदाम में बन्द हैं। इस साल फेमिन पड़ा तो एस. डी. ओ. ने वहां आदमी भेजा कि तगारी, फावड़े लाओ।

एक माननीय सदस्य : एक व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्री पान खा रहे हैं सदन में।

श्री शंकरलाल : धूम्रपान मना है, पान खाना मना नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : बोलते वक्त नहीं खाना चाहिए।

श्री माधवसिंह दीवान : हम मंत्री महोदय से पूछते हैं कि रुपया कहां गया तो उनका जवाब आता है कि मिट्टी खोदने के औजार खरीदे गये। जब जब भी अकाल पड़ता है तो करोड़ों रुपयों के तगारी और फावड़े खरीदे गये। जब जब भी फेमिन आता है तो हर साल नये खरीदे जाते हैं। खासतौर से हमारे एरिया में सड़कों के किनारे कंकरी पड़ी रहती है, जहां पर नई सड़कें बनती हैं तो ठेकेदार उसको उठाकर ले जाते हैं और नई सड़कें बनाते हैं। उस कंकरी को लेकर वह काम करते हैं।

सिंचाई विभाग के माइनर वर्क्स पश्चिमी राजस्थान में कहीं पर फिट नहीं बैठते हैं। जितने भी बड़े बड़े सिंचाई के कार्य हैं वह पूर्वी राजस्थान में चल रहे हैं। कोई भी कार्य सिंचाई का हमारे यहां नहीं होता है। उसके लिए अकाल की राह देखनी पड़ती है कि हमारे यहां भी छोटे मोटे सिंचाई के काम हों। जो छोटे-मोटे काम आज जो जनरल बजट में नहीं हो पाते हैं वह इस मौके पर उनके लिए फण्ड एलाट करके कम्प्लीट कराने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात यह है कि खराबे का जब का जब एससमेंट होता है तो पटवारी से पूछने पर वह नहीं बताता है। उनको खराबा सीक्रेट रखने के लिए कहा जाता है। हम लोगो से ही खराबा सीक्रट रखा जायगा तो फिर किसको बताया जायगा। क्या अकाल की स्थिति है और क्या खराबा बता रहे हैं? यह हमें मालूम होना चाहिए। आपने अकाल राहत के लिए कमेटी बनाई हुई है तो उस कमेटी के सामने वह क्यों नहीं लाया जाता है? हमें यह बताया जाना चाहिए कि सही रूप में स्थिति क्या है।

श्री सभापति : श्री रतनलाल वर्मा ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय, कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। एक नई बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, जो मूल्यांकन होता है यह कुल रकबे पर कितनी काश्त हुई और उसकी पैदावार किस प्रतिशत से हुई यह आंकड़े नहीं निकाले जाते हैं। पटवारी जो गिरदावरी करता है उसके अन्दर अच्छी खरीफ की फसल पैदा होती है उसके अन्दर 12 आना, 14 आना पैदावार बता देता है। जैसा कि एक भाई ने कहा कि पटवारी पैदावार बता देता है जो ज्वार घास के लिए बोई उसका भी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। एक बड़ी मुश्किल यह होती है।

दूसरी मुश्किल यह होती है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अकाल मंत्री जी को

(श्री रतनलाल वर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं कि आप देख लें रिकार्ड मंगाकर कि जो फसल उड़द, मूंग की होती है उसका मूल्यांकन सैन्ट पर्सेन्ट कर देते हैं। जहां फसल चार आना होती है वहां पर 12 आना, 14 आना, 10 आना कर देते हैं, क्योंकि 50 पर्सेन्ट से कम है वह खराबे में आता है वरना नहीं आता है। कुल रकबे में कितनी काश्त हुई, कुल रकबे में नाज की पैदावार कितनी हुई ? उसका मूल्यांकन करके फिर आंकड़े बिठाने चाहिए, यह मेरा माननीय फेमिन मंत्री जी से निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अकाल पड़ गया और हम सब इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उस किसान से लगान स्थगित करने की बात कर रहे हैं और अब तक स्थगित हुई है ? फेमिन कोड में यह है कि तीन साल तक लगातार बराबर अकाल पड़े तो एक साल का बराबर लगान क्लेक्टर की रिपोर्ट के ऊपर माफ किया जा सकता हैं। माफ किया जायगा नहीं, जा सकता है और आज तक तो हुआ नहीं, मैं 24 साल तक सरपंच रहा हूं मुझे पूरा अनुभव है कि नहीं हुआ है। जब किसान ने अपना खेत बोया, कहीं से बीज लिया, कहीं से कर्जा लिया, सहकारी समिति का कर्जदार बना, बैंक का कर्जदार बना लेकिन बरसात नहीं होने की वजह से पैदावार नहीं हुई, ईश्वर नाराज हो गया और दूसरी तरफ सरकार डायन बन गई और उससे लगान वसूल करती है वह भी पेनल्टी के साथ। उस समय का दिया हुआ कर्जा। उसका उससे ब्याज भी वसूल करती है। आज तक भूतपूर्व सरकार ने भी इस बारे में नहीं सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि आज हमको किसानों ने चुनकर यहां विठाया है, जो 80 प्रतिशत हैं। सभापति महोदय, और अगर आज भी किसानों की बात नहीं सोची जो गरीब हैं, जो मुश्किल से पेट भर पाते हैं और उसी को खाकर हम यहां पर आये हैं वह भूखा रहता है, सब्जी नहीं खा सकता, घी से रोटी को चुपड़ नहीं सकता और हमको खिलाता है। उसको खाकर बड़े-बड़े बंगले बनाकर रह रहे हैं, लेकिन आज तक उस किसान के लगान को माफ करने की बात नहीं सोची। इसलिए मैं, मन्त्री महोदय, कह सकता हूं हकीकत में जो सरकार के मन्त्री हैं, नाराज हों तो दस दफा हों, कितने ही मंत्री और अफसर या विधायक ऐसे हैं जो सब तमाशबीन हैं यह सब रिकार्ड में आने वाला है, अखबारों में छपेगा, लेकिन सरकार पर जूं भी नहीं रेंगने वाली है। हमारा काम यही है, भूतपूर्व सरकार ने भी यही किया है कि नौकरों को लगाकर टैक्स वसूल किया जाय और उनकी तनख्वाह देना। दो महीने तनख्वाह नहीं दो तो यह कह देंगे कि सरकार फेल है। लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं खोलेंगे, दो महीनें हो गये, सरकार फेल नहीं हुई। उनके पास खाने को नहीं है, विचार हो रहा है, 20 तारीख तक रिपोर्ट आ जायगी फिर कलेक्टर को आदेश दे देंगे कि तत्काल काम शुरु कर दिये जांय लेकिन एस्टीमेट और नक्शे बनाये बिना नहीं किये जायेंगे और कौन बनायेगा सभापति महोदय, बिना एस्टीमेट के, बिना नक्शे के पिछले साल भी फेमिन के काम समय पर नहीं खोले गये। मैं स्पष्ट निवेदन कर देता हूं कि इस साल बिना एस्टीमेट और नक्शों के काम नहीं चल सकता। आप आदेश पर आदेश दे रहे हैं पूछड़ी पर पूछड़ी छोड़े जा रहे हैं।

(श्री रतनलाल वर्मा)

मैं आदेश नहीं लाया नहीं तो उसको पेश करता, उसमें लिखा है जिलाधीश चाहें तो काम शुरु कर सकते हैं, किन्तु बिना इन्जीनियर से पूछे और राज्य सरकार की पर्मीशन लिये काम चालू नहीं किये जायेंगे। यह क्या तमाशा है, क्या मखोल बना रखा है गरीबों के साथ। सभापति महोदय, मैं निवेदन करू मंत्री महोदय को कि लगातार अकाल पड़ता जा रहा है और यह अकाल का कारण क्या है, वन मन्त्रीजी चले गये, तीस साल की कांग्रेस सरकार ने लगातार जंगलों को कटवाया है, जंगल लगवाये नहीं, जंगल लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और तमाम का तमाम पैसा उन मिनिस्टरों के पास गया, उनके बंगले बनाये गये, आफिसरों के बंगले बनाये गये, पी. डब्ल्यू. डी. के असिस्टेन्ट इन्जीनियर के और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के बंगले बनाये गये। आज भी आप जांच कर लें। मुझे ऐसा भान हो गया है कि इस तरह से विश्वास मिलता रहेगा और किसानों की पूछ नहीं होगी तो, सभापति महोदय, एक दूसरी बात यह है कि फेमिन कोड में चार रुपये और बीस पैसे आपने रखे कोई बात नहीं 4.20 पैसे हो गये लेकिन एक बन्दिश और है कि जहां तीन आदमी घर में हों तो एक आदमी को लगाया जाय, पांच आदमी हों तो दो को लगाया जाय, क्या तमाशा है बाकी के रोटी नहीं खाते, घास खाते हैं। घास भी अकाल में नहीं है क्या मिट्टी खाकर जी जायेंगे। इसलिए अगर यह बात रखी जाती है कि तीन में से एक आदमी और ५ में से दो आदमी या दस में से चार आदमी लगायें जायेंगे तो फेमिन मन्त्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इन मजदूरों की देनगी आठ रुपया कर दीजिये। सभापति महोदय, जितने भी मजदूर काम पर आयें, 12, 13 साल का बच्चा उसको आप काम पर लगाते हैं, उसको तीन रुपया देते हैं वह मिट्टी निकालने का काम करेगा। मैं सरकार से और मन्त्रियों से पूछना चाहता हूं—

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, अगर मैं पुरानी बात करू तो मत मानना—

श्री एच. एन. शर्मा: आज से ये सिंचाई मंत्री हो गये हैं, इनको समय और दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : यह मजाक है या वाकई में हो गये।

श्री रतनलाल वर्मा : जिस आफिसर को दो हजार और 1500) रुपया तनख्वाह मिलती है, चालीस हजार की उसके पास कार है, दो तीन चपरासी घर पर हैं, उसको ड्राइवर मिलता है उस आफिसर के काम का मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ और फेमिन में काम करने वाले मजदूर का मूल्यांकन कर दिया कि ८० फीट गार निकालनी होगी नहीं तो पेनल्टी लगेगी। दूसरी बात निवेदन करू उस आफिसर को दो हजार और 1500 तनख्वाह ही नहीं मिलती, टी. ए. डी. ए. और मेडिकल अलाउन्स भी मिलता है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस आफिसर का टाइम दफ्तर में पहुंचने का साढ़े दस बजे है और कड़ाके की सर्दी में मजदूर जिसके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं उसके पहुंचने का टाइम सुबह ८ बजे.....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री रतनलाल वर्मा)

गांव से तीन-चार मील पैदल चल कर कड़ाके की सर्दी में, महिलायें बच्चों को लेकर साथ में मक्की की रोटी लिये, मैंने उसे अपनी आखों से देखा है जाता। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब इन बड़े-बड़े आफिसरों का टाइम दफ्तर पहुंचने का साढ़े दस बजे का है तो उस गरीब मजदूर का टाइम सुबह 8 बजे रखना क्या न्यायोचित है ? उसको 80 फीट मिट्टी निकालनी होगी तभी काम पूरा होगा, क्या अधिकार है आपको कि उसको छुट्टी नहीं मिलेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसको पांच बजे तक वहां रहना पड़ता है । एक व्यक्ति पर दो प्रशासन । यह जो दोगलापना गरीब के साथ कर रखा है, मैं सरकार से कहता हूं कि यह बात छोड़िये । इस पर विचार करिए लेकिन दो बातों में से एक करिए । चाहे आप एक्ट को बदलें लेकिन जब तक अधिकारियों का मन नहीं बदलेंगे, काम होने वाला नहीं है । ये प्रहरी खड़े रहते हैं, इनको पूरी रोटियां नहीं मिलती, हार्ड ड्यूटी अलाऊंस नहीं है। इन गरीब चपरासियों के घर रोटी खाने को नहीं है । मंत्री 4-4 बार रोटी खाने चले जाते हैं, अब तो 21 की फौज हो गई, अब किसको दोष दें ? सभापति महोदय, आज इस मंहगाई के समय में सरकारी नौकर विधान सभा के सामने दुकानें लगाता है, रोज 8-10 दुकानें लगती हैं, उनकी मांगें मंजूर होती हैं । क्या गरीब भी विधान सभा के सामने आयेगा ? अब केवल 3॥ साल का समय रह गया है, इसमें गरीब को राहत दो नहीं तो यदि उसका रोटी रोजी का इंतजाम नहीं किया तो बदल दिए जाओगे, इस में कोई संदेह नहीं, मैं चुनौती के साथ सरकार से निवेदन करता हूं। मैं भी आपके साथ शामिल हूं जूते मेरे भी पड़ेंगे। उस गरीब के साथ मखौल मत करो, खिलवाड़ मत करो, उस गरीब को मत सताओ, जले पर नमक मत छिड़को ।

(व्यवधान)

प्रस्ताव

प्रस्ताव पर बहस का समापन

श्री गुलमोहम्मद : व्यवस्था का प्रश्न है । कल भी सदन की कार्यवाही चलते चलते 12 बज गए। आज ८॥ बज चुके हैं । मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 281 की ओर आकर्षित करता हूं। उसके तहत मैं मोशन मूव करता हूं कि वर्तमान प्रस्ताव पर बहस समाप्त की जाए और मंत्री महोदय को जवाब के लिए कहा जाए ।

श्री सभापति : थोड़े से सदस्य रह गये हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जितने भी सदस्य बोलना चाहेंगे उनको समय मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : जो प्रस्ताव श्री गुलमोहम्मद ने सदन के समक्ष मूव किया है उस पर सबकी सहमति ली जाए ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री गुलमोहम्मद : नियम 281 में लिखा है: किसी प्रस्ताव के किए जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा

(श्री गुलमोहम्मद)

कि अब प्रश्न रखा जाये और जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव में इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव रखेगा कि अब प्रश्न रखा जाए।

श्री सभापति : मैंने आपका पांइट सुन लिया है, व्यवस्था देता हूं।

श्री गुलमोहम्मद : काफी समय हो हो गया है।

श्री सभापति : आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उक्त नियम तभी लागू होता है जब सदन की यदि कान्सेंसस ऐसी हो उस हालत में विचार किया जा सकता है। इसके बाद भी माननीय सदस्यों की इच्छा है। कुछ ही सदस्य बाकी बचे हैं और कान्सेंसस यह है कि अकाल का विषय ऐसा है कि उस पर सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। पहले व्यवस्था हो चुकी है फिर भी में व्यवस्था देता हूं कि मोशन को मूव करना मैं डिसअलाऊ करता हूं। सदन की कान्सेंसस नहीं है, आप बिराजिए

श्री करतारसिंह।

राज्य में अकाल व सूखे की स्थिति पर विचार

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, आज जो अकाल राहत पर डिबेट है उसमें मैं अपने कुछ सुझाव मंत्री महोदय को देना उचित समझूंगा। जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं राजस्थान में अकाल की विभीषिका समय समय पर चलती आ रही है। मंत्री महोदय ने बताया कि 26 जिलों में से 24 में अभाव की स्थिति है। मैं अजमेर जिले की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अजमेर जिले में 5 तहसीलें हैं उनमें लगभग 976 गांव हैं, उनमें जो आपने परिपत्र दिया है उसके अनुसार तीन तहसीलें अभावग्रस्त बताई गई हैं और केवल 350 गांवों को लिया गया है। वे कौनसी तहसीलें हैं और कौनसे गांव लिए गए हैं, हमें जानकारी नहीं। इस संदर्भ में मैंने जिलाधीश, सहायक जिलाधीश किशनगढ़ व तहसीलदार से सम्पर्क किया परन्तु वे मुझे यही बताते रहे हैं कि अभी तक रिपोर्ट नहीं बनी है जब कि यहां आते ही मुझे मालूम पड़ा कि रिपोर्ट आपके पास आ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपने जिला सलाहकार समिति बनाई है, उसमें बताया गया कि फेमिन की फाइनल रिपोर्ट मगवाई है। आप उस रिपोर्ट को मंगाने से पहले जिलाधीशों को आदेश दें कि जैसे ही 16 तारीख को सेशन समाप्त हो, 16 व 30 के बीच में इस समिति की मीटिंग रखें जिसमें तहसीलदार, एस. डी. ओ, जिलाधीश व संबंधित विधायक उपस्थित हों, उसमें विचार करें कि जो रिपोर्ट बनाई है वह सही है या गलत। उस बैठक में निर्णय होने के बाद राज्य सरकार को प्रेषित करें। अजमेर जिले में सिंचाई के साधन नहीं हैं, एक फसली भूमि पर खेती होती है और यह भी केवल बरसात पर डिपेंड करती है। जैसे माननीय सदस्य जानते हैं वर्षा भी कम हुई है और लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और तालाब 'सूखे' पड़े हैं। कोई तालाब ऐसा नहीं है जहां चादर चली हो या आधा भी भरा हो। मेरे क्षेत्र का अधिकांश भाग एक फसली है, न वहां उद्योग धंधे हैं। अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं और बेरोजगारी की समस्या पहले से ही है। ऐसी हालत में प्रकृति का प्रकोप हुआ और गत वर्ष भी अकाल हुआ और इस साल भी अकाल की स्थिति है।

(श्री करतारसिंह)

तो राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि पिछले साल जिस तरह से ढिलाई बरती गयी वह इस बार नहीं बरती जाये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय बहुत तत्पर हैं लेकिन जो वर्तमान ढांचा बना हुआ है और फेमिन डिक्लेयर करने के जो नियम बने हुए हैं उसके लिए सुझाव भी देने होंगे। जिला सलाहकार समिति को स्थाई बनाया जाये एक तो मेरा यह सुझाव है और जो टेक्निकल एस्टीमेट्स बनाने वाली बात है और इस की वजह से गये साल भी परेशानी हुई जैसा कि भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने सब का ध्यान उस ओर आकर्षित किया है कि हमारे अजमेर में अकाल राहत के कार्य अप्रेल में तो चालू हुए और दो महीने में ही बन्द हो गये। जब राज्य स्तर पर अकाल राहत के मंत्री नियुक्त हैं, अकाल राहत के लिए सचिवालय है तो क्यों नहीं जिला स्तर पर भी अकाल सैल अलग से काम करें जिसमें अकाल राहत का टैक्निकल और नान-टेक्निकल स्टाफ है वह जिला स्तर पर जो सैल हो वह जिस समय फेमिन की स्थिति हो उस समय काम करे और देखे कि कौन कौन से काम हम ले सकते हैं। इसके साथ ही निवेदन है कि जिस तरह से जिला सलाहकार समिति की मीटिंग है। और वह चुनाव करे कि कौन कौन से क्षेत्र में फेमिन वर्क्स चालू होने चाहिए। उसमें अन्य अधिकारी जैसे पी.डब्लू.डी. और इरिगेशन के अधिकारी हैं उनको भी बुलाया जाये और उनसे जानकारी ली जाये कि कौन से क्षेत्र में आप क्या कार्य करने जा रहे हैं ताकि डुप्लीकेसी नहीं हो.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ा वह यह था कि मेरे यहां फारेस्ट के काम भी चालू हुए और वहां पर मजदूरी की 5 रूपये दर निर्धारित कर दी। लोगों ने फेमिन के कामों में आना पसन्द नहीं किया। तो मेरा तात्पर्य यह है कि जब फेमिन के और दूसरे कार्य चालू हों तो एक ही मजूदरी की दरें निर्धारित हों मिनिमम वेजेज की।

मैं थोड़ा फेमिन के पेमेन्ट के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। 15 दिन के अन्दर फेमिन के कामों का पेमेन्ट किया जाता है अभी तक मस्टर रोल बनते हैं और वह मस्टर रोल इरिगेशन विभाग के ओवरसीयर के पास रहते हैं और ओवरसीयर कलेक्टर के पास भेजता है और फिर तहसील में उसका पेमेंट होता है। इस प्रक्रिया में ढेढ दो महीने लग जाते हैं और उसके बाद उनको पेमेन्ट होता है। आप ही, सभापति महोदय, सोचिये कि अभाव की आज स्थिति है और मजदूरों को जो आज तत्काल आवश्यकता है तो दो महीने तक उसको आप कैसे इन्तजार करवा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं मंत्री महोदय का यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो फेमिन में काम चलायें वह स्थाई काम हों। अजमेर जिले में जैसा कि मसूदा से आने वाले साथी श्री नूरा जी ने बताया था कि वहां सिंचाई के कोई दूसरे साधन नहीं हैं तो वहां लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम बनाएं और छोटे छोटे तालाब बनायें। मैंने समय समय पर कहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रतनगढ़ में पानी इतना आता है कि वहां नमक बनाना ही बन्द हो गया। इससे केन्द्रीय सरकार को नुकसान हो रहा है। वहां कोई बांध बनाने की अभी योजना नहीं है। अगर

(श्री करतारसिंह)

वहां बांध बनेगा तो जमीन की पिलाई हो सकेगी ।

विशेष रूप से यह फेमिन कोड है, मैंने एक विज्ञप्ति देखी थी कि फेमिन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने सुझाव मांगे हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह फेमिन के काम चालू हों इससे पहले जो भी अमेन्डमेन्ट करने हों वह इसमें कर दें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं पुनः मंत्री महोदय का इन अकाल राहत कार्यों को शीघ्र खोलने में विशेष रूप से अजमेर की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा ।

श्री सभापति : श्री फतहसिंह ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : श्रीमान समय के अभाव में मैं संक्षेप में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा । अकाल की स्थिति या तो अधिक वर्षा से उत्पन्न होती है या कम वर्षा से ।

मेरे क्षेत्र में इस वर्ष कुछ गांवों में तो अधिक वर्षा से यह स्थिति उत्पन्न हुई है और कुछ गांवों में बरसात की कमी के कारण। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में देवगढ़ पंचायत समिति में 17 पंचायतें हैं उनमें से 13 पचायतें अकाल से प्रभावित हुई हैं । इसी तरह से भीम पंचायत समिति में 27 पंचायतें हैं उनमें से 21 पंचायतें मेरे हिसाब से अकाल से प्रभावित हुई हैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कितनी अकाल से प्रभावित हुई हैं, मैं नहीं जानता । मैं जो कह रहा हूं उस पर अधिक विश्वास किया जाये । एक पटवारी की रिपोर्ट पर अधिक विश्वास करना ज्यादा हितकर नहीं होगा ।

इस अकाल की विभिषिका से कैसे निपटा जाये, इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा । यह तो निश्चित है कि काम खुलेंगे लेकिन प्रश्न यह है कि क्या काम हाथ में लिए जाए ? मेरा सुझाव है कि पहले तो जो सिंचाई के कार्य अधूरे पड़े हुए हैं गये साल के या पहले के उनको पूरा किया जाये, उनको प्राथमिकता दी जाये । मंत्री महोदय जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है राव के तालाब का काम पंचायत में जो गये साल का अधूरा पड़ा है उसको लिया जाये । इसी तरह से सागावास बांध का काम गयी साल के अकाल के कार्य में अधूरा रह गया था उसको हाथ में लिया जाये । इसी प्रकार देवगढ़ में गुनिया का तालाब है उसको हाथ में लिया जाये । उसकी मंजूरी हो चुकी है । एक नई योजना ताल पंचायत में अर्जुनगढ़ गांव में नया तालाब बनाने की है, उसका सर्वे हो चुका है । उसको इसी अकाल के कार्यों में जोड़ा जाये । कालाभाटा में गये साल अकाल के समय में काम हुआ था , वह अधूरा काम रह गया था उसको पूरा कराया जाये । सिंचाई मंत्री नहीं हैं, मैं, श्रीमान, क्षमा चाहता हूं । कालाभाटा का तालाब है वह बहुत बड़ा है लेकिन उसमें जितना पानी आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है । लोगों कि भावना थी कि खारी से फीडर के जरिये से उसमें पानी लाया जाये। मेरा यह सुझाव है कि इस स्कीम को भी इनवेस्टीगेट कराया जाये और यह फीडर भी शुरू कराई जाये । यह सब उत्पादक काम हैं, इसलिए इनको हाथ में लेना आवश्यक है ।

(श्री करतारसिंह)

पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री, आप ही अकाल सहायता मंत्री हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैंने आपको एक पत्र 18 सितम्बर को लिखा था। वह अन्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग भेजा था। माननीय पुरुषोत्तम जी को पत्र भेजा था, उसी दिन आपको भी भेजा था। श्री पुरुषोत्तम जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने सतर्कता बरत कर मुझे पत्र के प्राप्त होने की सूचना तो दी। मैंने कई बार आपसे पूछा कि मेरा पत्र आपको मिला या नहीं? मेरे पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है वह तो दूर रहा लेकिन आपने उसको एकनालेज तक नहीं किया।

श्री जयनारायण पूनिया : सभापति महोदय, मुझे आपका पत्र नहीं मिला है।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमन्, जयनारायण जी पूनिया, सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर और पुरुषोत्तम जी, दोनों को एक ही दिन पत्र अण्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग डाले। पुरुषोत्तम जी को तो मिल गया और श्री जयनारायण जी पूनिया, सार्वजनिक निर्माण मंत्री को नहीं मिला है। You must check up from your office. It must be lying some where in your Secretariat.

श्री जयनारायण पूनिया : मैंने आपके कहने से मालूम किया था।

मेजर श्री फतहसिंह : फिर भारत सरकार के पोस्टल विभाग की गलती हो सकती है। खैर, फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस पत्र में मैंने आपको लिखा था....

श्री जयनारायण पूनिया : उसकी नकल मुझे दीजिए।

मेजर श्री फतहसिंह : मैं आपको दूंगा। जरूर दूंगा।

भीम से आसींद सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी हालत बहुत खराब है। भीम तहसील में पड़ने वाले टुकड़े की खराब हालत है इसलिए कृपा करके उसको ठीक कराइये। उस पर कारपेट कराया जाये। इसी तरह से भीम से करेड़ा सड़क है थाना तक, माननीय रामप्रसाद जी लड्ढा के क्षेत्र तक तो पक्की करवा दी है, उस पर डामर डाल दिया है लेकिन यह डेढ मील का टुकड़ा मेरे क्षेत्र का बहुत बुरी हालत में है। उसमें काफी बडे बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। राम प्रसादजी लड्ढा का इलाका है वहां के लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपके इलाके की क्या हालत हो रही है। भीम क्षेत्र में जो सड़क है, वह बहुत बुरी हालत में है। मेरा निवेदन है भीम और करेड़ा की सड़क पी. डब्ल्यू. डी. को दी जायगी, तभी ठीक हो सकेगी। इसी तरह से देवगढ़ मनातन सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। वहां के लोगों का प्रतिनिधि मण्डल भी आया था। उनकी प्रार्थना को भी स्वीकार किया था लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह आंचना-कुआतला की सड़क है जिससे 13 पंचायतें प्रभावित होती हैं, उस सड़क को भी ठीक कराया जाय। मेरा निवेदन है कि जिन सड़कों को लिया जाय उनका पक्का काम कराया जाय। दबेर बड़ा इम्पोर्टेंट गांव है। कभी उदयपुर जाते हैं तो दबेर गांव रास्ते में पड़ता है, वह पंचायत का हैड क्वार्टर है वहां पर भी सड़क बनवाई जाए मण्डावर-काछवली रोड पिछले फेमिन में पक्की बनवाई थी, मैं आपके विभाग और कलेक्टर श्री आदर्श

(मेजर श्री फतहसिंह)

किशोर सक्सेना को बधाई देना चाहता हूं कि मेरे प्रयास से उन्होंने उस सड़क का काम हाथ में लिया। अब उस सड़क को पीपल-कामलीघाट तक लिया जाय। यह बहुत इम्पार्टेंट सड़क है.......

एक माननीय सदस्य : बहुत ज्यादा सड़कें हो जायेंगी।

मेजर श्री फतहसिंह : ज्यादा नहीं हो जाय, उसके लिये ब्ल्यू-प्रिन्ट होना चाहिये कि कौन कौन से काम हो सकते हैं।

मैं अजमेर जिले की बात कहना चाहता हूं। ब्यावर बहुत महत्वपूर्ण शहर है वहां पानी की हमेशा कमी रहती है। कई वर्षों से हम लोग सरकार को सुझाव देते रहे है और प्रार्थना करते रहे हैं कि जवाजा को देवासा फीडर से लिन्क किया जाय ताकि लोगों को पेय जल मिल सके और साथ ही सिंचाई के साधन भी बढ़ सकें। यह अच्छा मौका है, इस मौके पर देवार फीडर को.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, दो मिनट और लूंगा।

इसी तरह श्रीमन्, यदि लोगों को बेईमानी से बचाना है, वैसे आज तो बेईमान लोग यह इन्तजार करते रहते हैं कि कब फेमिन आयेगा और कब हमको बेईमानी का मौका मिलेगा इसलिये आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनकी बेईमानी किसी प्रकार नहीं चले। उनसे कसकर काम लिया जाय और मजदूरों को पूरी मजदूरी मिल सके, इसे भी आपको देखना होगा। एक चौकड़ी खुदवाते हैं जो 10 फुट चौड़ी, 10 फीट लम्बी और 1 फीट गहरी होती हैं मजदूर उसको खोद देते हैं लेकिन 15 दिन बाद आप बताते कि है तुम्हारी खुदाई कम हुई इसलिये पैसा कम मिलेगा. उनको समय पर ही यह बात बता देनी चाहिये कि तुम काम पूरा कर रहे हो या नहीं ताकि लोगों में शासन के प्रति और जन प्रतिनिधियों के प्रति किसी प्रकार का असन्तोष नहीं फैले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमें भ्रष्टाचार को यदि बढ़ावा नही देना है तो इसके लिये आवश्यक है कि है कि जितना काम हो रहा है और होगा चाहे वह सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो और चाहे कोई भी हो, उसमें सुपरविजन होना जरूरी है।

श्रीमन् पिछले फेमिन के दिनों में मैंने देखा है कि एक और दस के अनुपात में सीमेन्ट का प्रयोग हो रहा था। सीमेन्ट और बजरी का जो अनुपात था वह वन इज टू टेन का अनुपात था। इसी तरह चूना और बजरी का वन इज टू सिक्स का अनुपात था जो बहुत खराब अनुपात है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय महत्व के काम हैं उनमें इस तरह भ्रष्टाचार करेंगे तो काम नहीं चलेगा।

अन्त में एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप चाहते हैं, जो पैसा मजदूरों को मिले वह सब उनके पेट में जाय और उनका पालन-पोषण हो तो....

(व्यवधान)

आपको यह मजाक की बात लगती है यह मजाक नहीं है। मेरा निवेदन

Page No.171

(श्री मेजर फतहसिंह)

है कि उन गांवों में, उस क्षेत्र में शराब की दुकानें बन्द की जाय मुझे पूरी जानकारी है, 1967 से 1972 तक मैं ब्यावर का प्रतिनिधित्व इसी विधान सभा में करता था। जब 69 में अकाल था, अकाल राहत के कार्य चल रहे थे, फेमिन के कार्य देखने के लिये मैं गया हुआ था तो मैंने देखा पीपों में नाजायज शराब बेचते हैं। इस पर भी सरकार को पूरा सावधान रहना है।

धन्यवाद मुझे समय दिया।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना): सभापति महोदय, अकाल के सम्बन्ध में जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। इससे ज्यादा मै अकाल मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं जो एक क्षण भी उठकर नहीं गये और हमारे विचारों को बड़े प्रेम और शान्ति से सुन रहे हैं।

सभापति महोदय, बीसवीं सदी का इन्सान यह कहता है कि विज्ञान में हम कितने आगे बढ़ गये है, हमने कितनी कामयाबी हासिल कर ली है किन्तु आज आपको मालूम हो गया, सभापति महोदय, हम कुदरती हालात के कितने शिकार होते हैं दुनियां के गरीब लोगों को कुदरत की नाखुशी से कभी कभी बचा सकते हैं इसका अन्दाजा हमारी इस वहस से लगाया जा सकता है। आज यह कहने वाले इन्सान हैं दुनियां को कि बीसवीं सदी का इन्सान तरक्की करता जा रहा है लेकिन राजस्थान की विधान सभा में जो जिक्र हो रहा है उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम हमारे जीवन को हमेशा के लिये सुखमय बनाने के लिये सक्षम नहीं हैं। वाढ़ का प्रश्न आता है, अकाल का प्रश्न आता है तो हमारी जनता बहुत बेचैन हो जाती है राज्य के सीमित साधन होने से। जो कुछ हम यहां बातें करते हैं उससे उन गांव वालों का पेट तो नहीं भर सकते हैं। यह फेमिन की किताब, जो आसमानी रंग की है, में हम तरमीम नहीं कर सकते हैं? इसमें लिखा हुआ है कि कोई आदमी भूख से मरता है तो फेमिन का काम शुरू करते हैं। वह फेमिन वर्क उसी समय शुरू किया जाय जब इन्सान भूख से मरता हो और उसको खाने के लिए कुछ नहीं हो। बल्कि यूं कहें कि जीने के लिये भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस समय समस्त कामों को करने के लिये, अपने बच्चों की तालीम के लिये, स्कूल तक पहुंचाने के लिये जो जिन्दगी का खर्चा है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते है। यह अत्यन्त नीचे दर्जे की जिन्दगी जीना है। जब ये सैलाब आ जाते है तो हमारे साथी बड़े दुखी हो जाते हैं।

मेरे क्षेत्र मकराना में 938 गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये हैं। मैं नहीं जानता मेरे सब डिवीजन मकराने में कितने गांव है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अर्ज करूं कि मकराना संगमरमर के कीमती पत्थर की नगरी होने के नाते हजारों मजदूर मजदूरी करके अपना पेट भरते है लेकिन वे औरतें, जिनका कोई सहारा नहीं है, वे अपाहिज लोग, जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, जिनका फेमिन की वजह से खेतों में नुकसान हुआ है, 40 मील चल कर मकराना नहीं आ सकते हैं। हमें उनके जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ मदद देनी होगी। कुण्डा, बीछावा, जगच्छीपुर, बुडसर आदि तमाम क्षेत्र का जो हिस्सा है वह अकाल से ग्रस्त है।

(श्री अब्दुल अजीज)

वहां के लोग मकराना इतनी दूर दूर से नहीं आ सकते हैं इसलिये मैं यह नहीं कहता कि वहां पर भुखमरी है। मैं यह नहीं कहता कि वहां पर लोग खाने के बिना मर रहे हैं, क्योंकि कुदरत ने वहां संगमरमर का काम दे रखा है जिससे लोग अपना पेट भरते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए खासतौर से बोरावड़, मकराना, छोटी रोड़ जाती है वहां कंकड़ी पड़ी हैं उससे सड़क का काम हाथ में लिया जावे और राहत कार्य चालू कराया जावे तो लोगों को वास्तव में राहत मिलेगी।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जब भी राहत कार्य खोलें तो सरप्राइज चैकिंग करायें। डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे आप इंचार्ज बनायें, उनकी टीम कायम करें जो सरप्राइज चैकिंग करें फेमिन वर्क्स का ताकि अफसरों पर लांछन नहीं लग सके कि यह खा गया। खाने वाली आदत का अफसर है तो उसको मौका ही नहीं दें। अगर ऊपर की मशीनरी सक्षम है तो वह खा ही नहीं सकेंगे, उनको मालूम रहेगा कि खाने के बाद क्या होगा। इसलिए, सभापति महोदय, सभी कर्मचारियों को बेईमान समझें यह उचित नहीं है। हमें उन पर भरोसा करना पड़ेगा। चाहे वह एस. डी. एम. हो, चाहे कलेक्टर हो और चाहे इंजीनियर हो, उन पर भरोसा करके हमें उनसे राज्य का काम कराना पड़ेगा। मैं यह भी नहीं कहता कि सभी फरिश्ते हैं। इसलिए उन सब का सरप्राइज चैकिंग कराने की व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि, वह यह है कि इस माह के अन्त तक यह कार्य शुरू हो जावें ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है। यह बहुत जरूरी है। अगर हम यों ही बैठे रहे और राहत कार्य शुरू नहीं हुए तो फिर इस बहस के कोई मायने नहीं रहेंगे।

श्री सभापति : श्री आलम अली।

श्री आलम अली खां (फतहपुर): सम्माननीय सभापतिजी, मैं सवेरा सू सुण रयो हूं पण मैं केणो चाहूं कि थोड़ा दिना पहला जब भारी बरसात के कारण गांवां में, शहरां में भारी नुकसान हुयो, वां में या राज्य सरकार और सरकार का अधिकारियां जित्तो बढ़िया काम करके बतायो, जित्तो जल्दी काम करके बतायो के वास्ते मैं याने बधाई देणो चाऊंगा। यानि जद बरसात पड़ी तो दो दिनां में राहत पहुंचावा को ये काम करो और रात को बारह-बारह बज्यां तक इत्ता इत्ता पाणी में खड़ा रिया हा। यानि हर बात में सभापतिजी, एक आदत पड़ गई है यामे बुराई करणा की। वी आदत के कारण पूरे देश में आज जो विकास का काम हुया वे याने नजर नहीं आवे। मैं अकाल राहत मंत्री जी, आपसूं कहूं हूं कि हर आदमी मदद की बात करे है। आज वे चावें कि हर काम जल्दी सूं जल्दी हो जावे पण कई यां के हाथ में जादू है। यो को जादू तो आपण हां। आपण अगर सही हां तो मजबूरन अधिकारियां ने भी सही होनो पड़सी। आपण में अगर गलती है तो दो आना तो अधिकारी में चार आना गलती होगी।

(9.03 रात्रि)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री आलम अलीखां)

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ का लोगां, सम्माननीय सदस्य पटवारी को नाम बराबर लियो है कि रिपोर्ट पटवारी गलत करे है। मैं देखूं हूं कि पटवारी ने बाकायदा आदेश होवे है कि गांव को सरपंच पहले पटेल को वास्तो हो, अब सरपंच पर है कि सरपंच गिरदावरी करावे। पण जब सरपंच को या एम. एल. ए साहब को चिन्ता फिकर नहीं तो पटवारी को कांई दोष है बापड़ा को। यानि हमारी जीत्ती जिम्मेदारी है, जित्ती सरकारी अधिकारियां की जिम्मेदारी है उत्ती ही जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की भी है। सम्माननीय अध्यक्षजी, घोड़ो हमेशा सवार ने देख कर दौड़े। कमजोर सवार होवे तो घोड़ो सवार ने गिरा दे और सवार मजबूत होवे तो घोड़ा की कांई ताकत नहीं है।

(व्यवधान)

ये सवातोथां ही सबसे ज्यादा कमजोर हो। थे ही लोगों ने सबसे ज्यादा धोखा दियो, चुनाव के मायने अधिकारियों ने भ्रष्ट कर्या। मैं आपसूं कहूं कि चोरां ने चांदणी नहीं सुहावे। चोरां ने तो अंधेरो सुहावे। आपणें अठे जित्ता भी भाषण हुया लीडरां का हो, चाहे दूसरा आदमियों का हो, जित्ता भी भाषणा में जिक्र हुयो वो जाणें कोई विदेशां का होवे। अफसर अमेरिका और ब्रिटेन का होवे ई तरह का भाषण हुया हां।" म्हांको देश धार्मिक देश है।" धार्मिक देश में जणताई धर्म है, विज्ञान चाहे कित्तो ही आगे हो जावे, यानि विज्ञान से कठई भी जा सकां पण धर्म को सहारो लेना पड़ेगो। जां में धर्म नहीं है यानि चाहे गाय को नारो लगाओ चाहे इ स्लाम को नारो लगाओ जब तक ईमान नहीं है इस देश में नहीं रह सकेगो। आपके स्वार्थ के कारण जो ये कांग्रेस वाला देश की नींव लगाई, कोई भी मकान बणावा तो पहले मकान की नींव लगाणी पड़ेगी और जद नींव मजबूत नी होगी तो मकान डूबेगो। या नींव कांग्रेस वाला जो लगाई जी की वजह से ये भी डूब गया और लोगों ने भी भ्रष्ट कर गया।

अबारा थोड़ी देर पहले मथुरादासजी माथुर बहस कर गया, अबार अठ कोनी, कह गया कि राजनीति है। थाने इत्ता दिन कोनी सूझी। रामनारायणजी ने पहले नहीं सूझी राजनीति। चुनाव के टाइम में सड़क बनावांगा, बिजली दांगा। लोगों ने धोखो दियो। खम्बा लाकर पटक दिया कि बिजली देश्यां। सम्माननीय अध्यक्षजी, मैं सिर्फ एक बात कहूं। एक दिन चार आदमी एक महात्माजी के पास गया। तो महात्माजी पूछ्यो कि सबसे बड़ी गिजा की है। एक कयो कि खीर है, एक कयो मुर्गो है, एक बकरी कहो। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम बताओ। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता आप ही बताओ। तो महात्माजी ने कहा सबसे बड़ी गीजा ईमान है। जिनके पास ईमान नहीं है वे कुछ भी नहीं है।

अध्यक्षजी, सारे ही अफसर बेईमान नहीं हैं। जो पहले सुखाड़ियाजी या माथुर साहब के नजदीक थे, उनके रिश्तेदार थे, वे बेईमान हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। बरकत साहब के लिए तो मैं कह सकता हूं, वे ईमानदार थे। उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। इनमें परसराम मदेरणा के लिए भी मैं कह सकता हूं कि वे ईमानदार हैं। एक कहावत है, काली हांडी के पास जो बैठता

(श्री आलम अलीखां)

है, उसके काला दाग लगे बिना नहीं रहता है। हो सकता है इनके भी नजदीक बैठने से कहीं काला दाग लगा हो।

अध्यक्षजी, मैं आपने याद दिलाऊं 67 में ये करोड़ों रुपया लिए भागा करते थे। कहां से आया यह रुपया रामनारायण जी आप बताओ। दो लाख, दस लाख, वीस लाख रुपया मेम्बरों को दिया और अपना राज्य कायम किया। उनको कोई बात बोलने का अधिकार नहीं है जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। वह पाप का राज था। यह काला बाजार से जो पैसा लेते थे वह अब बंद हो गया है। इसलिए इनको अब हाऊका आवे है। गांधीजी कहा करते थे काश्तकार के हांसल जो लगता है है उसमें खेत की मेंड पर हांसल नहीं लगना चाहिए। स्वराज्य आने पर कोई हांसल नहीं लगाया जायगा। परन्तु तीस साल में तुम यह हांसल माफ नहीं कर सके। और कितने ही टैक्स लगा दिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वराज्य आने के बाद, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में 18 हजार काश्तकार हैं, उनमें 14 हजार छोटे काश्तकार हैं जिनका हांसल जनता सरकार आने के बाद माफ हो गया। और बाड़मेर; जैसलमेर में तो काफी छूट दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : जागीरदारों का क्या हाल है ?

श्री आलम अली खां : थारां जो हाल हुआ वो ही जागीरदारों रो हुआ है। ये तो छोटे गरीब काश्तकार हैं। यां पर कोई असर नहीं हुआ है। उनको एक राहत मिली है। अध्यक्षजी, आप तो एक बहुत बड़ी रियासत के राजा रहे हैं। जनता पर कोई मुसीबत आती थी तो आप परमात्मा के हाथ जोड़ते थे और परमात्मा से यह कहते थे कि मेरी पब्लिक के कष्ट दूर करो। उस वक्त जरूर परमात्मा आपकी मदद करता था परन्तु आज कोई भी आदमी सच्चे दिल से परमात्मा को याद नहीं करता है। हम को आज सोना परमात्मा लगता है ! कोई सा भी धर्म हो, जितने भी दुनिया के धर्म हैं, उन धर्मों ने सोने को निषेध माना है। माननीय सदस्य मैं आप सबकी हालत जानता हूं। मेरे से क्यों पर्दा फाश कराना चाहते हो। थारो पर्दा ढक्यो रहने दे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन केबिनेट मंत्रियों से कहना चाहता हूं........

श्री रामनारायण चौधरी : थारां ई मंत्री ढीला है.....

श्री आलम अलीखां : थारी जो सरकार थी उसने जसा काम किया उसकी वैसी ही हालत हुई। म्हांरा मंत्री सीधा सादा साफ सुथरा है। आवां में कोई बिगाड़ आने की बात हुई तो थारी जो हालत हुई वा म्हाकी भी हो जासी।

माननीय अध्यक्ष जी जनता पार्टी का यह जो मंत्रिमण्डल है उसको मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम जो काम करना चाहते हैं वह लाठी के जोर से नहीं करना चाहते हैं। हम इन्सान का हृदय परिवर्तन कर के धार्मिक विचारों से काम करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी इस सिलसिले में आपको मैं एक किस्सा बताऊं। राजा जनक सब से बड़े राजा हुए थे। उनको विदेही कहा जाता था। विदेही वे बने तो किसके जरिए बने। उनको एक अष्टवक्र महात्मा से ज्ञान मिला। राजा जनक को एक सपना

(श्री आलम अली खां)

आया। सपने में उनके पीछे मारने के लिए डर दौड़ा। कोई मारे, कोई छुटाओ परन्तु वह तो एक सपना था। सपने की बात थी। जब वे भागे, ज्यादा तो उनको भूख लगी और खाने को कुछ नहीं मिला। कुछ मक्की के दाने की गुगरी रांधी और वह बनकर तैयार हुई तो मेरा जैसा कोई लेकर भाग गया और राजा को नहीं मिली। राजा अचानक नींद से उठे। राजा ने समझा कि यह तेरे साथ क्या हुआ। इस सपने का जवाब लेने के लिए राजा ने विद्वानों को बुलाया ...जैसे गांधी जी की अच्छाइयों को आप आपका राज्य आने के बाद उड़ा कर ले गये और आप जैसे भाई उसको बेच कर खा गये। तो मैं राजा जनक के बारे में कह रहा था।

इस तरीके से कोई लेकर भागा गया तो राजा ने विद्वानों को बुलाया। इसलिये कि वे दान देने और आये इसलिये कि राजा से पैसे-टके मिलेंगे। तो राजा ने 36 व्यंजन बनाये, उनका स्वागत सत्कार किया और कहा कि मेरे दो सवाल हैं जिनका जवाब दें-

एक माननीय सदस्य : महोदय, 15-20 मिनट हो गये -हम यह धर्म और पुराण, रामायण सुनने आये हैं यहां पर ?

श्री आलम अलीखां:आपको जो तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये जो सुनना नहीं चाहते इन लोगों को धर्म की बात पसन्द नहीं है। राजा जनक को अष्टावक्र महात्मा से ज्ञान मिला, मैं कहूंगा राजा जनक ने तन, मन और धन तीन चीजों को पराई मान कर राज्य किया और इसके बाद विदेह कहलाये। तो मैं मंत्रि मण्डल के सदस्यों को एक ही बात और आप लोगों को अर्ज करूंगा कि तन, मन, धन इन तीन चीजों को पराई मानकर राज्य करते जाइये तो कोई भी सामने नहीं आयेगा अगर इनकी तरफ से घोटाले हुए तो यह नहीं चलेगा। तो मेरा तो एरिया है उसमें जिनसे काम हमेशा करवाता हूं-हमारे एरिया में कलेक्टर साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं, सभी अधिकारी अच्छे नहीं हैं। दोनों तरफ के सदस्य बार बार पटवारी का दोष बताते हैं। दोषी हम हैं जो कि हमारी जिम्मेदारी है वह हम पूरी नहीं करते। गश्त गिरदावरी का प्रोग्राम बने और वह सरपंच को दिया जाये, वह हाजिर न होवे तो गिरदावर, तहसीलदार, एस. डी. एम. उसको चैक कर लें। देख रेख करना हमारा काम है। बस, इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में केवल कोटा ही ऐसा जिला है जहां गत वर्षों अकाल की विभीषिका नहीं आई थी। दुर्भाग्य से इस वर्ष 12 तहसीलों में से एक तहसील घोषित की है जिसमें 212 गांव अकाल ग्रस्त हैं। इस वक्त नाम मेरे पास नहीं है मैं प्रत्यक्ष घूमकर आया हूं सांगोद तहसील में 12 भुट्टों में से केवल दो भुट्टों पर मक्का लगा हुआ था बाकि 10 भुट्टे खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर सांगोद तहसील को ले लिया गया है तो मुझ पर बड़ा उपकार किया गया है। अगर नहीं लिया गया है तो पूनियां साहब को निवेदन करूंगा कि वे अवश्य लें ले। सांगोद तहसील में यह हालत है, मैं इसके लिये कोई दोष दूं तो पिछली सरकार को दूंगा। इस क्षेत्र में महाराजा हरीश्चन्द्र के नाम पर एक बांध बन

Page No.176

(श्रीदाऊदयाल जोशी)

रहा था, वे इस सदन में सदस्य थे, यह विरोधी पक्ष का दुर्भाग्य था कि महाराजा हरीश्चन्द्र की मौत हुई या हत्या हुई—

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत पर बोलिये——

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप जैसे लोग

× × ×

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : दुर्भाग्य से कांग्रेस के शासन में हरीश्चन्द्र सागर का बांध ५ बार टूटा । सवा तीन करोड़ रुपये उस बान्ध पर खर्च किये गये । बान्ध का पानी अगर सांगोद तहसील में आता तो मैं कहता हूं कि मेरी तहसील में अकाल नहीं होता । बांध टूट जाने के कारण आज मेरी तहसील अकाल ग्रस्त है । मेरे क्षेत्र में आज से कई साल पहले भीम सागर बांध बनने वाला था । केवल 22 लाख रुपये में बांध बनने वाला था जिसके कारण ८ हजार हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होती । लेकिन 22 साल तक वह बांध की योजना पड़ी रही । अब उस बान्ध का पुर्ननिमाण प्रारंभ होने वाला है । मैं दावे के साथ कहता हूं अगर वह बान्ध मेरे क्षेत्र में बन्ध जाता तो वहां अकाल नहीं पड़ता लूणी पर बहुत से लोग कह रहे हैं लेकिन लूणी में तो पानी नहीं है हमारे क्षेत्र में ही बांध की बात5-5बड़ी नदियां हैं चम्बल मां आज सारे क्षेत्र में सिंचाई कर रही है। जिस तरह चंबल पर बान्ध बना हुआ है उसी तरह काली सिंध पर बांध बना दीजिये तो हमारे पास साधन बनते जाएंगे । हमारी सरकार ने अगर ऐसी सभी योजनाओं को ले लिया तो राजस्थान में कोटा जिला की, आपके बीकानेर, जोधपुर, बराबरी नहीं कर सकेंगे

(व्यवधान)

सरकार ने बहुत सी योजनाएं हाथ में ली हैं । पिछली सरकार ने भी इसको लागू करने की कोशिश की । मुझे बड़ा आनन्द हुआ अभी में अजमेर की तरफ बाई कार गया था मुझे लगा कि कोटा और अजमेर के बीच में बहुत वृक्ष लगे हुए हैं । हमारे कई साथी कह रहे थे कि जंगल साफ हो गये लेकिन सड़क के किनारे किनारे सरकार ने पेड़ लगाने का निश्चय किया है । में वन मंत्री जी का स्वागत करूंगा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का स्वागत करूंगा दोनों के सहयोग से सिरस आदि के पेड़ लगाए जा रहे हैं । दौ-दौ सौ पेड़ों पर एक माली को लगाया गया है और एक पेड़ पर मुश्किल से दो रुपये खर्च आयेगा । पेड़ पनप जांय, जैसी कि मुझे आशा है तो कोई कारण नहीं कि राजस्थान में अकाल रहे। हमारे बीच में परसरामजी मदेरणा बैठे थे वह कह रहे थे कि अकाल के काम में पिछली सरकार ने 300 करोड़ रुपये खर्च किये, लेकिन अकाल में कुछ काम नहीं हुआ । 300 करोड़ रुपये राजस्थान के बरबाद हो गये । आज 30 साल के बाद भी, आश्चर्य है,अकाल पड़ रहा है । वह इसलिए है कि अकाल में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की सड़कें बनाई और अकाल का कोई परमानेन्ट हल नहीं सोचा एशोआराम की जिन्दगी बिताने के लिए रंगीनियां मनाने के लिए जयसमन्द झील पर बंगला बनाया। 16 लाख रुपया लगाकर बंगला बनाया गया जयसमन्द

×××अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

झील पर राजस्थान के मंत्रियों के रंगरेलिया मनाने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री के हाथ में कृषि विभाग है । पिछली कांग्रेस सरकार दीवालिया इसलिए हुई है, राजस्थान के जितने भी एग्रीकल्चर फार्म हैं वह सब लास में हैं । उनका नुकसान समाप्त हो सकता है उसका एक ही तरीका है कि उन सारे फार्मों को खतम कर दें । मैं नये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह सब एग्रीकल्चर फार्म्स आयुर्वेद विभाग को दे दें । आयुर्वेद विभाग के हमारे नये मंत्री जी उनमें वनौषधियां लगाकर उनको सफलीभूत करें । उस से निश्चित रूप से अकाल का कोई हल हम निकाल सकते हैं ।

इतना ही मैं आज निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी से ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : मैं समय दूंगा

श्री **कौशल किशोर जैन** : क्या बात है, माननीय उपाध्यक्ष विराजमान हुए, माननीय सभापति विराजमान हुए, और फिर आप माननीय अध्यक्ष विराजमान हुए ,लेकिन मेरा नाम कहां चला गया ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष, मैं उदयपुर जिले के बारे में, वहां के अकाल के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं । मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि जिसने गरीब को ऊंचा उठाने के लिए अन्त्योदय योजना प्रारम्भ की । यह राजस्थान से गरीबी भगाने का शुभ चरण प्रारम्भ किया है । लेकिन इस के साथ साथ मैं उस सरकार से यह चाहता हूं कि राजस्थान का वह अन्त्योदयी जिला, उसको अन्त्योदयी जिला कह रहा हूं इसलिए कि यह जो सूची दी गई है इसमें 17 पर्सेन्ट आता है उदयपुर जिले में, और उसके साथ डूंगरपुर और बासवाड़े के जिलों को भी ले लिया जाय तो 30 प्रतिशत गांव कुल मेवाड़ के छोटे से भूभाग के हैं जो हमेशा से अकाल से संघर्ष करते रहने हैं । पहले से ही, अनादिकाल से ही सत्ता और धर्म के मिटाने वाले आतताईयों से झूझता रहा है, वही मेवाड़ आज भी गरीबी से झूझ रहा है । अकाल के आपके आंकड़ों को देखा जाए चाहे सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा होगा कि उदयपुर के इलाके में कई वर्षों से बहुत अधिक धन खर्च किया गया है, वह शायद यह कहेंगे, लेकिन आज उस उदयपुर जिले को टटोलने के बाद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वह पैसा चाहे ऐसी जगह लगाया गया हो कि जिसका लाभ हमें दिखाई नहीं देता । मैं यह मानता हूं कि हमारे आज के आफिसर्स लोग आई. ए. एस हैं, पढे-लिखे और योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन इससे अच्छा तो राजा -महाराजाओं का राज्य था उदयपुर के लिए जिन्होंने अकाल के समय में जयसमन्द जैसी झील बनाई ,राजसमन्द झील बनाई, उदयपुर में फतहसागर बनाई । यह सब राजा-महाराजाओं की देन थी । मैं मानता हूं कि उनका दिमाग अकाल राहत के काम के लिए ज्यादा चलता था । मेरी यह मान्यता है कि अकाल से लड़ने में मानवता है । वह अकाल से निकल जाती है तो इस

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

भू-भागमें सड़क मदद नहीं कर सकेगी, श्री मान, और यह काम मदद नहीं कर सकेंगे । इसलिए मुझे उसे प्रस्ताव देने पड़ेंगे जिससे इस अकाल को हमेशा के लिए बिदा किया जा सके । आज उदयपुर के पहाड़ों को 22 जिलों के लोग देखते हैं तो सब की तबियत में ऐसा लगता है कि कैसी सुन्दर सीनेरी है । पानी कल-कल करता हुआ बहा जा रहा है और वह समुद्र के तह मे जाकर काला बन जाता है, लेकिन वहां का व्यक्ति सिंचाई के लिए पानी के लिए तड़पता रहता है, उसके कारण से वह फसल नहीं कर सकता है । मैं सिंचाई मंत्रीजी से चाहता हूं, मैं सरकार से चाहता हूं कि उदयपुर और उदयपुर विभाग से अकाल को विदा करने की इच्छा रखते हों और गांव के लोगों को राहत देना चाहते हों तो हर गांव में तालाब बनाये जिससे उस गांव के आसपास सिंचाई हो सके और हमेशा के लिए अकाल को बिदा कर सकें ।

यह तो मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं । अकाल राहत में 30 सालों से जो लोगों को राहत कार्य दिये उसने गरीबों को राहत नहीं दी । उसमें जितना पैसा लगता था वह शायद बड़े बड़े लोगो की जेबों में चला जाता था चाहे वे राजनैतिक नेता हों चाहे प्रधान हों, चाहे सरपंच हो, चाहे अधिकारी लोग हों, उन्हें गरीबों की चिन्ता नहीं है । हम मांग कर सकते हैं कि आपके विभाग मैं काम करने वाले सभी कर्मचारियों और राजनैतिकों से सम्पत्ति की घोषणा कराई जाय । जिस समय उन्होंने... सर्विस ज्वाइन की है उस वक्त में उनके पास क्या सम्पत्ति थी और और हर 10 साल में उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा मांगा जाय । उससे यह पता लगेगा कि यह उनकी कमाई हुई सम्पत्ति है या गरीबों के पेट पर पट्टी बान्धकर उनके पैसे की सम्पत्ति है । इसकी आप शुरूआत डालिये । वास्तव में यदि हम इस देश से बेइमानी और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत यहां से करना चाहिए । और यदि शुरुआत करने में कठोरता भी करनी पड़े, यदि किसी व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार भी करना पड़े, चाहे पार्टी के कार्यकर्त्ता पर करना पड़े , पुराने लोगों ने जिन्होने बेईमानी से खाया है उनके साथ में कठोरता करना पड़े तो करिये ताकि आगे अकाल पड़ने पर वह इस गलती को कर नहीं कर सके ।

श्रीमान वहां पर इस अकाल कार्य में जो कुछ भी काम किया गया उसकी मैं तारीफ करता हूं । जो कुछ उदयपुर जिले में काम हुआ है उसको यदि हम देखें तो हमारी आंखों को सन्तोष होगा । जितना इस काम में भ्रष्टाचार होता था उसका अंशमात्र भी अभी तक ध्यान में नहीं आया है । अगर हमारे ध्यान में आयेगा तो हम सरकार के ध्यान में लायेंगे । हम सरकार की हर बात की तारीफ करने वाले नहीं है । अगर हमारी सरकार की गलती है तो उसकी हम भलमनसाहत से आलोचना करेंगे ।, आलोचना उसको गिराने और तोड़फोड़ करने के लिये नहीं करेंगे । हम चाहते हैं कि देश में ठीक प्रकार से काम हो । हमारे राज्य में ठीक प्रकार से काम हो । उदयपुर जिला जो बारबार अकाल से एक तरह से त्रसित रहता है उसको सामान्य रूप में लाने के लिए योजना बनाकर प्लान बनाया जाय कि आखिर में कभी न कभी 10, 20, 30 या 40 साल में इस अकाल को विदा कर देंगे । अगर हर बार अकाल

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

पड़ता जाएगा और हम इस तरह से कार्यक्रम बनायें कि अप्रेल में मीटिंग होगी और थोड़ी सी कंकरी डाली जायगी और बाद में खतम हो जायेगा और फिर लौटकर वहीं के वहीं आ जायेंगे। मैं ऐसा चाहता हूं, आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, से बड़े विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस अकाल को मिटाने के लिये, उदयपुर संभाग से मिटाने के लिए 10, 15 साल की योजना बना कर सम्पूर्ण रूप से हमेशा के लिए विदा कर दिया जाय। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री रणमलसिंह (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं राजस्थानी में बोलने वाला था लेकिन मुझे मजबूरी से हिन्दी में बोलना पड़ रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कैसे बोलूं, लेकिन बोलना पड़ रहा है। आज 16 महीनों में हमारा एक अभाव भी हमारी सरकार से पूरा नहीं हो सका कि यहां पर एक स्टैनो राजस्थानी का लगा देते तो समस्या का हल हो जाता। मेरी समझ में नहीं आता जब यह एक राजस्थानी का स्टैनो नहीं लगा सके तो अकाल की समस्या का हल कैसे कर सकेंगे।

मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जो लिस्ट मैंने देखी कि लास्ट इयर 19 जिलों में अकाल था और इस वर्ष 24 जिलों में अकाल है, पांच जिलों में अकाल बढ़ गया। पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार थी, सो अकाल पड़ गया अबकी बार किसकी गलती से अकाल पड़ गया।

एक माननीय सदस्य : कुदरत की।

श्री रणमलसिंह : तो कुदरत और कांग्रेस दोनों भाई बहिन हैं। मेरे जिले में 848 गांव हैं, उनको कम किया गया तो 831 कर दिये, 10 तो यों ही कम कर दिये वैसे अभाव 549 जिलों में बताया है। टौंक में चारे की कमी की बात कही, गई है लोग चारा कहां से पैदा करेंगे। इसलिए दुख की बात है कि टौंक में चारे की कमी है, मैं निवेदन कर दूं कि आप इस चारे के चक्कर में नहीं पड़े। पहले भी खरीदा गया था, और कड़बी दिखादी जाती है फिर कहते हैं कि आग लग गई और मेह से बरबाद हो गया ६। रुपये मन से ज्यादा नहीं दिया। अप्रेल में तूड़ा और रिजका मिला कर हरा हो जायगा। मेरा निवेदन है कि आप दो बातों को मद्देनजर रखें, मुझे उम्मीद है हमारे निर्माण मंत्रीजी से, कितना भी काम कराओ, कागजी नहीं होना चाहिए, ठोस काम होना चाहिए। चाहे एक मील की जगह एक फर्लांग ही बनाओ, अर्थ वर्क करवा दिया जाता है, पत्थर डलवा दिये जाते हैं, लाखों करोड़ों के पत्थर डलवा दिये और फिर बाद में घोटाले हो गये। इसलिए एक बात तो यह है कि ठोस काम होना चाहिए। हालांकि पिछले अकाल में मेरे यहां एक गज भी सड़क नहीं बनाई गई। जिले की 196 तहसीलों में से 110 तहसीलों में अकाल बताया गया। आप कहीं भी राजस्थान में बतायेंगे तो भी मैं मेरी ही मानूंगा मेरे यहां पर रघुनाथगढ़ में राजा महाराजाओं का बना हुआ चिड़ीमार बांध था उसकी मिट्टी झुन्झुनूं जिले के गांवों में चली गई और उसमें 22 कुएं बरबाद हो गये और 30 परिवार बेसहारा हो गये। इसका इलाज यह है कि इसकी दीवार को ऊपर उठा दिया

Page No.180

(श्री रणमलसिंह)

जाए। और उसकी मिट्टी खुदवादी जावे मुझे विश्वास तो नहीं होता है कि पूरे जिले की कोई सहायता पहुंचाने वाले हों, अगर वहां पर एक गज भी सड़क बना दोगे तो आपकी महरबानी मानूंगा और नहीं बनाओगे तो उलाहना नहीं दूंगा।

एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा राजस्थान में 35932 गांव हैं जिनमें से 9889 में अकाल है, इसका मतलब हुआ कि एक चौथाई में आपने अकाल बताया है। मेरा निवेदन है कि आप इसको रिवाइज करिये और जितनी संख्या आती है उसी हिसाब से काम शुरु कराइये। पहले आप यह देख लीजिए कि पैसे कितने हैं, हवाई बातें मत करिये, जेठ के भरोसे बेटी कंवारी रह जायेगी। जेब में जितना पैसा हो उसी के हिसाब से काम होना चाहिये। आपने यह कैसे अन्दाजा लगा दिया कि श्रीमाधोपुर और नीमकाथाना में अकाल नहीं है। सीकर जिले में अकाल है तो सब जगह है। और नहीं है तो कहीं नहीं है। वर्षा ज्यादा हुई और एक सांथ चली गई। कातरा भी हुआ, बाजरे में चेपा भी लगा। ऐसी स्थिति में न तो क्लियरकट अकाल ही है और न और दूसरी स्थिति ही कह सकते हैं कि अकाल नहीं है। होली के बाद गेहूं आने वाले हैं एक गलती यह हुई कि चौबेजी को बिजली विभाग दे रखा है, इनको खाद्य विभाग देना चाहिए था, यह गलती हो गई इसलिए ये घाटे में रहे। जाके बिवाई नहीं फटी वो दर्द पराई का क्या जाने जिसने खेती नहीं की वह किसानों का दर्द क्या जान सकता है। आज टाइम पर बुआई हो जाती, साढ़े चार साल हो गये, लोगों ने सिक्योरिटी जमा करा दी लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिले। अकाल का सामना कैसे करेंगे, जानबूझकर हमको अकाल की तरफ घसीटा जाता है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कहते हैं कि लगान माफ करेंगे, यह भिखारीपन। क्यों! जिस जमीन का लगान नहीं लिया वह हमको क्या दे सकती है? इसलिए नियत खराब मत करिये। क्या तो लगान आता है जो आप छूट देते हैं, इस तरह की सस्ती लोकप्रियता को छोड़िये। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि स्वाभिमान के साथ पानी भी पीना पसन्द करेंगे लेकिन किसी का अपमान के साथ दूध नहीं पीयेंगे। जमीन का लगान माफ कराके मुनाफाखोर थोड़े ही बनेंगे। इतनी नियत साफ रखें, अड़ौस-पड़ौस का भला सोचते हैं तो नियत खराब क्यों करते हो कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई भी काम आप कीजिये, ठोस करिये। मेरे क्षेत्र में पहले चार हजार कुए खोदे गये लेकिन 9 बीघा और सौ बीघा बराबर हो गई। इसलिए आप प्रेक्टिकल काम कीजिये। सड़कें नहीं चाहिए, कुए नहीं चाहिए, आप तो कनेक्शन दिला दीजिये तो सबसे बड़ी तरक्की मानूंगा। आपसे कोई नाराजगी नहीं है क्यों होगी नाराजगी गवर्नमेन्ट तो आती है और जाती है, क्यों आलोचना करें कि अधिकारी भ्रष्ट हैं आपका अंकुश होगा तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। एक कुए में पांच हजार का काम इस प्रकार से चार सौ कुओं में काम हुआ। लेकिन भण्डारी जी का ट्रान्सफर हुआ और गबड़बड़ी शुरू हो गई कहा गया कि आर.एस.एस. का है, यहां नहीं रहना चाहिये, मैं कहता हूं कोई भी पार्टी किसी भी बात को मानने वाला हो अगर देश की प्रगति सोचता है तो उसके प्रति इज्जत और श्रद्धा होनी चाहिए कि यह अमुक पार्टी का है इसकी हम आलोचना करेंगे बढ़िया काम करें तो उसकी यह तारीफ की जानी चाहिए और घटिया करें तो उसको

(श्री रणमलसिंह)

फेल नहीं मानते। सभी आपका कहना मानेंगे बशर्ते कि आप सही काम करेंगे। आपकी नियत खराब हो गई -जैसे घोड़े वाले से कहा कि पोटली ले चलो, लेकिन दो चार रुपये की पोटली चलने वाली नहीं है, इसलिये बात साफ है। कार्यकर्त्ता चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, ईमानदारी से काम करेगा तो थोड़े पैसे से ज्यादा काम हो जाएगा नहीं तो फर्जी मस्टर रोल भरते रहेगा। कांग्रेस के वारिस ही तो हैं, कोई ज्यादा मौका परस्त हैं, कोई कम। चाहे किसी की भी आलोचना करो, हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही भावना होनी चाहिए कि काम हम साफ नीयत से करेंगे।

श्री नवरंगसिंह : मुझे एक आवश्यक सूचना माननीय सदस्यों को देनी है कि हमारे राजस्थान की रेवेन्यू सो रही है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं सब सुन रहा हूं, सो कह रहा हूं।

श्री रणमलसिंह : महाराजा गंगासिह के दिल में लगन थी, जनतन्त्र की बहबूदी के लिए नहर लेकर आये वे हमारे वोट से महाराजा नहीं बने थे। यह कोई जरूरी नहीं है कि राजा महाराजाओं ने हमारा नुकसान किया हो, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, सीकर के राजा थे, सुबह से पहले लोग उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे, रेवेन्यू सरकार तो सोई हुई नहीं है। आप 9889 गांवों के बजाय 12000 गांव कर दो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ज्यादा समय लिया, आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। अच्छा होता कि मैं राजस्थानी में बोलता।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 30 साल के बाद पहली बार हमने स्थाई कामों के लिए सोचना प्रारम्भ किया है। पिछले एक साल में 300 किलोमीटर डामर की सड़क राजस्थान में बनाई है, 500 किलो मीटर ग्रैविल की सड़क बनाई है। कांग्रेस राज में तीन अरब रुपए खर्चा करने के बाद भी 200 किलोमीटर डामर सड़क या 500 किलोमीटर ग्रैविल सड़क नहीं बनी। मुझे आशा है इस सरकार से और अकाल राहत मंत्री से कि उन्होंने जो शुभ शुरूआत की है उसको वे जारी रखेंगे। इस प्रकार के जो कार्य इन 30 वर्षों में हुए हैं, मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में जब पधारे थे तो उस समय मैंने निवेदन किया था कि भीलवाड़ा जिले में मेजा डैम की भराव क्षमता 32 फीट है किंतु कभी भी वह 21 फीट से ज्यादा नहीं भरा। पिछली सरकार ने योजना बनाई मेजा फीडर की, वह पूरी हो जानी चाहिए थी। राजस्थान के अकाल के स्थाई समाधान के लिए हमें इस प्रकार की योजनाओं को प्राथमिकता देकर पूर्ण करना होगा। रामप्रसाद लड्ढा सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने मेजा बांध जब बनाया उस पर रेस्ट हाउस भी बनाया, अकाल राहत कार्यों की राशि से। मुझे आश्चर्य होता है जब मैंने सुना और पढ़ा कि जितने रेस्ट हाउसेज हैं अकाल राहत की राशि से बने किंतु उनको तो सिंचाई विभाग को दे दिया गया। क्यों ? क्योंकि राम प्रसाद लड्ढा को मेजा बांध पर आकर पिकनिक मनाने का शौक था, शिवचरण माथुर डाक बंगलों में रेस्ट हाउस में आनन्द और मौज मनाते थे किंतु उसी जिले में भीलवाड़ा से मेजा को जोड़ने वाली सड़क, वह भी राहत कार्यों में बनी थी। सन् 1969

(श्री रणमलसिंह)

से उस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। 8 वर्ष हो गए, एक भी काम नहीं हुआ। मैंने कारण पूछा, विभाग कहता है यह सड़क हमारी नहीं, रेस्ट हाउस सिंचाई विभाग को सौंप देंगे, सड़क नहीं सौंपेंगे विभाग को। भीलवाड़ा से 4 मील दूर गांव है आरंजिया। इस साल दो आदमी वहां पर अकाल के शिकार होकर मर गये, उनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई उससे पहले पुलिया बनाई केवल 1½ किलोमीटर सड़क बनी। 1970 में बन गई किंतु पुलिया ठीक नहीं बनी राहत कार्यों में। मैंने पी. डब्ल्यू. डी. से निवेदन किया कि पुलिया ठीक करायें, पानी ऊपर से बहता है, लोग गिरते हैं। पिछले साल 52 लोग गिरे, इस वर्ष दो आदमी इसलिए मर गए कि गाड़ी सहित पुलिया के नीचे गिर गए। मैंने पिछली बार निवेदन किया उसके बाद गिर गए इसका मुझे दुख है। इस प्रकार कितने ही काम है उनको विभाग के अंतर्गत लिया जाए और राजस्थान में जितने सिंचाई विभाग में अकाल राहत कार्य हों, जितनी सड़कें बने, पुलियां बनें, सारे कामों को विभाग के अन्तर्गत लेकर प्राथमिकता के आधार पर उनके काम कराये जायं।

जब से यह डिबेट चल रही है एक ही बात सामने आ रही है कि मिनीमम वेजेज दिए जांय। मैंने हिसाब लगाया, 5 रु. प्रति दिन तो एक माह का 150) । 4 रविवार निकल गए, तो बाकी बचे 130) । दो किलो गेहूं 136) के हिसाब से तो एक माह के 81.60) बनते हैं। 1.50) नगद तो उसके 45) बनते हैं। इस प्रकार 126.60) बनते हैं। अगर मिनीमम वेजिज रखने हैं, जो समाजवाद की रट लगा रखी है पता नहीं टोप में उसकी क्या शकल है? मिनीमम वेजिज चाहे अकाल के वेजिज हों, मतलब एक ही है। 130) से मजदूर का पेट नहीं भरेगा, इन्सान को राहत नहीं मिलेगी। गेहूं दो किलो के स्थान पर 4 किलो देने का आप आश्वासन दें। जब केन्द्र 20 करोड़ का अनाज हमें दे रहा है, उसकी कमी नहीं है, तो अधिक अनाज देकर, अधिक मजदूरी देकर मजदूर का पेट भरें भले ही 1.50) कैश रखें परन्तु गेहूं की मात्रा 2 से 4 किलो करके कम से कम 6 रुपये मजदूर को दे सकें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

राजस्थान में 196 तहसीलें हैं। 110 के अन्दर राहत कार्य चलाने का सरकार ने निर्णय लिया। 35998 गांवों में से 9889 गांव अकाल की लपेट में हैं। यह आंकड़ा किसने दिया? भीलवाड़ा जिले के बारे में जो आंकड़े दिए हैं कि 11 तहसीलों में से 8 तहसीलें अकालग्रस्त हैं, 1513 गांवों में से 391 गांव केवल अकालग्रस्त हैं, मैं इन आंकड़ों को असत्य मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान है कि मेवाड़ में वर्षा का औसत बहुत रहा है, राजस्थान में वर्षा का रेकार्ड पिछले तीन सालों में जहां वर्षा ज्यादा होती थी वहां औसत से कम हो रही है जहां कम होती थी वहां ज्यादा हो रही है इस वर्षा के उतार चढ़ाव को देखकर हमें राहत कार्य तय करने पड़ेंगे और पिछले तीन साल में भीलवाड़ा जिला वर्षा की दृष्टि से अभागा रहा है। पहले मेजा में 32 फीट भराव था। इस बार केवल 14 फीट भी भराव नहीं है, भीलवाड़ा नगर में भी पानी नहीं मिल सकता, सिंचाई के लिए तो पानी दूर। गत वर्ष राज्य सरकार ने भीलवाड़ा तहसील में 32 राहत कार्य प्रारंभ किए मुझे बड़ा दुख है कि 4 जगह

(श्री रणमलसिंह)

टेस्ट वर्क्स शुरू किए गए बाकी जगह काम नहीं हुए ।

तर्क यह दिया गया कि मजदूर काम पर नहीं आये । मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर पुर्नविचार करे । मजदूर काम पर नहीं आये यह बात गलत है । किस समय कामों की घोषणा की गई ? सारे सरकारी तंत्र से निकल कर जिस समय घोषणा हुई उस समय केवल 15 दिन बचे थे इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं मैं कहूंगा कि केवल पटवारी को राजस्थान का भाग्य विधाता मत बनाइये । तहसलीदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर ही केवल यहां का भाग्य विधाता नहीं हैं । पंच है, सरपंच है, जिला प्रमुख है, एम. एल. ए. हैं और एम. पी. हैं मेरा निवेदन है कि अकाल राहत से सम्बन्धित जितने भी निर्णय हों उस समिति की अध्यक्षता जिले का एम. पी. करे, जिलाधीश नहीं । हम कब तक इस नौकरशाही को आसन पर बैठाते रहेंगे । हमारे माननीय अध्यक्ष वहां विराजमान रहते हैं, हमारे उपाध्यक्ष भीलवाड़ा से हैं वह वहां विराजमान रहते हैं और भीलवाड़ा जिले के जिलाधीश महोदय उसकी अध्यक्षता करते हैं । कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को तो यह बात नहीं जमती । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के जितने कार्य हैं और उनके बारे में जो निर्णय हो उसमें पंच, सरपंच, एम. एल. ए. और एम. पी. को विश्वास में लेकर और जिले के जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर अगर राहत के कार्यों को दिशा दी तो राजस्थान से अकाल भी भागेगा, स्थायी काम भी होंगे । जितने कार्य आज हुऐ हैं उनके रख रखाव के लिए उनके जिम्मे के विभागों को देकर आप वह व्यवस्था करायें ।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री दूलाराम ।

श्री दूलाराम (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान पहले तो इस बात की ओर दिलाऊंगा कि गंगानगर जिले में 12 तहसीलें हैं आपकी सूची में 10 तहसीलें ही हैं तो या तो यह मान लिया जाये कि दो तहसीलों को आपने चुना नहीं या आपके आंकड़े गलत हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जो दो तहसीलें छोड़ी गयी हैं वह हैं नौहर और भादरा । जहां दूसरे गांवों में कातरा, टिडिड्यां या अन्य बीमारियां हुई हैं वहां नौहर भादरा में भी ऐसी परिस्थिति रही है । तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो भूल आपने रखी है यह गंगानगर जिले के साथ आपने अन्याय किया है । अगर जानबूझकर किया है तो ऐसा आपको आइन्दा नहीं करना चाहिए । अगर आपके किसी अधिकारी ने किया है तो उस अधिकारी को आप ऐसी ताड़ना दें कि जिस गंगानगर जिले में 12 तहसीलें हैं वहां 10 तहसीलों का ही नोट बनाकर भेज दिया और आपके आंकड़ों में दस तहसीलें ही हैं । गांव 2992 हैं और कोई अकालग्रस्त नहीं है ।

मान्यवर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हमारे जिले में आदमी भी मर गये । नौहर भादरा में इस समय भी रवी की फसल ज्यादा नहीं है, बहुत कम फसल है लेकिन जिलाधीश महोदय को दुख हो रहा है कि

(श्री दूलाराम)

जिन्होंने छंटनी करके भेजा है कि गंगानगर जिले में कोई अकाल नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर दुबारा गौर करके नोहर और भादरा को इसमें जोड़िये और जो काम हैं उन्हें अवश्य लीजिए ताकि वह इस राहत से महरूम नहीं रहें।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जिला जोधपुर की तहसील फलौदी में एक गांव कानजी है जो कि पानी का भण्डार है। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वहां बीस बीस मील तक पानी नहीं मिलता। यह सत्य है लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करायेगा ? अकाल के नाम से सड़कें बनवाई जाती हैं यह तो ठीक है लेकिन जो तालाब में पानी पड़ा है उसकी सरकार व्यवस्था करके बिजली पहुंचा कर जहां आलरेडी 30-32 कुए बने हुए हैं वहां कनेक्शन दिया जाकर कोई व्यवस्था कर दी जाये तो बीस-तीस मील का एरिया आराम से कवर हो सकता है और किसी तरह की पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। उस पर पूर्ण विचार करके इसको कार्यान्वित करें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा।

एक निवेदन और कर दूं कि गंगानगर जिले में टिड्डियों का भी आक्रमण हुआ है और कुछ जगह फसल भी नहीं हुई। आप कृपा करके जहां फसल नहीं हुई और जहां अतिवृष्टि की वजह से या टिड्डियों की वजह से फसल को नुकसान हुआ है वहां के किसानों से लगान तो वसूल नहीं करें। अगर करना है तो इस फसल पर वसूली स्थगित कर दें ताकि उनको नुकसान नहीं हो।

इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बांसवाड़ा जिले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला सम्पूर्ण ट्राइबल जिला है। उस जिले में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। खरीफ की फसल नष्ट होने से वहां के जो काश्तकार हैं उनका मुख्य धंधा खेती है और वहां अधिकतर लोग आदिवासी भील रहते हैं। उस जिले में मक्का की फसल मुख्य फसल है और उनकी मक्का की फसल नष्ट होने से उन काश्तकारों की हालत खराब है। काश्तकार उसी पर निर्भर हैं। बांसवाड़ा जिले में 5 तहसीलें है और मुझे डूंगरपुर जिले का भी अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा से मिला हुआ है। मैं डूंगरपुर भी जाता हूं। उन जिलों में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है और उन काश्तकारों की हालत यह है कि उनके खाने के लिए नहीं हैं। साथ ही मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उन काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिए जहां भी कार्य खोले जायें। वहां अविलम्ब खोले जाएं मेरे क्षेत्र में 40 पंचायतें हैं। मैंने सभी क्षेत्र में दौरा किया तो मैंने यह पाया है कि मेरे क्षेत्र में 40 ही पंचायतों में फसल नष्ट हो गयी। मेरी तहसील घाटोल में 316 गांव हैं। 316 गांवों में से सभी में खरीफ की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। हमारे बांसवाड़ा जिले में 1467 गांव हैं और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 769 गांव अकालग्रस्त घोषित

(श्री बहादुरसिंह)

किये गये हैं। मेरी मान्यता है कि जिले के सम्पूर्ण गांव ऐसे हैं जो कि अकाल की चपेट में आ चुके हैं।

साथ ही साथ मैं राज्य सरकार और हमारी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो सरकार ने अगली साल फेमिन में काम किये हैं वह स्थायी किये हैं, उसके लिए तो मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि फेमिन मिनिस्टर साहब ने हमारे जिले में जो सड़कों के तालाब के कार्य शुरू कराये थे वह स्थायी कार्य समझ कर कराये जिससे वहां की जनता काफी प्रभावित हुई है। उसके लिये तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अकाल की समस्या का स्थाई हल करने के लिये जो सरकार ने योजना बनाई है वह बहुत अच्छी है। साथ ही मेरे क्षेत्र में जो सड़कें हैं और जो तालाब है, वे अधूरे तालाब है, उन तालावों को पूर्ण करने के लिये राज्य सरकार से, सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन तालाबों को पूरा करने के लिये काम किया जाय। साथ ही मेरे क्षेत्र में जो सड़कें हैं, उस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. और राहत मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा जमूरा में माइका की खान है पता नहीं क्यों पिछली सरकार ने उस सड़क को पूर्ण नहीं किया, अब उसको पूर्ण करावें। भुंगड़ा-खमेरा जाने वाली सड़क है वह भी अधूरी पड़ी है उसको भी पूर्ण करावें। इसी प्रकार फलोरी से भुआ तक जाने वाली सड़क है वह भी अधूरी है उसे पूर्ण करावें। भुंगड़ा से घण्ठा, पीपलखूंट से घण्ठा जो सड़कें हैं और जो काम हुए हैं फेमिन में वे सब अधूरे पड़े हैं। इस फेमिन के काम के साथ मेरा सुझाव है सड़कों में जो काम होता है तो जो पुलियायें आती हैं, अगर उन पुलियाओं को भी ले लेते हैं तो हमेशा के लिये वह मार्ग खुला हो जाता है और पुलियायें नहीं लेने से वे सड़कें अधूरी रहती है।

मेरी मान्यता है और मेरा निवेदन है जहां फेमिन का काम लें वहां पुलियाओं के निर्माण का काम भी लें तो मार्ग हमेशा खुला रह सकता है। साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा मेरे क्षेत्र में और सम्पूर्ण राजस्थान में जो फेमिन का काम शुरू किया जाता है और जो गत साल हुआ वह अप्रेल और जून में हुआ था-आखिर में कोई काम नहीं हो पाता है और मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती है इसलिए मेरा सुझाव है अगर जिले अभाव की चपेट में आते हैं तो जो उन जिलों का फेमिन का काम शुरू किया जाय वह दिसम्बर के लास्ट से शुरू किया जाय तो जनता उससे लाभान्वित होगी और मजदूर भी अकाल के शिकार से मुक्त हो सकते है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में जो आदिवासी भील लोग रहते हैं उनके पास आज भी बहुत से लोग ऐसे है जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, क्योंकि वे मक्का की फसल पर निर्भर करते हैं और इस साल मक्का की फसल नष्ट हो गई है और जो गिरदावरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह इस प्रकार की है। मुझे वहां के सरपंचों ने सूचना दी है कि ठीक प्रकार की गिरदावरी नहीं हुई है। तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि ऐसे गांवों में सरपंचों को साथ में लेकर जांच कराई जाय तो सबसे उत्तम होगा ताकि लोगों को वास्तविक राहत मिल सके। इतना ही कह मैं समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालावाड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो फेमिन कोड बना हुआ है, जो पिछली सरकार के समय का बना हुआ है वह आज की परिस्थितियों के अनुसार अपूर्ण है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस फेमिन कोड को समाप्त किया जाय जो यह कहता है कि आदमी मरता है तब काम शुरू कर दें। इस तरह का फेमिन कोड बनायें कि राजस्थान में पांच साल अकाल नहीं पड़ने देंगे तब तो वास्तव में राजस्थान की जनता की सेवा हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

माननीय अध्यक्ष, जो रिपोर्ट आई है झालावाड़ की कि 1500 गांव में से 119 गांव अभावग्रस्त हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह रिपोर्ट अधूरी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट उस आधार पर भेजी गई है जब यह फेमिन कोड बना था। मैंने देखा है मेरे विधान सभा क्षेत्र में 400 गांव हैं जिसमें 200 में तो अभाव की स्थिति है और 200 में अकाल की स्थिति है। 119 गांव की जो रिपोर्ट भेजी है, यह गलत रिपोर्ट है। कलेक्टर झालावाड़ की रिपोर्ट गलत है। मेरा निवेदन हैं कि सरपंच, विधायकों की जो रिपोर्ट होती है उस पर सरकार को भरोसा करना चाहिये और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अकाल राहत के काम प्रारम्भ करने चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ करीब करीब अकाल से ग्रस्त है इसलिये राजस्व की वसूलियां बन्द की जायं, कोआपरेटिव की जो वसूली होती है वह भी बन्द की जायं और जो फसलों की खराबी हुई है उसके लिये यदि किसानों को मुआवजा दे सकें तो वह भी देने की कृपा करें और ऐसी व्यवस्था करें कि इतनी नदियां और नहरें हमारे क्षेत्र में हैं कि उन पर बान्ध बन सकते हैं, सड़कों का काम प्रारम्भ हो सकता है। मैंने कलेक्टर, झालावाड़ को लिखा है कि पिछली सरकार ने काम शुरू किया था और सड़कों पर मिट्टी भी पड़ी हुई है तो उस अपूर्ण कार्य को पूरा करवा दिया जाय। इसी प्रकार पाटन-सुनेल में भी पिछली सरकार ने काम प्रारम्भ किया था लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है, और मिट्टी पड़ी हुई है। इसलिए इस अधूरे काम को भी शीघ्र पूरा करवा दिया जाय। एक झालावाड़ से गांगरोन की सड़क है जहां मुसलमानों का उर्स लगता है। अजमेर के बाद दूसरा स्थान गिना जाता है। हर वर्ष वहां एक लाख मुसलमान जाते हैं। वहां यात्रियों को जाने का अच्छा साधन नहीं है। इसलिये यह सड़क बना दीजिए। इसलिये मेरा निवेदन है जो अकाल राहत में काम करवायें, उसके चैकिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आप अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिये कि अकाल में ठीक प्रकार व्यवस्था करें।

मेरे क्षेत्र में पानी की कमी है, कुए बहुत कम हैं अगली फसल होगी वह आधी फसल होगी। मेरे जिले में पीने के पानी की भी समस्या है। पिछली बार हैण्ड पम्प सेंक्शन किये थे लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है उन हैण्ड पम्पों को शीघ्र से शीघ्र लगवा दिया जाय तो ठीक होगा।

मान्यवर, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले को अकाल ग्रस्त घोषित करते हुए अधिक से अधिक काम कराने का कष्ट करें।

श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिला अतिवृष्टि से पीड़ित हो गया है। आज जनता परेशान है। वहां की सारी फसल नष्ट हो गई सैंकड़ों टन अनाज का नुकसान हुआ है। वहां पर आदिवासी आबादी है और अस्सी प्रतिशत से ऊपर आदिवासी रहते हैं। वहां के किसान अधिकतर मक्का की फसलों पर आश्रित रहते. हैं। अतिवृष्टि होने से मक्का की फसल नष्ट हो गई और जो बाकी बची वह इलियों कीड़े मकोड़ों से नष्ट हो गई। इसके बाद जो भी फसलें स्यालू की बोई वह बारिश पीछे कम होने से सूख कर नष्ट हो गई। 26 अगस्त, 1978 और 29 अगस्त, 1978 तक दो तीन रोज तक बारिश भारी हुई जिससे छः सौ मकान सागवाड़ा क्षेत्र में गिर गए। वहां पर मोरल नदी है उस नदी के पानी में बह कर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसके सम्बन्ध में माननीय कलेक्टर साहब को सितम्बर, 1978 को निवेदन किया और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन किया परन्तु माननीय कलेक्टर साहब की उदासीनता के कारण पूरी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को नहीं दी गई। इस भारी अतिवृष्टि के कारण, भारी वर्षा के कारण जिन किसानों व ग्राम जनता को नुकसान हुआ है उनको तत्काल राहत दी जावे। मान्यवर, इस अतिवृष्टि के कारण जो लोग पानी में बह गये हैं, जिनके मवेशी बह गए हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जावे। माही और कडाणा बांध से प्रभावित होने के कारण भी कई फसल एवं खेत के खेत डूब गये। फसलें नष्ट हो गई हैं। सागवाड़ा तहसील में भारी नुकसान हुआ है, इस तरह से डूंगरपुर जिले की समस्त तहसीलों में अतिवृष्टि के कारण, कीड़े मकोड़ों के कारण मक्का व अन्य धान की सम्पूर्ण फसलें नष्ट हो गई हैं। आज वहां पर लोग रोजी रोटी के लिए तड़फ रहे हैं। वहां कोई धन्धा नहीं, आम जनता परेशान है। श्रीमान, मैं अनुरोध करूंगा कि उनको तत्काल राहत कार्य शुरू कर राहत दी जावे। हमारा डूंगरपुर जिला पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहां पर हमेशा अकाल की स्थिति रहती है, जमीन की भी काफी कमी है, वहां तत्काल राहत पहुंचाई जावे। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि स्थायी व्यवस्था करने के लिये सरकार ठोस योजना लागू करे। मैं निवेदन करूंगा कि लघु सिंचाई की व्यवस्था की जावे। वहां पर नहरों को पक्की कर विस्तार की व्यवस्था की जावे। वहां पर पहाड़ ही पहाड़ हैं, उपजाऊ भूमि की कमी है। वहां वन सम्पदा थी वह भी वन सम्पदा समाप्त हो चुकी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर वहां पर वन अधिक होंगे तो बरसात अधिक होगी। भूतपूर्व ब्रिटिश सरकार और राजाओं के समय में अकाल की जो स्थिति होती थी तो इन वनों से आम जनता व आदिवासी, किसान लोग अपनी रोटी-रोजी चलाते थे। वन नष्ट होने के कारण ही वहां पर आज भयंकर अकाल की स्थिति होती है। लोग अपनी जीविका के लिये, रोजी-रोटी के लिए इधर उधर, गुजरात में भटकते फिरते हैं। कभी मध्य प्रदेश, गुजरात, आदि में मजदूरी करने के लिये जाते हैं। इस तरह से लोग दुविधा में पड़े हुए हैं आज भी लोग रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि डूंगरपुर जिले को, सम्पूर्ण जिले को अकालग्रस्त घोषित किया जावे क्योंकि वहां की जो हालत हैं वह बहुत खराब हैं। मैं इसलिए श्रीमान के माध्यम

(श्री लालशंकर डेडोर)

से सरकार से अनुरोध करूंगा और मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सारे डूंगरपुर जिले को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करके राहत पहुंचाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं । जय जनता ।

श्री मणिराम (तारानगर): अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री महोदय को तो ज्ञान है ही क्योंकि चूरू जिले से भी माननीय राहत मंत्री आए हैं और उनको पता भी है लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं चूरू जिले के अन्दर हमारे शेरसिंहजी जो, राहत आयुक्त थे के साथ मैंने दौरा किया, लेकिन जितना मेरे तारानगर क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ उतना नुकसान सारे चुरू में कहीं नहीं हुआ है । एक साथ इतनी ज्यादा बारिश पड़ने से और काश्तकारों के मकान करीब करीब सब गिर चुके हैं । इसके लिए मैं जहां तक समझ पाया हूं वहां तक 25-26 हजार मकान गिरे हैं । इसके प्रमाण के लिए करीब करीब गवर्नमेंट के आंकड़े भी हैं । वह भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन 13-14 हजार घर तो बिल्कुल साफ हो गए हैं । उनके पास में खाने को अनाज नहीं बचा और ओढ़ने बिछाने के लिए वस्त्र नहीं बचे और उनके पास बरतन भांडे नहीं बचे । सोने के लिए खटिया, पलंग नहीं बचा । उन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है । उसके लिए मैं हमारी सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनको और कोई मदद न करें लेकिन बैंक से कर्जा दिलवा करके और हर घर में जिनके सारे मकान धराशायी हो गये हैं उनको एक मकान बनाने योग्य कर्जा बैंक से दिलवा दिया जावे । किसान मुफ्त में नहीं लेना चाहता वह मय व्याज के रकम को भी वापस करेगा । इस वक्त ऐसी हालत है कि मकान बनाने की स्थिति में नही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो काफी तादाद में जिनके मकान गिर गए हैं, वे करीब 13-14 हजार परिवार हैं जिनके सारे के सारे मकान धराशायी हो गए हैं बैंक के माध्यम से हर किसान को सहायता दिलवाई जाय। तो मेरा निवेदन है आपसे कि अब सर्दी का वक्त आ गया है और उनके पास वस्त्र भी नहीं हैं और सर्दी भी हमारे जयपुर से कहीं बहुत ज्यादा मेरे क्षेत्र में पड़ती है। इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि कभी कभी सारे वृक्ष ही खतम हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए मैं उन परिवारों की ओर से सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह सर्दी से बच नहीं सकेंगे क्योंकि उनके पास में न वस्त्र है, न खाने के लिए अनाज रहा है, न उनके पास मकान रहा है। उनके लिए सरकार से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारे अकाल राहत मंत्री भी वहां गए थे और हमारे शेरसिंहजी, राहत आयुक्त भी गए थे। उन्होंने अच्छी तरह से उस क्षेत्र को समझा और उन्होंने दौरा भी किया । उनकी समझ में आया है । उस क्षेत्र के प्रति उनकी सहानुभूति भी थी, और उन्होंने कहा कि मैंने सीकर जिले का दौरा भी किया। सीकर के अन्दर काफी शोरगुल तो जरूर मचा लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तारानगर क्षेत्र को मैंने देखा है । इतनी भयंकर बरसात के कारण तबाही और कहीं मैंने देखी नहीं है । तो इसलिए मेरा मंत्री महोदय से और सरकार से यह निवेदन है कि इन काश्तकारों के लिए कोई न कोई रास्ता आप अवश्य खोजिये और जो नुकसान हुआ है पटवारियों ने आंका है वह सही तो नहीं

(श्री मणिराम)

मान सकता लेकिन उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख 8 हजार 3सौ 60 और कितने ही हजार के आंकड़े उन्होंने नुकसान के आंके हैं। तो ऐसी स्थिति में इन काश्तकारों के लिए आप कोई न कोई रास्ता खोज कर उनकी सहायता करें ताकि वह लोग इस आने वाली सर्दी से कुछ बच सकें और उनको राहत मिल सके। इसके बाद खरीफ की फसल करीब करीब चौपट हो चुकी है। वहां पर एक दफा इतनी बारिश हुई, दुबारा बारिश नहीं हुई और इसलिए सारी फसल चौपट हो गई। फिर बारिश नहीं पड़ने से वह भी फसल नष्ट हो गई। वहां की खरीफ की फसल भी चौपट हो चुकी है। मैंने चूरू जिले के आंकड़े भी देखे है लेकिन मैं समझता हूं कि तारानगर क्षेत्र के अन्दर कोई 15-20 गांवों में अकाल माना है और बाकी में अकाल नहीं माना है। तो यह भी तारानगर क्षेत्र के साथ एक तरह का सौतेला व्यवहार हुआ है और तहसीलों को अकाल में मान लिया है। यह इतना बड़ा नुकसान है, अतिवृष्टि से फसल खराब हो गई, फिर कातरे से फसल खराब हो गई, बारिश से फसल चौपट हो गई, फिर दुबारा बारिश हुई नहीं। इस स्थिति में खरीफ की सारी फसल खतम हो जाने से काश्तकार चौपट हो गया है। उसके बाद चने की फसल के लिए जमीन को तैयार किया लेकिन बारिश की कमी के कारण वह बीज उगा नहीं। मेरे तारानगर क्षेत्र के अन्दर चने की तैयार की हुई किसानों की जमीन खाली की खाली रह गई है। तो मेरे कहने का मतलब है है कि एक तो बारिश से नुकसान हुआ दुबारा फसल बोई उसको कातरा खा गया, फिर चने के लिए जमीन काश्तकारों ने तैयार की लेकिन कोई धक्के से बच गई तो बच गई लेकिन उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। तो इस प्रकार से तीनों तरफ से किसानों पर आघात हुआ है। जो प्राकृतिक आघात हुआ है उसके लिये मेरा नम्र निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे। मैं आशा करता हूं कि इस दुखद हालत को संभालने के लिए हमारी सरकार सक्षम होगी। शेरसिंह जी भी वहां गये थे और उन्होंने भी देखा है। इसके अतिरिक्त हमारे वित्त मंत्री भी भी वहां पर गये थे। उन्होंने भी दौरा करके देखा है। दिल्ली से भी अध्ययन दल गया था। उन्होंने भी देखा। हमारे वित्त मंत्री ने भी हालात को देखा है, इन गांवों की विनाश लीला को देखा है और सब महानुभावों ने इसको माना है। फिर भी मैं नहीं समझ पाया कि सरकार इस बारे में कुछ करेगी या नहीं। अभी तक हमारे सामने भी कोई चीज नहीं आई है कि यह किया जाएगा। हमारे मुख्य मंत्री जी के सामने भी मैंने यह सवाल रखा था परन्तु कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। आगे राज्य सरकार इस ओर क्या ध्यान देगी, मैं नहीं जानता। इस क्षेत्र की ओर हमारी सरकार ध्यान दे वरना वहां के काश्तकार तबाह हो जाएंगे। बहुत से सर्दी के अन्दर बच नहीं सकेंगे। मेरा पुरजोर शब्दों में आपसे निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि काश्तकारों की समस्या कुछ हल हो सके। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान दे कि वहां के अधिकारियों ने लापरवाही की है। वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से तारानगर तहसील में अधिक से अधिक जमाना दिखाने में पक्षपात किया गया है। मैं इसके लिए नहीं कह सकता हूं? हमारे मंत्री महोदय कलेक्टर साहब का दुबारा ध्यान इस ओर

(श्री मणिराम)

दिलावेंगे कि वहां पर तिगुना आघात किसानों पर हुआ। वे बिल्कुल मर जायेंगे।

मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अयूब खां (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में अकाल के मुख्यत: दो कारण हैं। एक तो वर्षा अधिक होती है तो अकाल होता है और दूसरे वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ता है। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां पर बाढ़ आ जाती है और जहां वर्षा नहीं होती हैं वहां सूखे के कारण अकाल पड़ता है। पिछले कई सालों से कामां, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ चली आ रही है। इसके लिए सरकार ने कोई पर्मानेन्ट इलाज नहीं सोचा है और न अभी तक हो पाया है। भरतपुर को जो पानी जाता है वह अलवर से जाता है। अलवर में कई स्थानों पर बांध बनाए जा सकते हैं। इस पानी को वहां पर रोका जा सकता है जिससे सड़कें टूटने से बच सकती हैं, पुलियाएं टूटने से बच सकती हैं और कृषि के लिए इन बांधों का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है नहर बना करके। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारे अलवर में बाढ़ राहत कार्यों पर कार्य किया गया था। इसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई खजाना हाथ लग गया है। पहले तिजारा से नवाब लुहारु थे। सड़कों के लिए कहते थे तो वे कहते पैसा नहीं है लेकिन इस दफा यहां पर राहत कार्य बहुत हुए हैं। इस विषय में इतना ही कहूंगा कि सरकार जहां पर भी अकाल हो वहां विकास कार्य पर ही पैसा लगावे, बनिस्बत इसके कि बेजरूरत के कामों पर पैसा खर्चा किया जाए। अंत में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति पर सदस्यों ने जो प्रकाश डाला है उससे मालूम पड़ता है कि पूरे राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल है। दूसरी तरफ अधिकारी गण ने मौके पर गिरदावरी के जो आंकड़े बनाये हैं उसको नकारात्मक रूप से एकदम अस्वीकार किया गया है। राज्य में अकाल की स्थिति है। कई गांव अकाल से प्रभावित है। लोगों को राहत की जरूरत है। जहां तक गांवों का सम्बन्ध है उनकी गिरदावरी हुई है। मौके पर पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस. डी. एम, एस. डी. ओ, जिलाधीश आदि ने अकालग्रस्त क्षेत्र में जाकर गांवों को देखा है, उनकी फसलों को देखा है। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वह उनके आंकड़ों के अनुसार है। गिरदावरी करने का उनका एक तरीका है, रेवेन्यू लाज के तहत उसके मुताबिक वह सही है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, उस प्रकार से गिरदावरी नहीं होती है। उनका गिरदावरी करने का जो मापदंड है उसके अनुसार यह आंकड़े सही हैं। हां यह दूसरी बात है कि इन आंकड़ों के आधार पर जो रिपोर्ट है, उसके बावजूद भी काम खोलने चाहिए या नहीं, ऐसी स्थिति है या नहीं यह बात दूसरी है। इसके ऊपर सोचा जा सकता है। जितना आक्रोश अधिकारियों पर किया गया मैं समझता हूं उतना नहीं करना चाहिए। उनकी जो गिरदावरी

(श्री जयनारायण पूनिया)

रिपोर्ट है वह अपने कानून के अनुसार है। उनका किसी के साथ में कोई बैर निकालने का, दुश्मनी निकालने का इरादा नहीं है। जानबूझ कर उन्होंने कोई झूठी रिपोर्ट नहीं दी है। यह नहीं कहा जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी अधिकारी कर्मचारी ने ऐसा कर दिया है तो उसकी दुबारा जांच की जा सकती है। उसकी दुबारा गिरदावरी कराई जा सकती है। पिछले साल भी यह समस्या आई थी। मेरा निवेदन है कि गिरदावरी के जो आंकड़े दिए हैं, उसके लिए जन प्रतिनिधियों से बात कर ली जाए और उसके बावजूद भी कोई कमी रह जाती है तो कार्य जैसे पहले खोले गये थे, अभी भी कार्य खोले जा सकते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधि, सरपंच तथा जनता एक इस बात को ध्यान में रख कर चल रही है कि अकाल के नाम पर कुछ कार्य करवाए जा सकते हैं। इसलिए वे ज्यादा जोर देते है कि हमारे गांव में अकाल घोषित किया जाए। इस प्रकार से यह काम करवाने की उनकी इच्छा है, वह एक दूसरी भावना है। यह एक मुद्दा है जिसके कारण गिरदावरी में वे बढ़ा चढ़ा कर खराबा दिखाना चाहते है। कुछ गांवों के दौरे पर मैं गया था। उनकी स्थिति को मौके पर मैंने देखा है। उन्होंने कहा ,अकाल में काम करवाए जाएं ताकि हमारी सड़कों की, तालाब की मरम्मत हो सके, एनीकट आदि बन सके मुद्दा यह था कि काम हो। अविकसित इलाके में काम कराने की सब की भावना है, किसी तरह से काम हो।

इसके साथ ही साथ मजदूरी का भी उल्लेख किया गया। सरकार की तरफ से जितने भी काम करवाए जाएंगे वे एक योजनाबद्ध तरीके से होंगे और पुख्ता भी होंगे। वे परमानेन्ट भी होंगे और जनता के लिए उपयोगी भी होंगे। जिन पर बाद में डिपार्टमेन्टल वर्क के जरिए काम होगा और करोड़ों रुपये खर्च होंगे। इसलिए जो योजनाओं में है वे ही कार्य करवाए जाएंगे। मैं समझता हूं कि इतने काम खोले जाएंगे कि मजदूर मिलना मुश्किल हो जाएगा।

दूसरे फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत इतने काम करवाये जायेंगे कि गांवों में पंचायत लेवल पर अभाव की स्थिति में जो यह कहते हैं कि मजदूरी चाहिये, काम चाहिये, इस प्रकार की शिकायतें वहां नहीं उठेंगी। राहत के कार्य करवाने के लिये सरकार विचार कर रही है राहत कार्य सरकार जरूर खोलेगी, फेमिन में भी कार्य करवाये जाएंगे। फूड फार वर्क योजना में बड़े पैमाने पर काम शुरू होंगे। मैं समझता हूं कि मजदूरी की कमी आने का प्रश्न ही नहीं है। मजदूरी तो बहुत हो जाएगी लेकिन यह जरूर है कि कई इलाकों में मजदूर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिये इस बात पर अधिक जोर दें कि मेरे इलाके में गिरदावरी कम हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि काम शुरू ही नहीं होगा। वहां पर फूड फार वर्क योजना में भी इतने ही काम शुरू करवाये जा सकते हैं जितने उस इलाके में जरूरी हों। इसलिये यह जोर दें कि गिरदावरी शुरू होनी चाहिये, गिरदावरी के बगैर काम शुरू नहीं, हो सकते यह भावना निकाल देनी चाहिये। काम अवश्य होंगे। जहां सिंचाई के साधन नहीं है वहां सिंचाई के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां सड़के नहीं है वहां सड़कों के कार्य शुरू करवाये जाएंगे, इस प्रकार के कार्य करवाये जाएंगे या इस प्रकार के कार्य, जो कि पहले फेमिन

(श्री जयनारायण पूनिया)

में किये हुए हैं और अधुरे पड़े हुए है उनको प्राथमिकता देकर करवाएंगे। इस प्रकार की भावना माननीय सदस्यों में नहीं बढ़ेगी कि अकाल राहत कार्यों में जो कार्य करवाते है वे अधूरें पड़े हैं इसके बावजूद भी मरम्मत की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो कार्य बेकार पड़े हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अधूरे कार्य शुरू करवाये जाएंगे, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और जहां जिस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये वह कार्य पहले होंगे। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया फेमिन में जो कार्य करवाये जाते हैं उनमें भवनों की मरम्मत की भी व्यवस्था होनी चाहिये -आदि। ये सुझाव बड़े उपयोगी सुझाव हैं। इन पर जरूर काम करवाया जाएगा।

श्री ईश्वरचन्द (पिडावा) : आप यह स्पष्ट करें कि खसरा, गिरदावरी राजस्व मंत्री करवायेंगे या आप करवायेंगे। दूसरे आप में और राजस्व मंत्री जी में कोआर्डिनेशन नहीं। मैं निवेदन करूं जो आप कह रहे हैं फूड फार वर्क में करा देंगे, वह अलग बात है। अकाल और अभाव में काम करवाएंगे, यह अलग बात है। आप दोनों कह रहे हैं। जहां अभाव की स्थिति है वहां रेवेन्यू भी स्थगित हो सकता है, वहां दूसरी प्रकार की सुविधाओं का भी सवाल है तो इस तरह गिरदावरी में जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लेने के कारण ...

एक माननीय सदस्य : यह आपकी कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी भी है।

श्री जयनारायण पूनिया : आपकी जो भावना है, मैं समझता हूं लेकिन जैसा आपने सुना है और सदन में जैसी स्थिति बताई है, मैं समझता हूं इस प्रकार तो राजस्थान में कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जो अभावग्रस्त न हो या अभावग्रस्त घोषित न किया जा सके। जहां वीकर सेक्शन है वहां मजदूरी चाहिये लोगों को। जहां अकाल की स्थिति नहीं है वहां फिर भी बेरोजगारी की स्थिति है, काम नहीं मिलता। इस दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से लोग पिछड़े हुए है। जैसे उदयपुर आदि में गावों में जहाँ काम नही है, वहां इस प्रकार से हम मांग करते हैं। तो यह मान कर चलना चाहिये कि वहां अकाल घोषित करके काम शुरू किये जायं। मैं समझता हूं जहां आजीविका के साधन नहीं हैं वहां सभी जगह काम शुरू करवायें यह असंभव है। मैं निवेदन करूंगा कि लोगों की यह भावना है जैसी कुछ माननीय सदस्यों की भावना थी कि लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है- उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर चित्तौड़ के इलाकों में जहा पिछले साल अकालग्रस्त घोषित नहीं हो सके थे वहां के लिये कुल रूप से यह बात घोषित करनी पड़े कि वहां अकाल राहत कार्य चलाये जाएंगे तो सभी जगहों पर अकाल राहत कार्य घोषित नहीं किये जा सकते। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसका विकल्प मौजूद है। ऐसे क्षेत्रों में फूड फार वर्क में अन्य डिपार्टमेन्ट्स के भी काम देगे। इस प्रकार अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोगों की स्थिति है उसको देखते हुए काम करवाया जावे यह दूसरी बात है। सभी को रोजगार देना यह बहुत बड़ी बात होती है। इसलिये जहां अकाल राहत कार्य घोषित नहीं किये जा सके और अकाल की स्थिति है वहां देखेंगे। लेकिन जहां दूसरे कारण होते है वहां लगान वसूली स्थगित करने या दूसरे जो वसूली है उनको स्थगित करने का प्रश्न है, वे उस इलाके में घोषित किये जा सकते हैं, जहां पर अकाल डिक्लेयर हो गया हो, यह मैं मानता हूं।

(श्री जयनारायण पूनिया)

माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि काफी बड़े इलाके में गिरदावरी ठीक हुई है या नहीं हुई है, तो इस वक्त रेवेन्यू अभियान चला रहे हैं जिसमें सभी सदस्य भी भाग लेंगे। अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे साथ में अधिकारी वर्ग भी होगा। उस समय आपके इलाके में क्या स्थिति है, आप उसका अवलोकन कर लें और जैसी भी स्थिति है सरकार को लिखें। हम उस पर फिर विचार करेंगे और जो रिकार्ड है गिरदावरी का उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसलिए आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की है कि फेमिन कोड में परिवर्तन करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये समिति गठित की गई है जो काम कर रही है और 1-2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। कमेटी अपना काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार जल्दी ही इसमें परिवर्तन करने जा रही है।

कुछ अन्य व्यावहारिक रूप से बातें बताई गई हैं जैसे परिचय पत्र समय पर बंटना, समय पर कार्य शुरू कर देना ताकि लोगों को जल्दी ही राहत मिल सके और समय पर काम होने की वजह से मजदूरी उपलब्ध हो सके और उसी के अनुसार समय पर कार्य पूरे हो सकें। ये सारी बातें हैं। इनको हम घ्यान में रखें हुए है।जिलाधीशों की यहां पर मीटिंग हुई थी। सभी जिलाधीशों ने इस प्रोगाम में भाग लिया। सभी जिलाधीशों ने अपने यहां की स्थिति से अवगत कराया था। कुछ ने दिसम्बर और कुछ जिलाधीशों ने जनवरी में काम शुरू करने की बात रखी। उनके सामने जो अड़चनें आने वाली हैं उन पर भी डिस्कशन हुआ। उनको गिरदावरी संबंधी निर्देश भी दिये गये हैं, और कौन सा काम कब शुरू करवावें इसके निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये कमेटियां अपाइन्ट की जाएगी।

जो अधूरे कार्य हैं, पेंडिग हैं और सबसे जरूरी हैं उनका प्राथमिक तखमीना करके स्वीकृति होने के बाद काम शुरु होगा स्वीकृति देना बहुत जरूरी है ताकि काम में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। सब प्रकार से उनका घ्यान रखें हुए है।

कई माननीय सदस्यों की ओर से ऐसा भी सुझाव आया है कि अकाल का कोई स्थाई हल निकाला जाय। इसके बारे में बड़ी-बड़ी योजनाओं का सुझाव दिया गया है। ये योजनाएं बड़ी बड़ी क्या हो सकती है ? कुछ लिफ्ट सिंचाई योजनाएं है, कुछ नहरें हैं, कुछ और स्थाई हल हैं उनके बारे में जैसा भी संभव होगा वह किया जायगा लेकिन इस विषय पर में कहना चाहूंगा कि आज यह सब करना संभव नहीं है। बाकी के जो सुझाव हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनको सबको मैंने नोट किया है जहां तक हो सकेगा उनके ऊपर मैं विचार कर कार्य करने की ज्यादा कोशिश करूंगा। कुछ लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों के काम के बारे में लिखाया है कि यह काम लिये जायं। वह अगर हम ले सकते हैं तो इसमें कोई वाधा नहीं आ सकती है। किस किस काम को शुरू किया जाय यह सुझाव भी आये है। जहां फौरन आवश्यकता है वहां फौरन राहत कार्य खोल देंगे। पहले टेस्ट वर्क के रूप में करेंगे और फिर रेगुलर वे में कार्यों को लेंगे। इस प्रकार जो क्षेत्र सूची में क्षेत्रवाइज

(श्री जयनारायण पूनिया)

दी गई है, गिरदावरी किन किन गांवों की हुई है, कितनी मजदूरी दी जाय, क्या काम शुरू किये जाय, यह सारे मेरे ध्यान में है ।

मजदूरी के बारे में कहना चाहता हूं जैसाकि माननीय कौशल किशोर ने कहा कि मिनिमम वेजेज के आधार पर देने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह कहा है कि यह मजदूरी कम पड़ती है। मजदूरी के जो आंकड़े फैलाये गये है उनके अनुसार मिनिमम मजदूरी इसके नीचे 3-40 की है, उसमें फर्क रहता है तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है । इसके साथ साथ मैं यह बताऊंगा कि मजदूरी कम है वह ज्यादा होनी चाहिए तो इसका मतलब होगा कि फेमिन के अन्दर ज्यादा लोग मजदूरी करना पसन्द करेंगे और दूसरे कामों में जाना पसन्द नहीं करेंगे । फेमिन के कार्य के अन्दर मजदूरी का फर्क होना जरूरी है । जिस वक्त कोई चारा न रहे उस वक्त जिन्दा रहने के लिए संकट के अन्दर गुजारा करना है । उसकी मदद के लिए है कोई रेगुलर काम के लिए पैसा नहीं देना है। यह आवश्यक बात है कि यदि मजदूरी बढ़ा दी जाय तो सरकार पर लोड बढ़ जायगा और इसका मतलब यह होगा कि सारे राजस्थान में एम्प्लायमेन्ट का काम करना पड़ेगा । यह दूसरे वर्क्स के चालू रहने में सारी बातें अफेक्ट डालेंगी। वहां पर कोई काम नहीं करवाकर अकाल में यह काम करवायेंगे । पहले यह शिकायत आई हैं कि अकाल घोषित होने हुए भी अकाल के कार्य नहीं करवा सके है। वहां लेवर नहीं मिल पाया यह स्थिति इस बार भी आ सकती है। जिले के अन्दर हवी रोड वर्क्स के भीकाम करें उसमें रुपया खर्चा होगा उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है। माननीय सदस्यों के सुझावों की कीमत करते हुए और उनकी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए जितना हो सकेगा करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री बाल कृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि जिन गावों में पानी पीने का नहीं है वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था अभी से करवायेंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिले में जो फेमिन कमेटियां हैं उनकी मीटिंग पहले नहीं हुई । अब होनी चाहिए और उनकी अध्यक्षता जिलाधीश नहीं करके जिला मंत्रियों में वितरित की जानी चाहिए। उन कमेटियां की मीटिंग की वे अध्यक्षता करें। अगर माननीय मंत्री न आ सकें तो एम.पी. अध्यक्षता करें। यह मेरा सुझाव है।

दूसरा सुझाव है कि बिना एस्टीमेट के और बिना लक्ष्य के काम नहीं हो सकेगा । पहले भी यह समस्या हमारे सामने आयी थी और अब भी यह समस्या आयेगी । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह काम ...

श्री भैरों सिंह शेखावत : आप पहले बोले नहीं थे क्या ?

श्री जयनारायण पूनिया : आधा घण्टा बोल लिये हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : मजदूर सुबह आठ बजे जाकर शाम को चार पांच बजे आता है। उसे डेढ़ सौ रुपये की तनख्वाह मिलती है जब कि दूसरे लोग दस से पांच बजे तक आफिस में आयेंगे। तो समय के बारे में आप विचार करें और इस प्रतिबन्ध को हटायें। इसके बारे में मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

श्री दुलाराम : यह आप पार्टी में डिस्कस कर लें ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 10 नवम्बर, 1978 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि. 10 55बजे शुक्रवार दिनाक 10 नवम्बर, 1978 के म. पू. 11.00बजे के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 26 की स्वीकृतियां)

राजस्थान सरकार

सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना विभाग

(विशिष्ठ योजना संगठन)

क्रमांक : एफ 2(9)(3) कृषि/वियां/७/७५ जयपुर दिनांक 18-3-78

परियोजना अधिकारी,

भूमिहीन विकास अभिकरण,

अजमेर (राजस्थान)

विषय : एस.डब्ल्यू. आरसी. तिलोनिया को डी. पी. ए. पी. के तहत दूसरी किस्त का भुगतान करने के सम्वन्ध में

प्रसंग : आपका पत्र संख्या एफ 21/ डी.पी.ए.पी./173 दिनांक 1 मार्च, 1978

महोदय,

निदेशानुसार आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित कर लेख है कि निदेशक, एस. डब्ल्यू. आर सी. तिलोनिया को दूसरी किश्त का भुगतान कर दिया जावे।

भवदीय,

ह०

(पवन चौपड़ा)

शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

AGRICULTURE (GR. V) DEPARTMENT

(SPECIAL SCHEMES ORGANISATION

Jaipur, dated 9 th Feb. 1976.

From:

The Commissioner & Secretary,
Special Schemes Organisation,
Jaipur.

To

The Accountant General,
Rajasthan-Jaipur.

Sub:- District Development Agencies DPAP Distt. Ajmer Release of funds for semidetailed Hydrogeological Survey in Panchayat Samiti Jawaja of Tehsil Beawar (District Ajmer) to Social Work & Research Centre. Through Marginal Farmers & Agriculture Labour Agency, Ajmer.

Sir,

No. F. 2 (3) DPAP/Plan/75 :— I am directed to convey sanction of the Government to the payment of grant-in-aid to the extent of Rs 40,000/- (Forty thousand) only to the Chairman, Marginal Farmer and Agricultural labour Agency, Ajmer for implementation of the Semidetailed Hydrogeological Survey Scheme in Panchayat Samiti-Jawaja Under Ground Water Development Programme at Tehsil Beawar (distt. Ajmer) during the year 1975-76. The Survey Scheme in Panchayt Samiti Jawaja will be inplemented by the Social work & Research Cenral, Village & P. O. Tilonia, distt. Ajmer. Accordingly the grant in aid of Rs. 40,00/-would be paid by Chairman, M. F. A.L., Ajmer to the Director, S. W. R. C. for

the purpose of meeting out the cost of staff operation & maintenance of Vehicle and other miscellaneous expences connected with the proposed survey work. The payment shall be made subject to the following terms & conditions.: –

1. The amount of this grant shall be released only on items approved No. change will be made or any new Scheme financed, out of this amount without prior sanction of the Government.

2. Proposed accounts in respect of the expenditure out of this grant shall be maintained in the office of the Director, Social Work & Research Centre and Chairman, Marginal Farmers and Agricultural Labour-Agency, Ajmer.

3 Payment for proposed expenditure shall be made by Chairman, M. F. A. L. Agency to Director, S. W. R. C. in two equal instalments. First instalment shall be paid immediately on receipt of the request of Director, SWRC for this purpose and after executing Agreement deed between MFAL Agency and SWRC. The second instalment shall be paid after completion of the survey work and submission of survey report to the Government and verification by Director (Survey & Research), Ground Water Department, Jodhpur.

4. The Survey work should be completed and report there of submitted to the Government latest by 31st March, 1977.

5 Before paying the first instalment of grant to Director S. W. R. C. the Chairman-M. F. A. L. Agency shall execute and Agreement deed with the former, for that purpose a model draft Agreement Deed is enclosed.

6. The Agency shall furnish to the State Government the audited statement of accounts, utilisation certificate to the effect that the grant has been utilised fully for the purpose, for which it was sanctioned and that all conditions attached to the grant have been fulfilled.

7. The Agency shall furnish regular periodical reports about the progress of this activity and such other reports and statements as may be prescribed by the State Government from time to time.

8. That any assesed immovable or movable property acquire out of this grant shall not in any manner be incumbered or disposed off without the prior approval of the State Government.

9. That the accounts maintained by Director, Social work and Research Centre and marginal Farmers and Agri. culture Labour Agency shall remain open for inspection by officer of the State Government and by the representative of the committe and Auditor General of India.

10. The expenditure will be charged to the budget head 308 Area Development (Kha) dryland development (Centrally sponsored Scheme) XVII D. P. AP. at Beawar Tehsil in Ajmer District (III) Minor Irrigation 1. grant-in-aid contribution/subsidy /plan expenditure/ new item. The above grant shall be placed at the disposal of the M. P. A. L Agency by transfer to his personal deposit account.

This issues with the concurrence of the Finance Department (Exp. I) vide their I. D. No. 543 dated 5th Feb., 1976.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूचना)

विदेशी आर्थिक सहायता की विभाग एवं कार्यवार सूची

विभाग एवं योजना का नाम	सूचना
1. सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना विभाग	राज्य में डी पी ए पी कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर एवं नागौर जिला हेतु विश्व बैंक से सहायता मिलती है। लेकिन यह सहायता राज्य को सीधे प्राप्त न होकर भारत सरकार को प्राप्त होती है तथा भारत सरकार से राज्य सरकार को 2 : 1 के अनुपात में केन्द्र से सहायता प्राप्त होती है। राज्य सरकार को परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कुल 6.30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होनी है। प्राप्त सूचना के आधार पर सितम्बर 78 तक 207.15 लाख रुपये तथा 5.94 लाख डालर विदेशी मुद्रा में पुन :भरण हेतु क्लेम्स सरकार को भिजवाये जा चुके है।
2. राजस्थान नहर एवं चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास	राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र परियोजना एवं चम्बल सिंचित क्षेत्र की अनुमानित लागत क्रमश: 139.00 करोड़ एवं 73.20 करोड़ रुपये है। इसके लिए विश्व बैंक से क्रमश: 66.40 एवं 41.60 करोड़ रुपये क्रेडिट एवं ऋण के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होगी। यह परियोजनाएं वर्ष 1974-75 से प्रारम्भ की गई थी तथा वर्ष 1980-81 में पूर्ण होगी। माह अगस्त 78 तक राजस्थान नहर एवं चम्बल परियोजना के लिए क्रमश: 12.80 एवं 10.13 करोड़ के क्लेम भारत सरकार को भिजवायें जा चुके हैं।
3. राजस्थान नहर परियोजना विभाग	विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन से निशुल्क सहायता के रूप में जून 77 से सितम्बर 78 तक जो खाद्यान सहायता प्राप्त हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है :

खाद्यान्न	समय एवं मात्रा	
गेहूं 6.77 से 9.78	13,401,059	(म. टन)
बटर आयल ,,	505.756	,,

विभाग एवं योजना का नाम	सूचना
4. राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम	प्रश्न सं. 1:—विदेशी आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार को सीधे नहीं प्राप्त होती है। यह सहायता भारत सरकार के पास आती है। भारत सरकार से राजस्थान को निम्न कार्यो के लिये नीचे लिखी राशि प्राप्त हुई।

क्र. परियोजना	माह सितम्बर, 78 तक
1. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त डेयरी विकास योजना	339.01 लाख
2. डेनिश सरकार से सहायता प्राप्त योजना	3.50 लाख

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की योजना

300. **श्री रतनलाल वर्मा** (भिनाय): क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) हर पंचायत हैड क्वार्टर को राज्य में कब तक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

(2) राज्य में किन सड़कों की हालत खराब है उनको कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि ब्यावर में केकड़ी रोड-विजय नगर से नागोला रोड़ बादन वाड़ा से सिराना रोड़, किशनगढ़ से सरवाड़ रोड़ जो वर्षों पूर्व डामर की बनी हुई है और उनमें ६ इन्च तक के गहरे गड्डे पड़े हुए हैं यदि हां, तो कि इन रोड़ों को कब तक डामर से ठीक करवा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि विजय नगर से गोपवा वाया भिनाय, टोटोटी वर्षो से कच्चा बना हुआ है और इसमें पत्थर, मिट्टी पहाड़ों में पड़े हुए हैं ? यदि हां तो इसको कुटवा कर कब तक राज्य सरकार द्वारा डामर रोड बना दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि देवलिया कलां से कालेड़ा वाया नानमी जेतपुरा रोड जो 10 साल से कच्चा बना हुआ है ? यदि हां, तो उसे कब तक पक्का बनाने का राज्य सरकार का विचार है।

(6) क्या सराना से बारोड़ा तक कची रोड़ बनी हुई है ? यदि हां. तो इसको भी राज्य सरकार द्वारा पक्का कब तक बना दिया जायेगा ?

(7) क्या यह सही है कि नसीराबाद से बागेड़ा रोड़ की हालत बहुत खराब है और बनने के बाद दुबारा डामर नहीं हुआ? यदि हां, तो इसको डामर रोड राज्य सरकार द्वारा कब तक बनवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ऐसे पंचायत हैडक्वाटर जिनकी आबादी 5000 से अधिक है इस वर्ष के अन्त तक सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है और 2500 व 1500 की आबादी वाले हैडक्वाटर को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया है।

(2) इन सड़कों पर मरम्मत का कार्य हर वर्ष किया जाता है और विशेष सुधार के कार्य जो इस वर्ष लिए विभिन्न मदों से स्वीकृत किये गये है उनकी सूची संलग्न है?

(3) इन सड़कों में पंच वर्क शुरू करवा दिया गया है ।

(4) जी हां, यह सड़क 32 कि. मी. लम्बी है अधिकांश भाग में पेपर बेदर रोड़ है और पिछले वर्षो में फेमिन कार्य के अंतर्गत इस सड़क पर कार्य हुआ था । इसके 5 कि. मी. विजय नगर से सिकरानी पक्की बनाने का कार्य स्वीकृत कर दिया गया व कार्य चालू है।

(उत्तर)

(5) जी हां, यह सड़क 27 कि. मीटर लम्बी है और जन संख्या के आधार पर सड़क से जोड़ने के उद्देश्य इसके कुछ भाग छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है।

(6) जी हां, यह कच्ची सड़क फेमिन कार्य के अन्तर्गत बनाई गई थी। डबरेला से बोराडा डामर सड़क बनाने का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है।

(7) जी हां, इस सड़क पर सुधार का कार्य चालू है।

भू-राजस्व की समाप्ति

301. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने की दृष्टि से भू-राजस्व समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार ?

उत्तर

जी नहीं।

राज्य में सरकारी क्षेत्र में दवाई का कारखाना

3(2. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सरकारी क्षेत्र में दवाई निर्माण का कारखाना लगाने का क्या सरकार ने कोई निश्चय किया है ?

(2) यदि ऐसा है तो क्या नगरों की अपेक्षा किसी ग्रामीण या कस्बा क्षेत्र में इसको लगाने का राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रस्तावित कारखाना जयपुर जिले के ग्राम हरमाड़ा में (जयपुर बीकानेर मार्ग पर) लगाया जा रहा है।

किसानों को राहत

303. **श्री हरीशकुमार शर्मा** (रामगंजमंडी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के खजाने में कुल कितना प्रतिशत धन गांवों में से आता है और कितना प्रतिशत शहरों से ? इसमें से कितना प्रतिशत गांवों पर और शहरों पर हर वर्ष व्यय किया जाता है?

(2) क्या हर प्रकार के कर बोझ किसान पर ही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके बदले में किसानों को क्या देती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के खजाने में प्राप्त राशियों का गांवों एवं शहरों के अनुसार पृथक पृथक विवरण नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार गांवों और शहरों पर होने वाले व्यय का भी पृथक पृथक विवरण नहीं रखा जाता है।

(2) जी नहीं।

न्यू तेज टॉकीज अलवर की नीलामी

304. **श्री जीतमल जैन** (अलवर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 1963 में राज्य सरकार ने अलवर स्थित न्यू तेज टॉकीज की बिल्डिंग को खुली नीलामी द्वारा लीज पर देने का निर्णय लिया था और इस आशय का विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में दिया था ?

(2) राज्य सरकार ने किन कारणों से उक्त निर्णय में परिवर्तन किया ?

(3) क्या राज्य सरकार ने 1977 में बिना खुली नीलामी किये पुराने लीज होल्डर को 1963 से 1993 तक पुनः तेज टॉकीज को लीज पर दे दिया है ?

(4) क्या न्यू तेज टॉकाज की बिल्डिग को लीज पर लेने के लिए अन्य किसी व्यक्ति ने भी राज्य सरकार को इच्छा प्रगट की थी ?

(5) क्या लीज होल्डर ने लीज की शर्तों के अनुसार बिल्डिग में आवश्यक परिवर्तन किये हैं ?

(6) क्या लीज होल्डर ने 1963 से 1977 तक लीज की रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी है ? अगर नहीं, तो लीज की रकम वसूल करने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने 13 मई, 1963 में सिनेमा का विक्रय लीज खुली नीलामी द्वारा देने का निर्णय लिया था। नोटिफिकेशन प्रकाशन हेतु भेजा गया था।

(2) न्यायालय के आदेश के कारण नीलामी नहीं की जा सकी।

(3) जी हां। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में एक समिति आरबीट्रेशन के लिये गठित की गई इसकी सिफारिशों के अनुसार लीज अवधि 6-8-1994 तक बढ़ाई गई।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। न्यायालय की डिग्री के अनुसार बकाया राशि का भुगतान 48 किश्तों में करना था। उन्होंने आंशिक भुगतान ही किया है। वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. एक्ट के तहत प्रारम्भ की जा चुकी है।

रेगिस्तान की रोक थाम

305. श्री **बहादुरसिंह** (नोहर):—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नोहर क्षेत्र में रेगिस्तान भयानक गति से बढ़ रहा है, जिससे हजारों एकड़ भूमि नाकाबिले काश्त हो रही है, राज्य सरकार इस बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के

(श्री बहादुरसिंह)

लिए क्या-क्या उपाय कर रही हैं तथा इनमें कहां तक कामयाब हुई है ?

(2) एक एकड़ वन की तथा एक एकड़ कृषि भूमि की क्या आमदनी है तथा कृषि योग्य भूमि में वन लगाना कैसे हितकर हैं ?

उत्तर

(1) रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए मरुस्थल विकास योजना के अन्तर्गत गंगानगर जिले में वन रोपण एवं चारागाह विकास का व्यापक-कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसके अन्तर्गत नोहर क्षेत्र में भी कार्य कराया जायेगा ।

(2) एक एकड़ वन की तथा एक एकड़ कृषि भूमि की आमदनी की तुलना व्यवहारिक नहीं है । इमारती लकड़ी और ईंधन की स्थानीय आवश्यकता पूर्ति के लिये कृषि योग्य भूमि में वन लगाना हितकर है ।

बाली को जन जाति क्षेत्र घोषित करने की योजना

306. **हनवन्तसिंह राणावत** (बाली): क्या जन-जाती क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बाली जिला पाली के जन-जाती क्षेत्र को लघु जन जाति कल्याण क्षेत्र घोषित करने की राज्य सरकार की नीति है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के विकास हेतु पांच लाख रुपये अग्रिम राशि स्वीकृति हुई थी और जिसे खर्च नहीं किया गया ? यदि हां,तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान लघु में 13 जिलों में 37 जनजाति लघु खण्ड की योजना बना कर भारत सरकार को प्रस्तुत की है इनमें से जिला पाली में तहसील बाली के 22 गांव सम्मलित कर एक लघु खण्ड बनाया गया है ।

(2) लघु खण्ड बाली के लिये अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

बांसवाड़ा में अतिवृष्टि से फसलों को क्षति

307. **श्री नाथूलाल** (घाटोल)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में अतिवृष्टि एवं ईलड नाम की बीमारी से फसलें नष्ट हो गई हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत फसलें नष्ट हो गई हैं ?

(2) प्रत्येक तहसील के आंकड़े बताने की कृपा करें ।

(3) क्या उन काश्तकारों एवं आदि-वासी कृषकों को राहत पहुंचाई जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ? और यदि हां, तो कब तक ?

(4) घाटोल तहसील के लिये क्या क्या कार्य किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। अतिवृष्टि एवं ईडल से मक्का की फसल पर जहां इसका प्रकोप था, 37 से 60 प्रतिशत तक फसल के नष्ट होने का अनुमान है। कपास धान व अन्य फसलों पर अतिवृष्टि से 5 प्रतिशत हानि हुई है।

(2) विभागीय स्त्रोत के अनुसार तहसील वार अनुमानित क्षति निम्न प्रकार है

नाम तहसील	अतिवृष्टि से	ईडल से
बांसवाडा	5 प्रतिशत	52 प्रतिशत
घाटोल	4 प्रतिशत	50 प्रतिशत
बागीडोरा	5 प्रतिशत	55 प्रतिशत
गढ़ी	4 प्रतिशत	33 प्रतिशत
कुशलगढ़	7 प्रतिशत	53 प्रतिशत

(3) मक्का में ईडल का प्रकोप होने से दिनांक 14-9-78 से 30-9-78 तक जिले में महामारी घोषित की गयी थी। तथा 17469 हैक्टर क्षेत्र में ईडल की रोक-थाम की गई। स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर राहत कार्य शुरु करने का मामला अकाल सहायता विभाग के विचाराधीन है।

(4) इसका उत्तर उपरोक्त प्रश्न सं. 3 के अनुसार ही है।

बनास सैंड का ठेका

308. श्री गोविन्द सहाय (गंगानगर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में बनास सैंड का ठेका प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था? यदि हां, तो 67-76 तक प्रति वर्ष कितने में ठेका दिया जाता था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बनास सैंड का ठेका 76 से न देकर विभाग स्वयं रायल्टी पर कार्य कर रहा है? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी आय हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में बनास सैंड का ठेका 1-6-66 से 25-4-73 तक रुपये 4000/- प्रति वर्ष पर दिया गया था। सन् 73 के पश्चात ठेका नहीं दिया गया।

(2) ठेका समाप्त होने के बाद सन् 73 से विभागीय तौर पर रायल्टी वसूल की जा रही है जो प्रति वर्ष निम्न है:—

वर्ष	रुपया
1963-74	9844.25 पैसे
1974-75	15920.90 पैसे
1975-76	12138.90 पैसे
1976-77	21190.00 पैसे
1977-78	32848.50 पैसे
अप्रेल 78 से अगस्त 78	13958.00 पैसे

ग्राम सेवा सहकारी समिति खरकडी (अलवर) में गबन

309. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) – क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि न्यायालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर ने खरकड़ी कला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. खरकड़ी पं. समिति, थानागाजी, जिला अलवर के अध्यक्ष, श्री गणपतराम व कोषाध्यक्ष, श्री मदनसिंह को रु. 38770 व 11896.13 की राशि के दुरुपयोग गबन के लिए दोषी माना है ?

(२) क्या यह भी सही है कि सर्व श्री गणपतराम व मदनसिंह से उक्त धनराशि जुलाई 1970 व जनवरी 1976 से 18% ब्याज वसूल करने का भी निर्णय दिया है साथ ही तथा समिति को हानि पहुंचाने व गबन। दुरुपयोग करने के आरोप में क्रमशः 5000/– एवं 1500/–रुपये का सरचार्ज भी लगाया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष, श्री गणपतराम व कोषाध्यक्ष, श्री मदनसिंह से समिति की उक्त धन राशियों को अविलम्ब वसूल करने का भी निर्णय दिया है ? यदि हां, तो इस मामले में विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अध्यक्ष श्री गणपतराम व कोषाध्यक्ष श्री मदनसिंह से समिति को कथित धन राशियों को अविलम्ब वसूल करने के लिए राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 118(ग) नियम 92 (ग) के तहत कुर्की।विक्रय वारन्ट जारी कर दिये है। विभाग ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने एवं राशि की वसूली शीघ्र करने के आदेश दिये है।

सहायक आबकारी अधिकारियों के रिक्त पद

310. **श्री नरपत राम बरवड़** (सूरसगर):-- क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक आबकारी अधिकारियों की स्वीकृत संख्या राज में कितनी है तथा उनमें से कितने स्थान कब से रिक्त हैं ?

(2) नशा बन्दी को सफल बनाने के लिए क्या सहायक आबकारी अधिकारियों के रिक्त स्थान को भरना अनिवार्य है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? अगर हां, तो सहायक आबकारी अधिकारियों के रिक्त स्थान कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विभाग में सहायक आबकारी अधिकारियों के कुल 23 पद स्वीकृत हैं। 23 स्वीकृत पदों में से 14 पद गत एक वर्ष से रिक्त थे।

(2) जी हां। यह मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। दिनांक 23-10-78 को आदेश जारी कर 13 रिक्त पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्तियां कर दी गई है।

सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का वेतन

311. **श्री हरि कृष्ण** (नदबई) :- क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के वेतन भुगतान का क्या प्रावधान है।

(2) उनके वेतन का कितना प्रतिशत समिति को व कितना प्रतिशत केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा शीर्ष बैंक राजस्थान को देना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि व्यवस्थापक के पूरे वर्ष के वेतन की कुल रकम वर्ष के प्रारम्भ में ही समिति से बैंक में जमा करा दी जाती है फिर भी प्रति मास समय पर उनको वेतन का भुगतान नहीं होता ?

(4) क्या ऐसे भी व्यवस्थापक हैं जिनका वेतन रुका पड़ा है और इन्क्रीमेंट भी नहीं दिये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) व्यवस्थापकों को वेतन का भुगतान केडर आथोरिटी के स्तर पर स्थापित राज्य व्यवस्थापकीय वेतन कोष के अन्तर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है।

(2) व्यवस्थापकीय वेतन कोष में निम्न संस्थाएं अपना योगदान देती हैं:—

(1)	सहकारीसमिति–	प्राप्त ब्याज की तीन चौथाई राशि
(2)	केन्द्रीय सहकारी बैंक–	ब्याज के मार्जिन का 50 पैसा प्रति सैकड़ा।
(3)	शीर्ष बैंक....	कुछ नहीं।

(3) जी नहीं। समिति ऋण की राशि बैंक से प्राप्त करती है उस समय ऋण राशि का एक प्रतिशत व्यवस्थापक वेतन कोष में जमा कर लिया जाता है।

वेतन का भुगतान साधारणतः प्रति माह समय पर किया जाता है तथा आवश्यक औपचारिकतायें समय पर पूर्ण न होने से वेतन भुगतान में देरी हो सकती है।

(4) कहीं कहीं आवश्यक समझने पर सर्विस कन्डीशन्स पूरी नहीं करने या निर्धारित कार्य व लक्ष्य समय पर पूरा नहीं करने की स्थिति में वेतन या वेतन वृद्धि बैंकों द्वारा रोकी गई है।

इटावा में मंडी यार्ड

312. **श्री हीरा लाल आ[illegible]** (पीपलदा):- क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इटावा में पिछले कई वर्षों से कृषि उपज मंडी चल रही है ? मंडी हेतु मंडी यार्ड की अभी तक घोषणा नहीं होने का क्या कारण है ?

(2) क्या मंडी यार्ड हेतु घोषित जमीन के मालिक ने अदालत में केस चला रखा है ? यदि हां, तो कब से ? अब मंडी यार्ड शीघ्र घोषित करने हेतु राज्य सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मंडी यार्ड हेतु खसरा नं. 1656 तथा 1657 की जमीन को समतल कराया गया था ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च हुई तथा इस पर मंडी यार्ड घोषित नहीं करने का क्या कारण है ?

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

(4) क्या राज्य सरकार किसानों के हित में मंडी यार्ड की शीघ्र घोषणा कर मंडी यार्ड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मंडी का कार्य वर्तमान घोषित यार्ड में चल रहा है नये यार्ड के लिए जो भूमि चयनित की गई थी उसके एक हिस्से के मालिक द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर स्टे ग्रार्डर प्राप्त कर लिया गया। ग्रस्तु इस नये यार्ड पर ग्रभी मंडी का कार्य ग्रवरुद्ध हो गया है।

(2) जी हां। जो भूमि ग्रवाप्त की जाने वाली थी उस भूमि को स्वामी द्वारा केश फायर करने पर 11-4-74 को उच्च न्यायालय द्वारा स्टे ग्रार्डर दिया गया।

चूंकि केस की कार्यवाही ग्रभी तक चल रही है ग्रौर राज्य सरकार द्वारा उसमें पैरवी कर भूमि ग्रवाप्ति ग्रधिकारी (चम्बल) कोटा को प्रभारी ग्रधिकारी नियुक्त किया हुग्रा है ग्रस्तु ग्रन्तिम निर्णय होने पर ही ग्रग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(3) जी हां। खसरा नम्बर 1657 तथा 687 कि भूमि को समतल कराने में लगभग 50000/– मंडी कमेटी चम्बल क्षेत्र द्वारा व्यय किये गये थे। यह कार्य चम्बल की मंडी कमेटी द्वारा कराया गया था। मंडी निर्माणार्थ उपयुक्त न होने के कारण कृषि उपज मडी समिति की उसमें सहमति नहीं थी। इसी लिये उसे यार्ड हेतु घोषित नहीं कराया गया।

(4) जैसे ही उपयुक्त चयनित भूमि उपलब्ध हो जावेगी, उसे मंडी यार्ड के लिये घोषित करा दिया जायेगा।

उप जिलाधीशों के मुख्यालय

313. श्री समर्थलाल (राजगढ़): —क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार की क्या यह निति है कि उप जिलाधीशों के मुख्यालय जिस स्थान के नाम से हो, वे वहां ही स्थित रहें ? यदि हां, तो राज्य में ऐसे कौन कौन से मुख्यालय हैं जो उस नाम से हैं किन्तु वे वहां स्थित नहीं हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

हां यह सही है। राज्य में उप जिलाधीशों के मुख्यालय निम्न है जो उस नाम से है किन्तु वे वहां स्थित नहीं है:—

(1) उप खण्ड ग्रधिकारी फुलेरा, मुख्यालय सांभर।

(2) उप खण्ड ग्रधिकारी राजगढ़, मुख्यालय ग्रलवर।

(3) उप खण्ड ग्रधिकारी तीजारा, मुख्यालय किशनगढ़ बास।

ऐसा प्रशासनिक कारणों से है।

खनिज उत्पादनों की बिक्री

314. श्री **शिवचरणसिंह** (बयाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या खनिज विभाग ग्रपने उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था करता है ?

(2) क्या बिक्री व्यवस्था हेतु कोई सैल देहली व बम्बई में भी बनाया जा रहा है ?

(3) क्या एक्सपोर्ट करने वालों को विभाग कुछ रियायत देने पर विचार कर रहा है ?

उत्तर

(1) सरकार केवल एक फोस्फेट व कुछ हद तक जिप्सम की बिक्री की व्यवस्था करती है ।

(2) जी नहीं ।

(3) यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है ।

निवाई तहसील में खान विभाग में डुप्लीकेट खाते

315. श्री **सुरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निवाई तहसील में खान विभाग में डुप्लीकेट खाते व रवन्ना बुक पकड़ी गई जिससे विभाग को राजस्व की लाखों रुपयों की हानि होती रही है ? अगर हां, तो विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन डुप्लीकेट खाते व रवन्ना पकड़ने वाले ईमानदार अभियन्ता का राज्य सरकार ने स्थानान्तरण कर दिया ? अगर हां, तो क्या यह न्याय संगत है ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में दिनांक 3-8-78 को निवाई पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है जिसकी तफतीस पुलिस द्वारा जारी है ।

(2) निदेशालय ने स्थानान्तरण किया था जो राज्य सरकार ने अनुमोदित नहीं किया ।

मालौनी पुल को बाढ़ से क्षति

316. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर भरतपुर रोड पर बाण गंगा नदी पर मालौनी के पुल का करीब एक चौथाई मोरा गत वर्ष बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी मरम्मत न करा कर पत्थरों से बन्द कर दिया गया था और इस वर्ष नदी में अधिक पानी आने पर उसका निकास पूरा न होने के कारण नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ा जिसके कारण पुल के पास की सड़क का बड़ा हिस्सा कटा और कुम्हेर, नदबई और भरतपुर क्षेत्र में भारी बाढ़ बनी ।

(2) क्या राज्य सरकार बाढ़ के इस कारण की विशेषज्ञों द्वारा जांच कराएगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । यह पुल सबमर्सेबल बना हुआ है और ऐसे पुलों पर अधिक पानी ऊपर से बहने का प्रावधान होता है । नदी के रास्ता बदलने का कारण मोरे कम या ज्यादा होना नहीं है । बाणगंगा नदी कई बार रास्ता बदलती है तथा 77 एवं 78 में भी बदली है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता है ।

मकराना में कारखाने वालों को सबसिडी

317. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मकराना में किन किन कारखाने वालों को राज्य सरकार की ओर से सबसिडी दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

मकराना में 61 लघु औद्योगिक इकाइयों को 15% केन्द्रीय अनुदान एवं 36 लघु उद्योग इकाइयों को विद्युत अनुदान दिया गया है । सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

मकराना क्षेत्र में जिन इकाइयों को केन्द्रीय अनुदान दिया गया है उनकी सूची:--

क्र. सं. 1	इकाई का नाम 2	स्वीकृति दिनांक 3	स्वीकृति राशि 4
1.	मै. राजस्थान माइनिंग एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज मकराना	9-1-74	22,118/-
2.	मै. राजस्थान माइनिंग एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज, मकराना	23-2-74	12,601/-
3.	मै. राजू मार्बल फैक्ट्री., मकराना	23-2-74	3,431/-
4.	मै. मारुति मार्बल इण्स्ट्रीज, मकराना	23-2-74	15,052/-
5.	मै. कृष्णा मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	16-4-74	943/-
6.	मै. न्यू राजस्थान मार्बल फैक्ट्री, मकराना	16-4-74	10,236/-
7.	मै. गंगा मोहन मार्बल इण्ड स्टोन,फैक्ट्री मकराना	16-4-74	22,722/-
8.	मै. कैलाश मार्बल वर्क्स, मकराना	16-4-74	7,705 /-
9.	मै. मुकेश मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	27-2-75	16,739/-
10.	मै. लड्डा मार्बल कंपनी, मकराना	20-3-75	12,768/-
11.	मै. राजस्थान माइनिंग एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज मकराना	20-3-75	72,959/-
12.	मै. मारवाड़ माइंस मकराना	20-3-75	1,26,230/-
13.	मै. शिव मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	16-6-75	14,835/-
14.	मै. श्री गणेश मार्बल वर्क्स, मकराना	16-6-75	5,564/-
15.	मै. अग्रवाल मार्बल एण्ड स्टोन फैक्ट्री, मकराना	16-2-76	7,908/-
16.	मै. एस. हमीद एण्ड ब्रदर्स, मकराना	16-2-76	5,133/-
17.	मै. राजस्थान माइनिंग एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज, मकराना	16-2-76	25,462/-
18.	मै. संतोष मार्बल, मकराना	4-3-76	31,440/-
19.	मै. मित्तल मार्बल इण्डस्ट्रीज., मकराना	4-3-76	29,007/-
20.	मै. राजू मार्बल फैक्ट्री, मकराना	4-3-76	3,109/-
21.	मै. नूर मार्बल ट्रेडर्स, मकराना	4-3-76	3,260/-
22.	मै. शोकत अली रहीम बक्स टाक, मकराना	20-3-76	4,422/-
23.	मै. सम्राट मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	25-3-76	36,012/-
24.	मै. महावीर मार्बल (पी) लि., मकराना	3-6-76	17,069/-
25.	मै. एम. ननाच अली मुस्ताक अहमद मकराना	3-6-76	13,497/-
26.	मै. अब्दुल सैयद प्यार मोहम्मद मकराना	3-6-76	13,497/-
27.	मै. गंगा मोहन मार्बल एण्ड स्टोन फैक्ट्री मकराना	10-9-76	10,661/-
28.	मै. मार्बल सोइंग फैक्ट्री, मकराना	15-11-76	3,669/-
29.	मै. अग्रवाल मार्बल कारपोरेशन मकराना	15-11-76	8,010/-
30.	मै. कुबेर मार्बल कंपनी, मकराना	15-11-76	5,064/-
31.	मै. चण्डक मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	28-12-76	13,525/-

1	2	3	4
32.	मै. महाराजा मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	28-12-76	34,682/-
33.	मै. संगमरमर इण्डिया (पी) लि. मकराना	28-12-76	27,725/-
34.	मै. संतोष मार्बल मकराना	24-3-77	5,754/-
35.	मै. रोशन मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	28-3-77	41,083/-
36.	मै. सांचिया मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	1-7-77	22,308/-
37.	मै. गुरुद्वारा श्री नानकदेव मार्बल स्टोन फैक्ट्री, मकराना	1-7-77	22,947/-
38.	मै. एस. एम. हारुन एण्ड कंपनी, मकराना	17-10-77	31,428/-
39.	मै. कोकरिया मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	24-2-78	20,952/-
40.	मै. खुशला मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	24-2-78	30,750/-
41.	मै. गुलाबचन्द छीतरमल जाजू मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	24-2 78	22,500/-
42.	मै. चौधरी ब्रदर्स, मकराना	24-2-78	26,550/-
43.	मै. अब्दुल गफ्फार सुभानजी सोहर मकराना	27-2-78	5,310/-
44.	मै. न्यू नौसाद मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	27-2-78	26,520/-
45.	मै. बंसल मार्बल एण्ड स्टोन कंपनी, मकराना	13-3-78	24,953/-
46.	मै. प्रकाश मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	4-8-78	28,612/-
47.	मै. संजय मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	4-8-78	23,550/-
48.	मै. जलान मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	4-8-78	43,425/-
49.	मै. उमा एण्टरप्राईजेज, मकराना	4-8-78	29,077/-
50.	मै. प्रदीप संगमरमर इण्डस्ट्रीज, मकराना,	4-8-78	30,600/-
51.	मै. राजस्थान मार्बल एण्ड टाइल्स इण्डस्ट्रीज मकराना	4-8-78	33,862/-
52.	मै. आर्केटिया मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	4-8-78	30,900/-
53.	मै. डी. मार्बल फैक्ट्री, मकराना	4-8-78	25,200/-
54.	मै. मोती मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	4-8-78	25,200/-
55.	मै. फाहत मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	4-8-78	33,600/-
56.	मै. रोज एन्टरप्राईजेज, मकराना	4-8-78	33,600/-
57.	मै. इण्डिन मार्बल माइनिंग वर्क्स	18-4-78	12,461/-
58.	मै. मिनरल प्रोसेसिंग सर्विसेज मकराना	20-3-76	1,98,431/-
59	मै. हाईड्रोकेम एन्टरप्राईजेज मकराना	24-8-78	39,765/-
60.	मै. जैन मार्बल फैक्ट्री, मकराना	20-3-76	3039/-
61.	मै. विश्वकर्मा मार्बल एण्ड. मकराना	25-7-75	14,062/-
			17,90,899/-

मकराना में स्थापित लघु उद्योगों की राज्य सरकार द्वारा (25 प्रतिशत) विद्युत अनुदान की सुविधा दी जाने वाली इकाइयों की सूची:—

क. सं.	इकाइयों का नाम व पता	राशि अनुदान
1.	मै. अंकटेश मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	5,625/-
2.	मै. विश्वकर्मा मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	6,195/-
3.	मै. महावीर मार्बल प्रा. लि., बोरावड	8,712/-
4.	मै. अग्रवाल मार्बल कारपोरेशन, मकराना	8,414/-
5.	मै. न्यू राजस्थान मार्बल फैक्ट्री, बोरावड़	7,010/-
6.	मै. महाराजा मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	7,875/-
7.	मै. गौतम मार्बल इण्डस्ट्रीज, बोरावड़	20,328/-
8.	मै. मुकेश मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	15,540/-
9.	मै. सम्राट मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	12,398/-
10.	मै. गंगामोहन मार्बल एण्ड स्टोन फैक्ट्री, मकराना	15,069/-
11.	मै. विष्णु मार्बल एण्ड इण्डस्ट्रीज, मकराना	9,095/-
12.	मै. नूर मार्बल ट्रेडर्स	6,014/-
13.	मै. मित्तल मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	3,183/-
14.	मै. चाण्डक मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	14,487/-
15.	मै. मारुति मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	12,757/-
16.	मै. कुबेर मार्बल कम्पनी मकराना	8,488/-
17.	मै. राजस्थान माइनिंग एण्ड स्टाइल इण्डस्ट्रीज मकराना	8,856/-
18.	मै. अनिल मार्बल इण्डस्ट्रीज, बोरावड़	12,960/-
19.	मै. मारवाड माईन्स मकराना	3,638/-
20.	मै. इंडियन मार्बल माइंग वर्क्स मकराना	9,182/-
21.	मै. रोशन मार्बल इण्डस्ट्रीज, बोरावड़	9,040/-
22.	मै. सतोष मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	884/-
23.	मै. हाजी नूर मोहम्मद गोरी एण्ड संस, मकराना	1,995/-
24.	मै. अब्दुल सैयद यार मोहम्मद राठौड़, मकराना	3,437/-
25.	मै. ओम मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	386/-
26.	मै. सोकत अली रहीम बक्स टाक, मकराना	569/-
27.	मै. सोकत अली मार्बल इण्डस्ट्रीज बोरावड़	958/-
28.	मै. लढ़ा मार्बल इण्डस्ट्रीज (मकराना)	5,446/-
29.	मै. अमामुदीन काले एण्ड ब्रदर्स, मकराना	1,374/-
30.	मै. यूनिवर्सल मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	2,324/-
31.	मै. सनराइज मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	2,088/-
32.	मै. संचिया मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	5,437/-
33.	मै. मनोज मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	844/-
34.	मै. मीर मार्बल इण्डस्ट्रीज, बोरावड़	6,847/-
35.	मै. मुख्तार अहमद हाजी लादूलाजी, मकराना	998/-
36.	मै. एस. मयाल अली मुकतार अहमद, मकराना	2,328/-
		2,41,779/-

ब्यावर मण्डी समिति की वर्गीकरण प्रयोगशाला

318. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ब्यावर मंडी समिति की वर्गीकरण प्रयोगशाला बन्द पड़ी है ?

(2) क्या इस प्रयोगशाला पर लगभग 40 हजार रुपया खर्च किये जा चुके हैं तथा एक हजार रुपया प्रतिमाह का संस्थापन व्यय हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने शासन तंत्र को प्रयोगशाला शुरू करने हेतु कोई आदेश दिया है ? अगर हां, तो उसकी अब तक पालना क्यों नहीं हुई ?

(4) प्रयोगशाला कब तक शुरू करने का राज्य सरकार इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार ने हाल ही निर्णय लिया है कि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज का वर्गीकरण हाथ में लिया जाय। इसके अनुसार बोर्ड ने एक विस्तृत योजना बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत की है जिस पर विचार किया जा रहा है। उसके अनुसार निर्णय लिये जाने पर ब्यावर की वर्गीकरण प्रयोगशाला द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(4) सम्भव है इसमें कुछ माह का समय लग जाये।

काश्त की भूमि का वितरण

319. **श्री मूलचन्द गागा** (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में आज भी 20 प्रतिशत काश्तकारों के पास 80 प्रतिशत जमीन है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसको समाप्त करने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या आज भी बड़े बड़े काश्तकार अपनी जमीन काश्त करने के लिये छोटे काश्तकारों को देते हैं और उनकी लटाई आधी और तीसरे हिस्से पर की जा रही है ? यदि नहीं तो राज्य सरकार ने ऐसा कौनसा कानून बना रखा है जिसके आधार पर लटाई छठे हिस्से से कम नहीं की जा सके ?

उत्तर

(1) यह कहना सही नहीं है कि 20 प्रतिशत काश्तकारों के पास 80 प्रतिशत जमीन है। केन्द्रीय सरकार की कृषि गणना योजना के तहत कृषि वर्ष 1976-77 को आधार मान कर जोतों की संख्या एवं उनके क्षेत्रफल के बाबत जो सूचना अन्तिम रूप से संकलित की गई है उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। भूमि के वितरण में जो असमानता है उसके ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक अनेक कारण हैं। जहां तक इसे कम करने का प्रश्न है, कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा कानून लागू करना ऐसा ही एक बड़ा कदम है। पिछली सरकार ने सीलिंग के निर्णित मामलों को पुन: खोलने पर एक प्रशासनिक आदेश जारी करके रोक लगा दी थी, इसे वर्तमान सरकार ने हटाया है एवं अब सीलिंग के मामलों को पुन: खोलने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। सरकार यह भी विचार कर रही है कि उप कृषकों को खातेदारी अधिकार दिये जावे तथा बंटाईदारों एवं पांतीदारों को भी उपकृषक की परिभाषा में शामिल किया जावें। इन कदमों से भी इस असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी। भूमि का का जो आवंटन अब किया जाता है उसमें भूमिहीन काश्तकारों का ही आवंटन होता है। इससे भी इस असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी।

(2) खातेदार अपनी जमीन को काश्त करने के लिए दूसरे लोगों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45-46 के प्रावधानों एवं उसके तहत लगाये गये प्रतिबन्धों के तहत ही दे सकता है। फसल के बंटवारे के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 104 एवं 105 द्वारा अधिकतम सीमाएं निर्धारित है।

कृषि गणना, 1976-77

जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्र.सं.	आकार वर्ग (हैक्टरों में)	कुल जोतें संख्या	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	0.50 से कम	747889	17.14	172375.92	0.86
2	0.50 से-0.99	584539	13.72	460833.77	2.31
3	1.00 से-1.99	794791	18.22	1142710.22	5.73
4	2 00 से-2.99	512005	11.80	1254856.18	6.29
5	3.00 से-3.99	350482	8.06	1224114.04	6.08
6	4.00 से-4.99	244434	5.60	1091493.04	5.47
7	5.00 से-7.49	478064	9.35	2495453.87	12.51
8	7.50 से-9.99	340905	8.81	4654753.17	23.34
9	10.00 से-19.99	216773	4.96	1877895.29	9.47
10	20.00 से 29.99	89623	2 05	2155342.59	10.81
11	30.00 से-39.99	35085	0.80	1207194.13	6.05
12	40 00 से-49.99	17043	0.30	706206.57	3 54
13	50 00 से-और ज्यादा	20389	0.46	1503303.25	7 54
	योग	4362022	100.00	19927132.04	100.00

ग्राम रोहुग्रा (सिरोही) में राहत कार्य

320. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोहुग्रा जिला सिरोही में पिछले तीन सालों से वर्षा का पानी भरा हुग्रा है ?

(2) क्या यह भी सही कि गांव रोहुग्रा में भरे हुए पानी को गांव से बाहर निकालने का राज्य सरकार द्वारा ग्रब तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ग्रौर काश्तकारों की काश्त की भूमि पानी में डूबी हुई है ? ग्रगर हां, तो क्यों ? ग्रगर नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा कब तक क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(3) ग्रब रोहुग्रा ग्राम में उक्त भरा हुग्रा पानी कब तक किस तरीके से निकाला जा सकेगा ? निश्चित ग्रवधि बतलाने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि वर्षा के पानी से प्रभावित काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा ग्रब तक कोई खास राहत नहीं पहुंचाई गई है ? ग्रगर हां, तो क्यों ? ग्रगर नहीं तो क्यों ? ग्रब प्रभावित काश्तकारों को कब तक क्या राहत पहुंचाई जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) रोहुग्रा ग्राम में भरे बरसाती पानी निकालने का कार्य काफी कठिन है क्योंकि पहाड़ों के बीच गहराई में भरे हुए पानी को निकालने के लिये कोई रास्ता नहीं है तब भी इस पानी को निकालने के लिए राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग को इस वर्ष ग्रक्टूबर, 78 में 2,33,000/-(दो लाख तैंतीस हजार) रुपये की स्वीकृति प्रदान की है ग्रौर शीघ्र इस पानी को निकालने के लिए निर्देश दे दिये हैं ।

(3) सिंचाई विभाग पम्पस, प्रेसर पाइप्स की मदद से शीघ्र पानी को निकालने की कार्यवाही कर रहा है ।

(4) राज्य सरकार ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु 50|- रुपये से 100/- रुपये तक प्रति परिवार के हिसाब से सहायता दी है ।

सवाई माधोपुर में दुग्ध संयंत्र की स्थापना

321. श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सवाई माधोपुर में दुग्ध संयन्त्र की स्थापना का कार्य राज्य सरकार कब से ग्रारम्भ कर रही है ?

उत्तर

निश्चय नहीं किया गया है ।

जयपुर जिले में शराब का ठेका

322. श्री **हरजीराम बुरड़क** (लांडनू) : क्या ग्राबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में शराब का ठेका देने के सम्बन्ध में इस वर्ष क्या प्रक्रिया ग्रपनाई गई ग्रौर उसके ग्रनुसार किस-किस को ठेका दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उक्त ठेके में आबकारी विभाग को कितनी-कितनी आय हुई ?

(3) ठेकेदार पर विभाग का किन-किन मामलों में नियंत्रण रहा तथा क्या क्या नियंत्रण रहना था ?

(4) इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हों तो क्या और उसका निराकरण वहां तक किस प्रकार से किया गया ?

(5) इस सम्बन्ध में भावी नीति क्या है ?

(6) क्या इस धन्धे में राज्य सरकार को किसी प्रकार से कोई नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो किस प्रकार से कितना ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 के लिए शराब के ठेके एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत दिये जाने की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके अन्तर्गत 75 हजार से अधिक की आरक्षित राशि वाली तथा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित दुकानों के लिए पहले टेन्डर आमंत्रित किये गये तथा निर्धारित राशि के बराबर या अधिक राशि के टेन्डर नहीं आने पर खुली नीलामी में बोली लगवाई गयी। जिन दुकानों के लिए टेन्डर या बोली निर्धारित राशि के बराबर या अधिक प्राप्ति हुई उन्हें ठेके पर उठा दिया गया। जिन दुकानों की बोली निर्धारित राशि के बराबर प्राप्त नहीं हुई उन्हें विभागीय स्तर पर अथवा गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा चलवाया गया। 75 हजार से कम की देशी मदिरा की दुकानों को खुली नीलामी से उठवाया गया। जिन दुकानों की निर्धारित राशि 25 हजार से कम थी उन्हें छोड़कर बाकी दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाया गया। दुकानों के उठने व गंगानगर शुगर मिल्स विभागीय स्तर पर चलने वाली दुकानों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्व जिला जयपुर में जिसमें जयपुर शहर भी शामिल है 'अ' श्रेणी की 46 तथा 'ब' श्रेणी की 87 दुकानें हैं जिनकी कुल आरक्षित राशि रुपये 3,06,46,500/- थी। इनमें से 'अ' श्रेणी की 14 दुकानों जिनकी आरक्षित राशि 33,21,000/- थी व 'ब'-श्रेणी की 87 दुकानें जिनकी आरक्षित राशि 27,63,100/-थी क्रमशः 36,79,143/- व 30,29,353/- कुल 67,08,496/- रु. में उठाई गई। शेष दुकानें विभागीय स्तर पर गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा चलाई जा रही है जिनसे माह अगस्त, 78 तक प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) आबकारी नियमों एवं लाइसेंस की शर्तों की पालना ठेकेदारों को करनी पड़ती है। विभाग का इस सम्बन्ध में पूर्ण नियंत्रण रहा है।

(4) शुष्क दिवसों की पूर्ण पालना नहीं करने अथवा दुकान के स्थान परिवर्तन के लिए स्थानीय जनता द्वारा जो शिकायतें समय समय पर प्राप्त हुई उन पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।

(5) प्रतिवर्ष आबकारी नीति राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर/जनवरी में तय की जाती है अतः अगले वर्ष की नीति के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

उत्तर

(6) यदि देशी मदिरा की दुकानें टैन्डर अथवा नीलाम द्वारा नहीं उठती है तो उन्हे विभागीय स्तर पर एवं बड़े शहरों में स्थित दुकानें मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाये जाने का प्रावधान आबकारी बन्दोबस्त नीति वर्ष 1978-79 में है। निर्धारित नीति के अन्तर्गत जयपुर शहर एवं कोटा शहर की देशी मदिरा की दुकाने मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा चलाई जा रही है एवं अन्य पड़त दुकानें विभागीय स्तर पर चल रही है। दुकानों के पड़त रहने से होने वाली हानि को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से दुकानें विभागीय स्तर पर चलाई जाती है। मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स एवं विभागीय स्तर पर चल रही देशी मदिरा की दुकानों पर माह अप्रेल, 78 से अगस्त, 78 तक हुई पूर्ति एवं जो कमी रही उसका मानचित्र परिशिष्ट 'स' में संलग्न है।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखें गये)

जालौर में ग्रेनाइट कम्पलेक्स का विकास

323. श्री **रघुनन्दन व्यास** (सिरोही): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के पास जालौर में ग्रेनाइट उद्योग कम्पलेक्स को विकसित करने की क्या योजना है?

(2) क्या यह सही है कि जालोर में 6 सौ तुकओं की ऊनी मिल खोलने की भी राज्य सरकार ने घोषणा की है? यदि हां, तो इसका कार्य कब और किस वर्ष में प्रारम्भ होगा?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने जालौर में ग्रेनाइट काम्पलेक्स बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार छः हजार क्यूबिक मीटर ग्रेनाइट पत्थर उत्पादन करने की संम्भावना हैं। इसमें लगभग एक करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है और करीब 1200 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

इस योजना के अन्तर्गत उत्पादित माल को काटने और पालिशिंग करने के लिये करीब 3 करोड़ रुपयों की योजना हैं जिसमें 800 आदमियों को रोजगार मिलने का अनुमान हैं।

(2) जी हां। संयुक्त क्षेत्र में 600 तकुओं से एक ऊनी मिल को भीनमाल (जिला जालौर) में लगाने हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा दिनांक 5-1-1978 को अनुबन्ध सम्पादित हो चुका हैं। इस मिल को लगाने हेतु एक नई कम्पनी का गठन करके आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अपेक्षित है।

राज्य में शराब बन्दी

324. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (माण्डलगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने जिले हैं और उनमें से कितने जिले शराबबन्दी क्षेत्र में लिए गए हैं?

(2) पूर्ण नशाबन्दी के लिए कौन-सा साल निश्चित किया गया है?

(3) क्या राज्य सरकार ने फाइनेन्स कमीशन को एक अप्रेल, 79 से शराब की आय में शून्य बताया है? यदि हां, तो फिर क्या यही मानना चाहिये कि एक अप्रेल, सन् 79 से पूरे राज्य में शराब बन्दी की घोषणा हो जायेगी?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 26 राजस्व जिले हैं जिनमें से 13 जिले तथा अन्य कुछ जिलों की कुल 12 तहसीलों में शराब बन्दी लागू है।

(2) अभी मामला विचाराधीन है।

(3) जी हां। परन्तु केवल यह राज्य की इच्छा को दर्शाता है। 1-4-1979 से पूर्ण मद्य निषेद्ध कर दिये जाने का कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

राज्य में नई फैक्ट्रियां

1325. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार ने इस वर्ष (77-78) में कितनी नई छोटी फैक्ट्री किन किन स्थानों पर लगाने के लिये लाइसेन्स दिये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

विभाग द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने हेतु कोई लाईसेंस नहीं दिये जाते है। लघु उद्योग का पंजीयन किया जाता है। 1-4-77 से 31-3-78 तक राज्य में 3396 लघु उद्योग का पंजीयन किया गया है पर लघु उद्योगों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है वे स्वेच्छा से कराते हैं। उसी के आधार पर यह आंकड़े उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(तारांकित प्रश्नोत्तर 34/उ.म. की सूची)

निदेशालय उद्योग, उद्योग भवन, राजस्थान जयपुर-5

जिलेवार सूची :

क्र. सं.	नाम जिला	अप्रेल 77 से मार्च 78
(1)	अजमेर	147
(2)	अलवर	102
(3)	बांसवाड़ा	189
(4)	बाड़मेर	70
(5)	भरतपुर	60
(6)	भीलवाड़ा	100
(7)	बीकानेर	100
(8)	बूंदी	67
(9)	चित्तौड़गढ़	33
(10)	चुरु	174
(11)	डूंगरपुर	25
(12)	गंगानगर	143
(13)	जयपुर	416
(14)	जैसलमेर	18
(15)	जालौर	50
(16)	झालावाड	232
(17)	झूंझनूं	45
(18)	जोधपुर	204
(19)	कोटा	200
(20)	नागौर	546
(21)	पाली	58
(22)	सीकर	64
(23)	सिरोही	35
(24)	सवाई माधोपुर	65
(25)	टोंक	131
(26)	उदयपुर	122
	कुल योग	3396

जिला मुख्यालयों पर सत्र न्यायाधीश की अदालतें

326. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जहां जिला मुख्यालय होते हुए सत्र न्यायाधीश की अदालतें नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या जन हित में राज्य सरकार यह मानती है कि जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत जिला मुख्यालय पर ही स्थापित हो ?

(3) चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय होते हुए भी वहां किन कारणों से आज तक जिला सत्र न्यायाधीश की स्थाई अदालत स्थापित नहीं हो सकी है ? अब राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में निम्नलिखित जिलों के मुख्यालयों पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय नहीं हैं:—

(1) नागौर (२) बाड़मेर (३) जैसलमेर
(4) चित्तौड़गढ़ (५) सिरोही

(2) जिला एवं सैशन न्यायालय का मुख्यालय प्रशासनिक दृष्टि से व जनहित में ही सुविधाजनक स्थान पर रखा जाता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि जिला एवं सैशन न्यायाधीश का मुख्य बैठक का स्थान जिला मुख्यालय पर ही रखा जावे ।

(3) प्रतापगढ़ रियासत की ओर से भवन की व्यवस्था उपलब्ध होने पर उस समय प्रतापगढ़ में जिला एवं सैशन न्यायाधीश का न्यायालय रखा गया था। ऐसा स्थानान्तरण से प्रतापगढ़ की जनता को अब तक मिल रही सुविधा से वंचित होना पड़ेगा फिर भी राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श कर इस बिन्दु पर विचार करेगी। वैसे एक माह में 10 से 15 दिन तक जिला एवं सैशन जज चित्तौड़गढ़ में कैम्प कोर्ट लगाकर उस क्षेत्र के मुकदमों का वही निपटारा अधिकतर करते हैं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-10-78)

न्यायालयों का स्तर ऊंचा उठाने हेतु गत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता

66. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (वनीपार्क) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

केन्द्र सरकार ने क्या राज्य सरकार को न्यायालयों का स्तर उन्नत करने हेतु पिछले पांच वर्ष में कोई आर्थिक सहायता स्वीकृत की ? यदि हां, तो कब और कितनी तथा इस का क्या उपयोग किया गया ? कितनी राशि अभी शेष है और उसका उपयोग करने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

छठे वित्त आयोग ने न्यायालयों का कार्य स्तर उन्नत करने हेतु वर्ष 1974-75 से 1978-79 की अवधि के लिए एक करोड़ सत्तर लाख रुपये का विशेष प्रावधान दिये जाने की सिफारिश की थी। इस विशेष प्रावधान किये जाने की सिफारिश के प्रति अब तक लगभग एक करोड़ तेहत्तर लाख रुपये का व्यय स्वीकृत किया जा चुका है। शेष चार लाख रुपये की राशि भी इस वर्ष के अन्त तक उपयोग में आ जाने की संभावना है।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची)

सूची

क्र.सं.	नाम पार्टी	क्षेत्र	खनिज का नाम
1.	श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल	जोन तह. टोडाभीम	सिलिका सेण्ड
2.	,,	धारे की तह. करौली	,,
3.	,,	भिरभोर तह. सपोटरा	,,
4	,,	,, ,	,,
5.	,	वाजना तह. सपोटरा	लेटराईट
6.	,,	नारौली तह. सपोटरा	व्हाईट क्ले
7.	,,	,, ,,	,,
8.	,,	शेखपुरा तह. सपोटरा	लेटराईट
1.	श्रीमती चन्द्रा अग्रवाल	अोरिच तह. सपोटरा	सिली का सेण्ड
2	,,	सलेमपुर तह. सपोटरा	,,
3.	,,	सपोटरा ,,	,,
4	,,	पाटोर तह. करौली	,,
1.	श्री अोमप्रकाश अग्रवाल	गेरई तह. सपोटरा	,,
2.	,,	गुनेसकी तह. करौली	,
3.	,,	पाटोर तह. करौली	,,
1.	श्री ज्ञानप्रकाश	सादुलपुर माडा तह. सपोटरा	कोलाइडल सिलीका
2.	श्री मुरलीधर अग्रवाल	नारौली तह. सपोटरा	,,
3.	श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल	खेडी रामपुरा	लाइम स्टोन

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 242 की सूची)

गौण मण्डी सांचोर की मद वार एवं वर्ष वार आय वर्ष 1974-75 से 30-9-78 तक

क्रमांक 1	वर्ष 2	मण्डी शुल्क 3	अनुज्ञापन शुल्क 4	फार्म बिक्री 5	विलम्ब शुल्क 6	ब्याज 7	अन्य 8	योग 9
1-	18-10-74 से 31-3-75 तक	17434-21	8854-00	1915-95	—	—	—	28204-16
2-	1975-76	85637-98	6685-00	1692-00	465-20	—	35-00	94515-18
3-	1976-77	165003-22	7675-00	1669-44	248-60	1367-34	55-00	176018-60
4-	1977-78	146792-50	6315-00	1172-30	352-48	2117-49	38-25	156788-02
5-	1978 से 30-9-88 तक	75128-40	3820-00	705-40	131-91	2035-97	4-00	81825-68
योग		489996-31	33349-00	7155-09	1198-19	5520-80	132-25	537351-64

गौण मण्डी सांचोर से मुख्य मण्डी भीनमाल में स्थानान्तरित की गई राशि का विवरण 452895-51 रुपये
पोस्ट आफिस सांचोर में जमा दिनांक 30-9-78 को 70072-50 रुपये
सहकारी बैंक सांचोर में जमा दिनांक 30-9-78 को 14383-63 रुपये

कुल राशि का योग 537351-64

परिशिष्ट 6

फ्लोराईट माइन्स मण्डल की पाल/जिला डूंगरपुर

(अतारांकित प्रश्न सं 246 की सूची)

कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मजदूरों का विवरण दिनांक 30-9-78

अधिकारी	11	
स्टाफ	38	मासिक वेतन स्केल पर
अन्य	52	
कुशल श्रमिक	125	
अर्द्ध कुशल श्रमिक	59	दैनिक वेतन पर
अकुशल श्रमिक	880	
कुल संख्या	1160	

प्रश्न सं. :8/सह.म.

क्रम संख्या 6 पर चाही गई सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है—

फ्लोराइट माईन्स, माण्डल की पाल जिला डूंगरपुर

व्यय का ब्योरा

क्र.सं.	वर्ष	श्रमिकों पर व्यय वेतन	उत्पादन लक्ष्य म.टी.	उपलब्धि म.टी.	अन्य खर्चा	यूनिट का व्यय	लाभ रु0	भूमि लाखों में
1.	1970–71	9.46	एन. ऐ.	27.37	4.48	13.94	—	+14.00
2.	1971–72	9.60	,,	19.96	5.94	15.56	—	+14.42
3.	1972–73	10.19	,,	23.22	7.54	17.73	—	+ 2.51
4.	1973–74	11.08	,,	22.61	9.51	20.59	—	+ 3 12
5,	1974–75	15.84	,,	28.46	10.15	26.00	—	+ 5.56
6.	1975–76	20.59	28.00	22.44	8.44	29.03	—	— 2.38
7.	1976–77	20.51	32.00	26.10	8.64	29.15	—	— 4.19
8	1977–78	21.61	24.40	22.79	17.60	39.21	—	—11.84

नोट— 1. श्रमिकों के व्यय में बोनस, ग्रेज्युईटी, प्रोबिडेन्ट फन्ड, ड्रेसेज, जूते, चिकित्सा व्यय, कल्याण कार्य आदि सम्मिलित नहीं हैं तथा उपरोक्त प्रकार का खर्च अन्य खर्चे में शामिल है ।

2. मांडव की पाल यूनिट में लगी पूंजी का ब्याज मिनरल एवं माईनिंग डिवीजन/हैड आफिस/तथा निगम के हैड आफिस में हुए खर्चे का इस यूनिट पर आनुपातिक खर्च निगम के हैड आफिस की बेलेन्स शीट में दर्शाया गया है। अतः यूनिट के लाभ-हानि उपरोक्त प्रकार के खर्चों को शामिल किये बिना निकालते हुये हैं।

3. सन 1970–71 से 1974–75 तक किसी प्रकार उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे ।

4. वर्ष 1977-78 से 17 लाख के अन्य खर्चों में वर्ष 1976-77 तथा 1977-78/दो वर्ष/का बोनस, श्रमिकों की वर्दियां आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची)

क्र.स.	नाम सरपंच	निलम्बन का दिनांक	पंचायत	जिला	निलंबन का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रामगोपाल	22-9-78	कालीपहाड़ी	जयपुर	विकास अधिकारी गिरदावर एवं बैंक मैनेजर के साथ मार पीट एवं अभद्र व्यवहार किये जाने के कारण भा. द. सं. की धारा 332, 353, 448 एवं 342 के अन्तर्गत मामला न्यायालय में चलने से	पूर्वकाल के आरोप के आधार पर
2	श्री टीकूराम	29-7-78	देपालसर	चूरू	धारा 408 आई. पी. सी के अंतर्गत नैतिक पतनयुक्त दुराचार का मामला न्यायालय में चलने के कारण	,,
3	श्री भेरूराम	21-7-78	महापुरा	जयपुर	पंचायत कोष एवं अधिकारों का दुरुपयोग तथा भूमि विक्रय में अनियमितता करने।	,,

Page No.224

1	2	3	4	5	6	7
4-	श्री शिवराम	31-7-78	रामगढ़	गंगानगर	पंचायत की राशि का दुरूपयोग, अनियमित कृत्य एव कृषि भूमि हड़पने के संबंध में।	पंचायत कोष एवं अधिकारों का दुरुपयोग तथा भूमि विक्रय में अनियमितताएं करने
5-	श्री हीराभाई	14-7-78	गीगला	उदयपुर	चरनोट की भूमि का एवं आबादी भूमि का अनियमित रूप से विक्रय करना एवं राशि का दुरूपयोग करना।	पूर्व एवं वर्तमान काल में
6-	श्री शेख उस्मान	31-7-78	बासनी	नागौर	भूमि विक्रय में अनियमितता कर पंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाना एवं पद का दुरुपयोग करना।	पूर्वकाल के आरोपों में
7-	श्री लालजी	1-8-78	हथाई	डूंगरपुर	धोखादेही, पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितताऐं एवं कर्तव्यपालन में उपेक्षा किया जाना।	वर्तमान कार्यक्रम
8-	श्री रतनलाल	5-8-78	नगर	टोंक	उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना राशि का दुरूपयोग जांच में बाधा पहुंचाना तथा कर्तव्यपालन में उपेक्षा किया जाना	पूर्वकाल के

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 251 अन्तर की सूची)

क्र. सं.	नाम शाला भवन		नाम ग्राम पंचायत	रकम जो व्यय की गई
1	प्राथमिक शाला भवन गुराडिया		गादिया	3,381.00
2.	,,	रायपुर	रायपुर	300-00
3.	,,	पालसेदा	सोयला	1,146-00
4.	,,	चवेली	कालीतलाई	1,572-65
5.	,,	दांता	दांता	1,651-44
6.	,,	रामपुरिया	सांवरी	1,000-00
7.	,,	डोला	डोला	1,198 00
8.	,,	वछलाव	वछलाव	1,139-00
9.	,	रमायदलपत	रमायदलपत	3,000-00
			योग	14,388-09
	शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु व्यय की गई राशि			1,317-75
			योग	15,705-84

दिनांक 1-4-78 से 30-9-78 तक व्यय की गई राशि

1.	,	गुराडिया	गादिया	10,385-00
2.	,,	मुन्डला	दिवलखेड़ा	587-67
3.	,,	फतेहगढ़	फतेहगढ़	7,725-00
4.	,,	चवेली	काली तलाई	7,530-80
5.	,,	डोला	डोला	3,100-45
			योग	29,338-85
	कुल योग 1-4-78 से 30-9-78 तक			45,044-69

Page No.226

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 260 की सूची)

ग्राम सुरायता में हुए भूमि आवंटन की सूची 'अ'

दिनांक आवंटन	क्र. सं.	नाम वल्दियत समुनत	निवासी	क्षेत्रफल (बीघों में)
1	2	3	4	5
22-6-76	1	श्री रामकिशन पुत्र रतनलाल पुरोहित	जोधपुर	13)
,,	2	,, सत्यनारायण परमार	सोजत	12)
19-2-77	3	,, रामेश्वरलाल पुत्र भूरेलाल ब्राह्मण	सुरायता सोजत	60)
,,	4	,, प्रेमसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत	सुरायता	100)
,,	5	,, किशनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह	राजपूत सुरायता	23)।
,,	6	,, शिवसिंह पुत्र रामसिंह	सुरायता	93।।)3
,,	7	,, मोतीलाल पुत्र बाबूलाल गुप्ता	सोजत	10)
,,	8	,, घनश्याम पुत्र राधाकिशन	सोजत	10)
,,	9	,, भंवरलाल पुत्र लालदास वैष्णव	सोजत	10)
,,	10	,, चन्दनमल पुत्र धन्नाराम माली	सोजत	10)
,,	11	,, हीरालाल पुत्र मंसाराम दर्जी	सोजत	10)
,,	12	,, धन्नाराम पुत्र डूंगाराम माली	सोजत	7।।)।
,,	13	,, मुरलीधर पुत्र चुन्नीलाल दर्जी	सोजत	10)
,,	14	,, भंवरीया पुत्र तेजा	सुरायता	10)
,,	15	,, पीरखा पुत्र सोमाखां पीजारा	सुरायता	10)
,,	16	,, रूपसिंह पुत्र मदनसिंह राजपूत	सोजत	10)
,,	17	,, हुकमसिंह पुत्र मगसिंह राजपूत	सोजत	10)
,,	18	,, जगनाथ पुत्र मांगीलाल शर्मा	सोजत	10)
,,	19	,, खीचाराम पुत्र पोरराम माली	सोजत	10)
,,	20	,, रामचन्द्र पुत्र मूलचन्द सोनी	सोजत	10)
,,	21	,, लालसिंह पुत्र शिवनाथसिंह	सोजत	10)
,,	22	,, दुर्गालाल पुत्र जगदम्बालाल माथुर	जोधपुर	12।।)

1	2	3	4	5
19-2-77	23	श्री नसीर महमद पुत्र सरदारखां	सोजत	10)
,,	24	,, मीठालाल पुत्र गिरधारी भाई	सुरायता	9)4
,,	25	,, परबतसिंह पुत्र भगसिंह राजपूत	बगड़ी	10)
,,	26	,, जेठमल पुत्र अमरा लोहार	जोधपुर	10)
,,	27	,, धर्मपालसिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत	जोधपुर	20)
,,	28	,, सुकनाराम पुत्र मगाराम माली	सोजत	10)
,,	29	,, शंकर पुत्र भूरा माली	सोजत	10)
,,	30	,, लक्ष्मण पुत्र हीरा सगरा	सुरायता	10)
,,	31	,, समुखखां पुत्र छैलाखां पीजांरा	सुरायता	10)
,,	32	,, विजयकुमार पुत्र मोतीलाल माली	सोजत	10)
,,	33	,, गुलाबखां पुत्र मिसरूखां पिजारा	सुरायता	10)॥
,,	34	,, माधुराम पुत्र जेठाराम गुजर	सुरायता	10)
,,	35	,, भवरिया पुत्र भीखा मोची	सुरायता	9॥)।
,,	36	,, घुखा पुत्र नवला गाडिया लुहार	उदेशी कुआ	17॥)।
,,	37	,, रूपसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत	सोजत	8॥)4

सूची 'ब'

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	ख. नं.	रकबा	किस्म भूमि
1-	श्री भूरा पुत्र तुलसा नायक नि. ढिंगावास	1518/1 मि	4)	बी 1
2-	श्रीमति हजा पत्नी अमीया नायक नि. ,,	,,	4)	बी 1
3-	श्री पुरखा पुत्र शिवदान सिरवी नि. धोमावास	,,	5)	बी 1
4-	श्री दला पुत्र रूपा सीरवी धींनावास	,,	5)	बी 1
5-	श्री मिसरा पुत्र गणेश सगडा नि. धोमावास	,,	5)	बी 1

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 262 की सूची)

सूची

1– श्री चौसरसिंह पिता लक्ष्मीलाल बावेल के नाम बेंगू में 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज है

2– श्री संग्रामसिंह पिता चौसरसिंह बावेल के नाम बेंगू में 11 बीघा

स्थल खेड़ी में 24 बीघा

खुली मगरा में 14 बीघा 13 बिस्वा

कुल 49 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज है

3– श्री पर्वतसिंह पिता चौसर सिंह के नाम बेंगू में 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज है ।

4– श्री भूपाल सिंह पिता चौसरसिंह परिवार का सदस्य होकर कोई भूमि दर्ज नहीं है ।

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूचना)

029. राजस्व की ग्रामवार रही बकाया 77-78 की सूची तहसील पीपल्दा, जिला कोटा।

क्र.सं 1	नाम ग्राम 2	बकाया रकम 3	विशेष विवरण 4
1	पीपल्दा कलां	6461-26	
2	डूंगरली	1700-01	
3	रोदानी	2340-67	
4	गिरधरपुरा	212-00	
5	मीरखुदना	1473-84	
6	चांवदा	819-46	
7	मरवाना	738-78	
8	रोन	2239-87	
9	शहनावदा	1347-07	
10	फूसोद	7553-68	
11	ख्यावदा	10621-75	
12	बडोदिया	2709-85	
13	खेडली किशनपुरा	3311-94	
14	खेडली पीपल्दा	1844-36	
15	चरखेडली	14-06	
16	पीपल्दा खुर्द	3661-92	
17	मलाया	589-44	
18	कंवरपुरा	789-52	
19	बिसलाई	672-43	
20	करवाड़	14590-23	
21	दुर्जनपुरा	5766-07	
22	बाडोली	5543-73	
23	बमूल्या बडी	935-35	
24	खेड़ा	4670-36	
25	गन्डावद	2330-09	
26	खेडलीदेव	2023-75	

1	2	3	4
27	करखेडा	2396-28	
28	मीठोद	4534-71	
29	लक्ष्मीपुरा	8689-62	
30	हरीपुरा	8905-98	
31	नीमोदा	2286-57	
32	रसीया	3228-16	
33	रामपुरा	17338-03	
34	मेथोपुरा	4291-47	
35	किशनपुरा	547-44	
36	खेडली बोरदा	8713-15	
37	फतेहपुर	1005-58	
38	खेड़ा	9662-16	
39	मेता	21391-81	
40	अयाना	37176-69	
41	माटोली	2389-80	
42	इश्वरपुरा	4016-34	
43	इटावा	52849-52	
44	नोनेरा	34754-87	
45	आजन्दा	46278-65	
46	खडवाड़ा	10761-33	
47	खरबन	11214-54	
48	खेडली नोनेरा	17020-30	
49	अयानी	10623-25	
50	प्रेमपुरा	7087-21	
51	दूधाली	6643-36	
52	अयनामपुरा	3794-53	
53	श्रीपुरा	3384-88	
54	कांकरा	5055-37	
55	विशमपुरा	14536-31	
56	अरण्या	5208-42	
57	टिगेरा	4643-69	
58	फवान्दा	2486-87	
59	लुडावदा	14581-52	

1	2	3	4
60	गणेशखड़ा	3858-52	
61	गणेशपुरा	6235-52	
62	गणेशगंज	1477-33	
63	श्रागोंन	19674-51	
64	खरेडावदा	3735-49	
65	चांदा	1822-34	
66	गोन्डी	11101-41	
67	डोली	3291-96	
68	रनोदिया	6319-21	
69	मुंगली	12909-71	
70	चित्तसरा	11114-20	
71	पानपुरा	6413-11	
72	नारायणपुरा	24539-20	
73	किशनपुरा	8054-35	
74	विनायला	4431-53	
75	डोराली	4533-16	
76	नानावता	11521-35	
77	मूंगेणा	14330-40	
78	जालोदा खातियान	19598-95	
79	दोलतपुरा	13817-29	
80	बमूल्याघाटा	7210-46	
81	डिभरी	1314-60	
82	ओलाना	4567-75	
83	खेडलीजागीर	19773-91	
84	खातोल	4198-18	
85	देवनीमण्डी	1029-84	
86	राजखेड़ा	3362-72	
87	सुमेरपुरा	5815-99	
88	लाखनी	26471-25	
89	जटवाड़ा	3721-34	
90	जखडी	11528-79	
91	गोपालपुरा	3333-23	
92	किशनपुरा	82-99	

1	2	3	4
93	गोरखपुरा	4107-69	
94	भैरूपुरा	1909-85	
95	भवानीपुरा	968-18	
96	चडीला	4179-05	
97	शोभागपुरा	10959-42	
98	खेडली बेरीसाल	4854-78	
99	पाडली	7805-26	
100	देवपुरा	1501-37	
101	बागली	7877-69	
102	गुवाडी	1195-21	
103	उदयपुरिया	1633-98	
104	घरोद	5203-91	
105	बरगुदडी	496-03	
106	रामपुरिया	2767-42	
107	गोठगवई	7707-01	
108	ठीकरदा	5572-81	
109	तलाव	2981-69	
110	भोपालगंज	4394-41	
111	छत्रपुरा	2110-04	
112	फरेदा	7462-51	
113	गोधनपुरा	9175-27	
114	बीराडी	2723-75	
115	बीरपुरया	2057-99	
116	बालूया	38787-66	
117	समानपुरा	7637-93	
118	छापोल	14322-33	
119	आसीदा	396-44	
120	बगावदा	7104-86	
121	केमोदा	2290-71	
122	गुडाना	2916-80	
123	दीलोद	5270-27	
124	नयागांव	4005-09	
125	शिवदानपुरा	4694-92	

1	2	3	4
126	धनवा	5244-01	
127	मलमानपुरा	6059-51	
128	बग्धारी	1470-95	
129	फतेहपुर	2880-27	
130	सब्जीपुरा	1067-88	
131	गणेशखेडा	1531-94	
132	बोरदा	6733-42	
133	हयोली	2831-14	
134	भीमसरा	20297-40	
135	शेरगंज	17981-59	
136	बशलवाली	26700-15	
137	बमूल्याखुर्द	18484-00	
138	अधनायपुरा	21939-33	
139	हवाखेडली	19467-82	
140	वीडीपुरा	9881-00	
141	शेहपुरा	8761-81	
142	उम्मेदपुरा	4743-97	
143	राजपुरा	35259-44	
	कुल योग :-	1164878-82	

029. भू-राजस्व की ग्रामवार रबी बकाया 77-78 की सूची तहसील ना. तह. इन्द्रगढ़ जिला कोटा

क्र. सं 1	नाम ग्राम 2	बकाया रकम 3	क्र. सं. 1	नाम ग्राम 2	बकाया रकम 3
1	इन्द्रगढ़	3145-00	13	नयागांव	8547-21
2	चकाखेडली	505-14	14	नान्ता	654-52
3	बखालापुरा	1681-67	15	मतापुरा	664-52
4	अग्धोरा	3839-83	16	कानपुर	3755-79
5	सोदामपुरा	304-85	17	हरदेवगंज	1824-24
6	खेंडलीमाफी	964-62	18	शोपुरा	4071-04
7	मुंई	9-28	19	खुजारी	2045-25
8	दरामदानी	347-19	20	टोकरनपुरा	2918-89
9	छत्रपुरा	1549-70	21	हीरापुरा	241-01
10	भोकलपुरा	1678-35	22	शिवपुरा	948-35
11	भीड़ा	3455-29	23	बलबन	1740-76
12	दोलतपुरा	416-20	24	रसलपुरा	602-86

1	2	3	1	2	3
25	कंवरपुरा	2484–30	55	चाण्दाखुर्द	8517–36
26	आमलीखेडा	4[illegible]2–21	56	चंदनकला	8810–12
27	धाकडखेड़ी	2637–66	57	खेडलीखुर्द	1853–78
28	बम्बई	11725–23	58	खेडलीकला	1875–23
29	केलीगंज	5270–16	59	किशनगंज	1288–54
30	[illegible]ढ़ा	3772–89	60	किशनपुरा	3839–46
31	शेरगंज	2580-51	61	डोबरली	4676–02
32	रामनगर	2320–40	62	पुरसावपुरा	1410–10
33	चन्द्रगंज	3457–93	63	खिवरी	34860–54
34	कैलाशपुरी	388–07	64	मामगोद	2121–75
35	सुमेरपुरा	1151–76	65	शोरपुरा	2601–36
36	संग्रामगंज	1019–08	66	शेरपुर	21622–32
37	बोहरागंज	1755–05	67	भयपुरी	175907–46
38	जयनगर	1752–22	68	खेंडलीदेवी	43890–84
39	लालपुरा	2[illegible]91–43	69	चकखेंडलीदेवी	1080–24
40	जयनिवास	4819–17	70	टोडी	1086–80
41	शोखपुरा	7007–29	71	चकडो	1193–05
42	मवलपुरा	5243–12	72	गियाना	19259–16
43	ग्ररन्या	3278–46	73	निर्मोला	16009–77
44	ग्रमरपुरा	1734–90	74	कैसपुर	1589–87
45	ग्रभयपुरा	7650–29	75	शेरगढ़	1567–02
46	लक्ष्मीपुरा	1542–33	76	मोठड़ा कला	7036–39
37	केशोपुरा	819–1	77	बरनाहाली	3455–52
48	शोगंज	1368–88	78	ककरावदा	6148–70
49	गेन्दापुरा	1418–37	79	सीनोता	16399–41
50	पापड़ा	10248–32	80	रामगंज	3942–47
51	कैलाशपुरा	3707–41	81	पलायता	15486–77
52	पीचुपुरा	341–12	82	चककाकापता	214–16
53	केमल्या	5752–43	83	रोडगांव	8215–90
54	रामपुरिया	2375–57	84	पाड़ा	316–21

योग:-366617–84

029 भू-राजस्व की ग्रामवार रही बकाया 77-78 की सूची तहसील मांगरोल,

जिला कोटा

क्र. सं	नाम गांव	बकाया राशि
1	2	3
1	मालवमोगी	17356-83
2	सीमाल्या	3794-61
3	बालापुरा	12819-56
4	रावल जावल	4189-57
5	रामपुरा भगवान	13421-97
6	बमोरी कलां	34922-41
7	पाली	305-17
8	धोकलखेड़ी	539-89
9	मऊ	12136-22
10	करान्दिया	2607-72
11	खानपुरिया	4632-64
12	रहनगढ़	7698-76
13	फलौदा तेजाजी	4575-65
14	बलवन खेड़ी	1322-48
15	केकाखेड़ी	804-30
16	बोअया खेड़ी	4237-99
17	शाहपुरा	2410-75
18	चेनपुरिया	1155-09
19	चन्द्राहेड़ी	2766-25
20	वोरदा	10846 52
21	कुश्या	7785-47
22	कुन्डला	5794-30
23	किशनपुरा	15277-53
24	मूंडला	1983-55
25	सबलहेडी	8363-05
26	सहिन्या	----
27	इन्दहेडी	2523-36
28	भटवाडा	15429-41
29	पाडल्या	8001-96
30	महुआ	20517-35
31	रवसपुरा	6194-81
32	हिशोनिया	3850-20
33	श्यामपुरा	5113-49
34	हरलोली	1287-98
35	बलदेवपुरा	2304-20
36	मांगरोल	40045-96
	योग:-	286980-00

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 264 का विवरण)

राजस्थान में वर्ष 1978 में बाढ़ व अतिवृष्टि से हुई जन-धन क्षति का विवरण

क.सं.	नाम जिला	निजी क्षति: जन हानि	निजी क्षति: पशु हानि सं०	निजी क्षति: खरीफ फसल क्षति रु० में (लाखों में)	मकानों की क्षति: संख्या	मकानों की क्षति: हानि रुपयों में (लाखों में)	सिचाई कुओं की क्षति रुपयों में (लाखों में)	सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति: सार्वजनिक निर्माण विभाग की हानि रुपयों में (लाखों में)	सिंचाई विभाग की हानि रुपयों में (लाखों में)	जन स्वास्थ्य विभाग की हानि रुपयों में (लाखों में)	सरकारी इमारतों की हानि	अन्य सार्वजनिक अर्द्ध सरकारी मकानों की हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बीकानेर	2	—	391.10	1644	36.35	—	2.00	—	—	13.25	-
2	अलवर	6	17	282.25	8926	31.10	1.29	35.72	45.00	—	12.00	0.04
3	भरतपुर	13	42	306.69	3488	35.68	—	30.05	66.45	1.36	0.27	--
4	चूरू	18	178	606.46	96058	816.75	—	1117.66	—	—	21.72	—
5	जयपुर	15	220	100.00	6042	40.00	12.50	77.00	42.50	0.40	10.00	--
6	झुंझुनू	19	286	100.00	48810	550.88	13.30	10.30	43.50	1.70	13.15	—
7	सीकर	6	130	—	27438	—	4.00	37.80	94.00	1.39	-	--
8	गंगानगर	19	—	15.00	18530	185.30	—	9.00	8.98	—	8.50	-
9	बांसवाड़ा	6	—	—	—	—	—	--		—	—	—
10	पाली	—	—	—	4	0.19	—	—	—	21.50	—	—
11	झालावाड़	—	—	—	2	0.01	—	-	—	30.05	—	—
12	कोटा	5	—	—	60	अप्राप्त	—	—		51.00	—	—
13	नागौर	—	—	—	2	0.02	—	—	—	—	—	—
		109	903	1801.50	211004	1696.28	31.09	319.53	300.43	107.40	78.89	0.04

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कलकत्ता प्रवास के समय सूखा एवं बाढ़ सहायता कोष के लिये प्राप्त दान राशि का विवरण

क्र० सं० 1	व्यक्ति/संस्था का नाम 2	राशि जो नकद में प्राप्त हुई । 3
1.	गांधी दर्शन समिति	5000.00
2.	दांता नागरिक परिषद	5001.00
3.	श्याम मित्र मण्डल	1046.28
4.	मित्र परिषद महिला मण्डल	5100.00
5.	महावीर प्रसाद विश्वनाथ	2100.00
6.	एस0 सी0 भण्डारी	101.00
7.	श्री रामेश्वर दत्त खेतान खूंड	501.00
8.	ब्राह्मण समाज फतेहपुर	501.00
9.	श्री एम0 के0 राजोरिया	1011.00
10.	श्री बनवारी लाल सर्राफ सूरजगढ़ वाले	1011.00
11.	श्री कमल कुमार जोशी	135.00
12.	सत्र में माला अर्पण (लाटरी टिकिट सहित)	18.00
13.	श्री एस० ए० रसीद	51.00
14.	विविध नाम बाद में	400.00
15.	नीम का थाना नागरिकों की ओर से	7951.00
16.	चार व्यक्तियों ने	4400.00
17.	अन्य	1001.00
		37.58
		35365.86

दान राशि जो चैक्स एवं डी डी के रूप में प्राप्त हुई

1.	एसोसियेटेड ट्रेडर्स कलकत्ता	1101.00
2.	रामचन्द्र पोद्दार स्मारक निधि कलकत्ता	25000.00
3.	मंगल इण्डिस्ट्रीयल कारपोरेशन, कलकत्ता	501.00
4.	हिन्द कोकोनट ऑयल इण्डिस्ट्रीज कलकत्ता	1100.00
5.	बलूरघाट ट्रान्सपोर्ट कम्पनी कलकत्ता	1100.00
6.	मिलाप चन्द हीरालाल कलकत्ता	1100.00
7.	एम० सी० बांठीया, कलकत्ता	1100.00

1	2	3
8.	पांचीराम नाहटा कलकत्ता	2100.00
9.	मोतीलाल बेगानी चेरिटेबल ट्रस्ट कलकत्ता	2100.00
10.	वैद्य चेरिटेबल ट्रस्ट कलकत्ता	1100.00
11.	मित्रा परिषद कलकत्ता	5100.00
	योग	76767.86
12.	श्री श्याम मित्र मण्डल कलकत्ता	11111.00
13	श्री माधोपुर नागरिक परिषद्	2500.00
14.	नागोर नागरिक संघ कलकत्ता	5100.00
15.	श्याम कला भवन, कलकत्ता	11111.00
16.	जोधपुर एसोसियेशन कलकत्ता	5000.00
17	अग्रगामी युवक परिषद् कलकत्ता	5001.0 0
18.	अनिता मेडिशन हाऊस कलकत्ता	1100 00
19.	राजस्थान गेस्ट हाउस कलकत्ता	5000.00
20.	सावत्री देवी शर्मा, कलकत्ता	5000.00
21.	लायन्स क्लब कलकत्ता (भवानीपुर ट्रस्ट)	2001.00
22.	मोलका चेरिटेबल ट्रस्ट, कलकत्ता	51000.00
23.	श्री डीडवाना नागरिक सभा कलकत्ता	2501.00
24.	जालान चेरेटेबल ट्रस्ट कलकत्ता	5100.00
25.	श्री डी० डी० टांटिया कलकत्ता	501 00
26.	श्री लालचन्द रामकिशन, कलकत्ता	5001·00
27.	सालिग राम एण्ड संस कलकत्ता	5100.00
28.	बंगाल कनवास एवं त्रपलिन मर्चेन्ट एसोसिएशन कलकत्ता	7501.00
29.	रतनगढ़ नागरिक परिषद् कलकत्ता	1101.00
30.	जैन युवा संगठन कलकत्ता	2501.00
31.	सांभर क्लब कलकत्ता	1100.00
32.	श्री गणेश कम्पनी, कलकत्ता	11000.00
33.	सीकर परिषद् कलकत्ता	21000.00
	कुल योग	2.42999,86

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 268 का विवरण)

मैसर्स प्रेम इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कोटा को आयातित कच्चे माल के आवंटन सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	परमावश्यक प्रमाण पत्र अवधि	कच्चे माल का प्रकार	परमावश्यकता प्रमाण पत्र की मात्रा (मूल्य)	विशेष विवरण
1.	अप्रेल सितम्बर, 61	ए. सी. एलयूमिनियम वायर रोड	100 टन (2,45000) रु.	आयात लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।
2.	,,	एच. टी. स्टील वायर	70 टन (84,000) रु.	64000)रु. का आयातित लाइसेन्स प्राप्त हुआ।
3.	अप्रेल, अक्टूबर 61 मार्च–62	ई. सी. एल्यूमिनियम वायर रोड	100 टन	आयात लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।
4.	,,	एच. टी. स्टील वायर	100 टन(84,000) रु.	माल प्राप्त नहीं हुआ।
5.	अप्रेल, 62 मार्च–63	ई. सी एल्यूमिनियम वायर रोड	98,000) रु.	आयात लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ।
6.	अप्रेल, 62 सितम्बर, 62	एच. टी. स्टील वायर	14 टन एवं 16800 रु.	,,
7.	लाइसेन्स क्रमांक के. एल. 12/64/डी-1102 /36, दिनांक 30.4.63	एच. टी. गैलवनाईज्ड सीट	60,302) रु.	कच्चा माल प्राप्त नहीं हुआ।

Copy of office order no. 3(24) SSI/61, dated 13/16th December, 1965 issued under the signatures of the Director of Industries & Supplies, Rajasthan, Jaipur to all concerned is appended below.

M|s. Prem Industrial Corporation, Kota running now under the name and style of M|s. Prem Cables (P) Ltd. Pipalia Kalan, District : Pali having brought the imported raw material to the present site of their factory in Pipalia Kala, District Pali from Madras this office order No.D-2819/F- 3(24) SSI/61, dated 16-12-1964 regarding black-listing of M/s. Prem Industrial Corporation Kota is hereby withdrawn with effect from 1-1-1966.

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 272 की तालिका)

राजस्थान में मोम की खपत करने वाली इकाइयों की सूची जिनको वर्तमान में नियमित रूप से मोम का आवंटन किया जाता है ।

क्र.सं.	इकाई का नाम एवं पूरा पता	मोम की मात्रा जो वर्तमान में प्रति तिमाही दी जा रही है (बोरी में) बोरी का वजन 62.5 किलो प्रति बोरी
1	2	3
1	मैसर्स कृष्णा प्रोडक्ट्स, 51, कंवर नगर, जयपुर	13
2	मैसर्स राज केण्डल वर्क्स, प्लोट नं. 51ए, कंवर नगर, जयपुर	5
3	मैसर्स शंकर मोमबत्ती उद्योग, आचार्यों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर	33
4	मैसर्स इण्डियन वैक्स प्रोडक्ट्स, 203, कंवरनगर, राजमल का तालाब, जयपुर	37
5	मैसर्स विमल कोटे इण्डस्ट्रीज, 2509, बोहरा भवन मोतीसिंह भोमियों का रास्ता जयपुर	45
6	मैसर्स राजस्थान इन्डस्ट्री (वैक्स प्रोडक्ट्स) 1422, बाबा, हरीशचन्द्र मार्ग भूरा टीबा, चांदपोल बाजार, जयपुर	14
7	मैसर्स महेश गृह उद्योग संस्थान. मकान नं. 3270, नृसिंह का मन्दिर, कल्याणजी का रास्ता, सेकण्ड क्रोस जयपुर	13
8	मैसर्स गर्ग ट्रेडर्स, 1206, बान्दरी का नासिक, बाबूलाल तमोडी की गली मोती कटला बाजार, जयपुर	15
9	मैसर्स लिबर्टी केण्डल वर्क्स, 3-च-8, हाउसिंग बोर्ड, नाहरी का नाका, जयपुर	5
10	मैसर्स विनीत उद्योग, हवा सड़क, 22 गोदाम, जयपुर	5
11	मैसर्स अग्रवाल केमिकल वर्क्स, प्लोट नं. 15, शिवाजी नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर ।	5
12	मैसर्स कुंज बिहारी सारडा, रेनवाल (जिला जयपुर)	5
13	मैसर्स सोहन एण्ड कम्पनी 100, दीनानाथ का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर	6

1	2	3
14	मैसर्स राजस्थान वैक्स प्रोडक्टस इन्डस्ट्रीज, डी-19, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर	76
15	मैसर्स आदर्श इन्डस्ट्री, 6/321, राजापार्क, जयपुर	5
16	मैसर्स स्टाईलो क्राफट, बी-64, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, जयपुर	38
17	मैसर्स ज्योति उद्योग, मानकचन्द कोठारी का मकान, कुन्दिगर भैरू का रास्ता, कठियारों का कुआं, जोहरी बाजार, जयपुर	52
18	मैसर्स जेरसल ट्रेडर्स, मकान नं. 11 के पीछे, सेथरन बंगलो के सामने, मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर रोड, जयपुर	5
19	मैसर्स महेश मोमबत्ती उद्योग, लक्ष्मी निकेतन, म. नं. 728, किशन पोल बाजार, जयपुर	5
20	मैसर्स आभा लघु उद्योग, प्लोट नं 1 खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	5
21	मैसर्स गीता लघु उद्योग, तोपखानों का रास्ता, जयपुर	5
22	मैसर्स जय उमा शंकर डाईंग एण्ड क्लोथ प्रिंटिंग वर्क्स, दौसा दरवाजा, सांगानेर (जयपुर)	5
23	मैसर्स खण्डेलवाल केमिकल इन्डस्ट्रीज, 1416, रामनाथ पुजारी की गली बाबा हरीशचन्द मार्ग, भूरा टीबा, चांदपोल बाजार, जयपुर	5
24	मैसर्स एम. जी. इन्डस्ट्रीज, 9(ए) (1) औद्योगिक क्षेत्र, बैंक के पास, झोटवाड़ा, जयपुर	63
25	मैसर्स आर्केम लेबोरेट्रीज, एच. 50, जारकोरश्वर मार्ग, एम. एस. सर्किल, बनी पार्क, जयपुर	5
26	मैसर्स राज सीमेंट प्रोडक्टस, 10. टोंक रोड, मानसिंहपुरा, मन्दिर के पीछे, जयपुर	9
27	मैसर्स शिव शक्ति इन्डस्ट्रीज, 595 गोदाका चौक, हल्दियों का रास्ता, जयपुर	5
28	मैसर्स एगसंम केण्डल्स, सी-116, हवामहल बाजार, सिरहड्योडी बाजार, जयपुर	6
29	मैसर्स सोना प्रिंटर्स, गणगौरी बाजार, चौगान, जयपुर	5
30	मैसर्स जयपुर वैक्स प्रोडक्टस, डी-136, कैलाश मार्ग, बनी पार्क जयपुर	5

1	2	3
31	मैसर्स चिमको केमिकल्स, पी-1120, हवा महल बाजार, सिरहड्योड़ी बाजार, जयपुर	5
32	मैसर्स उषा ट्रेडर्स, डी-182, ए मंगल मार्ग, बापूनगर, जयपुर	5
33	मैसर्स शिवकोटेज इन्डस्ट्रीज, ई-27, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर	5
34	मैसर्स कला वैक्स प्रोडक्टस, 807, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर	5
35	मैसर्स ईश्वर मोमबत्ती भण्डार, 4361, नाथूमल की चौक अनाज मंडी जौहरी बाजार, जयपुर	5
36	मैसर्स भगवती उद्योग, 1273, खेजड़ो का रास्ता, बाल मोदो की गली, जयपुर	5
37	मैसर्स अभय एन्टर प्राइजेज, 22 सुदर्शनपुरा .औद्योगिक बस्ती, जयपुर	5
38	मैसर्स मधुबाला केमिकल्स, पुलिस चौकी के पीछे, मंगल मार्ग, ब्रह्मपुरी, जयपुर	5
39	मैसर्स श्री श्याम उद्योग, 17, जयकिशन कालोनी, रामपुरारुपा, जयपुर	5
40	मैसर्स महावीर रबर वर्क्स, 48,इन्डस्ट्रीयल बस्ती,जयपुर	14
41	मैसर्स पी पी. एन्टर प्राइजेज, 279, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं 13, जयपुर	5
42	मैसर्स गोविन्द केण्डल इन्डस्ट्री, 816, रामनगर कालोनी, शास्त्रीनगर, जयपुर	10
43	मैसर्स अग्रवाल परफ्यूमरी वर्क्स,61-ए, गांधीनगर,जयपुर	5
44	मैसर्स गणेश उत्पादन उद्योग, 5258, रंगरों की कोठी, घाटगेट, जयपुर	5
45	मैसर्स लिटवेल प्रोडक्टस, (इण्डिया) ए/4, दीपक मार्ग, गुप्ता भवन, आदर्शनगर, जयपुर	5
46	मैसर्स श्रीराम केण्डल वर्क्स, 3567, घी वालों का रास्ता, जयपुर	5
47	मैसर्स हंसा केमिकल फार्मेसी, नरायना (जयपुर)	5
48	मैसर्स राजस्थान वैक्सेज, इन्डस्ट्रीज, आगरा रोड़, तेल मिल के पास, घाट गेट, जयपुर	285

1	2	3
49	मैसर्स दुर्गा मोमबत्ती उद्योग, भिवानी बिल्डिंग 227, दीनानाथजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर	5
50	मैसर्स प्रेम गृह उद्योग, 4528, टिक्की वालों की गली, अनाज मण्डी, जौहरी बाजार, जयपुर	5
51	मैसर्स डेन्टोकेम लेबोरेट्रीज, कोटा वाला बिल्डिंग त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	5
52	मैसर्स स्नेह उद्योग प्रतिष्ठान, बन्शी भवन, आकड़ों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर	5
53	मैसर्स अशोक साइजिंग फैक्ट्री 24, सुन्दरशनपुरा औ. क्षेत्र, जयपुर दक्षिण, जयपुर	5
54	मैसर्स नामदेव डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, एच-505, गांधीनगर, जयपुर	5
55	मैसर्स वेस्टर्न इन्डस्ट्री, मनीरामजी के रास्ते के पीछे, रामगंज, जयपुर	5
56	मैसर्स प्रताप (इण्डिया) इन्डस्ट्री, जसोदा भवन, घोसियों का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर	5
57	मैसर्स कलात्मक मोमबत्ती उद्योग, मालपानी हाउस, मानसिंहपुरा टोंक रोड, जयपुर	5
58	मैसर्स जैम उद्योग प्रतिष्ठान, द्वारा जैमिनी जनरल स्टोर, राजेन्द्र मार्ग, बापूनगर, जयपुर	5
59	मैसर्स गुप्ता इण्डस्ट्रीज 1207, बान्दरी का नासिक, जयपुर	5
60	मैसर्स राजस्थान केमिकल सप्लायर्स, श्याम भवन, धाभाई का कुआ, रामगंज, बाजार, जयपुर	5
61	मैसर्स विक्ट्री केण्डल्स, ई-16, अम्बाबाड़ी, जयपुर	5
62	मैसर्स महालक्ष्मी केमिकल्स, सी-2, अनिता कालोनी, बजाज नगर, जयपुर	5
63	मैसर्स गुप्ता मोमबत्ती उद्योग, बी-72, जनता मार्केट, जयपुर	5
64	मैसर्स परनामी रबर इन्डस्ट्रीज, 9-ए, आदर्श नगर, जयपुर	5
65	मैसर्स रतन मोमबत्ती वर्क्स, 468, कनक वालों का चौक के पास, नमक की मन्डी, किशनपोल बाजार, जयपुर	5
66	मैसर्स ज्योति मोमबत्ती उद्योग, अम्बाबाड़ी, जयपुर-6	5
67	मैसर्स ओमेगा इलेक्ट्रोनिक्स, 36. हाथीबाबू का बाग, जयपुर	3

1	2	3
68	मैसर्स ईगल केमिकल्स, 38/75, सुदर्शनपुरा औ. क्षेत्र, जयपुर	874
69	मैसर्स मोती केमिकल्स, एस-10, मोती भवन, 'सी' स्कीम, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर	572
	जोधपुर जिला	
70	मैसर्स रेजिन्स एण्ड केमिकल्स, 17, नाइट औ. क्षेत्र, जोधपुर	344
71	मैसर्स जयकिशन माहेश्वरी, नया तालाब रोड़, गोपाल भवन नागौरी गेट, जोधपुर	5
72	मैसर्स बिरला उद्योग, अदा बाजार, भोपाली की गली, जोधपुर	5
73	मैसर्स अम्बिका ट्रेडर्स, पुरा मोहल्ला, जोधपुर	5
74	मैसर्स महेश स्नफ फैक्ट्री. हनुमानजी की गली, खाण्डा फालसा, जोधपुर	42
75	मैसर्स प्रकाश इन्डस्ट्रीज, सरदारपुरा, प्रथम बी रोड, जोधपुर	5
76	मैसर्स नवीन गृह उद्योग बिहाइण्ड गरगिया ब्रादर्स, रातानाडा शिव रोड, जोधपुर	5
77	मैसर्स राजस्थान पेपर प्रोडक्टस, 70 त्रिपोलिया स्ट्रीट, घास मंडी रोड, जोधपुर	5
78	मैसर्स राजस्थान प्रोसेसर्स, 23/3 बृहत इन्ड. एरिया, जोधपुर	5
79	मैसर्स तापड़िया प्रोडक्टस (इण्डिया) खाण्डा फलसा, जोधपुर	5
80	मैसर्स अजय टेक्सटाइल्स, 9 हैवी इन्ड. एरिया, जोधपुर	16 (एडहोक)
	अलवर जिला	
81	मैसर्स उषा केण्डल्स, 38, हिन्दुपारा, अलवर	5
82	मैसर्स हिन्दुस्तान प्रोडक्टस, कल्लूपारा, अलवर	5
83	मैसर्स व्यास सिलिंग वैक्स एण्ड केण्डल्स, इन्द्रा कालोनी, अलवर	5
84	मैसर्स मिलन ट्रेडर्स, आउटसाइड देहली गेट, अलवर	5
85	मैसर्स सुभाष केण्डल वर्क्स, नियर अशोक सर्किल, नागनी का चौराहा, अलवर	5
86	मैसर्स स्वस्तिक केमिकल्स इन्डस्ट्रीज, भारत भवन, बिहाइण्ड टाउन हाल, अलवर	5
87	मैसर्स गुप्ता केमिकल वर्क्स, हिन्दुपारा, शाहजी मण्डी, अलवर	5
88	मैसर्स प्रिन्स केलेण्डर कारपोरेशन, 30 होप सरकस, अलवर	5
89	मैसर्स तनसुखलाल कन्हैयालाल जैन, पंसारी बाजार अलवर	5

1	2	3
90	मैसर्स महावीर मोमबत्ती वर्क्स, किशनगढ़ गंज (अलवर)	5
91	मैसर्स कैलाश मोमबत्ती उद्योग, नियर पुलिस चोकी, लेडलगंज, अलवर	5
92	मैसर्स जे.के.एस. इन्डस्ट्रीज, 4- विकास पथ, परशराम भवन, अलवर	5
93	मैसर्स गिरराजप्रसाद वेदप्रकाश खण्डेलवाल, मालन की गली, अलवर	5
94	मैसर्स राज सोप फैक्ट्री, खैरथल मण्डी, अलवर	5
	भीलवाड़ा जिला	
95	मैसर्स ईनानी गृह उद्योग, मानकनगर, भीलवाड़ा	6
96	मैसर्स मदनलाल परसराम पुलिया, आदर्श मोहल्ला, भोपालगंज, भीलवाड़ा	39
97	मैसर्स दारूका इन्डस्ट्रीज, रामगंज, राजेन्द्र मार्ग, भीलवाड़ा	5
98	मैसर्स लक्ष्मी केण्डल मैन्यू. कम्पनी, भोपालगंज, भीलवाड़ा	15
99	मैसर्स महावीर वैक्स प्रोडक्टस, आदर्श मोहल्ला, नियर छीपा बिल्डिंग, भीलवाड़ा	5
100	मैसर्स तोषनीवाल लघु उद्योग, 2/135, मानक्य नगर, भीलवाडा	5
101	मैसर्स विजयकुमार जयप्रकाश नारायण, भोपालगंज, भीलवाड़ा	5
102	मैसर्स गोखरु केमिकल्स, भोपालगंज, भीलवाड़ा	5
103	मैसर्स श्रीनाथ सोप एण्ड केण्डल वर्क्स, सीतला माता मन्दिर वार्ड नं. 5, भीलवाडा	5
104	मैसर्स कृष्णा केण्डल वर्क्स, वार्ड नं0 14, हाउस नं. 3, भोपालगंज, भीलवाडा	5
105	मैसर्स सुशील कुटीर उद्योग, श्रीराम रथशाला के पास, रायजी मोदी की गली, भीलवाडा	5
106	मैसर्स ईगल त्रिपाल उद्योग, केडिया भवन, गांधीनगर, भीलवाड़ा	5
107	मैसर्स इन्डस्ट्रीयल सप्लाई कारपोरेशन, मार्केट नं. 3, भीलवाड़ा	5

1	2	3
	अजमेर जिला	
108	मैसर्स महावरी केण्डल वर्क्स, 19/240, रमायता गली, नाला बाजार, अजमेर	16
109	मैसर्स मोहिनी केण्डल एण्ड दीपक मेकर्स, 19/43, उत्तर घसीटी, अजमेर	5
110	मैसर्स जयरामदास हसमतराय, मकान नं. 69/17, मुन्दडी मोहल्ला, अजमेर	5
111	मैसर्स शंकर अगरबत्ती वर्क्स, 242/16, रिषी दयानन्द मोहल्ला, खारी कुई, अजमेर	5
112	मैसर्स सरस्वती केण्डल वर्क्स, 12/250, राजेन्द्र पुरा, हाथी भाटा, अजमेर	5
113	मैसर्स अजय इन्डस्ट्रीज, घासकटला, नयाबाजार,अजमेर	5
114	मैसर्स शिवाजी अगरबत्ती एण्ड केण्डल वर्क्स, मोतीकटला, अजमेर	13
115	मैसर्स किशोर कुमार दोषी, पानी बाजार, ब्यावर	5
116	मैसर्स पुष्पा केमिकल्स, नियर फोर्ट पिसांगन	5
117	मैसर्स गुरुनानक आयल एण्ड केण्डल वर्क्स, खजूर का बोरा, डिग्गी रोड, ब्यावर	15
118	मैसर्स मूनलाइट केण्डल्स, 1254/32, दादाभाई क्वाटर्स, नियर अजन्ता टाकीज, अजमेर	5
119	मैसर्स लक्ष्मी गृह उद्योग, 5/286, सिलावट मोहल्ला, लाखन कोटरी, अजमेर	5
		5
120	मैसर्स मलहोत्रा इन्डस्ट्री, 18/34, विजयनगर, अजमेर	5
121	मैसर्स शर्मा वर्क्स, उद्योग सिलावट मोहल्ला, लाखन कोटरी, अजमेर	5
122	मैसर्स मूनलाईट केण्डलस, 377/7, मोती कटला, अजमेर	5
123	मैसर्स श्री अजय पाल केमिकल्स इन्डस्ट्रीज, 13/37, घास कटला नया बाजार, अजमेर	5
124	मैसर्स देवी केण्डल वर्क्स, न्यु सिटी, किशनगढ़	5
125	मैसर्स बाबा मोमबत्ती वर्क्स, डिग्गी मोहला, ब्यावर	5
126	मैसर्स गुप्ता वैक्स वर्क्स, 710 डी/21, रामगंज, अजमेर	5
127	मैसर्स सूर्य अगरबत्ती, मोमबत्ती, 705/16, कवन्दसुपारा	5

1	3	3
128	मैसर्स श्रीनाथ मोमबत्ती उद्योग, मेहता भवन, मेहता का मोहल्ला, किशनगढ़	5
129	मैसर्स कल्पना पेपर प्रोडक्ट्स, ब्रह्मानन्द मार्ग, ब्यावर	5
130	मैसर्स कमल पेपर कनवर्टर्स, 3 लाल बहादुर शास्त्री, श्री. वस्ती, ब्यावर	5
131	मैसर्स भाटिया इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, घोलाभाटा, अजमेर	5
132	मैसर्स सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, लोढ़िया बाजार, ब्यावर (अजमेर)	2
133	मैसर्स रायल केण्डल्स एण्ड अगरबत्ती वर्क्स, ढाई दिन का झोपड़ा इन्द्रकोट, अजमेर	5
134	मैसर्स कमल वैक्सींग वर्क्स, 565/9, राजेन्द्रपुरा, हाथीभाटा, अजमेर	5
	बीकानेर जिला	
135	मैसर्स राजेन्द्र केण्डल वर्क्स, स्टेशन रोड, बीकानेर	5
136	मैसर्स राजस्थान केण्डल वर्क्स बागीबास, रानीबाजार, बीकानेर	66
137	मैसर्स बंशीवाला कोटेज इम्पोरियम, रेल्वे क्रोसिंग, चानकुटि का बास, बीकानेर	5
138	मैसर्स राष्ट्रीय उद्योग भवन, आचार्यों का चौक, बीकानेर	5
139	मैसर्स सुषमा मोमबत्ती उद्योग, न्यू पुगल हाउस के पीछे, पुरानी घिनाई,	5
140	मैसर्स जय श्री महाप्रेस सुनारों की गुवाड़ी, बीकानेर	2
141	मैसर्स गिरधरलाल गोपालवास, तेलीवाड़ा, बीकानेर	5
	जिला उदयपुर	
142	मैसर्स शंकर इन्डस्ट्रीज एण्ड केण्डल वर्क्स, 12, ज, शक्ति नगर, उदयपुर	5
143	मैसर्स ऍकी फेंकी एण्ड कम्पनी, 2, अम्भवगढ़ रोड, उदयपुर	10
144	मैसर्स पण्डिल केमिकल्स वर्क्स, 2. अम्भवगढ़ रोड, उदयपुर	5
145	मैसर्स मन्सूरी इन्डस्ट्रीज, इनसाइड देहली गेट, उदयपुर	2
146	मैसर्स नोरटन केमिकल इन्डस्ट्रीज, 2 ख 9, मछलामगरा उदयपुर	5
147	मैसर्स मधु मेन्यूफेक्चरर्स, कुम्भटपुरा, सूरजपोल, उदयपुर	5
148	मैसर्स सिराज केमिकल इन्डस्ट्रीज, कांकरोली (उदयपुर)	5

1	2	3
149	मैसर्स केसरीमल महावीर प्रसाद जैन, 76, चितोडा का टिब भीछूघाटी, उदयपुर	2
	सवाई माधोपुर जिला	
150	मैसर्स राजस्थान केण्डल्स एण्ड तारपोलित वर्क्स, पण्डा बिल्डिग, स्टेशन रोड, गंगापुर सिटी (स. माधोपुर)	5
151	मैसर्स जय भारत सोप एण्ड केमिकल वर्क्स, रेगर मोहल्ला रेल्वे स्टेशन के पीछे, गंगापुर सिटी (स. माधोपुर)	5
152	मैसर्स श्रीगोपाल सोप एण्ड केमिकल्स, स्माल इन्डस्ट्रीज, मिडिल स्कूल नं. 1 के पास, गंगापुर सिटी	5
153.	मैसर्स राजू एण्ड ब्रादर्स, पाठक पारा, हिण्डोनसिटी	5
154.	मैसर्स आदर्श गृह उद्योग, कश्यबपुरा, हिण्डोनसिटी	6
155.	मैसर्स जसवाल गृह उद्योग, कश्यबपुरा, हिण्डोनसिटी	5
156.	मैसर्स-नवीन गृह उद्योग, नियर हिरनाकुस कुआं हिण्डोनसिटी	5
	सीकर जिला	
157	मैसर्स बनवारी लाल सन्तोषकुमार, छ्योरा भवन, फतेहपुर शेखावाटी	5
158.	मैसर्स देवड़ा डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स फतेहपुर शेखावाटी	5
159.	मैसर्स शिव मोमबत्ती उद्योग, खण्डेला सीकर	5
160.	मैसर्स स्वास्तिक इन्डस्ट्रिज वर्क्स, बजाज रोड सीकर	5
161	मैसर्स शर्मा मोमबत्ती गृह उद्योग, पी. ओ. कुली, सीकर	5
162	मैसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, तबेला रोड, सीकर	5
163	मैसर्स विनोद परफ्यूमरी एण्ड केमिकल वर्क्स, रींगस सीकर	5
164	मैसर्स तंवर मोम इण्डस्ट्री, काला दरवाजा, खण्डेला, सीकर	5
165	मैसर्स शिव परफ्यूमरी वर्क्स, मोमबत्ती निर्माता, तबेला रोड, सीकर	5
	कोटा जिला	
166	मैसर्स शंकर इण्डस्ट्रीज, नियर गुजरात फूड इण्ड. सूरपोल के अन्दर, कोटा	44
167	मैसर्स प्रकाश ब्रादर्स, बापू बाजार, पुरानी धान मंडी, कोटा	97
168	मैसर्स चेतन एण्ड मुकेश एण्टरप्राइजेज, पो ओ. बिल्डिंग, छबड़ा, कोटा	5
169	मैसर्स श्रीराम मोमबत्ती वर्क्स, नियर न्यू ट्रांसफोरमर, इन्द्रागांधी नगर, कोटा	5

1	2	4
170	मैसर्स डिक्की एन्टरप्राईजेज, गौरी निवास, गुमानपुरा, कोटा	5
171	मैसर्स मिल्की वेकड इण्डस्ट्रीज, एफ 156 इन्द्र प्रस्थ एरिया, कोटा	5
172	मैसर्स साजनदास गुरुबक्सानी द्वारा श्री केशरचन्द मूलचन्द जैन पोस्ट बारां कोटा	1
	श्रीगंगानगर जिला	
173	मैसर्स गणेश मैन्यू. कम्पनी, 386 सी, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, गंगानगर	16
174	मैसर्स गोल्डन गणेश मैन्यू० कम्पनी, 33 जवाहर मार्केट, गंगानगर	5
175	मैसर्स जैन केमिकल वर्क्स रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)	9
176	मैसर्स सुभाष केमिकल वर्क्स, वार्ड नं. 12, हनुमानगढ़	6
177	मैसर्स जैन रबर एण्ड प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज 7-8, इण्डस्ट्रियल एस्टेट गंगानगर	5
178	मैसर्स आनन्द थ्रेडबाल फैक्ट्री 109, जी ब्लोक, श्रीगंगानगर	5
179	मैसर्स बालाजी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 56, III ब्लोक वार्ड नं. 23 पुरानी आबादी, गंगानगर	5
180	मैसर्स सेठी धूप फैक्ट्री 64, एन ब्लोक, गोशाला रोड गंगानगर	5
181	मैसर्स जगदीश केण्डल वर्क्स, वार्ड नं. 1 हनुमानगढ़ टाऊन	5
	भरतपुर जिला	
182	मैसर्स गोयल उद्योग, जामा मस्जिद के पीछे, भरतपुर	13
183	मैसर्स प्रकाश केण्डल इन्डस्ट्रीज, ओल्ड सिटी धोलपुर	57
184	मैसर्स गीता गृह उद्योग रूदावल (भरतपुर)	5
185	मैसर्स कनक सोप फैक्ट्री, गुड़ की मंडी भरतपुर	12
186	मैसर्स श्री मोमबत्ती उद्योग, मोहल्ला, अंगदपरिया, पुराने लक्ष्मी मन्दिर के पीछे, भरतपुर	12
187	मैसर्स नीलम केमिकल, लक्ष्मन मन्दिर बाजार, भरतपुर	5
188	मैसर्स सरस्वती फैक्ट्री फायर वर्क्स, बीनारायन गेट, भरतपुर	12
189	मैसर्स राजस्थान केन्डल इन्डस्ट्रीज, खिरकी, पुराना शहर, धौलपुर	5
	बून्दी जिला	
190	मैसर्स भारत केण्डल वर्क्स तिवाड़ी पाडा, बून्दी	5
	बाड़मेर जिला	
191	मैसर्स एम. एम. लालवानी, सुनारों का बास, बाड़मेर	5

1	2	3
192	मैसर्स जनता उद्योग वर्क्स, स्टेशन रोड, बाड़मेर	5
193	मैसर्स दिनेश अगरबत्ती वर्क्स लक्ष्मी बाजार, बाड़मेर	5
194	मैसर्स लक्ष्मी मद्रा सुगन्धित अगरबत्ती वर्क्स, सदर बाजार, बाड़मेर	5
195	मैसर्स लालचन्द लछमनदास, लक्ष्मी बाजार, बाड़मेर	5
	जालौर जिला	
196	मैसर्स कृष्णा इन्डस्ट्रीज, लखेरों का बास, आहोर (जालौर)	5
197	मैसर्स सरस्वती केण्डल वर्क्स, रेल्वे स्टेशन जालौर	5
	झुन्झुनूं जिला	
198	मैसर्स पटोदिया मोमबत्ती वर्क्स, दण्ड गेट, झुन्झुनूं	5
199	मैसर्स महेश इण्डस्ट्रीज, उदयपुर शेखावाटी	5
	चूरू जिला	
200	मैसर्स जैन केण्डल वर्क्स, सादुलपुर (चुरू)	10
201	मैसर्स पी0पी0 केण्डल वर्क्स, गांधी चौक, सुजानगढ़	5
202	मैसर्स सारडा इण्डस्ट्रीज, हनुमान धोरा, सुजानगढ़	5
203	मैसर्स गुप्ता प्रोडक्टस, नियर क्लोक टावर, चूरू	10
204	मैसर्स महेन्द्र केण्डल वर्क्स, सैनालीबाड़ी, चूरू	3
	नागौर जिला	
205	मैसर्स शंकर वैक्स प्रोडक्ट्स, सुराना बिल्डिंग नकाश रोड नागौर	3
	चित्तौड़गढ़ जिला	
206	मैसर्स चमक इण्डस्ट्रीज, सदर बाजार, कपासन	5
207	मैसर्स पी. के. केमिकल्स, मुरलीधर केहरी का मकान, चित्तौड़गढ़	5
	बांसवाड़ा जिला	
208	मैसर्स लक्ष्मी केण्डल वर्क्स, सिंधी कालोनी, बांसवाड़ा	5
	सिरोही जिला	
209	मैसर्स नरेन्द्र कैण्डल वर्क्स सदर बाजार, आबू रोड	5
	डूंगरपुर जिला	
210	मैसर्स शिव केण्डल वर्क्स, शास्त्री मार्ग, डूंगरपुर	5
	योग	3876

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची)

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 20 के अंतर्गत छूट दी गई व्यक्तियों की सूची :—

क्र.सं. 1	नाम 2	क्षेत्रफल 3	स्थान 4	उद्देश्य 5
1	श्री ओंकारनाथ भार्गव	23 बीघा 15 बिस्वा	अजमेर	अजमेर के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु
2	श्री सरदारसिंह कोठारी	1 बीघा 3 बिस्वा	,,	,,
3	श्री मंगला	2 बीघा 12 बिस्वा	,,	,,
4	श्री कन्हैयालाल तिवाड़ी	17 बीघा के करीब	,,	,,
5	श्री हरदेवसिंह	3 बीघा 1 बिस्वा	,,	,,
6	श्री मूलाराम व देवा	19 बिस्वा	,,	,,
7	श्री मोहनलाल	41/2 बीघा के करीब	,,	,,
8	श्री अमरचन्द शारदा परमार्थ ट्रस्ट	7600 वर्ग गज	,,	,,
9	श्री केशरीमल मांडावत	1 बीघा 16 बिस्वा	,,	,,
10	श्री मूला व देवा पिसरान जोरा मंगला पुत्र मूला, गोविन्दा, पूसा, छोटेलाल, मांगीलाल पिसरान छोटा बिरमा वल्द छीतर, मिश्रीलाल नाबालिग पुत्र जीवन, कौम गूजर, हरि पुत्र काना और हरिराम पुत्र काना	4 बीघा 14 बिस्वा	,,	,,
11	लिखमा पुत्र गोरधन, लालाराम बुद्धमन्न किशना	14 बीघा 6 बिस्वा	,,	,,
12	श्री पोखर व लक्ष्मी नारायण पिसरान किशनलाल दुल्ला वल्द टोड्ड	5 बीघा के करीब	,,	,
13	श्री नानू सिंह व पन्नालाल पिसरान नारायण	6 बीघा 5 बिस्वा	,	,,
14	श्री विद्यावती देवी पुत्री सूरजमल और श्रीमती टोगाबाई धर्म पत्नी उरजा	2 बीघा 8 बिस्वा	,,	,,
15	श्री फतेहचन्द शर्मा	2 बीघा 6 बिस्वा	,,	,,
16	महाराज सवाई जयसिंह बेनेवोलेंट ट्रस्ट, जयपुर	53,426 वर्ग गज	जयपुर	मंदिर व उद्यान बनाने हेतु लोकहित में।

1	2	3	4	5
17	श्री एम. नरेन्द्रसिंह	4,320 वर्ग मीटर	बीकानेर	लोकहित में।
18	श्री लक्ष्मण प्रसाद, रतनलाल, नानकचन्द्र, अजमेर	3,935 वर्ग मीटर	अजमेर	बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु
19	श्री हुक्मसिंह	17,370 वर्ग गज	जोधपुर	राज्य के साथ संग्रह करने के हित में तथा लोकहित में।
20	श्री शांतिलाल	1,580 वर्ग मीटर	जयपुर	लोकहित में एवं पार्टी के अनुचित कष्ट
21	श्री बलभद्रसिंह	58687 वर्ग मीटर	जयपुर	,,
22	,, ,,	1,573 वर्ग मीटर	जयपुर	अनुचित कष्ट
23	डॉ ओ. पी. कुलश्रेष्ठ	891.87 वर्ग मीटर 635.46 वर्ग मीटर	जयपुर	,,
24	प्रेम निकेतन आश्रम	23 बीघा 1 बिस्वा	जयपुर	लोकहित, उद्यान, अस्पताल आदि बनाने हेतु
25	बी. एस. अग्रवाल	92.62 वर्ग मीटर	जयपुर	,,
26	गोविन्द प्रसाद महर्षि	167 वर्ग मीटर	जयपुर	,,
27	श्रीमती फनेन्द्रराज लक्ष्मी व माजी कौशल कुमारी	3838 वर्ग गज	जयपुर	होटल निर्माण हेतु
28	कैप्टन फैज मोहम्मद वक्फ कमेटी, जयपुर	4900 वर्ग गज	जयपुर	,,
29	श्रीमती कमला कुमारी	6730 वर्ग गज	जयपुर	लोकहित में उप-विभाजन हेतु
30	श्रीमती सुनीति राठोड़	7863 वर्ग गज	जयपुर	,,
31	श्री गौरी डी सिल्वा व अन्य	3268.84 वर्ग मी.	जयपुर	सिनेमा निर्माण हेतु
32	मैसर्स यूनाइटेड मोटर्स	3096 वर्ग गज	जयपुर	होटल निर्माण हेतु
33	दलपतसिंह	2184 वर्ग मीटर	जयपुर	लोकहित में
34	श्री एन. पी. उदावत	8 वर्ग मीटर	जयपुर	,,
35	मदनमोहन वर्मा	13 वर्ग मीटर	जयपुर	,,
36	श्री चिरंजीलाल अग्रवाल	11 बीघा 5 बिस्वा	जयपुर	शिक्षा विकास ट्रस्ट हेतु

इसके अतिरिक्त 1436 औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है।

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची)

दिनांक 1-3-67 से 31-7-78 तक के भूमि विक्रय की पत्रावलियां जो स्वीकृतियां हेतु प्राप्त हुई

क्र0 सं0	नाम पंचायत	पत्रावली प्राप्ति का दिनांक	स्वीकृति का दिनांक	भूमि का क्षेत्रफल	विक्रय राशि	प्रतिवर्ग/फुट की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रानी स्टेशन	22-6-69	19-11-73	294 फुट 711 इ0	1301)	3-98 पैसे
2	तखतगढ़	6-6-69	24-7-71	165व.फि.	1651)	1-03 ,,
3	,,	,,	,,	1650 ,,	1251)	0-71 ,,
4	,,	,,	,,	–	1961)	– ,,
5	,,	,,	,,	1650 ,,	2051)	1-24 ,,
6	,,	,,	,,	–	2051)	– ,,
7	,,	,,	,,	1650 ,,	2301)	1-39 ,,
8	,,	,,	,,	1650	1051)	0-63 ,,
9	,,	,,	,,	1650	3101)	1-87 ,,
10	,,	,,	,,	1650	2201)	1-33 ,,
11	,,	,,	,,	1650	1951)	1-18 ,,
12	,,	,,	,,	1650	1001)	0-60 ,,
13	,,	,,	,,	1650	1101)	0-66 ,,
14	,,	23-9-71	23-1-74	2400	3700)	1-54 ,,
15	,,	,,	,,	2108	4351)	2-06 ,,
16	,,	25-5-72	–	1250	1225)	0-09 ,,
17	,,	31-7-72	23-1-74	2400	3825)	1-59 ,,
18	,,	,,	,,	2400	2701)	1-12 ,,
19	,,	,,	,,	2800	2901)	1-20 ,,
20	,,	,,	,,	5400	4125)	0-76 ,,
21	,,	,,	,,	5400	3001)	0-55 ,,
22	,,	,,	,,	5400	2651)	0-49 ,,
23	,,	,,	,,	5400	2151)	0-39

Page No.255

1	2	3	4	5	6	7
24	तखतगढ़	31-7-72	23-1-74	5400	2651)	0-49
25	,,	,,	,,	5400	2401)	0-44
26	,,	,,	,,	5400	2025)	0-37
27	,,	,,	,,	5400	2101)	0-38
28	,,	,,	,,	5400	2525)	0-46
29	,,	,,	,,	—	2101)	–
30	,,	,,	,,	5400	3025)	0-56
31	,,	,,	23-1-74	5400 व.फी.	4025)	0-74
32	,,	,,	,,	5400 ,,	2925)	0-54
33	,,	23-10-72	,,	5400 ,,	3551)	0-65
34	,,	,,	7-9-73	15000 ,,	3750)	0-25
35	,,	10-12-73	21-1-74	2400 ,,	1851)	0-77
36	,,	,,	,,	2400 ,,	1051)	0-43
37	,,	,,	23-1-74	322 ,,	1051)	3-26
38	,,	,,	,,	322 ,,	1051)	3-26
39	,,	,,	,,	322 ,,	1075)	3-33
40	,,	,,	,,	322 ,,	1025)	3-18
41	,,	23-1-74	23-1-74	7020 ,,	3100)	0-44
42	,,	,,	,,	6720 ,,	2350)	0-34
43	,,	,,	,,	2250 ,,	3801)	1-68
44	,,	,,	,,	2250 ,,	4101)	1-82
45	,,	,,	,,	2250 ,,	4101)	1-82
46	,,	,,	,,	2220 ,,	4801)	2-16
47	,,	,,	,,	2220 ,,	3801)	1-71
48	,,	,,	,,	2220 ,,	3801)	1-71
49	,,	,,	,,	1230 ,,	2501)	2-03
50	,,	3-11-74	,,	54000 ,,	2601)	0-48
51	,,	,,	,,	5400 ,,	3501)	0-64
52	,,	,,	,,	5400 ,,	2178)	0-39
53	,,	,,	,,	5400 ,,	2001)	0-37
54	,,	,,	,,	5400 ,,	2301)	0-42
55	,,	23-1-74	,,	8023|3:4	3301)	0-41
56	,,	,,	,,	7200 ,,	3351)	0-46

1	2	3	4	5	6	7
57	तखतगढ़	23-1-74	23-1-74	7200	3151)	0-43
58	,,	,,	,,	7200	3001)	0-41
59	,,	22-6-76	17-5-76	5400	1801)	0-33
60	,,	,,	,,	5400	1525)	0-28
61	,,	,,	,,	5400	2575)	0-29
62	,,	,,	,,	5400	1551)	0-28
63	,,	,,	,,	5400	1601)	0-29
64	,,	,,	,,	5400	1301)	0-24
65	,,	,,	,,	5400	1201)	0-22
66	,,	,,	,,	5400	1825)	0-33
67	,,	,,	,,	5400	1501)	0-27
68	,,	,,	,,	5400	1901)	0-35
69	,,	22-2-76	,,	5400	1551)	0-28
70	,,	,,	,,	5400	1525)	0-28
71	,,	,,	,,	5400	1751)	0-32
72	,,	,,	,,	5400	1451)	0-26
73	,,	,,	,,	5400	1725)	0-31
74	,,	,,	,,	5400	1401)	0-25
75	,,	,,	,,	5400	1525)	0-28
76	,,	,,	,,	5401	1401)	0-25
77	,,	,,	,,	5400	1151)	0-21
78	,,	,,	,,	5400	1425)	0-26
79	खुडाला	25-2-71	21-4-71	1200	1001)	7-00
80	,,	,,	,,	1500	1151)	6-50
81	बूसी	26-5-69	13-10-72	3255	3625)	1-07
82	,,	,,	,,	3145	3605)	1-07
83	,,	,,	,,	1620	2111)	1-03
84	लापोद	10-4-71	21-3-72	5000	1211)	0-75
85	निपल	29-1-71	—	1250	2510)	2-00
86	बिजोवा	25-10-71	21-6-73	1020	4151)	4-35
87	देसूरी	15-3-72	21-3-73	625 व० ग०	3601)	5-76
88	,,	9-5-72	22-1-74	450	2052)	4-56
89	,,	,,	,,	450	2001)	4-44

1	2	3	4	5	6	7
90	रानीकलां	16-2-72	16-2-72	2767 व० फी०	1027)	1-48
91	चण्डावल	19-5-72	19-5-72	—	1425)	—
92	जोजावर	2-11-72	30-12-72	35 व० ग०	1501)	42-85
93	खोमेल	22-1-74	22- 1-74	4200 व०फी०	2011)	0-80
94	अटवडा	6-6-72	,,	270 व०ग०	3970)	14-70
95	रानी खुर्द	वर्ष 67-68	—	120	1352)	90-00
96	,,	,,	—	120	1101)	82-00
97	चोचोडो	21-1-74	22-7-74	180:4	3025)	17-00
98	देवली कलां	6-3-73	19-9-73	520	1141)	2-19
99	,,	,,	,,	351	1005)	2-83
100	जैतारण	2-4-73	—	50	2551)	50-00
101	देसूरी	27-4-73	12-5-73	600	1731)	2-81
102	,,	,	,,	450	1001)	2-23
103	खेरवा	5-6-73	19-11-73	189	1053)	5-57
104	डायला नाकला	6- 4-73	21-6-73	453 III व.ग.	1161-00	2-50
105	,,	,,	,,	450 ,,	1091-00	2-25
106	,,	,,	,,	240 ,,	3511-00	14-50
107	,	,	,,	240 ,,	5375-00	26-50
108	लुनावा	8- 6-73	22-1-74	700 ,,	2601-00	3-71फी.
109	,,	16- 6-73	21-1-74	1800 फी	1001-00	00-55
110	,,	27-10-75	21-9-76	1800 ,,	1661-00	00-92
111	,,	,,	,,	2100 ,,	1165-00	00-55
112	,,	,	,,	2100 ,,	1101-00	00-52
113	,,	,,	,	2100 ,,	1225-00	00-53
114	,,	,,	,,	2100 ,,	1351-00	00-64
115	,,	,,	,,	2100 ,,	1011-00	00-52

1	2	3	4	5		6	7
116	लुनावा	27-10-75	21-9-76	2100	फी	1361-00	00-64
117	,,	,,	,,	2100	,,	1101-00	00-52
118	पीपलिया-कला	16- 9-73	5-12-73	1650	,,	1756-00	1-06
119	,,	,,	,,	1650	,,	1811-00	1-09
120	,,	,,	,,	1500	,,	1531-00	1-02
121	,,	,,	,,	1500	,,	1417-00	00-94
122	,,	,,	,,	1500	,,	1416-00	00-94
123	,,	,,	,,	1500	,,	1036-00	00-69
124	,,	,,	,,	1500	,,	1521-00	1-01
125	,,	,,	,,	1500	,,	1511-00	1-00
126	,,	,,	,,	1500	,,	1801-00	1-20
127	,,	,,	,,	1500	,,	1701-00	1-13
128	,,	,,	,,	1500	,,	1551-00	1-03
129	,,	,,	,,	1500	,,	1951-00	1-30
130	,,	,,	,,	1500	,,	1875-00	1 5
131	,,	,,	,,	1500	,,	1711 00	1-14
132	,,	,,	,,	1500	,,	1531-00	1-02
133	,,	,,	,,	1500	,,	1765-00	1-17
134	,,	,,	,,	1500	,,	1821-00	1-21
135	बर	15-11-77		264	,,	1001-00	3-80
136	,,	,,	अस्वीकृती	264	,,	1021-00	3-87
137	अटवड़ा	18-11-76	30- 8-78	185	व.ग.	3075-00	16-62

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची)

सूची

क्र.सं.	नाम प्रतिक्रमी	खसरा नम्बर व रकबा बीघों में		कार्यवाही का विवरण
1	2	3		4
1	श्री घासीराम पुत्र श्रीराम लोहार सा. इन्दोखली, श्री परशाराम पुत्र भीरिया लोहार सा. इन्दोखली	47	8)	तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 14-8-78 को बेदखल किया जाकर दिनांक 18-8-78 को उनके द्वारा फसल नष्ट करवाई
2	श्री गंगाराम पुत्र ऊंकार बावरी सा. इन्दोखली	47	31)	तहसीलदार द्वारा दिनांक 14-8-78 को बेदखल किया जाकर दिनांक 18-8-78 को उनके द्वारा फसल नष्ट करवाई गई
3	श्री भागीरथ पुत्र शिवलाल श्रीघन्ना पुत्र भागीरथ बावरियान सा. इन्दोखली	47	15)	उपरोक्तानुसार
4	श्री विजयप्रकाश पुत्र देवकरण चारण साकिन इन्दोखली	47	45)	तहसीलदार ने बेदखल किया गैर सायल ने अपील कोर्ट से स्थगन हासिल किया बाद में अपीलान्ट कोर्ट द्वारा मिसल रिमांड की गई उस दरमियान ग्रामवासियों ने फसल नष्ट करादी है।
5	श्रीजीवण पुत्र शिवलाल बावरी सा. इन्दोरखली	47	5)	कार्यवाही तहसील में जेरकार है तथा फसल कुर्क कर निलामी हेतु निरीक्षक भू-अभिलेख हल्का को लिखा गया है।
6	श्री घन्ना पुत्र भागीरथ बावरी सा. इन्दोखली	44	7)	तहसीलदार द्वारा बेदखल किया व फसल नष्ट करवाई गई।
7	श्रीरणजीतसिंह पुत्र श्रीदान चारण साकिन इन्दोखली	44	2)	तहसीलदार द्वारा फसल कुर्क कर निलाम की गई।
8	श्रीमती सुगन कंवर बेवा मोहनसिंह चारण सा. इन्दोखली	44	7)	तहसीलदार द्वारा फसल कुर्क कर निलामी हेतु आर. आई. हल्का को लिखा गया।

1	2	3	4
9	श्री रामसिह पुत्र बालुसिह चारण सा. डिडिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर	44 34)	मौके की फसल ग्रामवासियों ने नष्ट करादा तथा अतिक्रमी दूसरे जिले का होने से नोटिस तामील नहीं हो रहा है। कार्यवाही जेरकार है।

नक्शा मौका अपराध संख्या 68 दिनांक 23-9-78 अ. धा. 147, 447, 427 आइ.पी.सी., पी.एस. मूण्डवा

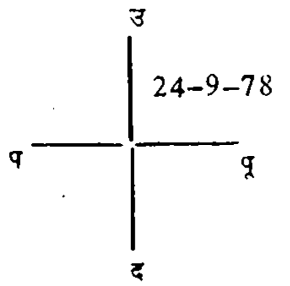

रूबरू मोतबिरान

(1) श्री लादूराम पुत्र गणेशदान कोम चारण सा. चावलवा जिला जोधपुर

(2) श्री सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल कोम सा॰ साकिन मूण्डवा

रण को	सी	खजवाना को

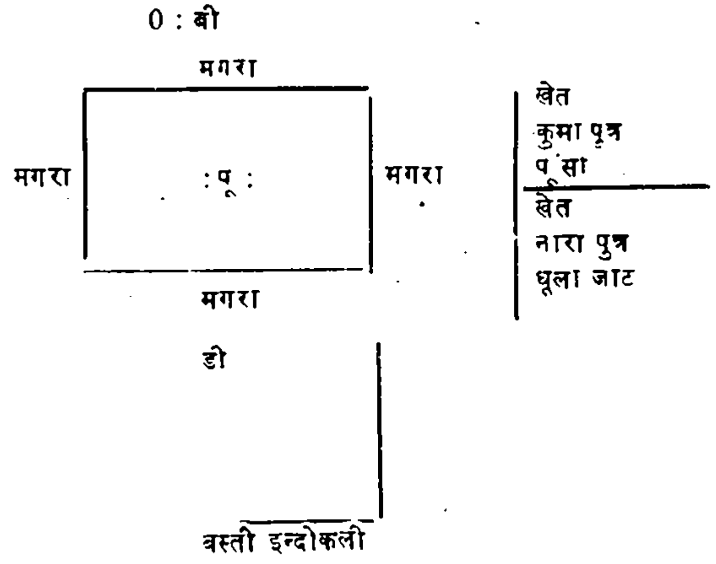

संके प्र : खेत मुस्तगीस जिसमें तिलों की काश्त है

बी : बड़ का पेड़

सी : सड़क खजवाना से रण जाने वाली

डी : तालाब गांवाई ग्राम इन्दोकली

ह. विजय प्रकाश

ह. लादूदान

ह. सत्यनारायण

ह.

इन्चार्ज ग्राफिसर

पी.एस मूण्डवा

फर्द हालात मौका ग्रपराध संख्या 68 दिनांक 23-9-78 ग्र. धा. 147, 447, 427 ग्राई पी.सी.पी.एस. मूण्डवा ।

रूबरू मोतबिरान (1) श्री लादूदान पुत्र गणेशदानजी सा. चाचलवा थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर ।

(2) श्री सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल बाद साकिन मून्डवा ।

उपरोक्त मोतबिरान के रूबरू बमौजूदगी मुस्तगीस के घटना स्थल का निरीक्षण किया जाना शुरू किया तो हालात हस्ब जेल हैं—

जाय वाका खेत मुस्तगीस सरहद मौजा इन्दोकली ग्राम से बरुख उत्तर करीब 1 कि.मी. रण से खजवाना जाने वाली सड़क के लगेसर वाके है । खेत मुस्तगीस के उत्तर में पड़त भूमि है खजवाना से जाने वाली सड़क हैं । दक्षिण में मगराव तालाब का ग्रंगोर है पूर्व में भी पड़त भूमि है व पश्चिम में भी पड़त भूमि है ।

खेत मुस्तगीस में तिलों की फसल है जो करीब करीब साथल तक कहीं कहीं व कहीं कहीं गोडे तक तिलों की फसल ऊंची ग्राई हुई है जो मवेशी द्वारा तिलों की फसल नष्ट की हुई है खेत में जानवरों के खोज हैं कहीं कहीं पर ग्रादमियों के खोज भी है । खेत में ट्रेक्टर चलने के निशान उत्तर से दक्षिण उभरे है । खोजों के निशान पुराने हैं ।

फर्द हाजा मुतिब हुई हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई सुन व समझ कर सही होना माना हस्ताक्षर किये ।

ह. लादूदान ह. सत्यनारायण ह. विजयप्रकाश ह. इ.ओ.पी.एस. मूण्डवा